सप्तम माला, 21 मार्च, 1980

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(दूसरा सत्र)

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 51 (T) 1
Date 22. 7. 80.

(खंड 2 में अंक 1 से 10 तक है)

[लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 10, शुक्रवार, 21 मार्च, 1980/1 चैत्र, 1902 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—20
*तारांकित प्रश्न संख्या : 163 से 168	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	21—156
*तारांकित प्रश्न संख्या : 169 से 182	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1347 से 1358, 1360 से 1463 और 1465 से 1531	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	157—160
राज्य सभा से सन्देश	160—162
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	162—165
अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले की ओर ध्यान दिलाना	165—177
(एक) पिम्पलगांव-वसवंत (महाराष्ट्र) में प्याज उत्पादकों पर गोली चलाये जाने का समाचार	
श्री अजय विश्वास	165
श्री पी० वेंकटसुब्बैया	165
श्री जार्ज फर्नान्डीस	169
श्रीमती प्रमिला दण्डवते	173
प्रो० मधु दण्डवते	174
श्री मुकन्द मंडल	176
असम की स्थिति को लेकर पश्चिम बंगाल में हुए प्रदर्शन के बारे में वक्तव्य	177—178
श्रीमती इंदिरा गांधी	177

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

महाराष्ट्र में रत्नागिरि एल्यूमीनियम परियोजना स्थापित किये जाने के बारे में याचिका 178

राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य 179—181

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी 179

सभा का कार्य 181—184

नियम 377 के अधीन मामले 185—187

(एक) असम से आये गैर-असमिया शरणार्थियों का पुनर्वास
श्री ज्योतिर्मय बसु 185

(दो) गोविन्द राम शूगर मिल्स, महीदपुर (मध्य प्रदेश) को बिना पर्याप्त कारण से बन्द किये जाने का समाचार
श्री सत्यनारायण जटिया 185

(तीन) देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति
श्री मनी राम बागड़ी 186

(चार) छितौनी (बिहार) में गंड़क नदी पर रेलपुल के निर्माण में कथित विलम्ब
श्री केदार पांडे 187

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के 25वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 187—219

श्रीमती विमा घोष गोस्वामी 187
श्री के० प्रधानी 192
श्री आर० एन० राकेश 193
श्री बापूसाहेब पारूलेकर 196
श्री ए० आर० मल्लू 197
श्री मूलचन्द डागा 200
श्री सी० चिन्नास्वामी 202
श्री राम स्वरूप राम 204
श्री गोदिल प्रसाद अनुरागी 206
श्री चिन्तामणि जेना 207
श्री वूटा सिंह 209

केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में संकल्प 219—551

श्री के० लकप्पा 219

श्री चन्द्रजीव यादव 224

श्री ईरा मोहन 230

श्री शिवराज वी० पाटिल 233

श्री ब्रजमोहन महन्ती 238

श्री चित बसु 241

श्री नारायण चौबे 245

श्री कैयूर भूषण 248

श्री राम विलास पासवान 249

अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले की ओर ध्यान दिलाना—जारी 251—257

(दो) ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की निरसा कोयला खान में कथित विस्फोट

श्री समर मुखर्जी 251

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी 252

श्री तारिक अनवर 256

श्री राम विलास पासवान 257

ग्वालियर में पुलिस और वकीलों के बीच हुई मुठभेड़ की घटना के बारे में वक्तव्य 258

श्री जैल सिंह 258

लोक सभा

— —

शुक्रवार, 21 मार्च, 1980/1 चैत्र, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

———

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

चंडीगढ़ और जम्मू के लिए जेट विमान सेवाएं

*163. डा० कर्ण सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों की राजधानियां होने के बावजूद चंडीगढ़ और जम्मू के लिए अभी तक जेट विमान सेवायें नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन हवाई अड्डों पर रनवे का विस्तार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है जिससे वहां बोइंग-737 विमान उतर सकें ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री जानकी बल्लभ पट्टनायक) : (क) जी, हां।

(ख) चंडीगढ़ हवाई अड्डा बोइंग–737 सेवाओं के परिचालन के लिए उपयुक्त है। इंडियन एयरलाइन्स की 1980-81 के दौरान अपने विमान-बेड़े में और बोइंग-737 विमान जोड़ लेने के बाद चंडीगढ़ के लिए बोइंग–737 सेवाएं परिचालित करने की योजनाएं हैं। जम्मू हवाई अड्डे के रनवे को बोइंग-737 परिचालनों के लिए उपयुक्त बनाने के लिए उसे अधिक लम्बा व मजबूत करने के प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

डा० कर्णसिंह : अध्यक्ष महोदय, 'सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन' यह एक ऐसी शब्दावली है जिसका मंत्रियों द्वारा बहुधा प्रयोग किया जाता है···

अध्यक्ष महोदय : यह आपका व्यक्तिगत अनुभव है···

डा० कर्णसिंह : मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर ही यह बात कह रहा हूं। माननीय मंत्री महोदय क्या इस बात से वाकिफ हैं कि दस वर्ष से अधिक समय से पूर्व ही न केवल इसका सक्रिय रूप से विचार किया गया था अपितु जम्मू विमान क्षेत्र के विस्तार के लिए एक निर्णय भी लिया गया था ? भूमि–अधिग्रहण की कार्यवाहियां शुरू की गई थीं और कुछ मामलों में पूरी कर दी गई हैं। अब भी दस वर्ष बाद माननीय मंत्री महोदय कहते हैं "यह अब भी सक्रिय रूप से विचाराधीन है'। महोदय, मंत्री जी इस बात का अहसास करेंगे कि जम्मू एक राज्य की राजधानी है और यदि आप चंडीगढ़ तक बोइंग-737 विमान की उड़ानों का संचालन कर रहे हैं तो, जब तक जेट से जम्मू को सम्बद्ध नहीं किया जाता, आप जम्मू-श्रीनगर के यातायात को संचालित नहीं कर पाएंगे जो कि उस क्षेत्र का वास्तव में ही बड़ा यातायात है। क्या माननीय मंत्री महोदय इस सदन को इस बात का आश्वासन देंगे कि अधिग्रहण कार्यवाहियां, जो पहले से ही चल रही हैं, तेज की जाएंगी और हमें यह बतायें कि क्या तब इसे बोइंग विमान संचालन के उपयुक्त बनाया जाएगा ?

श्री जे० बी० पटनायक : भूमि अधिग्रहण कार्यवाहियां तेज की जा रही हैं और मैं इस सदन को आश्वस्त कर सकता हूँ कि 1982 के मध्य तक इसे बोइंग-737 विमान के लिए तैयार कर दिया जाएगा, दस वर्ष का जो विलम्ब हुआ है उसके लिए मैं समझता हूं कुछ जिम्मेदारी डा० कर्णसिंह को भी स्वीकार करनी चाहिए उन्होंने ही इसका वायदा किया था। वह छः वर्ष तक वहां रहे और वह मामले को पूरा नहीं कर सके। तीन साल तक जनता-लोकदल शासन रहा। मैं वायदा कर रहा हूं दो वर्ष के भीतर हम इस कार्य को पूरा कर देंगे।

डा० कर्णसिंह : मैं माननीय मंत्री महोदय के आश्वासन का स्वागत करता हूं···

अध्यक्ष महोदय : विचार ठीक है।

डा० कर्णसिंह : कि 1982 के मध्य तक हवाई पट्टी का विस्तार कर दिया जाएगा। क्या वह इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि उस समय तक कितने पर्याप्त बोइंग-737 विमान या जेट विमान या दूसरी किसी भी प्रकार के विमान प्राप्त कर लिए जा चुके हैं ताकि उस समय हमें यह उत्तर न मिले कि विमान क्षेत्र तो तैयार है परन्तु विमान नहीं आ रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में भी आश्वासन चाहते हैं ?

श्री जे० बी० पटनायक : बिना विमानों के उन्हें हमसे विमान क्षेत्र तैयार किए जाने की आशा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपके पूर्ववर्ती उत्तर से वे प्रोत्साहित हुए हैं। अगला प्रश्न।

मछली और मछली उत्पादकों के निर्यात के लिये स्व-प्रमाणीकरण योजना

*164. **श्री के० ए० राजन :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछली और मछली उत्पादों के निर्यात के लिये स्व-प्रमाणीकरण योजना आरम्भ करने के बारे में एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस योजना को आरम्भ किये जाने के विरुद्ध अखिल भारतीय निर्यात निरीक्षण एजेंसी कर्मचारी संघ की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(घ) यदि हां, तो उनके मुद्दे क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

(घ) कर्मचारी एसोसिएशन का यह विचार है कि मछली तथा मछली उत्पादों के लिये स्व:प्रमाणीकरण योजना आरम्भ होने से कदाचारी प्रोसेसकर्ता घटिया स्तर के समुद्री उत्पादों का निर्यात करेंगे जिससे हमारे देश की छवि बिगड़ेगी और स्व:प्रमाणीकरण योजना की वजह से मछली तथा मछली उत्पाद निरीक्षण योजना में कार्य कर रहे निर्यात निरीक्षण अभिकरणों के कर्मचारियों की व्यापक पैमाने पर छंटनी भी की जाएगी ।

एसोसिएशन द्वारा व्यक्त की गई आशंकाएं निराधार हैं।

श्री के० ए० राजन : समुद्री उत्पादों के निर्यात का मूल्य 263 करोड़ रुपए होता है। यह पिछली साल के आंकड़ों के अनुसार है । अब, मेरी चिन्ता स्व-प्रमाणीकरण के बारे में है क्योंकि कुछ उद्योगों में इसका प्रचलन हो गया है । माननीय मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहूंगा कि (क) समुद्री उत्पादों के लिए स्व-प्रमाणीकरण लागू करने के बारे में सरकार का मंतव्य क्या था (ख) ऐसे कितने निर्यातकर्ता हैं जिसके पास पूरे उपकरण हैं और जिनके पास परिष्कृत प्रयोगशालायें हैं ? (ग) क्या मंत्री महोदय को इस तथ्य की जानकारी है कि सैंकड़ों लघु निर्यातकर्ताओं को बड़े एकाधिकारवादियों के लाभ के लिए इस व्यापार क्षेत्र से बाहर होने के लिए मजबूर किया जा रहा है ? (घ) क्या इस योजना से निर्यात निरीक्षण एजेंसी में निष्क्रियता और उसके परिणाम-स्वरूप छंटनी नहीं होगी ?

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न (क) के उत्तर में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमने अब तक स्व-प्रमाणीकरण की योजना लागू नहीं की है। इसलिए इसका प्रश्न ही पैदा नहीं होता । दूसरे प्रश्न के बारे में, संभवत: माननीय सदस्य स्व-प्रमाणीकरण की योजना और उत्पाद तैयार करते समय किस्म नियंत्रण की प्रक्रिया की योजना के मध्य अन्तर नहीं कर पा रहे हैं और वास्तव में स्व-प्रमाणीकरण की योजना, मछली और मछली उत्पादों की बात ही नहीं, किसी अन्य दूसरी मद के लिए भी लागू नहीं की गई है । जहां तक मछली और मछली उत्पादों को तैयार करते समय किस्म नियंत्रण का सम्बन्ध है, 288 इकाइयों में से केवल 30 इकाइयों से योजना लागू करने के लिए कहा गया है । योजना के विभिन्न पहलुओं की जांच की जा रही है । जहां तक छंटनी का सम्बन्ध है, मैंने पहले ही मुख्य प्रश्न के अपने उत्तर में बता दिया है कि किसी तरह की कोई संभावना नहीं है ।

श्री इन्द्र जीत गुप्ता : महोदय, संयुक्त राज्य अमरीका भारतीय झींगी का सबसे बड़ा आयातकर्ता है। हाल ही में एक समाचार था कि अमरीकी आयातकर्ताओं ने इस तथ्य के प्रति हाल ही में आशंका व्यक्त की है कि निर्यात करने से पूर्व यहां जो निर्यात-पूर्व निरीक्षण किया जाता है, वह संतोषजनक नहीं है और उनके अनुसार भारतीय झींगियों से कुछ रसायन पाए गए हैं जो हानिकारक हैं और इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वे स्वयं उसका पुनः निरीक्षण करेंगे और वे उन झींगियों को अस्वीकार कर सकते हैं जिन्हें वे अपने देश में खपत करने के लिए अनुपयुक्त पाएंगे। उत्पाद तैयार करते समय किस्म नियंत्रण और निरीक्षण से इसका सीधा सम्बन्ध रहेगा। क्या मुझे बताएंगे कि अमरीका के बाजार में, इस समय क्या स्थिति है जहां कि हमारे देश से करोड़ों रुपए मूल्य की झींगा मछली (श्रिम्प) जाती है।

श्री प्रणब मुखर्जी : वास्तव में अमेरीकी निरीक्षण और उनका किस्म नियंत्रण अपेक्षाकृत सख्त है और वास्तव में बड़ी संख्या में मदें रोकी गई थीं और उनका निरीक्षण किया गया था। वास्तव में, उन्होंने कुछ दूसरे देशों द्वारा सप्लाई किए गए उत्पादों के साथ मछली उत्पादों को काली सूची में रख दिया है। यही कारण है जिसकी वजह से हमें इस बात पर निगरानी रखनी है कि भारत से निर्यात किए जा रहे उत्पादों की किस्म पर ज्यादा जोर दिया जाए। अमरीकी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए निरोध लागू किया गया है और हम विशिष्ठता के अनुसार किस्म को बनाये रखने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उनके द्वारा रोकी गई सप्लाई का क्या हुआ ?

श्री प्रणब मुखर्जी : उन्होंने उनकी खपत नहीं की।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया था ?

श्री प्रणब मुखर्जी : हां, अस्वीकृत कर दिया गया था।

श्री एम० एस० संजीवी राव : मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि शानदार प्रगति के बावजूद हमारे देश ने जमे हुए मछली उत्पादों का निर्यात किया है, दुर्भाग्य से हमारे 90 प्रतिशत उत्पाद केवल दो ही देशों को जाते हैं, वे हैं, अमरीका और जापान। इसलिए, न केवल इन दो देशों को बल्कि विभिन्न देशों को निर्यात के लिए हमारे उत्पादों में विभिन्नता लाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री प्रणब मुखर्जी : यह सही है कि जहां तक इन मदों का सम्बन्ध है हमारे निर्यात की बड़ी मात्रा मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमरीका और जापान को निर्यात की जाती है और दूसरे देशों को इसका सीमित मात्रा में निर्यात किया जाता है और कार्य संचालन के क्षत्रों को विस्तृत करने के लिए निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा लगातार ऐसा किया गया है।

श्री जेवियर अराक्कल : माननीय मंत्री ने बताया है कि जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, वहां उत्पाद तैयार करते समय किस्म नियंत्रण है। जैसा मैंने इस समस्या को समझा है, केवल अमरीका ही निर्यात किस्म नियंत्रण को कड़ाई से लागू करने पर जोर दे रहा है और जापान इस पर जोर नहीं दे रहा है। क्या माननीय मंत्री हमें यह बताएंगे कि क्या हमने अमरीका और साथ

ही जापान की सरकार को भी यह बात समझाने की हर संभव कोशिश की कि वे इन उत्पादों को हमसे खरीदें और मैक्सिको तथा अन्य दूसरे देशों से नहीं ? हमें अमरीका और जापान को समझाने का प्रयास करना चाहिए कि वह इसे एक एकाधिकार मद के रूप में नहीं अपितु अन्तर-राष्ट्रीय बाजार के स्तर पर हमारे देश के एक निर्यात मद के रूप में इसकी खरीद करें।

दूसरे, केरल के निर्यातकर्ता अमरीका सरकार की कड़ी निर्यात नियंत्रण नीति के कारण गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। दूसरी ओर, जापान सरकार सस्ते मूल्य पर हमसे इन उत्पादों को खरीद रही है और उसके बाद अमरीका को फिर से उसी का निर्यात कर रही है। क्या सरकार ने सामान्यतः भारत और खास कर केरल के निर्यातकर्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली इस समस्या पर विचार किया है ?

श्री प्रणब मुखर्जी : जहां तक किस्म का सम्बन्ध है, यह निर्णय ग्राहक को ही करना होता है कि उसे किस प्रकार की किस्म खरीदनी है। जहां तक मछली और मछली उत्पादों का संबंध है, यह केवल इसलिए नहीं है कि क्योंकि अमरीका जोर दे रहा है अथवा अन्य दूसरे आयातकर्ता देश इस पर जोर दे रहे हैं, हम स्वयं इस बात पर निगरानी रखने के इच्छुक हैं कि निर्यात किए जाने वाले माल अच्छी किस्म के हों और वह मानकों के अनुरूप हों।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि क्या जापान हमसे आयात कर और तब संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात कर रहा है, मुझे इस तरह की कोई जानकारी नहीं है।

श्री मुकुन्द मंडल : मत्स्य विकास विभाग, पश्चिमी बंगाल के एक उच्च वेतन प्राप्त अधिकारी ने चीन से लौटने के पश्चात् निगम को झींग मछलियों के अचार का उत्पादन शुरू करने की सलाह दी थी। मैं जानना चाहूँगा कि क्या ये अचार देश के अपने बाजार और बाहर के देश दोनों जगहों पर बेचे जा रहे हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी : मुझे इस तरह की कोई जानकारी नहीं है।

प्राइवेट एयर टैक्सी सेवा

*165. **श्री डी० पी० जवेजा :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में प्राइवेट एयर टेक्सी सेवा आरम्भ करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो अनुमति के लिए आवेदन-पत्र देने वाली कम्पनियों तथा राज्य सरकारों के नाम क्या हैं;

(ग) उनके आवेदन-पत्रों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है;

(घ) उनके प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय की घोषणा कब किये जाने की सम्भावना है; और

(ङ) प्राइवेट-संचालकों द्वारा किन रूटों पर प्राइवेट एयर टैक्सी सेवा चलाये जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री जानकी बल्लभ पट्टनायक) : (क) से (ङ) हवाई टैक्सी सेवाएं परिचालित करने के लिए विभिन्न प्राइवेट पार्टियों से प्राप्त प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है। हवाई टैक्सियां मूलतः चार्टर परिचालन हैं और प्राइवेट पार्टियां उनका परिचालन वायु निगम अधिनियम, 1953 तथा वायुयान नियम, 1937 में निहित उपबंधों के अंतर्गत ही कर सकती हैं। निम्नलिखित प्राइवेट पार्टियों ने देश में हवाई टैक्सी सेवाओं के लिए आवेदन किया है :

1. फाल्कन एयर, नयी दिल्ली।
2. खेमका एवियेशन प्रा० लि०, नयी दिल्ली।
3. ईस्ट इंडिया होटल्स, नयी दिल्ली।
4. सराय एवियेशन, नयी दिल्ली।
5. श्री रमेश कोठारी, बम्बई।

किसी राज्य सरकार से हवाई टेक्सी परिचालित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जहां तक प्राइवेट पार्टियों द्वारा परिचालित किए जाने वाले मार्गों का सम्बन्ध है, इस बारे में कोई निर्णय विमान के प्रकार सहित सभी सम्बद्ध तथ्यों पर विचार कर लेने के बाद ही किया जाएगा।

श्री डी० पी० जदेजा : पांचवीं लोकसभा के दौरान मैंने एक ऐसा ही प्रश्न पूछा था तथा इसका उत्तर भी वही मिला था जो इस समय दिया गया है। मैं सरकार से यह जानना चाहूँगा कि वह कब तक अन्तिम निर्णय लेगी तथा क्या सरकार अन्तिम निर्णय लेने से पहले इस मामले पर एक अध्ययन दल द्वारा जांच कराने पर विचार कर रही है।

श्री जानकी बल्लभ पटनायक : उस समय की तथा वर्तमान स्थिति में जो अन्तर है वह यह है कि हम इस सम्बन्ध में जल्दी ही निर्णय लेने जा रहे हैं। एक समिति की नियुक्ति की गई थी; इसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है जो अब सरकार के विचाराधीन है तथा इस सम्बन्ध में बहुत ही जल्दी निर्णय लिया जाएगा।

श्री डी० पी० जदेजा : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि अधिनियम के अनुबंधों के अनुसार चार्टर उड़ानें परिचालित की जा सकती हैं। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या विदेशों से भारत में चार्टर उड़ान करने के लिए, जहां एअर इण्डिया उड़ाने परिचालित नहीं करती, कुछ कम्पनियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे क्षेत्रों में उन्हें परिचालन करने के लिए अनुमति देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री जानकी बल्लभ पटनायक : यह एयर टैक्सी के सम्बन्ध में है। चार्टर परिचालन इससे बिल्कुल भिन्न है, और यदि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में कोई और प्रश्न पूछना चाहें, तो मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ।

श्री के० पी० सिंह देव : क्या मैं जान सकता हूँ कि तृतीय स्तर की एयरलाइन शुरू करने के लिए क्या कोई दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं तथा क्या पिछड़े क्षेत्रों में परिचालन को कोई विशेष वरीयता दी जाएगी ?

श्री जानकी बल्लभ पटनायक : समिति ने इस सम्बन्ध में कुछ दिशा-निर्देश दिए हैं तथा हम इन दिशा-निर्देशों पर विचार कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य से पूर्णतः सहमत हूं कि फीडर एयर लाइन सेवा के बारे में चर्चा हुई थी, क्योंकि पिछड़े क्षेत्रों, विशेष रूप से उत्तरपूर्वी क्षेत्रों में, विमान सेवायें नहीं हैं। यही वह कारण है कि सरकार द्वारा फीडर सेवा पर विचार किया जा रहा है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार कलकत्ता, पनगढ़, जमशेदपुर, रांची, कलकत्ता तथा दुर्गापुर औद्योगिक 'बेल्ट-बर्नपुर टिस्को-रानीगंज कोयला खानों—शांतिनिकेतन से अपेक्षाकृत छोटी मार्ग सेवायें शुरू करने पर विचार कर रही है ? यदि यह मामला सरकार के विचाराधीन है, तो इसे कब लागू किया जाएगा ? ऐसे समान अपेक्षाकृत छोटे मार्गों की शुरूआत कब की जाएगी ? मैं जानना चाहता हूं।

श्री जानकी बल्लभ पटनायक : देश में कुछ मार्गों को जोड़ना पड़ेगा जिससे कि विमान सेवाओं को व्यापक बनाया जा सके। इसी वजह से इस समिति की नियुक्ति की गई थी। हम तीसरी एयर लाइन चाहते हैं, जिसे फीडर लाइन कहा जाता है। यह समिति अपना प्रतिवेदन दे चुकी है। प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा निर्णय लेने के पश्चात, यह तीसरी एयर लाइन, जिसका नाम फीडर विमान सेवा है, देश में चलाई जाएगी, जिससे कई क्षेत्र, जिन्हें इंडियन एयरलाइन्स पूरा नहीं कर पायी है, इसके अन्तर्गत आ जाएंगे। पश्चिम बंगाल के कुछ स्थानों को शामिल करने के बारे में माननीय सदस्य के प्रश्न पर उस समय विचार कर लिया जाएगा। राज्य सरकार का विचार अपनी एयरलाइन शुरू करने का है। उन क्षेत्रों में जिनमें इण्डियन एयरलाइंस अथवा राज्य कोई रुचि नहीं रखता, प्राइवेट पार्टियों से भी अपनी विमान सेवायें शुरू करने को कहा जायेगा।

श्री भागवत झा आज़ाद : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 'उत्तर-प्रदेश, बिहार' तथा मध्य प्रदेश जैसे विस्तृत राज्यों के बड़े-बड़े क्षेत्र ऐसे हैं जहां यदि आपातकालिक आवश्यकता पड़े तो वर्ष के किसी भी महीने में पहुँचने की व्यवस्था नहीं की जा सकती तथा यदि इण्डियन एयर लाइन्स यह कहे कि सम्भवतः लाभ की दृष्टि से उसे इन विमान सेवाओं में दिलचस्पी नहीं हैं, तो क्या सरकार प्राइवेट कम्पनियों को वहां विमान सेवा शुरू करने के लिए कुछ समय देने का विचार रखती है अथवा इसे उन पर छोड़ देगी कि वे अपनी सुविधानुसार समय और स्थान चुनें ? यदि वे इसमें असफल रहती हैं, तो क्या सरकार इस कार्य को स्वयं सम्भाल कर इस कमी को दूर करेगी।

श्री जानकी बल्लभ पटनायक : सरकार फीडर विमान सेवा अथवा एयर टैक्सी के सम्बन्ध में कुछ दिशा-निर्देश देने की सोच रही है। यदि राज्य सरकार इन स्थानों के बीच विमान सेवायें

परिचालित करने में रुचि रखती है, तो राज्य सरकार विमान का चयन करने तथा इन स्थानों के बीच सेवा शुरू करने के लिए स्वतन्त्र है। यदि राज्य सरकार इन सेवाओं में रुचि नहीं रखती तथा इन्हें इंडियन एयरलाइन्स द्वारा नहीं चलाया जाता, तो इन स्थानों के बीच विमान सेवा परिचालन के लिए ये सेवायें प्राइवेट पार्टियों को दी जाएंगी। मेरा विचार है कि कई प्राइवेट पार्टियां इसमें रुचि लेना चाहेंगी।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर : अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि 5 प्राइवेट कम्पनियों ने ऐप्लाई किया है टैक्सी सर्विस के लिये। तो मैं जानना चाहता हूं कि उन्होने किस रूट के लिए ऐप्लाई किया है ? और क्या उसमें जलगांव और खंडवा के लिये भी प्रार्थना-पत्र आते हैं तो आप उस पर विचार करेंगे ?

श्री जानकी वल्लभ पटनायक : मैं आवेदन के ब्यौरे के बारे में बता सकता हूं। पहले हमें एयर टैक्सी के बारे में दिशा-निर्देश देने है। इन दिशा-निर्देशों के बाद ही इन बातो पर विचार किया जाएगा।

श्री जगन्नाथ राव : क्या निजी उद्योगपतियों को ईंधन की कमी के इन दिनों में अपने विमान रखने की अनुमति है ? क्या सरकार निजी उद्योगपतियों को, जिनके पास अपने विमान है, लाभ पहुँचाने की सोच रही है ?

श्री जानकी बल्लभ पटनायक : निजी उद्योगों के पास अपने विमान हैं। उन्हें अपने विमान चलाने की अनुमति है।

श्री जगन्नाथ राव : नये विमान।

श्री जानकी बल्लभ पटनायक : यदि वे सरकार से आवेदन करें तो उस पर विचार किया जाएगा। ये उनके करार के पहले ही शामिल है।

डा० कर्ण सिंह : इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। उन्होंने तीसरी फीडर लाइन सेवाओं के बारे में बताया है। वह एक सरकारी क्षेत्र का निगम है, जबकि प्रश्न प्राइवेट एयर टैक्सी से सम्बन्धित है। क्या मैं यह समझूं कि तीसरा फीडर लाइन सेवायें प्राइवेट पार्टियों को दी जा रही हैं या आप सरकारी क्षेत्र में एक तीसरी विमान सेवा निगम स्थापित करने जा रहें हैं और उसकी अतिरिक्त व्यवस्था के लिए प्राइवेट सेवाओं की सहायता लेंगे। यह अस्पष्टता काफी महत्व रखती है।

श्री जानकी बल्लभ पटनायक : इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है। इस विचाराधीन फीडर एयर लाइन के बारे में निर्णय लेने के बाद, इसका एक भाग निजी क्षेत्र को, विशेषत: उत्तर-पूर्व क्षेत्र को देना होगा, जहां कई राज्य सरकार अपनी कोई विमान सेवा नहीं चलाना चाहतीं। अन्य क्षेत्रों में, जहां प्राइवेट पार्टियां तथा राज्य सरकारें विमान सेवायें परिचालित करना चाहेंगी, उन्हें अपनी विमान सेवाएं चलाने की अनुमति दी जाएगी।

श्री संजय गांधी : क्या इसे देखते हुए कि कई चालक पहले से ही किराये पर चार्टर्ड विमान टैक्सियां परिचालित कर रहे हैं, सरकार इन चालकों को दिल्ली-आगरा जैसे मार्गों पर भी, विमान टैक्सियां चलाने की अनुमति देगी, क्योंकि इन मार्गों पर विदेशी पर्यटकों के कारण इनकी बड़ी मांग है।

श्री जानकी बल्लभ पटनायक : जिस ढंग पर वे अभी परिचालन कर रहे हैं उन्हें उसी ढंग से परिचालन की अनुमति रहेगी।

डा० कर्ण सिंह : वर्तमान चालक, इण्डियन एयरलाइन्स के मार्गों पर।

श्री जानकी बल्लभ पटनायक : एयरलाइन्स मार्ग हो सकते हैं। एयर टैक्सी बिल्कुल ही अलग चीज है। एयर टैक्सी के लिए हम एक विमान का चयन कर रहे हैं जो दो इंजन वाला पिस्टन विमान होगा, जिसमें अधिक से अधिक आठ यात्री बैठ सकेंगे अतः इससे हमारे यातायात पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरे, इससे दो स्थानों के बीच हमारे विमान यातायात में सुविधा होगी।

पार्लेज द्वारा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की अदायगी

*166. **श्री संजय गांधी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, "थम्स अप" नामक शीतल पेय बनाने वाले पार्ले कम्पनी समूह को वह अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क अदा करने को कहा है जो कोला मिश्रित शीतल पेयों पर लागू होता था; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार अब ऐसा करने का है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) वातित जल अथवा मृदु पेयों (जिन नामों से ये जाने जाते हैं) के मामले में शुल्क निर्धारण के लिए मूल्यानुसार 55 प्रतिशत की कानूनी दर के मुकाबले मूल्यानुसार 25 प्रतिशत की रियायती दर 4 जुलाई, 1977 से लागू हुई थी। यह रियायती दर, उक्त जल अथवा पेयों में कोला नटों का सार नहीं होने पर निर्भर करती थी। इस रियायती दर के लिए बोतलों की संख्या के बारे में मात्रा-विषयक सीमा की यह शर्त भी थी कि एक वित्त-वर्ष में किसी निर्माता द्वारा अथवा उसकी ओर से, किसी एक अथवा अधिक कारखानों से, 50 लाख से अधिक बोतलों की निकासी नहीं की गई हो।

"थम्स अप" पर किए गए रासायनिक परीक्षण से उसमें कैफीन मौजूद होने का पता चला है। कैफीन कोला-नटों का सक्रिय संघटक तत्व है लेकिन चाय के चूरे अथवा कैफीन-रहित काफी में कैफीन होने के अन्य स्रोत होते हैं। पता चला है कि यद्यपि रासायनिक परीक्षण द्वारा कैफीन का होना तो प्रमाणित किया जा सकता है लेकिन उसके स्रोत का पता लगाना मुमकिन नहीं है।

इसलिए हालांकि "थम्स अप" में कैफीन मौजूद थी, फिर भी उसके निर्माताओं ने उसमें "कोला नटों का सार नहीं होने" की घोषणा की और उनके मामले में अधिसूचना में यथा-उल्लिखित मात्रा विषयक सीमा वाली शर्त के तहत रियायती दर मंजूर करनी पड़ी थी।

(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित परिस्थितियों में, निर्माताओं को, 4 जुलाई 1977 की अधिसूचना के तहत जैसी वह उस समय थी, रियायती दर पर शुल्क-निर्धारण से इकार नहीं किया जा सका। लेकिन, यह उल्लेखनीय है कि 4 जुलाई, 1977 की उक्त अधिसूचना 1 मार्च, 1979 को रद्द की जा चुकी है। इस प्रकार, रियायती दर को, जो कि इस समय मूल्यानुसार 30 प्रतिशत है, कैफीन के नहीं होने पर निर्भर कर दिया गया है और इसे निकासित बोतलों की संख्या के साथ नहीं जोड़ा गया है।

श्री संजय गांधी : सभा-पटल पर रखे गये विवरण को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि सरकार ने यह सिद्ध नहीं किया है कि 'थम्स अप' में कोलानट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसमें कोलानट का इस्तेमाल नहीं किया जाता लेकिन परीक्षण से पता लगता है कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। इससे सरकार को 2,55,00,000 रुपये के राजस्व की हानि है। यह छूट केवल एक कम्पनी को ही दी गयी है। क्या मंत्री महोदय इसकी पुष्टि करेंगे कि 2,55,00,000 रुपये के राजस्व की हानि की पूर्ति कराने के लिए सरकार कोई कार्यवाही कर रही है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इस कम्पनी के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम का उल्लंघन करने के बारे में एक मामला दर्ज किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई के दबाव के फलस्वरूप उस मामले को वापस ले लिया गया था। मामले को वापस लेने के कोई ठोस कारण नहीं दिये गये थे। क्या उस मामले में फिर से न्यायिक कार्यवाही की जा रही है क्योंकि एक बड़ी सरकारी धनराशि इसमें ग्रस्त है ?

श्री आर० वेंकटरामन : प्रथम मुद्दे के सम्बन्ध में, मैं कुछ लम्बा उत्तर दूंगा क्योंकि इसके लिये स्पष्टीकरण की जरूरत है। 1977 के बजट प्रस्तावों में मृदु पेय पदार्थों पर कुछ उत्पादन शुल्क लगाये गये थे। उस श्रेणी में सोड़ा तथा फलों के रस जैसे मृदु पेय पदार्थों को वर्गीकृत किया गया था, उन पर 25 प्रतिशत उत्पादन शुल्क लगाया गया तथा अन्य श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किये गये अन्य मृदु पेयों पर शुल्क 55 प्रतिशत था। इसके पारित होने के पश्चात् तत्कालीन सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें सरकार ने कहा था कि जिन पेय पदार्थों में कोलानट का अर्क नहीं होता है और जिनके लिये निकासी के आदेश नहीं होते हैं या जिनके लिये प्रथम 50 लाख रुपये तक निकासी आदेश होते हैं उन पर उत्पादन शुल्क में 25 प्रतिशत की रियायती दर पर लगेगा। 'थम्स अप' ने घोषित कर दिया था कि उसमें कोलानट का अर्क नहीं है।

इसमें कोलानट का अर्क मिला है या नहीं, इस सम्बन्ध में विवाद उठाया गया था। उस समय यह मामला सीमा शुल्क विभाग के जरिए रसायन परीक्षक के पास भेजा। रसायन परीक्षक

ने प्रमाणित किया कि इसमें कैफीन नहीं है और वह यह नहीं बता सका कि इसमें कोलानट का अर्क है या नहीं। इस आधार पर सरकार ने उन्हें उत्पादन शुल्क की रियायती दर 25 प्रतिशत मंजूर की थी। कुछ सदस्यों ने इस मामले में फिर आवाजें उठाई। इसके परिणामस्वरूप इसे सरकार के मुख्य रसायनिक के पास फिर भेजा गया। मुख्य रसायनिक ने तब प्रमाणित किया कि इसमें कैफीन है, लेकिन उसने यह भी बताया कि वह यह नहीं कह सकता कि यह कैफीन कोलानट अर्क, या चायचूर्ण या कैफीन निकाली हुई कॉफी के इस्तेमाल के कारण है। चूंकि मूल अधिसूचना में कहा गया था कि केवल वे ही पेय पदार्थ जिनमें कोलानट के तत्व होते हैं उस पर ही ज्यादा दर का उत्पादन शुल्क लगाया जायेगा। इसलिए इस पर कोई ज्यादा उत्पादन शुल्क नहीं लगाया गया। इसलिए तत्कालीन कानून के अनुसार लगाया गया उत्पादन शुल्क उपयुक्त तथा उचित था। (व्यवधान) मैं 'पेयों' से सम्बन्धित आपके दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में यह नोटिस चाहूँगा क्योंकि इसके लिये मुझे ज्यादा सूचना इकट्ठी करनी होगी।

श्री संजय गांधी : इस पेय पदार्थ का कोला पेय पदार्थ के बतौर विज्ञापन किया जाता है। तत्कालीन सूचना तथा प्रसारण मंत्री ने इसके कोला पेय पदार्थ के रूप में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से विज्ञापन करने पर रोक लगा दी। लेकिन फिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री के दबाव के अन्तर्गत इसका कोला को आज से पुनः विज्ञापन शुरू कर दिया गया। क्या यह इस पेय पदार्थ में कोलानट के न होने पर भी जनता को यह विश्वास दिलाना कि वे कोला खरीद रहे है, जनता को धोखा देना नहीं है ? और यदि यह ऐसा है तो वे 2.55 करोड़ रुपये का अतिरिक्त उत्पादन शुल्क भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

श्री आर० वेंकटरामन : यह सच है कि यह कम्पनी इसका कोला पेय पदार्थ के नाम से विज्ञापन करती है। वास्तविकता यह है कि वे इसका अखबारों में कोला के नाम से विज्ञापन देते हैं या वे इसे ताजगी देने वाला कोला कहते हैं। लेकिन फिर भी इस पर कर की देयता नहीं बनती क्योंकि उस समय उत्पादन शुल्क की परिभाषा के अनुसार केवल उन्हीं पेय पदार्थों पर कर लगाया जाता था जिनमें कोलानट का अर्क हो। यह सच है कि इसमें कैफीन था। मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि बाद में इस गलती का पता लग गया था तथा इसे ठीक कर लिया गया है। अब सभी पेय पदार्थ जिनमें कैफीन होती है उन पर अपेक्षाकृत अधिक 30 प्रतिशत उत्पादक शुल्क लगता है। लेकिन उस समय अधिसूचना के होने पर इस पर इस आधार पर कर नहीं लगाया गया कि इसमें कोलानट का अर्क नहीं था। दूसरे प्रश्न के बारे में कि क्या यह धोखा नहीं है, इसके सम्बन्ध में दो बातें हैं (1) इसका भाषा विज्ञानी अर्थ तथा धोखे की कानूनी परिभाषा विधि मंत्रालय ने इन बातों पर विचार किया और बताया कि यह भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत धोखे के अन्तर्गत नहीं आता। पर यह निश्चय ही गुमराह करने वाला विज्ञापन था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह विशिष्ट मृदु पेय पदार्थ जो पूर्णरूपेण भारतीय है और जिसका प्रबंध तथा नियंत्रण भी भारतीय है, मैं समझता हूं···

एक माननीय सदस्य : नहीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने कहा था मैं समझता हूँ, मेरे कथन में संशोधन की गुंजाइश है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस पेय को हैदराबाद की केन्द्रीय खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला भेजा गया था।

एक माननीय सदस्य : मैसूर की।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हैदराबाद में भी एक प्रयोगशाला है।

इस मृदु पेय पदार्थ में यदि कोलानट था तो क्या इसे इन दोनों प्रयोगशालाओं को विश्लेषण के लिये भेजा गया था। और दूसरी बात यह कि जिस प्रकार कोका कोला के मामले में यह पाया गया था कि इसमें कुछ ऐसे तत्व पाये गये थे जो बढ़वार की उम्र वाले बच्चों के लिए बहुत हानिकारक थे, तो इसी प्रकार क्या यह भी इस उम्र के बच्चों के लिये हानिकारक था ? मैं इस सम्बन्ध में स्पष्ट तथा निश्चित उत्तर चाहता हूं कि क्या इन प्रयोगशालाओं में इस पेय पदार्थ को भेजा गया था···(**व्यवधान**)।

श्री धर्मदास शास्त्री : (करौल बाग) वे क्या कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : श्री शास्त्री, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये।

श्री रवीन्द्र वर्मा : यह उनको कैसे चुभ रहा है ?

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : उन्हें क्यों पीड़ा होती है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : हाल की सटलांटा यात्रा, मैं जानता हूँ। आपने प्रश्नों का उत्तर भलीभांति दिया है, इसके लिये मैं आपको बधाई देता हूँ। कृपया आप मुझे और विस्तृत जानकारी दीजिये कि क्या इस पेय पदार्थ को इन दो सरकारी प्रयोगशालाओं को भेजा गया था।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे दोहरा क्यों कर रहे हैं (**व्यवधान**)।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : वह इस ढंग से बातें कर रहे हैं जैसे वह उस कम्पनी की वकालत कर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कौनसी कम्पनी ? श्री फैलीरो, हर जगह आईने में अपनी ही छवि देखने की कोशिश मत कीजिए। (**व्यवधान**)

श्री एडुआर्डो फैलीरो : ××

श्री ज्योतिर्मय बसु : नहीं। (**व्यवधान**)

श्री एडुआर्डो फैलीरो : कांच के घर में बैठकर दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। मुझ पर लांछन लगाने की कोशिश मत कीजिए। (**व्यवधान**)

श्री रवीन्द्र वर्मा : 'ब्लैकमेल' शब्द का प्रयोग संसदीय प्रथा के अनुकूल नहीं है। इसे निकाल दिया जाना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसे अवश्य ही हटाया जाना चाहिए। (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : हटा दिया जायेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते। आप इस प्रकार मत बोलिए। (व्यवधान) यह तरीका नहीं है। संसदीय प्रथा के अनुरूप शोभनीय शब्दों का प्रयोग कीजिये। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस मृदु पेय को सरकारी प्रयोगशालाओं में इन बातों का पता करने के लिये भेजा गया था। पहली तो यह कि इसमें कोला है या नहीं तथा आपको यह भी विदित होगा ही कि इसी प्रकार के मामलों में कोका कोला का मामला प्रयोगशाला को भेजा गया था तथा यह पाया गया था कि कोका कोला में कुछ ऐसे तत्व हैं जो बढ़वार वाली उम्र के बच्चों के लिये हानिकारक हैं। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्या इस मृदु पेय को इस प्रकार की रिपोर्ट के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया था।

श्री आर० वेंकटरामन : इस पेय को सी० एफ० टी० आर० आई० तथा हैदराबाद की खाद्य प्रयोगशाला को भेजा गया था। जो प्रश्न पूछा गया था वह यह नहीं था कि पेय हानिकारक था या नहीं बल्कि वह यह था कि क्या यह उत्पादन शुल्क की परिभाषा के अन्तर्गत आता है, अर्थात इसमें कोलानट का अर्क है : मैं इसका यदि पूरा नहीं तो आंशिक उत्तर दूंगा। अब उपलब्ध-परीक्षणों के परिणामों से पता लगता है कि कोलानट के अर्क से भी कैफीन मिलती है। कुछ अन्य वस्तुएं भी हैं जिनसे चायपूर्ण जैसी कैफीन मिलती है। जब उन्हें यह पता लगा कि इसमें कैफीन है तो वे यह नहीं निश्चित कर पाए कि इसमें कैफीन कोलानट या चायपूर्ण या दि कैफीन हेड़ रासायनिक पदार्थ के इस्तेमाल के कारण है।

श्री के० लकप्पा : पिछली लोकसभा में हमने इस मामले को पार्ले ग्रुप इंडस्ट्रीज की संदिग्ध हरकतों को लेकर एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार उठाया था। उनकी पहली सरकार के साथ साठगांठ थी। श्री मोरारजी देसाई के सुपुत्र श्री कान्ति देसाई तथा उनका पुत्र अर्थात श्री मोरारजी देसाई का प्रपौत्र भी उसमें शामिल था। माननीय सदस्य श्री संजय गांधी ने जो प्रश्न उठाया है उसका माननीय मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अस्पष्ट ही नहीं बल्कि वह उस प्रश्न के अनुपयुक्त है। उन्होंने कहा है कि जब उसमें कोलानट जैसे तत्व नहीं हैं तो उसके लिए जो कुछ भी रियायतें दी जाती हैं वे सब उन्हीं के कारण हैं। यह मैं मानता हूँ। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने रेडियो तथा दूरदर्शन को 'थम्स अप' का रफ्रेशिंग कोला के रूप में विज्ञापित करने की अनुमति न देने के लिए कहा था। देखिए उनका पत्र सं० 610/5/78 दिनांक 6.12.78 रासायनिक इंजीनियरों तथा 'सी० एफ० टी० आर० आई०' के मत के सम्बन्ध से, जो भी प्रमाण-पत्र जारी किया गया है वह तत्कालीन उद्योग मंत्री की सिफारिशों पर तथा कान्ति देसाई के इशारे पर किया गया है··· (व्यवधान) ·· उनकी रसायन विभाग से साठगांठ है। इस तथ्य को देखते हुए कि वे सरकार के 2.25 करोड़ रुपयों के देनदार हैं तथा इस तथ्य को देखते हुए कि सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने 'थम्स अप' का रफ्रेशिंग कोला के रूप में विज्ञापित न करने के लिए निदेश जारी किया है तथा उद्योगों के इस समूह के संदिग्ध स्वरूप के विचार से···

अध्यक्ष महोदय : आखिरकार प्रश्न क्या है ?

श्री के० लकप्पा : हाल में इस समूह से सम्बन्धित एक कम्पनी 'लिम्का' को दोषी पाया गया था तथा धोखेधड़ी के लिए उस पर 10,000 रु० का जुर्माना किया गया था। इसलिए, मैं चाहता हूं कि सरकार उद्योगों के पार्ले समूह का पूरे विस्तार से केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराए। दूसरे यह कि माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि यह कम्पनी एक इटालियन डिस्टलरी कम्पनी की सहायक कम्पनी है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसमें विदेशी सहयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से है। मैं अपने सभी प्रश्नों पर दो टूक उत्तर चाहता हूं।

श्री मनीराम बागड़ी : ये रूलिंग पार्टी वाले ऐसे भाषण देंगे तो हम क्या करेंगे ? ··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को उत्तर देने दो।

श्री आर० वेंकटरामन : मुझे फाइल से पता चला है कि मेरे आदरणीय मित्र, श्री लकप्पा ने इस मामले में अधिक रुचि ली है और पिछले समय में काफी प्रश्न पूछ चुके हैं। जहां तक विज्ञापन का सम्बन्ध है, मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि हालांकि सरकार उन पर मुकदमा नहीं चला सकी पर एक कम्पनी ने धोखा करने के लिए इस कम्पनी के विरुद्ध शिकायत कर चुकी है। यह मामला न्यायालय में चल रहा है।

एक माननीय सदस्य : वह कौनसी कम्पनी है।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं उसका नाम नहीं बता सकता हूं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : यदि मुकदमा दायर कर दिया गया है तो आप उसका नाम क्यों नहीं बता सकते।

श्री आर० वेंकटरामन : इसके लिए मुझे नोटिस चाहिए। जहां तक उनके द्वारा उल्लिखित हानि का सम्बन्ध है, यह सच है कि पीछे नजर डालें। और यदि अब हम सारी फाइलों का अध्ययन करें तो लगता है कि कोला का अर्क न होने के रूप में नहीं बल्कि केफीन मौजूद होने के रूप में इसकी परिभाषा करना बहुत सरल तथा बेहतर होता। तब उत्पादन शुल्क वसूल करना संभव हो गया होता। परन्तु उस समय जैसे कि अधिसूचना हुई थी कोई शुल्क नहीं लगाया जा सकता था तथा इसीलिए मैंने कहा कि कोई हानि नहीं हुई है।

उन्होंने 'लिम्का' द्वारा कुछ धोखेबाजी का भी उल्लेख किया है। मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए नोटिस चाहता हूं।

जहां तक 'लिम्का' का डिस्टलरी कम्पनी के साथ सम्बन्ध है, यदि वह नोटिस देते हैं तो मैं इसका जवाब दूंगा···(व्यवधान)

श्री के० लकप्पा : उन्होंने मेरे प्रश्न का उचित ढंग से उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दे दिया है।(व्यवधान) ××

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। मेरी अनुमति के बिना कहे गये शब्दों को कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।(व्यवधान) ××

×× कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है। (व्यवधान) ××

अध्यक्ष महोदय : कार्यप्रभारी मंत्री ने उत्तर दे दिया है। मैं उन पर और अधिक दबाव नहीं डाल सकता। (व्यवधान) ××

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उत्तर पहले ही दे दिया है। (व्यवधान) यह कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान) ××

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप कुछ अधिक कहना चाहते हैं? (व्यवधान) क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं?

श्री आर० वेंकटरामन : मुझे यह पता नहीं है कि मुझे किस बात का उत्तर देना है।··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनसे पूछा है। उन्हें कुछ जवाब देने दीजिए। ठीक प्रकार से व्यवहार कीजिए।

श्री आर० वेंकटरामन : श्रीमान्, जब तक कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध तथा कुछ अनाचार के निश्चित आरोप नहीं पाये जाते, हम किन्हीं अस्पष्ट बातों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के आदेश नहीं दे सकते। जहां तक इसका सम्बन्ध है, मैंने तथ्यों का बयान कर दिया है। माननीय सदस्य मेरे उत्तर को पढ़ने के पश्चात् इन उत्तरों से उत्पन्न प्रश्नों को पुनः पूछ सकते हैं। यदि वे यह समझते हैं कि कुछ विशेष मुद्दों पर जांच करवाई जानी चाहिए, तब वे इस बारे में प्रश्न कर सकते हैं। श्रीमान्, सिर्फ एक वक्तव्य के आधार पर सरकार केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा तत्काल जांच नहीं करवाती। (व्यवधान)

श्री धर्मदास शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल को आदेश देने के बावजूद, कि जो लोग रिफ्रेशिंग कोला लिखकर एक्साइज ड्यूटी की चोरी करते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए, वह कार्यवाही अभी तक क्यों नहीं की गई? हम भी बार-बार उपराज्यपाल के ध्यान में ये बातें लाए थे और जहां तक तथ्यों की बात है, हम तथ्यों से ही मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहते हैं कि क्या मंत्री महोदय उनके खिलाफ इन्क्वायरी कराने का आश्वासन देंगे···

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तो पूछा जा चुका है। (व्यवधान)

श्रीमती प्रमिला दंडवते : मैं सम्मानित मन्त्री महोदय से जानना चाहती हूँ कि जो कम्पनियां भ्रामक विज्ञापन देकर धोखा देती हैं उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करने वाले हैं·····

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तो पूछा जा चुका है।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : जनता पार्टी के समय में जो बातें हुई थीं, उनको अब खत्म करके जो नया कार्यक्रम शुरू हुआ है, क्या उसके मुताबिक सरकार कोका कोला कम्पनी को, जो कि एक मल्टीनेशनल कम्पनी है, उसको फिर से यहां बुलाने वाले हैं?

××कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देता ।

श्री मल्लिकार्जुन : मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इन तीन बातों को ध्यान में रखा है कि पहली यह कि तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा सूचना मन्त्रालय के निदेशों का और दूसरी यह कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन तथा तीसरी यह कि पार्ले ग्रुप के प्रबन्ध-निदेशक, श्री रोमेश चव्हाण तथा इटली के अनिवासी, डा० रोथी, जो कि इस मामले में शामिल हैं, की छलपूर्ण गतिविधियों को कहां तक ध्यान में रखा है तथा क्या सरकार इस मामले में गम्भीरता पूर्वक विचार करेगी तथा तत्काल जांच के आदेश देगी तथा इन लोगों से देय उत्पाद राशि की वसूली लिए आवश्यक कदम उठाएगी ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं जानता हूं कि इस विषय को लेकर लोगों में बड़ी उत्तेजना है, पिछली संसद में भी थी, परन्तु हमें अपने को तथ्यों तक ही सीमित रखना है । आप किस सम्बन्ध में जांच करवाना चाहते हैं, यह मुझे नहीं मालूम ।

श्री के० लकप्पा : केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यह सरकार पर निर्भर करता है ।

श्री के० लकप्पा : हम जो उत्तर चाहते हैं, वह यह नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : आप जो चाहते हैं, वह आपको नहीं दिया जाएगा ।

श्री आर० वेंकटरामन : तब श्री लकप्पा को यह बतलाना चाहिए कि वह क्या चाहते हैं?

जहां तक मेरा सम्बन्ध है, सवाल यह है कि क्या देय राजस्व की कुछ चोरी हुई है, तथा मैंने स्पष्ट रूप से यह बता दिया है कि हमने कानून का अध्ययन कर लिया है, उसकी परिभाषा के अनुसार सरकार को देय राजस्व में किसी प्रकार की चोरी नहीं की गई है ।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, शीतल-पेय बनाने वाली कोई भी कम्पनी "कोला" शब्द का प्रयोग नहीं कर सकती, लेकिन सब लोग सरकार को धोखा दे रहे हैं । मैं सरकार से साफतौर से जानना चाहता हूँ कि सरकार इनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री आर० वेंकटरामन : यह सिर्फ एक काल्पनिक-प्रश्न है । वास्तविक प्रश्न यह है कि पेय में 'कैफीन' है या नहीं । पेय में 'कैफीन' विभिन्न तरीकों से मिलाया जाता है, जो मैं पहले बता चुका हूँ । आबकारी अधिसूचना में 'कोला नट' की परिभाषा दी गई है । कुछ लोग कोला नट के अर्क का प्रयोग कर सकते हैं अथवा कुछ नहीं प्रयोग करते । यदि वे 'कोला नट' अर्क का प्रयोग करते हैं तब यह परिभाषा के अन्तर्गत आता है तथा उन्हें अधिक आबकारी शुल्क देना पड़ेगा तथा यदि वे 'कोला नट' अर्क का प्रयोग नहीं करते, हालांकि उसमें "कैफीन" होती है, कानूनी तौर पर, कानून के अधीन, अधिसूचना के अधीन, उन्हें अधिक आबकारी शुल्क नहीं देना पड़ेगा ।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, जिस धैर्य से मन्त्री जी ने सवालों का जवाब दिया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं क्योंकि कुछ लोग एक साथ मिलकर हमला कर रहे हैं। मैं एक सवाल मन्त्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या सारी कम्पनियों, क, ख, ग तमाम पेयजल बनाने वाली कम्पनियों की बिना किसी लिहाज के, जिनके खिलाफ शिकायतें हैं, कोई कमीशन बनाकर जांच करवाएंगे। इन सारी कम्पनियों में क्या-क्या भ्रष्टाचार होता है, इसकी जांच कराने का इरादा एक कमीशन बनाकर मन्त्री जी रखते हैं बिना किसी भेदभाव के कि यह तुम्हारी कम्पनी है और यह उसकी कम्पनी है, ताकि मुकम्मिल तौर पर इन सबका भण्डाफोड़ हो सके ? ऐसी जांच कमीशन मन्त्री बनाने का इरादा रखते हैं या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इन सभी कम्पनियों के सम्बन्ध में जांच आयोग स्थापित करने के लिए सहमत हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : फिलहाल, मैं किसी भी आयोग की स्थापना के लिए सहमत नहीं हूं।

जीवन बीमा निगम द्वारा विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए अधिक बोनस की घोषणा

*167. श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ने भारत में रहने वाले भारतीयों की तुलना में विदेशों में रहने वाले भारतीयों को अधिक बोनस देने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसा किस विचार से किया गया है;

(ग) उक्त निर्णय के लिए कौन व्यक्ति उत्तरदायी है; और

(घ) भारत में रहने वाले अथवा विदेशों में रहने वाले भारतीय पालिसी धारियों के साथ समान व्यवहार करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्तमन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (घ) एक विवरण समापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

यूनाइटेड किंगडम और फीजी में परिसम्पत्तियों और देनदारियों के बीच स्थानीय करेंसी में साथ बैठाने के सम्बन्ध में बीमा कानूनों की अपेक्षाओं के अनुसार जीवन बीमा निगम, उन देशों में अपने कारबार का लेखा-जोखा पहली अप्रैल, 1977 से अलग रख रहा है। इन देशों की राशियों को अलग रखने और पूरी शोधन क्षमता बनाए रखने की आवश्यकता के लिए यह अपेक्षित है कि इन देशों में जीवन बीमा निगम को बोनस सम्बन्धी नीति काफी हद तक स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप हो। इसलिए, जीवन बीमा निगम ने यूनाइटेड किंगडम फीजी और शेष संसार में अपने

कारबार का 31 मार्च, 1979 की स्थिति के अनुसार अलग बीमांकिक मूल्यांकन करने का फैसला किया । इन मूल्यांकनों के आधार पर घोषित बोनस का ब्यौरा इस प्रकार है :

बीमाकृत राशि पर प्रति हजार प्रति वर्ष प्रत्यावर्ती बोनस

	यूनाइटेड किंगडम कारबार	फीजी कारबार	शेष कारबार
आजीवन बीमा	37.50	25.00	31.00
बन्दोबस्त बीमा	30.00	20.00	24.80

ये परिणाम विभिन्न राज्य क्षेत्रों में मृत्युदर, निवेश आय और प्रबन्ध सम्बन्धी व्यय के द्योतक हैं और इनसे यह पता चलता है कि जहां एक ओर यूनाइटेड किंगडम की पालिसियों के अन्तर्गत दिया जाने वाला बोनस भारतीय पालिसियों के अन्तर्गत बोनस से अधिक है, वहां फीजी की पालिसियों के अन्तर्गत दिया जाने वाला बोनस इससे कम है ।

श्री कृष्ण प्रतापसिंह : अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है, वह इतना छोटा है कि इस को सदन में पढ़ा जा सकता था । मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि यू० के० में जो हमारे लोग रहते हैं और जितना इनका प्रीमियम यू० के० में जमा हुआ है, उसका औसत क्या है । जितना एल० आई० सी० का बिजनेस यू० के० में है, उसमें कितना जमा होता है और कितना भारत में जमा होता है, यह मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं । जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, उससे ऐसा लगा कि ब्रिटेन में रहने वाले लोगों की आयु लम्बी है और भारत में रहने वाले लोगों की आयु कम है । मैनेजमेंट पर जो व्यय होता है, उस व्यय-भार का विवरण इन्होंने दिया है । मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, मैं यह नहीं चाहता कि यू० के० में रहने वालों की बोनस की दर को घटाया जाए लेकिन मैं यह अवश्य चाहता हूं कि बोनस की दरों के मामले में जो भेद-भाव यू० के० और भारत में है, इसको दूर किया जाए और भारत में प्रीमियम की बोनस की दर को बढ़ाया जाए । क्या सरकार इस बात का आश्वासन देने का विचार रखती है ?

श्री आर० वेंकटरामन : मुझे ब्रिटेन और फीजी में एल० आई० सी० ब्रांचों की बोनस सम्बन्धी नीति स्पष्ट करनी है । ब्रिटेन के नियमों के अधीन, वहां स्थापित किसी भी बीमा कम्पनी को परिसम्पत्तियों तथा देनदारियों में पूरी शोधन क्षमता बनाए रखनी चाहिए तथा इसीलिए, भारतीय जीवन बीमा निगम ने विदेशों तथा भारत में स्थित कार्यालयों के कार्यकलापों का लेखा दर्शाने के बजाय सिर्फ ब्रिटेन के सम्बन्ध में ही अपने आय तथा व्यय और देनदारियों के लिए एक न्यास निधि की व्यवस्था शुरू की है, इसी प्रकार, फीजी के सम्बन्ध में भी परिसम्पत्तियों तथा देनदारियों, आय तथा ऐसी ही अन्य बातों के लिए एक न्यास निधि की व्यवस्था है इन राष्ट्रों से प्राप्त लाभ की राशि को ध्यान में रखते हुए बीमांकक देय बोनस का निर्धारण करता है । ब्रिटेन से प्राप्त लाभ की राशि के आधार पर बीमांकक द्वारा आजीवन बीमा के सम्बन्ध निर्धारित बोनस 37 रु० 50 पैसे तथा बन्दोबस्त बीमा के सम्बन्ध में 30 रु० था । भारत से प्राप्त लाभ के सम्बन्ध

में भारत में निर्धारित राशि क्रमशः 31 रु० तथा 24 रु० थी। अन्तर के दो कारण हैं। पहला कारण है इन दोनों देशों में निवेशों पर मिलने वाले ब्याज की भिन्न-भिन्न दरें। ब्रिटेन में हमारे निवेश पर लाभ 12 4 प्रतिशत है और इसके विपरीत भारत में हमारे निवेशों पर लाभ लगभग 7 प्रतिशत तक होता है। इसलिए, ब्रिटेन में निवेश के सम्बन्ध में अधिक लाभ होने की अवस्था में उस देश में अधिक आय के कारण अधिक बोनस की घोषणा की गई है। भारत में लाभ इस देश में हुई आय पर निर्भर करता है इसीलिए, बोनस की दर कम है।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, अपने देश में एल० आई० सी० के कम्पीटिशन में कई गैर सरकारी कम्पनियां काम कर रही हैं जिनकी प्रीमियम दर कम है और वे बोनस भी ज्यादा देती हैं। क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एल० आई० सी० भी प्राइवेट कम्पनियों की प्रीमियम दर के मुताबिक अपनी प्रीमियम दर घटावे और बोनस दर के मुताबिक बोनस दर बढ़ा दें ? दूसरे, जो एल० आई० सी० की वर्किंग के बारे में समाचार पत्रों में छपता रहा है, क्या उसकी जांच करने के लिए और बोनस के सम्बन्ध में सरकार सदन की एक कमेटी बनाएगी जो सब चीजों की जांच करके अपना प्रतिवेदन दे ?

श्री आर० वेंकटरामन : एल० आई० सी० की वर्किंग के बारे में एक समिति जांच कर रही है।

औषधियों का दुरुपयोग रोकने की कार्यवाही

*168. **श्री एडुआर्डो फैलीरो :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हमारे देश सहित विश्व के विभिन्न भागों में स्वापक (नारकोटिक) वस्तुओं के अवैध उत्पादन और उनके अवैध व्यापार में बहुत वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इन औषधियों का दुरुपयोग रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) एक विवरणी पत्र सदन पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) सरकार को मिली रिपोर्टों से पता चला है कि विश्व के विभिन्न भागों में, नारकोटिक औषधियों का अवैध उत्पादन और व्यापार बहुत ही बढ़ गया है। परन्तु, भारत में अफीम की काश्त की अनुमति कड़े नियन्त्रण और लायसेंस प्रणाली के तहत ही दी जाती है। भारत में कैनाबिस रेजिन (यानी, चरस अथवा हशीश) के उत्पादन पर पूरी रोक लगी हुई है और रिपोर्टों से यह पता चलता है कि मादक औषधियों की अवैध काश्त और उनके अवैध व्यापार पर पूरा नियन्त्रण बना हुआ है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पकड़े गये माल में भारतीय अफीम और भारतीय मूल के अन्य औषधि-द्रव्य का नाम विरले ही आता है।

(ख) सरकार ने नारकोटिक औषधि-द्रव्यों के अवैध उत्पादन और व्यापार को रोकने के लिए कड़े उपाय किये हैं। देश में औषधि व्यसन की समस्या की जांच, सरकार द्वारा जून, 1976 में नियुक्त एक उच्चस्तरीय समिति द्वारा की गई थी। इस समिति ने अनेक सिफारिशें की हैं, जैसे—उपयुक्त विधायी उपाय करना; शैक्षिक कार्यक्रम शुरू करना; औषधि-दुरुपयोग के बुरे

प्रभावों के बारे में जनता में जागृति पैदा करने के लिए जन-प्रचार माध्यमों का प्रयोग करना और औषधि-व्यसनों के इलाज के लिए सुविधाओं का विकास करना। सरकार इन सिफारिशों पर विचार कर रही है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : संसार में भारत अफीम तथा कैनाबिस का प्रमुख उत्पादक है। समस्त उत्पादन का 80 प्रतिशत से अधिक इसी देश में होता है। विद्यार्थीगण, विशेष रूप से, प्रमुख नगरों में रहने वालों में नशीली वस्तुओं का उपभोग करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है तथा एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि दिल्ली में 60 प्रतिशत से अधिक छात्र इसका सेवन कर रहे हैं। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार औषध नियन्त्रण कानून को कड़ा करेगी, अर्थात् क्या ये गांजा रखने को, जो कि आजकल 25 ग्राम तक वैध है, औषध के अतिरिक्त अन्य किसी उपयोग हेतु अवैध घोषित करेगी तथा दूसरे, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या नए औषध कानून में तेज असर वाली औषधियों, यथा, एल० एस० डी० तथा मैनड्रेक्स को उपयुक्त संशोधन द्वारा विधान में शामिल किया जाएगा।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : देश में एक सुनियोजित कानून है तथा समय-समय पर सरकार के ध्यान में यह बात लाई जाती रही है कि नारकोटिक औषधियों को एक कानून के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। यह सरकार के विचाराधीन है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यद्यपि विवरण-पत्र में यह उल्लिखित है कि इस प्रकार की औषधियों का व्यापार भारत में इतना आम नहीं है, तथापि ऐसा है कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल तथा बर्मा जैसे औषध व्यापार के केन्द्र बिन्दु के निकट स्थित है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या वह ऐसे तथा अन्य देशों के साथ क्षेत्रीय तथा अन्तर्क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग करेगी जिससे नारकोटिक औषधियों के व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : यह एक अच्छा सुझाव है।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन भारत सरकार द्वारा जून, 1976 में नियुक्त की गई उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों का क्या हुआ ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : यह विवरण-पत्र में ही उल्लिखित है। मैं इसे पुनः पढ़ता हूं :

"सरकार ने नारकोटिक औषधि-द्रव्यों के अवैध उत्पादन और व्यापार को रोकने के लिए कड़े उपाय किए हैं। देश में औषध-व्यसन की समस्या की जांच सरकार द्वारा जून, 1976 में नियुक्त एक उच्चस्तरीय समिति द्वारा दी गयी थी। इस समिति ने अनेक सिफारिशें की हैं, जैसे—उपयुक्त विधायी उपाय करना; शैक्षिक कार्यक्रम शुरू करना; औषधि-दुरुपयोग के बुरे प्रभावों के बारे में जनता में जागृति पैदा करने के लिए जन-प्रचार माध्यमों का प्रयोग करना और औषधि-व्यसनियों के इलाज के लिए सुविधाओं का विकास करना। सरकार इन सिफारिशों पर विचार कर रही है।"

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारत-पाकिस्तान पर्यटक यातायात

*169. श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल
श्री एम० राम० गोपाल रेड्डी } : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान पर्यटन विकास निगम की चेयरमैन बेगम विकारून्निसा नून ने उनसे भेंट की थी और भारत-पाक पर्यटक यातायात को बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच पर्यटक वीसा आरम्भ करने के लिए प्रस्ताव पेश किए; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी, हां। हाल ही में दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति की पर्यटन सलाहकार, बेगम विकारून्निसा नून, ने पर्यटन तथा नागर विमानन मन्त्री से मुलाकात की थी और उन्होंने भारत तथा पाकिस्तान के बीच पर्यटक यातायात में वृद्धि करने के लिए एक सुझाव दिया था।

(ख) सरकार द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है।

इण्डियन एयरलाइन्स तथा एयर इण्डिया द्वारा यात्री किराया तथा माल भाड़े में वृद्धि

*170. **श्री के० प्रधानी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया द्वारा यात्री किराए और माल भाड़े में कोई वृद्धि की गई; और

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत वृद्धि की गई और इस वृद्धि के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) इन्डियन एयरलाइन्स तथा एयर इन्डिया द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान यात्री किरायों तथा कार्गो की दरों में लागू की गयी वृद्धियों के विस्तृत ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(क) **इण्डियन एयरलाइन्स**

यात्री किराये तथा कार्गो दरें

प्रभावी तारीख	सेक्टर	प्रतिशतता	कारण
19.11.1979	सभी अन्तर्देशीय सेक्टर	30%	विमान ईंधन के मूल्य में वृद्धि तथा अन्य परिचालन लागतों, जैसे अवतरण शुल्क, मार्ग दिक्चालन प्रभार, फालतू पुर्जों की लागत, विमानों के मूल्य इत्यादि में वृद्धि।

1	2	3	4
1.4.1978	सभी अन्तर्राष्ट्रीय सेक्टर	7%	विमान ईंधन के मूल्य में वृद्धि तथा अन्य परिचालन लागतों, जैसे अवतरण शुल्क मार्ग दिक्चालन प्रभार, फालतू पुर्जों की लागत, विमानों के मूल्य इत्यादि में वृद्धि।
1.5.1979	—यथोपरि	7%	ईंधन में प्रथम वृद्धि
1.9.1979	—यथोपरि—	9%	ईंधन में दूसरी वृद्धि
15.2.1980	श्रीलंका को छोड़कर सभी अन्तर्राष्ट्रीय सेक्टर	3%	ईंधन में तीसरी वृद्धि

ख. एयर इण्डिया

ख. 1. यात्री किराये

प्रभावी तारीख	आई०ए०टी०ए० क्षेत्र	प्रतिशतता	कारण
1.4 1977	क्षेत्र 3	5.6%	वाणिज्यिक वृद्धियां।
1.4.1977	क्षेत्र 2 तथा क्षेत्र 3 के बीच	5%	केवल भारत तथा खाड़ी के नगरों के बीच वाणिज्यिक वृद्धि।
1.1.1978	क्षेत्र 2 तथा क्षेत्र 3 के बीच	5%	केवल भारत तथा यूरोप के बीच वाणिज्यिक वृद्धि।
1.4.1978	क्षेत्र 2 तथा क्षेत्र 3 के बीच	8%	केवल यूरोप से जी० आई० टी० किरायों में वाणिज्यिक वृद्धि।
15.6.1979	कुछ अपवादों को छोड़कर सभी क्षेत्र	7%	ईंधन में प्रथम वृद्धि। यह वृद्धि मूलतः 1 मई, 1979 से होनी थी, परंतु सरकारी अनुमोदनों में विलम्ब के कारण यह वृद्धि 1.8 1979 से 29.10.1979 तक की अवधि में फैल गयी।
1.10.1979	कुछ अपवादों को छोड़कर सभी क्षेत्र	9-12%	ईंधन में दूसरी वृद्धि। यह वृद्धि मूलतः। सितम्बर, 1979 से की जानी थी। परंतु, सरकारी अनुमोदनों में विलम्ब के कारण यह वृद्धि भी 1.10.1979 से 10.12.79 तक की अवधि में फैल गयी।

ख. 1. 1. उपर्युक्त वृद्धियां सामान्यत: सरकार द्वारा भारत के लिए/से निर्देशित सभी किरायों में लागू की गयी हैं। परंतु, सरकार द्वारा निर्देशित कुछ निम्न किरायों को कुछ भिन्न तरीके से लिया गया है। अत: इन किरायों के संबंध में की गयी वृद्धियां नीचे अलग-अलग दी गयी हैं।

किराये का प्रकार	प्रभावी तारीख	% वृद्धि	कारण
1. भ्रमण किराया	1.5.1979	7%	वाणिज्यिक वृद्धि
यू० एस० ए०–भारत	23.7.1979	12.7%	वाणिज्यिक वृद्धि तथा ईंधन में प्रथम वृद्धि।
	1.10.1979	10%	ईंधन में दूसरी वृद्धि।
2. सामूहिक पर्यटन किराया	1.5.1977	7%	वाणिज्यिक वृद्धि
यू० एस० ए०–भारत	23.7.1979	7%	ईंधन में प्रथम वृद्धि
	1.10.1979	10%	ईंधन में दूसरी वृद्धि
3. भ्रमण किराया	1.5.1977	7%	वाणिज्यिक वृद्धि
कनाडा/भारत	11.8.1979	24.1%	वाणिज्यिक वृद्धि तथा ईंधन में प्रथम वृद्धि
	20.10.1979	10%	ईंधन में दूसरी वृद्धि
4. यू० के०–भारत	1.4.1977	10.1%	वाणिज्यिक वृद्धि
भ्रमण किराया	1.5.1978	12.9%	वाणिज्यिक वृद्धि
	1.5.1979	7%	ईंधन में प्रथम वृद्धि
	1.8.1979	10.7%	वाणिज्यिक वृद्धि
	1.9.1979	12%	ईंधन में दूसरी वृद्धि
एकतरफा सामूहिक	1.4.1977	10.1%	वाणिज्यिक वृद्धि
	1.5.1978	9.2%	वाणिज्यिक वृद्धि
	1.5.1979	7%	ईंधन में प्रथम वृद्धि
	1.8.1979	12.7%	वाणिज्यिक वृद्धि
	1.9.1979	12%	ईंधन में दूसरी वृद्धि
एकतरफा सामूहिक	1.4.1977	10.8%	वाणिज्यिक वृद्धि
परन्तु वापसी	1.5.1978	8.9%	वाणिज्यिक वृद्धि
व्यक्तिश: पृथक-पृथक	1.5.1979	7%	ईंधन में प्रथम वृद्धि
	1.8.1979	5%	वाणिज्यिक वृद्धि
	1.9.1979	12%	ईंधन में दूसरी वृद्धि
5. भारत–यू० एस० ए०	23.7.1979	7%	ईंधन में प्रथम वृद्धि
भ्रमण किराया	1.10.1979	10%	ईंधन में दूसरी वृद्धि
6. भारत-कनाडा	11.8.1979	7%	ईंधन में प्रथम वृद्धि
भ्रमण किराया	1.10.1979	10%	ईंधन में दूसरी वृद्धि

1	2	3	4
7. भारत–य० के०	1.4.1977	10%	वाणिज्यिक वृद्धि
सामूहिक एकतरफा	1.5.1978	17%	वाणिज्यिक वृद्धि
किराया	15.5.19.9	7%	ईंधन में प्रथम वृद्धि
	12.9.1979	12%	ईंधन में दूसरी वृद्धि
8. यू० एस० ए० तथा	23.7.1979	7%	ईंधन में प्रथम वृद्धि
कनाडा के बीच	1.10.1979	10%	ईंधन में दूसरी वृद्धि
एकतरफा विशेष किराया			
9. यूरोप–भारत	1.5.1979	7%	ईंधन में प्रथम वृद्धि
भ्रमण किराया	1.9.1979	12%	ईंधन में दूसरी वृद्धि
10. भारत–यूरोप	15.6.1979	7%	ईंधन में प्रथम वृद्धि
भ्रमण किराया	12.9.1979	12%	ईंधन में दूसरी वृद्धि
11. मारिशियस/सैशल्ज/	1.5.1979	7%	ईंधन में प्रथम वृद्धि
दक्षिणी अफ्रीका से भारत	1.9.1979	10%	ईंधन में दूसरी वृद्धि
भ्रमण किराया			
12. भारत–मारिशियस/	15.6.1979	7%	ईंधन में प्रथम वृद्धि
सेशल्ज भ्रमण किराया	12.9.1979	10%	ईंधन में दूसरी वृद्धि

कार्गो : भारत से बाहर

प्रभावी तारीख	आई० ए० टी० ए० क्षेत्र	प्रतिशत	कारण
5.12.1978	क्षेत्र 1%	जीसी आर+14 सेन्ट्स एससी आर+16 सेन्ट्स	वाणिज्यिक वृद्धि
14.7.1979	कनाडा	7%	ईंधन में प्रथम वृद्धि
5.9.1979	यू० एस० ए०	आरसीयू +14 सेन्ट्स	ईंधन में प्रथम वृद्धि
12.10.1979	कनाडा	9%	ईंधन में दूसरी वृद्धि
	यू० एस० ए० क्षेत्र।	10%	
	यू० एस० ए०/ कनाडा को छोड़कर	7–9%	
28.3.1980	क्षेत्र 1	5%	ईंधन में तीसरी वृद्धि
30.11.1977	यूरोप	5%	वाणिज्यिक वृद्धि
	मध्य पूर्व/अफ्रीका	3%	
26.4.1979	यूरोप एससी आर 2199	5%	वाणिज्यिक वृद्धि
23.6.1979	क्षेत्र 2	7%	ईंधन में प्रथम वृद्धि

1	2	3	4
12.10.1979	यूरोप	12%	ईंधन में दूसरी वृद्धि
	मध्य पूर्व/अफ्रीका	10%	
	घाना	12%	
28.3.1980	यूरोप/अफ्रीका (इथोपिया को छोड़कर)	3%	ईंधन में तीसरी वृद्धि
15.12.1977	टीसी 3 जीसी आर	5%	वाणिज्यिक वृद्धि
	एससी आर	8%	
19.11.1978	टीसी 3 जीसी आर	3%	वाणिज्यिक वृद्धि
	एससी आर	5%	
4.7.1979	टीसी 3 (जापान/न्यूजीलैण्ड तथा यू०के० क्षेत्रों को छोड़कर)	7%	ईंधन में प्रथम वृद्धि
24.7.1979	जापान	7%	
1.8.1979	यू० के० क्षेत्र	7%	
2.8.1979	न्यूजीलैण्ड	7%	
12.10.1979	टीसी 3 (दक्षिण पश्चिमी प्रशान्त को छोड़कर)	9%	ईंधन में दूसरी वृद्धि
12.10.1979	दक्षिण पश्चिम प्रशान्त	7%	
28.3.1980	टीसी 3	3%	ईंधन में तीसरी वृद्धि

अमरीका को चाय के निर्यात में गिरावट

*171. **श्री जी० वाई कृष्णन :** क्या वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत एक वर्ष के दौरान अमरीका को चाय के निर्यात में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) वहां भारतीय चाय को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जी नहीं ।

1979 के दौरान अमरीका को हुए भारतीय चाय के निर्यात 1978 में हुए निर्यातों से अधिक थे जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से देखा जा सकता है :

1978···2 18 मिलियन कि०ग्रा०

1979···5.08 मिलियन कि०ग्रा०

1978 में सभी देशों से, जिनमें भारत भी शामिल है, अमरीका में हुए चाय के आयातों में 1977 में हुए आयातों की तुलना में गिरावट आई । इस गिरावट के मुख्य कारण थे (1) 1977 में अमरीकी आयातकों द्वारा उस देश में गोदी कर्मचारिगों की हड़ताल का पूर्वानुमान लगाते हुए

अपनाई गई स्टाक एकत्र करने की नीति और (2) चाय पर निर्यात शुल्क सम्बन्धी भारतीय नीति के बारे में उनके मन में अनिश्चितता। तथापि, 1979 के दौरान सभी देशों से, जिनमें भारत भी शामिल है, अमरीका में हुए चाय के कुल आयातों में 1978 में हुए आयातों की तुलना में वृद्धि हुई।

(ग) 1978 व 1979 के दौरान सरकार द्वारा भारतीय चाय के निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाये गए। निर्यात-शुल्क, जिसे 5 रु० प्रति कि०ग्रा० की दर पर अप्रैल 1977 से लगाया गया था, पहले सितम्बर, 1978 में कम करके 2 रु० प्रति कि०ग्रा० किया गया और फरवरी, 1979 में उसे बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। पैकेट चाय के निर्यातों पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की वापसी की प्रणाली को भी जनवरी, 1979 में पुनः शुरू किया गया। मूल्य वर्धित रूप (अर्थात् चाय बैग्स्) में चाय के निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए चाय बैग तैयार करने की मशीनरी के आयात को मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०) के अन्तर्गत लाया गया और इन मशीनों पर आयात शुल्क को 75 प्रतिशत से घटाकर 18 जनवरी, 1979 से 25 प्रतिशत कर दिया गया। इसके अलावा, अप्रैल, 1979 से नकद प्रतिपूर्ति सहायता, जिसके लिए पैकेट चाय और चाय बैग्स पात्र थे, की दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर एफ०ओ०बी० मूल्य की 12-112 प्रतिशत कर दी गई। अभी हाल ही में, 3 मार्च, 1980 से चाय की पेटियों में अस्तर के रूप में प्रयोग की जाने वाली एल्युमिनियम पन्नी के आयात पर आयात शुल्क और प्रतिकारी शुल्कों को 30 जून, 1980 तक की एक सीमित अवधि के लिए हटा दिया गया है।

अक्तूबर-नवम्बर, 1979 में अध्यक्ष, चाय बोर्ड के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल अमरीका तथा अन्य देशों को गया और प्रमुख आयातकों के साथ विचार-विमर्श किया।

इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया के लिए पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए नई अकादमी

*172. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इन्डिया दोनों के लिए पायलटों के प्रशिक्षण के वास्ते एक नई अकादमी स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो कहां और कितनी लागत से;

(ग) क्या यह सच है कि देश में पहले ही बहुत बड़ी संख्या में पायलट बेरोजगार हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या उन सबको काम देने के लिए रोजगार के कुछ नए अवसरों का सृजन किया जा रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) विमान चालकों को प्रशिक्षण देने के लिए एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइन्स की एक सांझी प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) अकादमी के स्थान को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है तथा मूल्य विश्लेषण भी अभी किया जाना है।

(ग) 1.2.1980 की स्थिति के अनुसार, चालू वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस वाले लगभग 162 विमानचालक बेरोजगार हैं।

(घ) पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न संगठनों से कहा गया है, कि वे बेरोजगार विमानचालकों को अन्य उपयुक्त पदों पर नियुक्त करने की संभावना का पता लगाएं।

अजन्ता की पहाड़ियों का विकास

*173. **श्री रामकृष्ण सदाशिव मोरे :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटकों को सुविधायें देने के लिए अजन्ता की पहाड़ियों के तलहटी क्षेत्र का विकास करने की आयोजनायें हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या भारत सरकार महाराष्ट्र सरकार को इस योजना के लिए अपेक्षित पूरी राशि मंजूर करने के लिए सहमत हो गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) अजन्ता गुफाओं की तलहटी के क्षेत्र के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 1977 में केन्द्रीय पर्यटन विभाग को 30.00 लाख रुपए के अनुमान की एक स्कीम भेजी थी। स्कीम के कुछ खास भागों के वास्ते, जिनके लिए केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत धन-राशि जुटायी जानी थी, 9.36 लाख रुपए की स्वीकृत राशि में से केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने राज्य सरकार को 7.50 लाख रुपए की राशि रिलीज कर दी है।

एक करोड़ रुपये से भी अधिक की आय-कर की बकाया राशि

*174. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) आय-कर बकाया के ऐसे कुल कितने मामले हैं जिनमें से प्रत्येक पर 1 करोड़ रुपए और उससे भी अधिक की राशि बकाया है;

(ख) 1 करोड़ रुपये से अधिक आय-कर बकाया वाले व्यक्तियों अथवा फर्मों के नाम क्या हैं;

(ग) ये बकाया कब से चला आ रहा है;

(घ) क्या इन बकाया रकमों की वसूली के लिए कोई विशेष प्रयास किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में 1 करोड़ रु० या अधिक बकाया राशि की वसूली करने में क्या प्रगति हुई है; और

(च) इन बकाया राशियों की वसूली में तेजी लाने के लिए आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) ऐसे 40 करदाता थे, जिनमें से प्रत्येक की तरफ 31 मार्च 1979 को सकल आयकर की 1 करोड़ रु० अथवा उससे अधिक की मांग बकाया थी।

(ख) से (घ) एक विवरण-पत्र संलग्न है, जिसमें उन करदाताओं के नाम दिये गये हैं जिनमें से प्रत्येक की तरफ 31-3-1979 की स्थिति के अनुसार सकल आयकर की 1 करोड़ रु० अथवा उससे अधिक की मांग बकाया थी। इसके साथ ही साथ उक्त विवरण-पत्र में प्रत्येक मामले में कर की बकाया की रकम तथा देय नहीं बनी कर की रकम तथा सबसे पहले और सबसे बाद के ऐसे दो वित्तीय वर्षों का ब्यौरा जिनके दौरान ये मांगें जारी की गई हों, और बकाया के इन मामलों में से प्रत्येक मामले में 31-12-1979 तक (क्र० सं० 33 से 40 तक के मामलों के बारे में नवीनतम उपलब्ध अवधि जिसमें 31-12-1979 तक की स्थिति के अनुसार सूचना अभी प्राप्त होनी है) हुई वसूली/घटौती का ब्यौरा दिया गया है।

(ङ) और (च) मुख्यतः, कर-निर्धारण अधिकारी को प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर कानून में विद्यमान व्यवस्था के अनुसार आयकर की बकाया की वसूली के लिए विशिष्ट उपाय करने होते हैं। तथापि, निरीक्षी सहायक आयुक्तों/आयकर आयुक्तों द्वारा सम्यक् निगरानी रखी जाती है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वसूली निदेशालय के माध्यम से आयुक्तों से प्राप्त हुई तिमाही फाइल (डासियर्स) के जरिये इन मामलों में वसूली की प्रगति पर निगरानी रखता है। वसूली में तेजी लाने के लिए जहां कहीं आवश्यक होता है, उपयुक्त अनुदेश जारी किये जाते हैं। जहां कहीं बड़ी मांगें विवादग्रस्त होती हैं, वहां अन्य बातों के साथ-साथ सम्बन्धित अपीलीय प्राधिकारियों/न्यायालयों से/ अपीलों/उन्हें भेजे गये मामलों का शीघ्र निपटान कराने के भी उपाय किये गये हैं। बकाया की इन रकमों की वसूली में तेजी लाने के लिए इन उपायों को जारी रखने और तीव्र करने का विचार है।

विवरण

ऐसे मामलों को दर्शाने वाला विवरण पत्र जिनमें से प्रत्येक में 31-3-79 की स्थिति के अनुसार एक करोड़ रुपये से अधिक की सकल आयकर की मांगें बकाया थीं। जिस अवधि के दौरान मांगें जारी की गई वह अवधि तथा 31-12-1979 तक की बकाया मांग में से हुई वसूली/घटौती की प्रगति

क्र० सं०	निर्धारिती का नाम	31-3-1979 की स्थिति के अनुसार बकाया मांगें			सबसे पहला और अन्तिम ऐसे दो वित्तीय वर्ष जिसके बीच में मांगें जारी की गई	कालम 3 की मांग में से (क्र०सं० 33 से 40 को छोड़ कर) 31-12-79 तक हुई वसूली/घटौती	31-12-79 को कालम 4 में से बकाया शेष मांग		
		बकाया आयकर	देय नहीं बनी मांग	कुल			बकाया आयकर	देय नहीं बनी मांग	कुल
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	4	5	6(क)	6(ख)	6(ग)
1.	श्री ए० के० जैन और अन्य	—	172.62	172.62	1968-69/ 1978-79	0.92	171.45	0.25	171.70
2.	श्री वी० एन० भट्टाचार्जी	196.85	—	196.85	1971-72/ 1977-78	1.17	188.75	6.93	195.68
3.	मै० यूनाईटिड कमर्शियल बैंक	—	108.76	108.76	1978-79	108.76	—	—	—
4.	ग्रींडलेज बैंक लि०	1.70	614.86	616.36	1975.76/ 1978-79	190.09	कुछ नहीं	426.33	426.33

1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	4	5	6(क)	6(ख)	6(ग)
5.	मै० ब्रह्मपुत्र टी कं० लि०	127.14	8.59	135.73	1945-46/ 1975-76	—	135.73	—	135.73
6.	श्री चन्द्र नाथ बनिक	15.08	150.63	165.71	1974-75/ 1978-79	—	18.85	146.86	165.71
7.	श्री हाजी मस्तान मिर्जा	292.83	—	292.82	1970-71/ 1978-79	—	292.82	--	292.82
8.	श्री नैनमल पी० शाह	192.04	—	192.04	1972-73 1978-79	—	192.04	—	192.04
9.	दी ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्युफैक्चरिंग (वीविंग) कं० लि०	—	115.45	115.45	1978-79	—	—	115.45	115.45
10.	मै० प्रकाश काटन मिल्स प्रा० लि०	114.19	13.12	127.31	1972-73/ 1978-79	66.13	61.18	—	61.18
11.	मै० फौनिक्स मिल्स लि०	—	130.59	130.59	1977-78/ तथा 1978-79	1.09	—	129.50	129.50
12.	वेस्टर्न इंडिया स्पीनिंग विविंग कं० लि०	114.75	—	114.75	सितम्बर 1978 से पूर्व	—	114.75	—	114.75
13.	मै० आई० बी० एम० वर्ल्ड ट्रेड कार्पोरेशन	—	1383.73	1383.73	1976-77/ 1978-79	—	—	1383.73	1383.73

1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	4	5	6(क)	6(ख)	6(ग)
14.	मै० आई० सी० एम० एफ० एक्सपोर्ट प्रमोशन फंड	—	239.36	239.36	1978-79	—	—	239.36	239.36
15.	श्री इन्द्रा जीतेन्द्र नारायण सिंह	185.07	—	185.07	1971-72/ 1977-78	—	185.07	—	185.07
16.	श्री भानाभाई खालपाभाई	179.74	.12	179.86	1976-77/ 1978-79	0.29	171.21	8.36	179 57
17.	मै० आर० एन० आॅफ अहमदाबाद	68.61	38.39	107.00	1975-76/ 1978-79	19.65	87.35	—	87.35
18.	मै० आर० एन० आफ नादिआड	209.28	29.57	238.85	1972-73/ 1978-79	—	238.85	—	238.85
19.	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कं० लि०	—	115.78	115.78	1978-79	16.14	—	99.64	99.64
20.	अंसल सैगल प्रापर्टीज प्रा० लि०	—	234.48	234.48	1974-75 1978-79	233.53	(30-6-79 को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान मांग घटकर एक लाख रु० से कम हो गई)		
21.	मै० भारत स्टील ट्यूब्स लि०	234.51	169.70	404.21	1978-79	404.21	—	—	—
22.	मै० मोदीपोन लि०	5.00	398.11	398.11	1977-78 तथा 1978-79	—	—	398.11	398.11
23.	मै० एलन बैरी एन्ड कं० प्रा० लि०	209.74	—	209.74	1970-71/ 1978-79	—	209-74	—	209.74

1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	4	5	6(क)	6(ख)	6(ग)
24.	डा० जयन्ती धर्मतेजा	277.60	—	277.60	1968-69/ 1978-79	—	277.60	—	277.60
25.	मै० लक्ष्मी जीशुगर मिल्स कं० लि०	220.25	—	220.25	1966-67/ 1978-79	—	220.31 (अन्तर की जांच की जा रही है)	—	220.31
26.	श्री आर० डालमिया	81.85	35.08	116.83	1970-71/ 1975-76	77.60	4.25	35.08	39.33
27.	डालमिया डेयरी इन्डस्ट्रीज लि०	64.61	55.44	120.05	1977-78 तथा 1978-79	—	80.21 (अन्तर की जांच की जा रही है)	55.44	135 65
28.	मै० साउथ इण्डिया विस्कोज लि०	97.71	104.46	202.17	1978-79	3.00	7 17	192.00	199.17
29.	मै० थान्ता ट्रस्ट	—	170.40	170.40	1972-73/ 1978-79	2.32	2.98	165.10	168.08
30.	आर० बी० श्रीराम दुर्गाप्रसाद तथा फतह चन्द नरसिंहदास (एक्सपोर्ट) फर्म	367.77	—	367.77	1967-68/ 1978-79	1.33	366.44	—	366.44
31.	मै० आर० बी० श्रीराम दुर्गाप्रसाद	234.28	—	234.28	1967-68/ 1977-78	—	234.28	—	234.28
32.	के० एस० अब्दुल्ला	—	120.13	120.13	1974-75 1978-79	—	— (अन्तर की जांच जी जा रही है)	121.57	121.57
33.	जे० के० सिंथेटिक्स लि०	—	153.27	153.27	1978-79	88 30	— (30-6-79 की स्थिति के अनुसार)	64.97	64.97

1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	4	5	6(क)	6(ख)	6(ग)
34.	श्री मन्नी लाल गुप्ता	1.58	177.52	179.10	1965-66/ 1977-78	—	1.58 (30-6-79 की स्थिति के अनुसार- अन्तर की जांच की जा रही है।)	178.65	180.23
35.	मै० मानलाल छगनलाल	109.69	—	109.69	1972-73/ 1978-79	40.58	69.11 (30-9-1979 की स्थिति के अनुसार)	—	69.11
36.	मै० करोडीमल लोहारी वाला (मृत)	147.55	—	147.55	1956-57/ 1966-67	—	147.55 (30-9-1979 की स्थिति के अनुसार)	—	147.55
37.	श्री हरीदास भूदडा	833.95	—	833.95	1955-56/ 1978-79	—	833.95 (30-9-1979 की स्थिति के अनुसार)	—	833.95
38.	स्व० श्री राम नाथ बाजोरिया	116.53	—	116.53	1948-49/ 1965-66	—	116.53 (30-6-1979 की स्थिति के अनुसार)	—	116.53
39.	मै० गिरिलाल मामचन्द एन्ड कं०	110.91	19.59	130.50	1973-74/ 1978-79	—	130.50 (30-9-1979 की स्थिति के अनुसार)	—	130.50
40.	मै० बी० आर० सी० लि०	—	250.80	250.80	1977-78 1978-79	7.67	96.75 (30-9-1979 की स्थिति के अनुसार- अन्तर की जाँच की जा रही है)	145.42	243.17

उड़ीसा राज्य में पर्यटन का विकास

*175. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में पर्यटन विकास के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) उड़ीसा में पर्यटन का विकास करने के लिए केन्द्रीय सेक्टर में निम्नलिखित स्कीमें शुरू करने का प्रस्ताव है :

(1) पर्यटन विभाग द्वारा 30 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर सिम्लीपाल नेशनल पार्क में 30 कमरों वाले एक वन-लॉज का निर्माण।

(2) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा कोणार्क में वर्तमान यात्री लाज में विस्तार, समुद्र तटीय कुटीरों का निर्माण।

(3) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा पुरी में एक होटल का निर्माण।

राज्य व्यापार निगम द्वारा कतिपय आवश्यक वस्तुओं के आयात में कमी

*176. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **वाणिज्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्य व्यापार निगम को कतिपय आवश्यक वस्तुओं के आयात में कमी करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो उन वस्तुओं के नाम क्या हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी नहीं। (ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सोवियत संघ के साथ व्यापार सन्धि

*177. **श्री के० मालन्ना** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सोवियत संघ को किये जाने वाले निर्यात में वृद्धि करने के लिये किसी व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किये गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो सम्मिलित की गई नई मदों का विवरण क्या है; और

(ग) सोवियत संघ द्वारा जिन भारतीय मदों को पसन्द किया गया है, उनका विवरण क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री : (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) सोवियत संघ के साथ 1980 के लिए एक व्यापार संलेख पर हस्ताक्षर हुए हैं जिसमें 1900 करोड़ रु० के कुल व्यापार की व्यवस्था है। ऐसी आशा है कि 1980 में सोवियत संघ को होने वाले निर्यातों में वर्ष 1979 की तुलना में वृद्धि होगी।

(ख) व्यापार संलेख में पहली बार स्टीम बायलर, इन्सिनरेटर, थर्मो ब्लाक, छपाई मशीनें जैसी इन्जीनियरी मदें तथा सूती सिलाई धागे, सूती होजरी आदि जैसी अन्य मदें शामिल की गई हैं।

(ग) अंगराग सामग्री, चश्मों के फ्रेम, हस्तशिल्प की वस्तुएं, इंस्टैन्ट काफी, सिगरेट, डिटरजेन्ट आदि जैसी भारत की बहुत सी उपभोक्ता मदें सोवियत संघ में लोकप्रिय हैं।

काले धन को समाप्त करने के लिए "स्वैच्छिक घोषणा योजना" को फिर से चालू करना

*178. **डा० वसन्त कुमार पंडित**
श्री मूल चन्द डागा } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 31 दिसम्बर, 1979 तक काले धन की कुल अनुमानित राशि कितनी थी;

(ख) उपरोक्त राशि में से गुप्त रूप अथवा बेनामी लेन-देन के रूप में कितनी राशि परिचालन में है;

(ग) क्या सरकार देश में काले धन को समाप्त करने के लिए "स्वैच्छिक घोषणा योजना" को फिर से लागू करने की योजना बना रही है; और

(घ) सरकार का देश में काले धन की समानान्तर अर्थ-व्यवस्था समाप्त करने के लिए क्या अन्य योजनायें बनाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख), देश में, हिसाब में नहीं दिखाई गई आय अथवा धन का जिसे सामान्यतया "कालाधन" कहा जाता है—कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं है। काले धन की रकम का ठीक ठीक अनुमान लगाने में भारी कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। इस बात का पता लगाना और भी कठिन है कि हिसाब में नहीं दिखाई गई आय और धन में से कितनी रकम चोरी छिपे अथवा गुप्त व्यापार में लग रही है और कितनी रकम बेनामी लेन-देनों में लग रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सरकार का, कर-कानूनों को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने और जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी के खिलाफ अभियान चालू करने की बहुविध कार्यवाही करके, देश में काले धन और समानान्तर अर्थ-व्यवस्था की समस्या से निपटने का विचार है।

कालीकट हवाई अड्डे के लिये भूमि का अधिग्रहण

*179. **श्री ई० के० इम्बिचीबावा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालीकट हवाई अड्डे के निर्माणकार्य के पूरा होने में हो रहे असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) हवाई-अड्डे के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) कालीकट हवाई अड्डे तथा इस तक पहुंचने वाली सड़कों के लिए भूमि का अधिग्रहण शुरू होने की तारीखें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में धन की कमी के कारण, कालीकट में विमान क्षेत्र के निर्माण की परियोजना को पांचवीं पंचवर्षीय योजना तक स्थगित कर दिया गया। परन्तु ईंधन के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि तथा विमान-बेड़े की तंग स्थिति के कारण, इन्डियन एयरलाइन्स ने अपनी योजनाओं का पुनरीक्षण किया तथा सूचित किया कि वे पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कालीकट के लिये परिचालन करने की स्थिति में नहीं हैं। बाद में "स्टाल परिचालनों" (STOL OPERATIONS) के लिए एक विमानक्षेत्र का निर्माण करने की योजना बनाई गयी। बाद में इन्डियन एयरलाइन्स ने सूचित किया कि उनकी मंशा कालीकट के लिए एच०एस० 748 विमान परिचालित करने की है। एच०एस० 748 परिचालनों के लिए उपयुक्त एक विमान क्षेत्र के निर्माण के लिए 2.5 करोड़ रुपए के संशोधित प्राक्कलन अब तैयार कर लिए गए हैं और उनकी स्वीकृति के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(ग) भूमि के अधिग्रहण सम्बन्धी प्राक्कलनों को मई, 1970 में स्वीकृति प्रदान कर दी गयी थी तथा भूमि का अधिग्रहण अप्रैल, 1971 में कर लिया गया था। राज्य सरकार प्रस्तावित विमान क्षेत्र स्थल तक एप्रोच रोड का निर्माण पहले ही कर चुकी है।

पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में ऋण-जमा राशियों का अनुपात

*180. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में गत तीन वर्षों में वर्ष-वार पश्चिमी बंगाल में ऋण तथा जमा राशियों का अनुपात राष्ट्रीय औसत एवं अन्य राज्यों के अनुपात की तुलना में कैसा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल का यह अनुपात हाल के वर्षों में कम हुआ है;

(ग) पश्चिम बंगाल में 1978 और 1979 में वर्ष-वार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कुल अग्रिम राशियों का कितने प्रतिशत ब्याज को अवकलित दर के आधीन दिया गया; और

(घ) केन्द्रीय सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कितने प्रतिशत राशि उनके द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत दी जानी थी ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (घ) दिसम्बर, 1976, दिसम्बर, 1977 और दिसम्बर, 1978 के अन्त तक की स्थितियों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमा राशियों, अग्रिमों और ऋण, जमा अनुपातों के राज्यवार आंकड़े विवरण में दिए गये हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल.टी. 616/80] दिसम्बर 1979 के आंकड़ें अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

दिसम्बर, 1976 से दिसम्बर 1978 तक की अवधि में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कुल ऋण : जमा अनुपात जो 78.3 प्रतिशत से घटकर 70.1 प्रतिशत हो गया था उसी के अनुरूप पश्चिम बंगाल में, इन बैंकों का ऋण : जमा अनुपात इसी अवधि में अर्थात दिसम्बर, 1976 के 69.9 प्रतिशत से घटकर दिसम्बर, 1978 में 63.9 प्रतिशत हो गया है। दिसम्बर, 1977 और दिसम्बर, 1979 के अन्त तक की स्थितियों के अनुसार, विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पश्चिम बंगालमें दिए गए अग्रिमों की राशि क्रमशः 2.8 करोड़ रुपये और 3.3 करोड़ रुपये थी। यह रकमें, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पश्चिम बंगाल में दिए गए कुल अग्रिमों का क्रमशः 0.22 प्रतिशत और 0.24 प्रतिशत बैठती है।

विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत ऋण के प्रसार के लिए कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते। सरकारी क्षेत्र के बैंकों से यह कहा गया था कि वे अपने कुल ऋण का कम से कम 0.5 प्रतिशत इस योजना के अन्तर्गत प्रदान करें। दिसम्बर 1978 में बैंकों को कहा गया था कि वे इस अनुपात को बढ़ाकर 1.0 प्रतिशत कर दें।

गुजरात में केन्द्रीय सरकार द्वारा विकसित पर्यटन के स्थान

*181. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात राज्य में पर्यटन विकास सम्बन्धी गुजरात राज्य की कोई सिफारिशें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार गुजरात में किन-किन स्थानों का विकास कर रही है और वहां किस किस्म की सुविधायें देने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने केन्द्रीय सेक्टर में निम्नलिखित स्कीमें शुरू करने का सुझाव दिया था :

1. जिला जूनागढ़ में अहमदपुर माण्डवी का विकास (100 लाख रुपये)।
2. उकई जलाशय क्षेत्र का पर्यटक काम्पलैक्स के रूप में विकास (100 लाख रुपये)।
3. अहमदाबाद में एक जनता होटल का निर्माण (100 लाख रुपये)।

उपलब्ध धन-राशि की मात्रा और देश में पर्यटन के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर उपर्युक्त स्कीमों पर विचार किया जाएगा।

देश में आन्तरिक पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया का विस्तारण

*182. **श्री तारिक अनवर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने तथा आन्तरिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से सरकार का इण्डियन एयरलाइन्स और एयर-इण्डिया का विस्तार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) एयर इन्डिया तथा इन्डियन एयरलाइन्स द्वारा विमान लेने की योजना बनाते समय, पर्यटकों के कारण यातायात में वृद्धि होने आदि जैसे सभी पहलुओं पर विचार किया जाता है। यातायात में संभावित वृद्धि की आवश्यकता पूर्ति के लिए, एयर इन्डिया तथा इन्डियन एयरलाइन्स अपने विमान-बेड़ों का और विस्तार कर रहे हैं जिसके ब्यौरे नीचे दिये गए हैं :—

	1980	1981
एयर इण्डिया	1 बोइंग-747	—
(एक अन्य बोइंग-747 विमान फरवरी, 1980 में पहले ही डिलीवर हो चुका है)		
इन्डियन एयरलाइन्स	2 एयरबस	—
	4 बोइंग-737	4 बोइंग-737

पोर्ट ब्लेयर में मत्स्य ग्रहण नौकाओं की सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा जांच

1347. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि थाईलैंड के सहयोग से टाटा द्वारा प्राप्त कुछ मत्स्य ग्रहण नौकायें जो अन्दमान क्षेत्रीय जल में कार्य करती हैं, बिना सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा जांच किये थाईलैंड जाती हैं और कुछ नौकायें वर्ष 1979 के दौरान बिना सीमाशुल्क निकासी के पोर्ट ब्लेयर से चली गयीं; यदि हां, तो तथ्यों का ब्योरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इन मत्स्य ग्रहण नौकाओं की पोर्ट ब्लेयर में कड़ी सीमाशुल्क जांच कराने का है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) सरकार को इस आशय की कोई जानकारी नहीं है कि टाटाओं द्वारा थाई सहयोग से किराये पर लिया गया मछली पकड़ने का कोई ट्रालर वर्ष 1979 में समुचित सीमाशुल्क निकासी के बिना पोर्ट ब्लेयर से थाईलैंड चला गया था, किन्तु, अन्य कम्पनियों के कुछ ऐसे जलयानों के बारे में यह पता लगा है कि वे कर्मीदल के सदस्यों के गम्भीर रूप से बीमार होने और प्रशीतन मशीनरी के खराब हो जाने के कारण सीमाशुल्क से पूर्वानुमति लिए बिना ही मछली पकड़ने के क्षेत्र को छोड़कर थाईलैंड के लिए रवाना हो गए थे। इन मामलों की जांच पड़ताल की जा रही है।

(ख) पोर्ट ब्लेयर पर सीमाशुल्क सम्बन्धी अपेक्षाओं में, निर्यात की जाने वाली मछलियों के मूल्य का निरीक्षण और जांच करना, जहाज के स्टोर की तसदीक करना तथा ऐसे सामान्य

पर्यवेक्षी कार्य शामिल हैं जिनका उद्देश्य तस्करी को और सीमाशुल्क कानूनों के उल्लंघन को रोकना है।

नट-बोल्ट उत्पादक इकाइयों को नियंत्रित दर पर कच्चे माल की सप्लाई

1348. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या इस्पात व खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में नट-बोल्ट उत्पादक इकाइयों को, विशेषकर लुधियाना में, नियंत्रित दर पर कच्चा माल प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार नियंत्रित दर पर कच्चा माल उपलब्ध करवाने के लिये क्या उपाय कर रही है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) इस समय किसी प्रकार के लोहे तथा इस्पात के वितरण तथा मूल्य पर कोई कानूनी नियन्त्रण नहीं है। नट-बोल्ट का उत्पादन करने वाली इकाइयों के लिए मुख्य कच्चा माल छड़ और गोल छड़ (बार, राड और राउन्ड) है। देश के मुख्य इस्पात कारखानों के उत्पादन में इस प्रकार की मदों के उत्पादन की मात्रा 25 प्रतिशत के लगभग है, शेष माल निजी क्षेत्र के लघु इस्पात संयन्त्रों तथा पुनर्बेतकों से आता है। जबकि मुख्य इस्पात कारखानों द्वारा उत्पादित माल को सारे देश में निर्धारित मूल्यों पर बेचा जाता है, लघु इस्पात संयन्त्रों तथा पुनर्बेतकों द्वारा उत्पादित माल के मूल्य अलग-अलग स्थान पर अलग-अलग समय में मांग तथा आपूर्ति की स्थिति के अनुसार अलग-अलग होते हैं।

जहां तक मुख्य इस्पात उत्पादकों से लुधियाना स्थित इकाइयों को यह कच्चा माल सप्लाई करने का प्रश्न है, ये इकाइयां लघु क्षेत्र की हैं और छड़ों और गोल छड़ों (बार, राड और राउन्ड) की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पंजाब राज्य लघु उद्योग निगम से करती है। इस्पात के मुख्य उत्पादक इस निगम को कच्ची सामग्री इस शर्त पर रियायती मूल्यों पर सप्लाई करते हैं कि वे लघु क्षेत्र की इकाइयों को यह माल स्टाकयार्ड मूल्य से 40 रुपये प्रति टन कम मूल्य पर देंगे। लघु उद्योग निगमों को माल की सप्लाई उत्तरोत्तर बढ़ाई जा रही है।

बांधने वाली (फास्तर) कुछ इकाइयां तार छड़ भी इस्तेमाल करती हैं। ये इकाइयां अपनी सप्लाई मुख्य उत्पादकों के स्टाकयार्डों से स्टाकयार्ड मूल्यों पर सीधे प्राप्त करती हैं। इन इकाइयों को माल, इनकी पिछली खरीद के आधार पर दिया जाता है।

एयर इन्डिया द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में रखे जा रहे "आफ-लाइन" कार्यालय

1349. **श्री सी० टी० दण्डपाणि** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इन्डिया द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में कौन कौन से "आफ लाइन" कार्यालयों को बनाये रखा जा रहा है;

(ख) वर्ष के दौरान, इस वर्ष 28 फरवरी, 1980 तक उनके रखरखाव पर "स्थापना" 'विज्ञापन", "मनोरंजन", "वाहन", "भत्ते' आदि शीर्षों के अन्तर्गत कुल कितना खर्च हुआ; और

(ग) इन कार्यालयों द्वारा कितना वार्षिक व्यापार किया गया ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) से (ग) दक्षिण पूर्वी एशिया में एयर इन्डिया के आफ-लाइन स्टेशनों के नाम, 1 अप्रैल, 1979 से दिसम्बर, 1979 तक (जहां तक आंकड़े उपलब्ध हैं) विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत हुआ व्यय तथा प्रजनित राजस्व नीचे दिए गए हैं :—

दक्षिण-पूर्वी एशिया में स्टेशनों के नाम	मनीला	जकार्ता
प्रजनित राजस्व (लाख रुपयों में)	36.78	27.06
किया गया व्यय		
(i) वेतन आदि	0.53	1.30
(ii) किराया, दरें, टैक्स (भवन)	0.53	1.00
(iii) प्रचार/आतिथ्य सत्कार	0.36	0.22
(iv) अन्य व्यय	2.37	1.17
कुल :	3.79	3.69

सवारी भत्ता वेतन में सम्मिलित है।

बड़े उद्योगों के विकास के लिए ग्रामीण जमा राशियों का उपयोग करना

1350. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी तथा गैर सरकारी बैंक बड़े उद्योगों तथा नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए ग्रामीण जमा राशियों को एक बड़े भाग का निवेश कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया है; और

(ग) बैंकों द्वारा ग्रामीण जमाराशियों को बड़े बड़े उद्योगों और नगरीय क्षेत्रों के विकास हेतु निवेश को रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (ग) जून, 1979 के अन्त की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं की जमा राशियां और ऋण राशियां क्रमश: 3064 करोड़ रुपये और 1666 करोड़ रुपये थीं जिसका ऋण जमा अनुपात 54.4 प्रतिशत बैठता है। लेकिन, ग्रामीण शाखाओं के माध्यम से दिये गए ऋण, ग्रामीण क्षेत्रों में इस्तेमाल किये गए कुल बैंक ऋण के सूचक नहीं है। रिजर्व बैंक द्वारा जून, 1977 में किए गये, जनसंख्या समूहवार ऋणों के व्यवसाय सम्बन्धी स्वरूप के अध्ययन से पता चलता है कि कृषि

को दिये गये प्रत्यक्ष ऋणों का, जिनका स्पष्टतः ग्रामीण इलाकों में उपयोग किया जाता है, लगभग 64.0 प्रतिशत तक गैर-ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिया गया था। अलबत्ता, ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में बैंक ऋणों की गति बढ़ाने के लिये, सहकारी क्षेत्र के बैंकों से कहा गया है कि वे अपनी ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं के ऋण जमा अनुपात को 60 प्रतिशत तक पहुंचाने का प्रयास करें।

अफीम का उत्पादन

1351. **श्री अमरसिंह वी० राठवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अफीम का उत्पादन करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं ?

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान उत्पादित अफीम की राशि कितनी थी; और

(ग) वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान कितने मूल्य की अफीम का निर्यात किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) अफीम का उत्पादन मध्य-प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में होता है।

(ख) पिछले दो वर्षों, अर्थात वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 की फसल में 90° गाढ़ता वाली क्रमशः लगभग 1,610 मीट्रिक टन तथा 1,386 मीट्रिक टन अफीम का उत्पादन किया गया।

(ग) वर्ष 1978-79 में 852 मीट्रिक टन अफीम निर्यात की गयी थी।

गुजरात के मेहसाना जिले में बैंकों की शाखायें खोलने के लिए गांव वालों की मांग

1352. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के मेहसाना जिले में पुथरा, इतादरा, लोपोदरा और माणीकपुर गांवों के लोग देना बैंक, जो उस क्षेत्र का लीड बैंक है, से मांग कर रहे हैं कि वह इस जिले में अपनी शाखायें खोले और यदि हां, तो कब से;

(ख) उनमें से कितने गांवों में उसकी शाखायें खोली जा चुकी हैं और यदि वे नहीं खोली गई हैं तो उसके क्या कारण हैं और वहां शाखायें कब तक खोली जायेंगी; और

(ग) अधिक जनसंख्या वाले उपरोक्त गांवों में बैंक की शाखायें न खोले जाने के क्या कारण हैं जबकि कम आबादी वाले गांवों में शाखायें खोली गयी हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री(श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) सितम्बर, 1978 में, माणिकपुर पंचायत ने माणिकपुर में शाखा खोलने के लिए देना बैंक से अनुरोध किया था। अन्य तीन स्थानों के वास्ते किये गए विशिष्ट अनुरोधों सम्बन्धी सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है, परन्तु देना बैंक के पास जोकि गुजरात के महसाना जिले का लीड बैंक है, विभिन्न स्थानों पर शाखायें खोलने के लिए समय-समय पर सुझाव आते रहते हैं।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत, यह आवश्यक है कि 1979-81 की अवधि में वाणिज्यिक बैंक, राज्य सरकारों के परामर्श से बैंकिंग

सुविधाओं की दृष्टि से कमी वाले विभिन्न जिलों के बैंक रहित ऐसे ग्रामीण और अर्धनगरीय केन्द्रों में बैंकिंग सुविधायें प्रदान करने की दिशा में अपनी शाखाओं का विस्तार करने का प्रयास करेंगे जहां व्याप्ति प्रति 20,000 ग्रामीण/अर्धनगरीय लोगों के लिए एक शाखा से कम हो। मेहसाना जिला, जहां प्रति 16,000 ग्रामीण/अर्धनगरीय लोगों के लिए एक शाखा है, कमी वाला जिला नहीं है और इसलिए रिजर्व बैंक, इस समय इस जिले में इस प्रकार की और शाखा विस्तार करने के मामले में विचार नहीं कर रहा है।

हल्दी घाटी पर्यटन केन्द्र

1353. **श्री जय नारायण** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हल्दी घाटी को एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए सरकार का क्या विशेष उपाय करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उराव) : हल्दी घाटी का पर्यटक केन्द्र के रूप में संवर्धन करने से पहले सुविधाओं की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। इसे ध्यान में रखते हुए, पर्यटन विभाग ने मेवाड़ काम्पलेक्स की एक महायोजना चालू की है, जिसमें हल्दी घाटी, चवंड, रक्त तलाई गोगुण्डा कुम्भलगढ़ शामिल हैं। महायोजना को आगामी कुछ महीनों में अन्तिम रूप दे दिए जाने की आशा है। इसके बाद, पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर महायोजना के अनुसार सुविधाओं की व्यवस्था करने के बारे में विचार किया जाएगा, बशर्ते निधियां उपलब्ध हों।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, पंजाब और हरियाणा में तीर्थ स्थानों तथा पर्यटक रुचि के स्थानों का चयन

1354. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, पंजाब तथा हरियाणा में तीर्थ स्थानों तथा पर्यटक रुचि के स्थानों में पर्यटन के सम्वर्धन के लिये कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं जिनका इस उद्देश्य हेतु भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा चयन किया गया है और वहां क्या सुविधायें दी जायेंगी; और

(ग) प्रत्येक मामले में अनुमानतः कितना व्यय होगा और इन परियोजनाओं के पूर्ण होने की अनुमानित तारीखें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर बिमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उराव) : (क) से (ग) भारत पर्यटन विकास निगम की पंचवर्षीय योजना (1978-83) में विभिन्न स्थानों पर अवस्थित, जिनमें हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और मनाली शामिल हैं, मौजूदा यात्री गृहों के विस्तार के लिए 30.00 लाख रुपए का तथा जम्मू और काश्मीर में गुलमर्ग में 50 कमरों वाले एक 2-3 स्टार होटल की स्थापना के लिए 100.00 लाख रुपये का एक भुश्त प्रावधान शामिल हैं। तथापि, पंच-वर्षीय योजना का पुनरीक्षण किया जा रहा है। हालांकि 1980-81 के वार्षिक योजना परिव्यय

में इन स्कीमों के लिए सांकेतिक प्रावधान शामिल हैं, फिर भी इस अवस्था में यह कहना कठिन होगा कि क्या इनमें से किसी स्कीम को उस वर्ष के दौरान प्रारम्भ किया जाना सम्भव होगा अथवा नहीं ।

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

1355. **श्री विजय एन पाटिल :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मैंगनीज अयस्क के निर्यात सम्बन्धी नीति को बहाल करने का है; और

(ख) क्या, अत्याधिक मांग को देखते हुए, सरकार का विचार निर्यात पर शुल्क बढ़ाने का है ताकि अधिक राजस्व प्राप्त हो ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

एयर कारपोरेशन एम्प्लाईज यूनियन की मांगें

1356. **श्री आर० के० महालगी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर कारपोरेशन एम्प्लाईज यूनियन (विमान सेवा निगम कर्मचारी संघ) ने अपनी मांगों के बारे में प्रबंधकों को कोई नोटिस दिया है;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मांगें क्या हैं; और

(ग) क्या इससे उड़ान के निर्धारित समय पर कोई असर पड़ा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी, हां ।

(ख) मुख्य मुद्दों का सम्बन्ध इनसे है :

(i) 1.4.1974 से उत्पादकता भत्ते की अदायगी के प्रश्न को पंच फैसले के लिए भेजना ।

(ii) केबिन कार्मिकों को बढ़ाए गये खान-पान भत्ते की अदायगी ।

(iii) दिनांक 9.1.1979 तथा 2.2.1979 को हुए वेतन समझौते का कथित अक्रियान्वयन ।

(iv) एयर इंडिया द्वारा एयरकार्पोरेशन एम्प्लाईज यूनियन को मान्यता प्रदान करने का प्रश्न ।

(v) वर्दी ।

(vi) भर्ती एवं पदोन्नति सम्बन्धी नीति ।

(vii) स्थानान्तरण नीति ।

(viii) ग्राउंड सपोर्ट डिविजन का सही रूप से गठन।

(ix) कार्य-भार को बदलकर कम्प्यूटर पर डालना।

(x) औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 9 ए का अनुपालन।

(xi) पंच फैसले का सिद्धान्त।

(ग) उड़ान समयावलि पर इसका अभी तक कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा।

उमरोई (शिलांग) विमान पत्तन को पुनः चालू करना

1357. **श्री पी० ए० संगमा :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेघालय में उमरोई (शिलांग) विमान पत्तन को त्याग दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्यों; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो क्या विमान पत्तन को पुनः चालू किया जायेगा तथा कब ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जब कभी इन्डियन एयरलाइन्स अथवा गैर-अनुसूचित परिचालन चाहेंगे, इस विमान क्षेत्र को पुनः चालू कर दिया जाएगा। विमान क्षेत्र को छः महीने के नोटिस पर चालू किया जा सकता है।

आवश्यक वस्तुओं का मूल्य सूचकांक

1358. **श्री बापू साहिब परलेकर :** क्या वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु सप्लाई अधिनियम, 1980 को पारित करने के बाद आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में कमी हुई है अथवा वृद्धि हुई है;

(ख) यदि मूल्यों में कमी नहीं हुई है तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्रों में दिसम्बर, 1979 तथा जनवरी और फरवरी, 1980 में आवश्यक वस्तुओं का मूल्य सूचकांक क्या रहा ?

(वाणिज्य और इस्पात तथा खान तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय बनाये रखना अधिनियम, 1980 पहले एक अध्यादेश के रूप में और बाद में एक अधिनियम के रूप में, अक्तूबर, 1979 से लागू हैं। नवम्बर, 79 और फरवरी, 80 के बीच आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में मिश्रित रुख रहा है; कुछ वस्तुओं के मूल्य गिरे हैं, जबकि कुछ अन्य वस्तुओं के मूल्य चढ़े हैं।

(ख) चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय बनाये रखना अधिनियम, 1980 आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकने और उनकी उपलब्धता में सुधार लाने के उपायों में से एक है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ने के ये कारण हैं—सामान्य स्फीतिकारी स्थिति का बने रहना, चीनी के लिए दोहरी मूल्य प्रणाली फिर से लागू करने में आने वाली आरंभिक कठिनाइयां, ढुलाई संबंधी बाधायें, कुछ कृषि पदार्थों के उत्पादन में गिरावट की संभावना तथा मौसम जन्य कारण।

(ग) अलग-अलग राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के बारे में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य सूचकांक उपलब्ध नहीं हैं।

फाइबर ग्लास टेप तथा फेब्रिक्स पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

1360. **श्री ए० के० राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पश्चिम बंगाल में फाइबर ग्लास टेप तथा फेब्रिक्स के उत्पादों पर लगाये गये भेदमूलक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के बारे में जानकारी है, जबकि अन्य राज्यों में उससे भिन्न दर पर शुल्क लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रश्न में उल्लिखित उत्पादों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद 22 एफ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाया जा रहा है, जो उनके अन्यत्र वर्गीकरण से भिन्न है। वर्गीकरण सम्बन्धी इस विवाद को यथासम्भव शीघ्र हल किया जाएगा।

आंध्र प्रदेश में एल्यूमिना संयंत्र स्थापित करने के लिए भारत और सोवियत संघ के बीच करार

1361. **श्री एन० के० शेजवाल्कर** : क्या इस्पात और खान मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ के विदेश मंत्री की हाल में भारत यात्रा के परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश में एक एल्यूमिना संयंत्र स्थापित करने के लिए भारत और सोवियत संघ के बीच एक करार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सभी विशेषज्ञों के एक दल की इस बारे में निकट भविष्य में आने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो भारत की यात्रा पर आने वाले विशेषज्ञों के दल के नेता तथा अन्य सदस्यों के नाम क्या हैं तथा वह कब यात्रा करेंगे;

(घ) उस पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है तथा इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता क्या होगी तथा यह फ्रांस कंपनी द्वारा प्रस्तावित संयंत्र से कहां तक उत्तम होगा; और

(ङ) इससे विदेशी मुद्रा की कितनी बचत होगी ?

वाणिज्य, इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी नहीं। सोवियत रूस के साथ दीर्घकालिक सहयोग के लिए 6 मार्च, 1978 को हुए प्रोटोकोल के अंतर्गत सोवियत पक्ष द्वारा भारतीय पक्ष को संयंत्र के लिए सोवियत संघ से आयातित उपकरणों और प्रदत्त सेवाओं की लागत को उत्पादन प्रतिपूर्ति योजना के तहत स्वयं वहन करने की पेशकश की गई है। मैसर्स स्वेतमेतप्रोमएक्सपोर्त (सोवियत सरकार का उपक्रम) ने आन्ध्र प्रदेश में बाक्साइट भंडारों पर आधारित 6,00,000 टन वार्षिक क्षमता के एक एल्यूमिना संयंत्र की स्थापना हेतु हाल ही में एक साध्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त साध्यता रिपोर्ट पर विचार-विमर्श के लिए एक सोवियत विशेषज्ञ दल के मार्च, 1980 के अन्तिम सप्ताह में भारत आने की आशा है। सोवियत दल के सदस्यों के नाम हैं :—

1 डा० एन० ए० कलुजस्की—दल प्रमुख
2. श्री बौरत्सेव
3. श्री मिखाइलोव
4 श्री क्लियोनचानोव
5. श्री लोमागुने
6. श्री मुरियानोव
7. श्री काउविचकिने
8. श्री पोलिचतेचोंक
9. श्री कार्ताचोव
10. श्री समोइलिनकोव
11. श्री मोनमॉज
12. श्री गोलूविने

(घ) और (ङ) आन्ध्र प्रदेश में प्रस्तावित एल्यूमिना संयंत्र पर अनुमानित पूंजी-निवेश, उड़ीसा परियोजना पर पूंजी-निवेश से इसकी तुलना, विदेशी मुद्रा की बचत आदि ब्यौरे सरकार द्वारा मूल्यांकन एजेंसियों की संमीक्षा के बाद परियोजना के पूंजी-निवेश सम्बन्धी निर्णय के लिए प्रस्तुत होने पर ज्ञात हो सकेंगे।

यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

1362. **श्री एम० थाभ्काई करुणानिधि** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए नियुक्ति, पदोन्नति और स्थायीकरण के समय आरक्षण प्रदान करने संबंधी भारत सरकार के आदेशों का पालन यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी, मद्रास में नहीं किया जा रहा है और यदि हां, तो क्या कारण हैं;

(ख) यदि इन आदेशों का पालन नहीं किया गया है तो इनका पालन कब किया जाएगा और इस बारे में पिछले बकाया कार्य को कब तक पूरा किया जाएगा; और

(ग) क्या इन आदेशों को कार्यान्वित न करने वाले व्यक्तियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण आबंटन

1363. **श्री अटल विहारी वाजपेयी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने प्राथमिकता वाले क्षेत्र को पहले के 33.3 प्रतिशत के मुकाबले अब 40 प्रतिशत ऋण आवंटन करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या 'प्राथमिक क्षेत्र' की वर्तमान परिभाषा को और विस्तृत करने का कोई निर्णय किया गया है; और

(ग) ऋण के मामले में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लाभ-भोगियों के किन वर्गों को सहायता दी जायगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाडिया) : (क) से (ग) हाल ही में सरकारी क्षेत्र के बैंकों से कहा गया है कि वे अगले पांच वर्षों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में ऋणों को अपने कुल ऋणों के 40 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रयास करें। उन्हे यह भी कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये जाने वाले, इस बढ़े हुए ऋण का एक महत्व-पूर्ण भाग 20 सूत्री कार्यक्रम का लाभ पाने वालों को प्रदान किया जाय।

हालांकि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की परिभाषा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, फिर भी अर्थव्यवस्था की बदलती हुई अपेक्षाओं के अनुरूप इसकी निरन्तर समीक्षा की जाती है।

पूना जिले में 'भूमिशंकर' को एक पर्यटक-स्थल के रूप में विकसित करना

1364. **श्री वी० एन० गाडगिल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने सिफारिश की है कि पूना जिले में 'भीमशंकर' को एक पर्यटन-स्थल के रूप में विकसित किया जाये; और

(ख) क्या सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बीड़ी से प्राप्त उत्पादन शुल्क राजस्व

1365. **श्री धर्म वीर सिन्हा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, बीड़ी से अनुमानतया कितना उत्पादन शुल्क राजस्व एकत्र किया जाता था और इससे वस्तुतः कितना उत्पादन शुल्क राजस्व एकत्र किया गया;

(ख) क्या उनके मंत्रालय को पता है कि निर्माताओं द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन शुल्क का अपवंचन किया जा रहा है और नकली ब्रांड का प्रयोग किया जा रहा है और वे बिना ब्रांड की वस्तुयें निकाल देते हैं और बाद में बाजार में बेचते समय इस पर लेबल लगा देते हैं;

(ग) क्या मंत्रालय द्वारा इस मामले में कोई कार्यवाही करने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो क्या ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) गत तीन वर्षों में, बीड़ियों के सम्बन्ध में अनुमानित उत्पादन शुल्क राजस्व तथा वास्तविक वसूलियां निम्नानुसार हैं :

(लाख रुपयों में)

वर्ष	अनुमान	वास्तविक वसूलियां
1976-77	2625	3153
1977-78	5760	5682
1978-79	6448	7259

(ख) से (घ) बिना ब्रांड की बीड़ियों पर संस्थापित निर्माताओं के अवैध रूप से लेबल लगाने के कुछ छुट-पुट मामलों की मंत्रालय को जानकारी मिली है। इसलिए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के सभी समाहर्ताओं को, अपना नियंत्रण करने की हिदायतें जारी कर दी गयी हैं जिससे केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का समुचित भुगतान किये बिना ब्रांड रहित बीड़ियां, उनकी निकासी के बाद, ब्रांड-युक्त बीड़ियों के रूप में उपभोग के लिए नहीं जा सकें।

सिगार से उत्पादन शुल्क की वसूली

1366. **श्री चन्द्र भाल मणि तिवारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सिगार पर उत्पादन शुल्क से होने वाली अनुमानित आय कितनी थी और वास्तव में उसकी कितनी वसूली हुई और सिगार पर उत्पादन शुल्क वसूल करने में अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) सिगार और बीड़ी निर्माताओं को हथकरघा उद्योग के समान प्रोत्साहन न देने के क्या कारण है;

(ग) चूंकि सिगार और बीड़ी बनाने में पूंजी निवेश नहीं होता है और वह पूरी तरह से श्रम प्रधान है तो क्या सरकार का विचार उनको विशेष प्रोत्साहन देने का है; और

(घ) यदि हां, तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) सिगारों तथा चुरूटों के सम्बन्ध में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क बजट अनुमान तथा वास्तविक राजस्व वसूलियां निम्नानुसार हैं :—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	बजट अनुमान	राजस्व वसूलियां
1976-77	20	कुछ नहीं
1977-78	कुछ नहीं	2

1	2	3
1978-79	208	20
1979-80	28	2*

*चालू वित्तीय वर्ष के दिसम्बर 1979 तक वसूल हुआ शुल्क ।

सिगारों के सम्बन्ध में राजस्व वसूल करने की अनुमानित लागत के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) सिगारों तथा बीड़ियों की, जो तम्बाकू उद्योगों के उत्पाद हैं, तुलना वस्त्रों से नहीं की जा सकती है, जो कि लोगों की बुनियादी जरूरत की एक मद है । इसके अतिरिक्त धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है । सिगारों और बीड़ियों को हथकरघा वस्त्रों के समान नहीं समझा जा सकता है ।

(ग) और (घ) उत्पादन शुल्क लगाने की दृष्टि से सिगारों तथा बीड़ियों पर कोई विशेष प्रोत्साहन देने का सरकार का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

उत्तर प्रदेश में जमाखोरों और कालाबाजारियों के विरुद्ध कार्यवाही

1367. **श्री आनन्द सिंह :** क्या वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में जमाखोरों और कालाबाजारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए जिला प्राधिकारियों ने राज्य सरकार को कितने मामलों की सूचना भेजी थी; और

(ख) कितने मामलों में कार्यवाही की गई ?

वाणिज्य और इस्पात तथा खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) 1197 ।

(ख) 1009 ।

मैसर्स चमन लाल एण्ड ब्रदर्स तथा उसकी सहयोगी कम्पनियों को निर्यात लाइसेंस जारी करना

1368. **श्री के० लक्कप्पा :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स चमन लाल एन्ड ब्रदर्स तथा उसकी सहयोगी कम्पनियों को निर्यात लाइसेंस जारी किये गये हैं हालांकि उन्होंने कुछ करोड़ रुपये आयकर के रूप में देने हैं और यदि हां, तो मामले के पूर्ण तथ्य क्या हैं;

(ख) जब आयकर के रूप में करोड़ों रुपया बकाया है तो उन्हें लाइसेंस मंजूर करने के क्या कारण हैं;

(ग) किसकी सिफारिशों पर ये लाइसेंस मंजूर किये गये थे; और

(घ) क्या सरकार का विचार जब तक फर्म आयकर आदि का पूर्ण रूप से भुगतान न कर दें तब तक लाइसेंसों को रद्द करने का है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) निर्यात नियन्त्रण, निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 की अनुसूची में सूचीबद्ध केवल कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में ही लागू होता है। ऐसी वस्तुओं के लिए निर्यात लाइसेंस प्रवृत्त नीति के अनुसार मंजूर किए जाते हैं। अन्य सभी वस्तुएं निर्यात हेतु विनियंत्रित हैं और उनके निर्यात के लिए निर्यात व्यापार नियंत्रण प्राधिकारियों से लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं हैं।

मंजूर किए गए निर्यात तथा आयात लाइसेंसों के ब्यौरे मुख्य नियंत्रक आयात तथा निर्यात द्वारा जारी किए जाने वाले आयात लाइसेंसों, निर्यात लाइसेंसों तथा औद्योगिक लाइसेंसों के साप्ताहिक बुलेटिनों में प्रकाशित किए जाते हैं, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को सप्लाई की जाती हैं।

वाणिज्य मंत्रालय फर्मों के आयकर की बकाया राशियों का लेखा नहीं रहता। साथ ही निर्यात लाइसेंस मंजूर करते समय इस पहलू को ध्यान में नहीं रखा जाता।

चीनी के स्टाक का पता लगाने के लिए की गई कार्यवाही

1369. **श्री बालासाहिब बिखे पाटिल** : क्या वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चीनी के स्टाक का पता लगाने और इसे उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के लिये क्या कठोर कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य और इस्पात तथा खान तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : चीनी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी तथा कालाबाजारी को रोकने तथा उचित मूल्यों पर उनकी उपलभ्यता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम और चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय बनाये रखना अधिनियम, 1980 में कड़े उपाय करने की व्यवस्था है। राज्य सरकारों को उक्त कानूनों का पूरा-पूरा उपयोग करने की सलाह दी गई है।

जहां तक चीनी का सम्बन्ध है, इन उपायों में 26-2-80 से थोक व्यापारियों के लिए इसका स्टाक जमा करने की सीमा को 50% तक घटा देना शामिल है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों से यह भी कहा गया है कि वे फिलहाल कोई नये थोक विक्रेता लाइसेंस जारी न करें।

सेंट्रल काटेज इम्पोरियम, जनपथ के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

1370. **श्री एन० गगोन महेन्द्र** : क्या वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सेन्ट्रल काटेज इम्पोरियम जनपथ, नई दिल्ली के कर्मचारियों ने हड़ताल की थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे और उसे किस तरह समाप्त किया गया ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हाँ।

(ख) हड़ताल, निलंबित चौकीदारों की बहाली के लिए, सहायक प्रबन्धों के निलम्बन आदेशों के प्रतिसंहरण के लिए और सहायक प्रबन्धकों के खिलाफ की गई शिकायतों की समुचित जांच शुरू कराने के लिए की गई थी।

सैन्ट्रल काटेज इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के निदेशक तथा महाप्रबन्धकों ने यूनियन की विभिन्न मांगों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया और फलस्वरूप इन शर्तों पर यह समझौता हुआ कि हड़ताल की अवधि के वेतन का भुगतान किया जाएगा, यूनियन तथा अन्यों के खिलाफ दायर किये गये वाद वापिस लेगा और निलंबित चौकीदारों के खिलाफ जांच तत्काल आधार पर की जाएगी।

एल्यूमिनियम की सप्लाई में कमी

1371. **श्री तारिक अनवर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वित्तीय वर्ष (1979-80) के दौरान एल्यूमिनियम की सप्लाई में 90,000 मी० टन से अधिक की कमी होने का अनुमान है;

(ख) यदि हां, तो एल्यूमिनियम की अनुमानित मांग क्या है और वर्ष 1979-80 के दौरान अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में अनुमानतः कितना उत्पादन होने की संभावना है; और

(ग) उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं और मांग तथा पूर्ति के बीच के अन्तराल को दूर करने हेतु क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) वर्ष के आरंभ में, 1979-80 के लिए एल्यूमिनियम की मांग 325,000 टन के लगभग आंकी गई थी। प्रदावकों को बिजली की प्रत्याशितपूर्ति को ध्यान में रखकर 321,000 टन की वर्तमान स्थापित क्षमता में से लगभग 240,000 टन उत्पादन होने का अनुमान था। अन्तर को पूरा करने के लिए 90,000 टन धातु बाहर से मंगाने के प्रबंध किए गए थे।

लेकिन सितम्बर, 1979 से भारी बिजली कटौतियों के कारण देशी उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ा है और फलस्वरूप 190,000 टन उत्पादन होने की आशा है। भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम, जो आयात एजेंसी हैं, द्वारा आयात में वृद्धि की जाएगी ताकि धातु की पर्याप्त पूर्ति, विशेषतः अगले मानसून के शुरू होने से पहले, सुनिश्चित की जा सके। मानसून के बाद देशी उत्पादन में वृद्धि की आशा है लेकिन पूर्ति को बराबर बनाए रखने के लिए आयात भी किए जाते रहेंगे ताकि समूची मांग को पूरा किया जा सके।

आय-कर, उत्पादन-शुल्क और सीमा शुल्क विभागों तथा प्रवर्तन निदेशालय और राजस्व आसूचना के अधिकारियों द्वारा छापे

1372. **श्री के० पी० उन्निकृष्णन** : क्या **वित्त** मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे व्यक्तियों, फर्मों और परिसरों, यदि कोई हों, का विवरण क्या है, जिन पर दिनांक 14 जनवरी, 1980 से अब तक आय-कर, उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क विभागों,

प्रवर्तन निदेशालय और राजस्व खुफिया प्राधिकारियों ने छापे मारे हैं;

(ख) ऐसे छापों के कारण क्या हैं; और

(ग) ऐसे व्यक्तियों और फर्मों द्वारा यदि कोई अपराध किए गए हैं, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

ऊर्जा की खपत में कमी करने के लिए इस्पात सन्यन्त्रों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

1373. **श्री चित्त बसु** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी इस्पात संयंत्रों में ऊर्जा की खपत के आंकड़ों का विश्लेषण करने तथा ऊर्जा की खपत में कमी करने के लिए उपायों की सिफारिश करने के लिए एक समिति नियुक्त कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

उड़ीसा में खनिज आधारित उद्योगों का विकास

1374. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में खनिज निकालने और खनिज आधारित उद्योगों के विकास तथा उपयोग की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा सरकार ने केन्द्र सरकार को क्या प्रस्ताव भेजे हैं; उन पर कितना व्यय होना है; और

(ग) केन्द्र सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) उड़ीसा में खनिज आधारित उद्योगों के बारे में समय-समय पर प्राप्त कुछ प्रस्तावों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(1) मैं० उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन लि० ने फेरो क्रोम/चार्ज क्रोम के निर्माण के लिए आवेदन किया था और कारपोरेशन को 50,000 टन वार्षिक उत्पाद के निर्माण हेतु आशय पत्र जारी किया गया था । परियोजना का वित्तीय परिव्यय 20 करोड़ रुपए

होने का अनुमान है।

(2) उड़ीसा के मै० औद्योगिक विकास निगम लि० ने हाई कार्बन, फैरो क्रोम और फैरो-सिलिकोन के 25,000 टन की वार्षिक क्षमता से उत्पादन हेतु एक औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन किया था; जिसमें 9.50 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय निहित था। प्रस्ताव के बारे में अन्तिम निर्णय सरकार द्वारा अभी लिया जाना है।

(3) उड़ीसा के मै० इण्डस्ट्रीयल प्रमोशन एन्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लि० को 3 लाख टन की वार्षिक क्षमता से दो चरणों में स्पंज-आयरन के निर्माण हेतु एक औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया है। 1,50,000 टन की उत्पादन क्षमता के प्रथम चरण, जिस पर लगभग 23.60 करोड़ रुपए के वित्तीय खर्च का अनुमान है, का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।

(4) उड़ीसा के मै० इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लि० को क्रमशः 480 और 48,000 टन की वार्षिक क्षमता से फैरो-बेनेडियम और कम फास्फोरस वाले कच्चे लोहे के निर्माण हेतु एक आशय पत्र जारी किया गया है। परियोजना के लिए प्रस्तावित वित्तीय परिव्यय 24.62 करोड़ रुपए होने के संकेत मिले हैं।

व्यापार मेला प्राधिकरण के महाप्रबन्धक द्वारा विदेशी दौरे

1375. **श्री दया राम शाक्य** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यापार मेला प्राधिकरण के महाप्रबन्धक ने विदेशी दौरे किये हैं; यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान उन्होंने कौन-कौन से देशों की यात्राएं कीं; और

(ख) उनकी विदेशी यात्रा पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां। पिछले दो वर्षों के दौरान व्यापार मेला प्राधिकरण के महाप्रबन्धक ने सोवियत संघ, इराक, मैक्सिको, थाईलैन्ड और फिलिपीन का दौरा किया।

(ख) उनके सोवियत संघ, इराक और मैक्सिको के दौरे पर 16,041 रु० की विदेशी मुद्रा खर्च हुई। थाइलैंड और फिलिपीन के दौरे का खर्च संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वहन किया गया था और इन दौरों के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किया गया निर्वाह-भत्ता 436 डालर था।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को दिया गया ऋण

1376. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गत एक वर्ष के दौरान कमजोर वर्गों के लोगों को कितना ऋण दिया गया और उनको ऋण किस ब्याज दर पर दिया गया;

(ख) प्रत्येक बैंक ने राज्य-वार कितना ऋण दिया; और

(ग) समाज के दुर्बल वर्गों के लिए बैंकिंग सुविधा बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंक, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण सहायता प्रदान करने के अपने कार्यक्रम के अंग के रूप में समाज के कमजोर वर्गों के लोगों जैसे भूमिहीन मजदूरों, सीमांतिक और छोटे किसानों, देहाती कारीगरों और शिल्पियों को ऋण प्रदान करते हैं। परन्तु, इस ऋणकर्त्ता समूह के सबसे कमजोर वर्ग के लिए वे विभेदी ब्याज दर योजना चला रहे हैं जिसके अन्तर्गत पात्र ऋणकर्त्ताओं की विनिर्दिष्ट सीमाओं के अन्दर 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋणों के बारे में उपलब्ध आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

	जून, 1978	जून, 1979
बकाया रकम (करोड़ रुपयों में)	73.82	113.73
ऋणकर्त्ता खातों की संख्या	14,72,964	18,33,305

(ख) सूचना विवरण में दी गयी है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 617/80**]

(ग) समाज के अपेक्षाकृत कमजोर वर्गों के लोगों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बैंकों को यह परामर्श दिया गया है कि वे विभेदी ब्याज दर योजना को जोरदार तरीके से कार्यान्वित करें। सरकार ने पात्र कारीगरों, शिल्पियों, ग्राम और कुटीर उद्योगों को 65,000 रुपये तक के ऋण देने के लिए भी बैंकों को अनुमति दी है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अपने कुल अग्रिमों का कम से कम 33.3 प्रतिशत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिये जाने के लिए निर्धारित लक्ष्य को बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए बढ़ायी गयी ऋण राशि का एक महत्वपूर्ण भाग 20-सूत्री कार्यक्रम के लाभान्वितों को दिया जाए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करने के कार्यक्रम की गति भी तेज की जाएगी।

वित्त मंत्रालय से सम्बद्ध संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों का कोटा

1377. **श्री राम लाल राही** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि वित्त मंत्रालय से सम्बद्ध विभिन्न संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विभिन्न वर्गों के पदों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों के निर्धारित कोटे को न भरने का एकमात्र कारण इनके प्रति उदासीन रवैया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आरक्षित पदों के निर्धारित कोटे को भरने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कोई नई नीति सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो आरक्षण संबंधी नीति के कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आवश्यक वस्तुओं का निर्यात

1378. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार आवश्यक वस्तुओं का भी निर्यात करने का है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ज़ियाउर रहमान अंसारी) : सरकार अनिवार्य वस्तुओं के निर्यात के बारे में समय समय पर उनकी उपलब्धता और कीमत प्रवृत्तियों पर संतुलित रूप से विचार करने के बाद निर्णय करती है ।

आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शुरू करना

1379. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने यह प्रस्ताव जांच तथा सिफारिशों के लिए रिजर्व बैंक के पास भेज दिया है ।

बैंकों की ग्राम स्थित शाखाओं को हुई हानि

1380. **श्री चित महाटा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1977, जून 1978 और जून, 1979 के अन्त में बैंकों की ग्राम स्थित शाखाओं को कितनी हानि हुई; और

(ख) यदि हां, तो उनके इस असंतोषजनक कार्य के कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) चूंकि, बैंकों के वार्षिक लेखों में शाखावार आंकड़े प्रदर्शित नहीं किये जाते इसलिए मांगी गई सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ख) ग्रामीण शाखाओं सहित वाणिज्यिक बैंकों की सभी नई शाखाओं के लिए कुछ प्रारम्भिक कठिनाई वाली अवधि अवश्य रहती है और लाभ कमाने के स्तर तक पहुँचने में उन्हें कुछ समय लगता है । यह अवधि एक सी नहीं होती और शाखा के कार्यचालन क्षेत्र में बैंकिंग कारोबार की क्षमता के आधार पर अलग-अलग शाखा को इस प्रकार की अलग-अलग अवधि होती है ।

संत कबीर की समाधि मगहर का विकास

1381. **श्री के० सी० पाण्डे** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मगहर (बस्ती) ऐसी बस्ती है जहां देश और विदेश के पर्यटक आते हैं क्योंकि वहां संत कबीर की समाधि है लेकिन अब तक उसके विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है जो कि उसके ऐतिहासिक महत्व को बनाये रखने के लिए आवश्यक था और जिसके लिए निरन्तर मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसके विकास हेतु कोई योजना बनाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) से (ग) मगहर स्थित सन्त कबीर की समाधि पर स्वदेशी तीर्थयात्री आते हैं। केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने समाधि के उचित रख-रखाव के लिए अपेक्षित सुधारों की ओर दिसम्बर 1977 में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया था।

केन्द्रीय पर्यटन विभाग के पास मगहर में सुविधाओं के विकास का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह राज्य सरकार के दायित्वों के अन्तर्गत आता है।

पूर्निया के लिए विमान सेवा

1382. **श्री डी० एल० बैठा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्निया का जिला मुख्यालय असैनिक विमान सेवा से सम्बद्ध नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि 'जायम एयर सर्विस' नामक एक गैर सरकारी विमान सेवा आरम्भ हुई थी जो बहुत लोकप्रिय थी और इसके मालिक को इससे बहुत आय थी किन्तु सरकार ने उस सेवा को बन्द करा दिया; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि पूर्निया में एक बड़ा सैनिक हवाई अड्डा है जिसे नागर विमानन विभाग द्वारा दिल्ली से सम्बद्ध करने के लिए कलकत्ता से पूर्निया, गोरखपुर, लखनऊ और कानपुर होकर बगजेना तक विमान सेवा आरम्भ करने के लिए उपयोग किया जा सकता है; और

(घ) यदि, उपर्युक्त भागों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार का विचार असैनिक विमान सेवा आरम्भ करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी हां।

(ख) सरकार को किसी गैर-सरकारी विमान परिचालक द्वारा चालू की गयी और बाद में वापस ले ली गयी "जायम एयर सर्विस" नाम की किसी विमान सेवा की जानकारी नहीं है। तथापि, जाम एयर लिंक-नामक एक निजी विमान परिचालक कलकत्ता से उत्तर-पूर्व के विभिन्न स्थानों के लिए अनुसूचित उड़ानों का परिचालन किया करता था, परन्तु पूर्णिया के लिए नहीं।

(ग) पूर्णिया में एक सैनिक हवाई अड्डा है।

(घ) इन्डियन एयरलाइन्स के पास विमानों की कमी के कारण पूर्णिया के लिए विमान सेवा चालू करने की कोई योजना नहीं है।

जापानी ढंग की सरायों की स्थापना

1383. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के होक्के क्लब ने बौद्धों की रुचि के स्थानों पर जापानी ढंग के सरायों की स्थापना के बारे में होटल कारपोरेशन आफ इंडिया के साथ सहयोग करने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी, हां ।

(ख) ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं ।

भारत में विदेशी बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए अनुमति देना

1384. **श्री एन० इ० होरो** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी बैंकों के नाम और संख्या के बारे में ब्यौरा क्या है जिन्होंने भारत में शाखाएं खोलने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान अनुमति मांगी है; और

(ख) ये विदेशी बैंक कितने हैं और किस-किस देश के हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) ऐसे 15 विदेशी बैंकों ने जिनकी शाखाएं अभी तक भारत में नहीं हैं, पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में शाखा खोलने की अनुमति मांगी है । उन बैंकों के नाम और उनके देश के नाम नीचे दिये गये हैं :

	बैंक का नाम	देश	टिप्पणी
1.	बैंक आफ क्रैडिट एण्ड कामर्स इंटरनेशनल	वेस्ट इंडीज	बैंक आफ क्रैडिट एण्ड कामर्स इंटरनेशनल (होल्डिंग्स) लिमिटेड, लग्ज़म-बर्ग का पूर्ण स्वामित्व वाला अनुषंगी बैंक
2.	बैंक सीपाह	ईरान	
3.	मिडिल ईस्ट बैंक लिमिटेड दुबई	यू० ए० ई०	
4.	दुबई बैंक लिमिटेड, दुबई	यू० ए० ई०	
5.	यूनाइटेड अरब बैंक, लिमिटेड, शारजाह	यू० ए० ई०	
6.	बैंक आफ ओमान लिमिटेड, दुबई	यू० ए० ई०	
7.	अमिरात कमर्शियल बैंक लिमिटेड, अबु धाबी	यू० ए० ई०	
8.	यूरोपियन एशियन बैंक, हैम्बर्ग	पश्चिम जर्मनी	
9.	बैंक दा एल इंडो चाइने-एत-दा स्वेज	फ्रांस	
10.	सोसायटी जनरल्स	फ्रांस	
11.	क्रैडिट ल्योनाल्स	फ्रांस	
12.	अबीब बैंक, ए० सी० ज्यूरिख	स्वीट्जरलैंड	

1	2	3
13. चेज मैनहट्टन बैंक, न्यूयार्क	यू० एस० ए०	
14. बैंक आफ मान्ट्रीयल	कनाडा	
15. नीदरलैंड्शे मिडिस्टेण्ड्स बैंक एन० वी० एम्सटरडम	नीदरलैंड	

इसके अलावा, भारत में कार्यरत निम्नलिखित सात विदेशी बैंकों ने भी इसी अवधि के दौरान भारत में और शाखाएं खोलने के लिए आवेदन किया है :

बैंक का नाम	देश	टिप्पणी
1. चार्टर्ड बैंक	यू० के०	
2. ग्रिंडलेज बैंक लिमिटेड	यू० के०	
3. मर्केन्टाइल बैंक लिमिटेड	हांगकांग	हांगकांग एन्ड संघाई बैंकिंग कारपोरेशन, हांगकांग के अनुषंगी बैंक
4. ब्रिटिश बैंक आफ मिडिल ईस्ट	हांगकांग	
5. बैंक नेशनल दा पेरिस	फ्रांस	
6. अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कारपोरेशन	यू० एस० ए०	
7. बैंक आफ अमेरिका	यू० एस० ए०	

एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स को भारी घाटा

1385. **श्री समर मुखर्जी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स को भारी घाटा उठाना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) एयर इंडिया के परिचालनों से वर्ष 1979-80 के दौरान काफी घाटा होने की संभावना है, जबकि यह आशा की जाती है कि इंडियन एयरलाइन्स के परिचालनों से बहुत अधिक घाटा नहीं होगा। एयर इंडिया को घाटा होने का मुख्य कारण था वर्ष के दौरान ईंधन के मूल्यों में अत्याधिक और बार-बार वृद्धि होना तथा किरायों में प्रतिपूरक वृद्धि का अपर्याप्त एवं देर से होना और उसके साथ-साथ यातायात में ह्रास एवं भारत तथा लन्दन में औद्योगिक अशांति, जिसके परिणाम-स्वरूप बहुत सारी उड़ानों को रद्द या विलम्ब से किया गया।

(ग) सरकार परिस्थिति के प्रति जागरूक है। घाटे को कम करने के लिए किरायों में यथासंभव वृद्धि करने की अनुमति दे दी गयी है। औद्योगिक सम्बन्धों की स्थिति में सुधार करने के लिए भी प्रयत्न किये गये हैं।

राज्यों को सीमेंट, कोयला, कोकिंग कोल, चीनी, डीजल और मिट्टी के तेल की सप्लाई

1386. **श्री सतीश अग्रवाल :** क्या वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान विभिन्न राज्यों को केन्द्र द्वारा सीमेंट, कोयला, कोकिंग कोल, चीनी, डीजल और मिट्टी का तेल कितनी मात्रा में आवंटित किया गया था और उनकी प्रत्येक वस्तु के लिए क्रमश: कितनी मांग थी;

(ख) राज्यों को इन वस्तुओं की मात्रा और आवंटन के लिए निर्धारित किये गये मानदंड क्या है;

(ग) क्या प्रत्येक राज्य के लिए प्रत्येक वस्तु का सप्लाई मूल्य समान है और यदि नहीं, तो अलग-अलग मूल्य नियत करने का आधार क्या है; और

(घ) प्रत्येक राज्य में कितनी कम मात्रा सप्लाई हुई है और उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, और इस्पात तथा खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) आवंटन के बारे में सूचना विवरण I, II, III और IV में दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 618/80**] हर वस्तु की राज्यवार मांग देना विभिन्न कारणों से संभव नहीं हो सका है। उदाहरण के लिए, कोयले की मांग का निर्धारण राज्य के आधार पर नहीं बल्कि अखिल भारतीय आधार पर क्षेत्रवार किया जाता है। देश में सीमेंट की कुल उपलब्धता मांग की तुलना में काफी कम होने के कारण राज्यों का यह कहना आवश्यक नहीं समझा गया है कि वे सीमेंट के लिए अपनी मांग भेजें। डीजल और मिट्टी के तेल, विशेषकर मिट्टी के तेल की सही मांग बता सकना संभव नहीं है, क्योंकि उसके अलावा अन्य ईंधन भी प्रयोग में लाये जा रहे हैं।

(ख) राज्यों को सीमेंट का आबंटन तिमाही आधार पर किया जाता है। तिमाही III/1978 (जुलाई-सितम्बर) से राज्यों के लिए आबंटनों का निर्धारण नीचे दी गई मात्राओं में से सबसे अधिक मात्रा को ध्यान में रखते हुए, एक समान आधार पर किया गया है :

(1) 1973 से 1977 तक के पांच वर्षों की अवधि के दौरान त्रैमासिक औसत प्रेषण।

(2) पांच तिमाहियों, अर्थात जनवरी-मार्च, 1977 से जनवरी-मार्च, 78 के दौरान त्रैमासिक औसत प्रेषण।

(3) तिमाही II/78 (अप्रैल-जून) में किया गया आबंटन।

सीमेंट की वास्तविक उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इन आबंटनों को समुचित रूप से संशोधित किया गया है।

विभिन्न राज्यों की साफ्ट कोक की अनुमानित मांग के आधार पर हाल ही में मार्च-जुलाई की अवधि के लिए साफ्ट कोक की सप्लाई हेतु रेलवे के साथ परामर्श करके एक कार्यक्रम तैयार किया गया है। पहले सप्लाई अनुमानित मांग पर आधारित होती थी। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, कोयले की मांग राज्य के आधार पर नहीं बल्कि अखिल भारतीय आधार पर क्षेत्रवार निर्धारित की जाती है।

लेवी चीनी के लिए राज्यवार मासिक कोटा 16 अगस्त, 1978 को चीनी पर से कंट्रोल हटाने के तुरंत पहले की आंशिक कंट्रोल की अवधि के दौरान के उनके कोटे के आधार पर नियत किया गया है। इन कोटों की गणना इस प्रकार की गई है कि चीनी मौसम 1977-78 के मध्य-

वर्ष, पहली अप्रैल, 1978 की अनुमानित जनसंख्या को आधार मानते हुए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 425 ग्राम चीनी मुहैया की जा सके।

हाई स्पीड डीजल आयल के मामले में आबंटन पिछले वर्ष इन्हीं महीनों के दौरान हुई खपत के आधार पर, उस खपत पर 5 प्रतिशत की वृद्धि-दर मानते हुए, किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मिट्टी के तेल का आबंटन उतनी ही मात्रा में किया गया है जितनी मात्रा में पिछले वर्ष इन्हीं महीनों के दौरान इस उत्पाद की वास्तविक बिक्री हुई थी। तथापि, जनवरी, 1980 के दौरान 4 तेल शोधक कारखानों के बंद हो जाने से मिट्टी के तेल तथा डीजल दोनों ही की उपलब्धता काफी कम हो गई। अतः जनवरी, 1980 के दौरान उत्तरी क्षेत्र के राज्यों के मिट्टी के तेल व डीजल के कोटा में कमी करनी पड़ी। मार्च, 1980 के आबंटन को बढ़ा दिया गया है।

(ग) कोयले तथा साफ्ट कोक के मूल्य पिट-हेड पर एक समान होते हैं।

सीमेंट का गंतव्य रेलवे स्टेशन तक रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य सारे देश में एक समान नियत किया जाता है। रेल परिवहन की कम उपलब्धता के कारण सीमेंट की भारी मात्रा में ढुलाई सड़क परिवहन द्वारा भी की जाती है। इसके अतिरिक्त, सभी गतव्य स्थान रेलों द्वारा नहीं जुड़े हैं और ऐसे मामलों में सीमेंट की ढुलाई सड़क से की जाती है। सड़क भाड़ा सामान्यतया रेल भाड़े से अधिक होता है। भाड़े की प्रति पूर्ति केन्द्रीय भाड़ा पुल (जिसे सीमेंट विनियमन खाता कहते हैं) से मानक फार्मूले के आधार पर की जाती है और इस प्रकार, यदि सड़क द्वारा कोई अतिरिक्त भाडा पड़ता है तो उसका भार परेषितियों को वहन करना होता है। अतिरिक्त भाड़े की मात्रा कारखाने से गन्तव्य स्थान तक की दूरी पर निर्भर करेगी।

उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित की जाने वाली चीनी का खुदरा मूल्य सारे देश में एक समान है।

केंद्रीय सरकार सभी प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों (जिसमें हाई स्पीड डीजल तेल और मिट्टी का तेल भी शामिल है) के विक्रय मूल्यों की बुनियादी अधिकतम सीमा तेल कंपनियों के उन प्रतिष्ठानों से चलते समय के लिए निर्धारित करती है जो तेल शोधक केंद्रों और प्रमुख पत्तनों पर स्थित हैं। ये मूल्य एक समान नहीं होते और इन स्थानों पर भी अन्तर आ जाता है जिसका प्रमुख कारण सप्लाई के पारम्परिक स्रोतों से समुद्री भाड़े की दरों में अन्तर होना है। देश के भीतर मूल्यों का निर्धारण करने के लिए उपर्युक्त बुनियादी मूल्यों में निकटतम प्रमुख प्रतिष्ठापन से सर्वाधिक किफायती साधन से रेल/सड़क भाड़ा जोड़ा जाता है।

इन कारणों के परिणामस्वरूप ही लेवी चीनी को छोड़कर, जिसका खुदरा मूल्य पूरे देश में एक समान है, देश भर में उपभोक्ताओं के लिए इन वस्तुओं के मूल्य एक समान नहीं हो सकते हैं।

(घ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में दिये गये कारणों से इन वस्तुओं की मांग की तुलना में सप्लाई में हुई कमी की राज्यवार मात्रा सूचित करना संभव नहीं है तथापि, इन वस्तुओं की आम कमी है और इस कमी के कारण इस प्रकार हैं : उत्पादन में कमी होना, ढुलाई सम्बन्धी बाधाएं और अन्य आधार ढांचे सम्बन्धी कठिनाइयां, चीनी के लिए दोहरी मूल्य प्रणाली फिर से लागू करने में आने वाली प्रारंभिक कठिनाइयां और मौसम जन्य कारण।

सोवियत संघ को निम्न ग्रेड के लौह अयस्क के निर्यात के सम्बन्ध में सोवियत संघ का भारत के साथ समझौता

1387. **की चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं कि हमारे देश से निम्न ग्रेड के लौह अयस्क के आयात के लिये सोवियत संघ भारत के साथ एक दीर्घकालीन समझौता करेगा; और

(ख) यदि हाँ, तो वे स्रोत कौन से हैं जहां से इस निम्न ग्रेड के अयस्क का निर्यात किया जायेगा और किन भागों से किया जायेगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने रूसी खरीदारों के साथ मार्च-दिसम्बर, 1980 के दौरान 2 मिलियन मे० टन लोह अयस्क निर्यात करने के लिये संविदा की है।

(ख) लदान के लिये पत्तन और अयस्क स्रोत निम्नोक्त प्रकार हैं :

पत्तन	स्रोत
पारादीप	दायतारी खानें, उड़ीसा।
मारमूगाओ	मारमूगाओ क्षेत्र।
रिडी	रतनगिर जिला, महाराष्ट्र।
करवार	हाम्पेट क्षेत्र, कर्नाटक।

पश्चिम बंगाल को देय आयकर का बकाया अंशदान

1388. **श्री नीरेन घोष** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्त वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य को आयकर की कितनी बकाया राशि का अंशदान देय है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : 1979-80 के संशोधित अनुमानों के आधार पर चालू वित्तीय वर्ष में पश्चिम बंगाल को आयकर हिस्से के 6934.61 लाख रुपए देय हैं। राज्य सरकार को इसका भुगतान पहले ही किया जा चुका है।

मैसर्स जसोदा फैक्टरी (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई द्वारा उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क का भुगतान और उस पर आयकर की बकाया राशि

1389. **श्री निहाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स जसोदा फैक्टरी प्राइवेट लिमिटेड, 8-हमाम स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई-23 ने गत तीन वर्षों में उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया और उस पर उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर की कितनी राशि बकाया है;

(ख) इस फर्म की स्थापना के समय से इसके कुल भागीदार कितने रहे हैं; और

(ग) वे किन अन्य उद्योगों अथवा व्यापार में भागीदार हैं; उन उद्योगों/व्यापारों में कुल कितनी पूंजी लगी है और उन पर आयकर की कितनी राशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) आयातकर्त्ताओं/निर्यातकर्त्ताओं से प्राप्त होने वाले सीमा शुल्क का काई वर्षवार रिकार्ड नहीं रखा जाता है। अतः कम्पनी द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान अदा की गयी सीमा शुल्क की रकम से सम्बन्धित सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

गत तीन वर्षों के दौरान कम्पनी द्वारा अदा की गई केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की रकम और उसकी तरफ उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क तथा आयकर की बकाया रकम के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) तथा (ग) जसोदा फैक्टरीज प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत, महाराष्ट्र राज्य में पंजीकृत एक कम्पनी है और इसके पंजीकरण की तारीख 19 नवम्बर 1940 है।

आयकर विभाग में कार्यरत कर्मचारी संघों/संगठनों को मान्यता

1390. **श्री एम० अरुणाचलम्** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग में कार्यरत उन कर्मचारी संघों/संगठनों के क्या नाम हैं जिनके लिये मान्यता प्रदान करने का मामला पिछले तीन महीनों से भी अधिक समय से विचाराधीन पड़ा हुआ है;

(ख) उन संघों/संगठनों के नाम क्या हैं जिनकी सदस्यता के बारे में सी० आई० टी० एस० पहले ही जांच कर चुका है और प्रत्यक्षकर बोर्ड को सूचित कर चुका है; और

(ग) उन संघों/संगठनों के क्या नाम हैं जिन्हें मान्यता प्रदान कर दिये जाने की आशा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जिन संघों/संगठनों का मान्यता सम्बन्धी मामला राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड) के कार्यालय में तीन महीने से अधिक समय से विचाराधीन है, उनके नाम संलग्न विवरण में देखिए।

(ख) तथा (ग) विभाग में पहले ही अराजपत्रित कर्मचारियों के 41 मान्यता प्राप्त स्थानीय संगठन और अराजपत्रित कर्मचारियों का अखिल भारतीय स्तर का एक मान्यता-प्राप्त महासंघ है जो कर्मचारियों के सेवा-सम्बन्धी अनेक हितों पर समुचित निगरानी रख रहे हैं। संगठनों का बाहुल्य न तो विभाग के और ना ही कर्मचारियों के हित में है। संगठनों/संघों/महासंघों को मान्यता प्रदान करने के लिये मानदण्ड निर्धारित करने का पूरा मामला, राष्ट्रीय परिषद् द्वारा गठित एक समिति को भेज दिया गया है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि किसी नये संगठन/संघ/महासंघ को मान्यता प्रदान करने से पहले उक्त समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जाय।

विवरण

1. आयकर आशुलिपिक महासंघ
2. अखिल भारतीय आयकर कर्मचारी महासंघ
3. दिल्ली आयकर आशुलिपिक संगठन

4. आयकर आशुलिपिक संगठन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ (केन्द्रीय) और लुधियाना
5. बंगाल आयकर आशुलिपिक संगठन
6. आयकर आशुलिपिक संगठन, पुणे
7. आयकर आशुलिपिक संगठन, गुजरात, अहमदाबाद
8. दिल्ली आयकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति कल्याण संगठन
9. उत्तर प्रदेश आयकर तृतीय श्रेणी (नोटिस तामीलकर्ता) संगठन, कानपुर
10. केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड लेखा संगठन, बम्बई, अहमदाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद, मद्रास, बंगलौर आदि।
11. राजस्थान आयकर कर्मचारी संघ
12. आयकर कर्मचारी संघ, इलाहाबाद।

भारत के पूर्वी भाग में पर्यटन का विकास

1391. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत के पूर्वी भाग में पर्यटन का विकास करने का कोई निश्चित प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक : (क) और (ख) पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन के संवर्धन के लिए केन्द्रीय सेक्टर में कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव विचाराधीन हैं :

1. कलकत्ता में एक जनता होटल की स्थापना;
2. हिमालय क्षेत्र में ट्रेकिंग का संवर्धन;
3. बौद्ध तीर्थ-यात्रियों के यातायात का संवर्धन करने के लिए बोध गया, राजगीर और नालन्दा में सुविधाओं का विकास;
4. बोध गया में भारत पर्यटन विकास निगम के यात्री लाज में विस्तार;
5. भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा पुरी में एक होटल का निर्माण;
6. कोणार्क में भारत पर्यटन विकास निगम यात्री लॉज का विस्तार/समुद्रतटीय कुटीरों का निर्माण।

भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के प्रतिनिधिमंडल का सोवियत रूस का दौरा

1392. **श्री शिव कुमार सिंह**
श्री निहाल सिंह } : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के एक प्रति-

निधिमंडल ने हाल में सोवियत रूस का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो सोवियत रूस के नेताओं के साथ आर्थिक सहयोग तथा अन्य मामलों पर हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है;

(ग) बातचीत के परिणामस्वरूप जो व्यापार सम्बन्धी समझौते हुए हैं, वे कहां तक भारत के लिए लाभप्रद होंगे; और

(घ) दो देशों के बीच हुए व्यापार समझौते कितनी राशि के हुए हैं, उसका ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) ऐसा प्रतीत होता है कि सोवियत संघ ने भारतीय गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों तथा फर्मों के सोवियत विदेश व्यापार संगठनों के साथ सहयोग के बढ़ने में रुचि दिखाई है। प्रतिनिधिमंडल ने तीसरे देशों के बाजारों में, खास कर दक्षिण-पूर्व एशिया तथा मध्य एशिया के देशों में, संयुक्त सहयोग परियोजनाएं स्थापित करने की संभाव्यताओं पर भी विचार-विमर्श किया है।

(ग) दोनों प्रतिनिधिमंडलों के बीच कोई व्यापार करार सम्पन्न नहीं हुआ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आसान शर्तों वाले ऋणों का उपयोग बेहतर तरीके से करने के लिए सरकारी संस्थानों को निदेश

1393. **डा० फारुक अब्दुल्ला** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसान शर्तों वाले ऋण का उपयोग बेहतर तरीके से कराने के प्रयास में सरकारी संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे अपनी 80 प्रतिशत ऋण मंजूरी 'ब्रिज लोन' (कमी पूरी करने वाले ऋण) देने में करें;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्णय इसलिए लिया गया था जिससे ऋण प्राप्त-कर्त्ता अपने संस्थानों के आधुनिकीकरण और विस्तार हेतु मशीनरी तत्काल खरीद सकें;

(ग) क्या इन संस्थानों ने सरकार को यह बताया है कि इस सुविधा का आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ सकता है;

(घ) यदि हाँ, तो इस धीमी प्रगति के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या अनेक संस्थानों ने आसान शर्तों वाले ऋणों का बहुत कम उपयोग किया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) यद्यपि, सरकार ने कमी पूरी करने वाले ऋण (ब्रिज लोन) को मंजूर करने के लिए वित्तीय संस्थाओं के नाम कोई हिदायतें नहीं जारी की हैं, ये संस्थाएं, ऋणों के भुगतान में विलम्ब न होने देने तथा आसान शर्तों पर ऋण (सोफ्ट लोन) योजना के अंतर्गत निकासी की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से अपने सामान्य परिचालन के एक अंग के रूप में, कमी पूरी करने वाली वित्त योजना (ब्रिजिंग फाइनेंस स्कीम) का खुद ही परिचालन करती रही है। कमी पूरी करने वाले ऋण (ब्रिजिंग लोन्स) आमतौर पर ऋण सहायता के 80 प्रतिशत तक दिये जा रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) आसान शर्तों पर ऋण योजना भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के सहयोग से चलाई जा रही है। गत वर्षों में इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृतियों और भुगतानों की गति में वृद्धि हुई है। परन्तु जूट उद्योग के एककों ने इस योजना का पूरा लाभ नहीं उठाया है।

अमरीका को भारतीय बन्दरों के निर्यात पर रोक

1394. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशुओं के प्रति निर्दयता को रोकने के लिए भारतीय बन्दरों के भारत से अमरीका को परीक्षण हेतु निर्यात पर 1978 में रोक लगा दी गयी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या अब उस प्रतिबन्ध को हटाने का विचार है; और

(ग) क्या यह सच है कि विदेशों में रक्षा प्रयोगशालाओं में परमाणु तथा 'नापाम' परीक्षणों के लिये इन बन्दरों को काम में लाया जाता है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) आयात के देशों की सरकारें ये वचन देती हैं कि भारत से आयात किये हुए बन्दरों का प्रयोग केवल जीव-चिकित्सा अनुसंधान प्रयोजनों और पोलियो के टीके बनाने के लिये ही किया जाएगा।

बोइंग-747 विमान की खरीद

1395. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि बोइंग-747 विमान की खरीद करते समय यह अनुमान लगाया गया था कि इसके लाभ कमाने का भार-स्तर 32.2 प्रतिशत होगा और कुछ समय बाद यह 54.6 प्रतिशत हो गया;

(ख) क्या यह भी सच है कि एयर इंडिया ने यह जानकारी सरकार के ध्यान में नहीं लाई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (जे० बी० पट्टनायक) (क) से (ग) ये मसले सार्वजनिक उद्यम समिति (1978-79) (छठी लोक सभा) की 52वीं रिपोर्ट में सम्मिलित हैं जोकि सरकार के विचाराधीन है। 52वीं रिपोर्ट पर सरकार के उत्तर को अंतिम रूप देते ही समिति के समक्ष रख दिया जाएगा।

एयर इंडिया के अधिकारियों का विदेशों में ठहरना

1395. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इण्डिया आफिसर्स एसोसिएशन के साथ 1977 में किए गए समझौते के आधार पर विदेशों में होने वाली सभी नियुक्तियां सामान्यतः 3 से 4 वर्ष के लिए होनी थीं

जिन्हें वाणिज्यिक विभाग के अधिकारियों के मामले में छः वर्ष तक विशेष मामलों के रूप में बढ़ाया जा सकता था;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि एयर इण्डिया प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त समझौते का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया गया जैसा कि फ्रैंकफर्ट अदन, कैरो, रोम, जेनेवा, तोकियो, लास-एन्जल्स और बहुत से अन्य स्थानों पर नियुक्त एयर इण्डिया के अधिकारियों के मामले में हुआ था ;

(ग) क्या यह भी सच नहीं है कि उच्च अधिकारियों के कम से कम 12 मामले ऐसे है जिनमें अधिकारियों के विदेश रहने की अवधि 7 से 23 वर्ष थी और उनमें से कुछ तो एयर इण्डिया के बड़े अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त होने के कारण अपनी नौकरी की लगभग पूरी अवधि में विदेशों में ही रहे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री जे० बी० पट्टनायक) : (क) से (ङ) ये मसले सार्वजनिक उद्यम समिति (1978-79) (छठी लोक सभा) की 53 वीं रिपोर्ट में सम्मलित हैं, जोकि सरकार के विचाराधीन है। 53 वीं रिपोर्ट पर सरकार के उत्तर को अंतिम रूप देते ही समिति के समक्ष रख दिया जाएगा।

गुजरात को सीमेंट, कोयला, चीनी, मिट्टी के तेल आदि का आवंटन

1980. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **वाणिज्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1979 के इन्हीं महीनों की तुलना में गत दो महीनों अर्थात जनवरी और फरवरी, 1980 के दौरान गुजरात को कितने मीट्रिक टन/लीटर सीमेंट, कोयला, चीनी, डीजल, मिट्टी का तेल आदि आवंटित किया गया ;

(ख) इन वस्तुओं के लिए गुजरात की वास्तविक मांग क्या थी;

(ग) यदि कोई कमी है तो उसे पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही अथवा उपाय किये गये थे; और

(घ) इन वस्तुओं की इतनी कमी अथवा अत्यधिक कमी के कारण क्या थे ?

वाणिज्य और इस्पात तथा खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) व (ख) : सूचना विवरण में दी गई है।

(ग) उत्पादन बढ़ाने, जहां-कहीं आवश्यक तथा संभव है वहां आयात द्वारा आपूर्ति में वृद्धि करने, वस्तुओं की ढलाई में सुधार लाने और आधार ढांचे संबंधी अन्य बाधाओं को दूर करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। राज्य सरकारों से आवश्यक वस्तु अधिनियम और ऐसे ही कानूनों के अंतर्गत जारी किये गये विभिन्न आदेशों को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है। मार्च 1980 में 1979 के इसी महीने की तुलना में राज्यों के लिए डीजल और मिट्टी के तेल के आवंटन में क्रमशः 9% और 10% की वृद्धि की जा रही है।

(घ) संबंधित वस्तुओं की कमी, उत्पादन में आई गिरावट, आधार ढाँचे संबंधी बाधाओं, चीनी के लिए दोहरी मूल्य प्रणाली को फिर से लागू करने तथा मौसम संबंधी कारणों की वजह से हो सकती है।

विवरण

जनवरी, 1980 और फरवरी, 1980 तथा 1979 के इन्हीं महीनों के दौरान गुजरात को आवंटित की गई सीमेंट, कोयले, चीनी, डीजल और मिट्टी के तेल की मात्रा और गुजरात की इन वस्तुओं के बारे में मांग।

वस्तु	आवंटन		मांग	कैफियत
1	2		3	4
सीमेंट	प्रथम तिमाही 1979	3.85 लाख मीटरी टन	गुजरात राज्य सरकार ने वर्ष 1979 की प्रथम तिमाही के लिए अपनी मांग 4.5 लाख मीटरी टन और वर्ष 1980 की इसी तिमाही के लिए 6.0 लाख मीटरी टन बताई है।	सीमेंट का आवंटन तिमाही आधार पर किया जाता है। प्रथम तिमाही में जनवरी से मार्च के महीने आते हैं।
	प्रथम तिमाही 1980	3.30 लाख मीटरी टन		
कोयला	जनवरी, 1979	4.19 लाख मीटरी टन	गुजरात के लिए 6.50 लाख मीटरी टन प्रति माह की मांग का अनुमान है।	कोयले की मांग का आंकन अखिल-भारतीय आधार पर क्षेत्रवार किया जाता है न कि राज्य के आधार पर। इसलिए स्तंभ 3 में दी गई मांग अनुमानित मांग है।
	फरवरी, 1979	उपलब्ध नहीं है।		
	जनवरी, 1980	5.34 लाख मीटरी टन		
	फरवरी, 1980	उपलब्ध नहीं है।		
चीनी	जनवरी, 1979	शून्य	राज्य सरकार ने अपने मासिक कोटे को बढ़ाकर 17,000 मीटरी टन करने का अनुरोध किया है।	चीनी के बारे में दोहरी मूल्य नीति 17 दिसंबर, 1979 से पुन: शुरू की गई। इसलिए जनवरी और फरवरी, 1979 में में इसका आवंटन नहीं किया गया था।
	फरवरी, 1979	शून्य		
	जनवरी, 1980	14031 मीटरी टन		
	फरवरी, 1980	14031 मीटरी टन		
डीजल (एच० एस० डी०)	जनवरी, 1979	—	गुजरात सरकार ने डीजल की मांग जनवरी, 1980 के लिए 60500 मीटरी टन और फरवरी, 1980 के लिए 57540 मीटरी टन बताई है।	जनवरी, 1979 और फरवरी, 1679 में राज्यों को डीजल आवंटित करने की कोई पद्धति नहीं थी।
	फरवरी, 1979	—		
	जनवरी, 1980	52,628 मीटरी टन		
	फरवरी, 1980	57,150 मीटरी टन		
मिट्टी का तेल	जनवरी, 1979	32,605 मीटरी टन	उपलब्ध नहीं है।	
	फरवरी, 1979	29,277 मीटरी टन		
	जनवरी, 1980	33,854 मीटरी टन		
	फरवरी, 1980	28,708 मीटरी टन		

एयर इंडिया द्वारा पूर्वी अफ्रीका तथा यूरोप में 'आफ लाइन स्टेशन'' बनाये रखना

1398. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इण्डिया द्वारा पूर्वी अफ्रीका तथा यूरोप में जिन आफलाइन स्टेशनों को बनाये रखा गया है उनके नाम क्या है;

(ख) वर्ष 1978-79 तुथा 1979-80 (दिसम्बर, 1979 तक) के दौरान स्थापना परिवहन, किराये, मनोरंजन तथा उनके रख-रखाव के अन्य शीर्षों के अन्तर्गत कुल कितना व्यय किया गया ;

(ग) उपरोक्त अवधि में इन स्टेशनों द्वारा कुल कितना व्यापार प्राप्त किया गया ;

(घ) क्या इन स्टेशनों का रख रखाव लाभकारी तथा आवश्यक समझा जाता है; और

(ङ) कार्यकरण को सुचारू बनाने तथा व्यय की कटौती करने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री जे० बी० पट्टनायक) : (क) से (ग) पूर्वी अफ्रीका तथा यूरोप में एयर इण्डिया के आफ-लाइन स्टेशनों के नामों तथा इन स्टेशनों पर विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत किए गए व्यय एवं अर्जित किए गए राजस्व को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। (**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एलटी-619/80**)

(घ) जी, हां।

(ङ) व्यय में कटौती करने की दृष्टि से आफ-लाइन कार्यालयों के कार्य-निष्पादन पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है।

केरल के मल्लापुरम जिले में बैंकिंग सुविधाएं

1399. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य के मल्लापुरम जिले में कितने पंचायत क्षेत्रों में व्यवहारत : कोई बैंकिंग सुविधाएं नहीं हैं;

(ख) ऐसे पंचायत क्षेत्रों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों में, विशेषकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वह विदेशों से तेजी से पैसा आ रहा है और वहां विकास की बहुत संभावनाएं भी है बैंकिंग सुविधाओं की बढ़ती हुई आवश्यकता की जांच करने का है ; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार का इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है अथवा उसने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) रिजर्व बैंक, बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में जिलावार सूचना रख रहा है। इसलिए केरल के मल्लापुरम जिले के बैंक रहित पंचायत क्षेत्रों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक को वर्तमान शाखा लाइसंसिंग नीति के अंतर्गत यह आवश्यक है कि 1979-81 की अवधि में वाणिज्यिक बैंक, राज्य सरकारों के परामर्श से बैंकिंग सुविधाओं को दृष्टि से कमी वाले विभिन्न जिलों के बैंक रहित ऐसे ग्रामीण और अर्धनगरीय केन्द्रों में बैंकिंग

सुविधायें प्रदान करने की दिशा में अपनी शाखाओं का विस्तार करने का प्रयास करेंगे जहां व्याप्ति प्रति 20,000 ग्रामीण/अर्ध नगरीय लोगों के लिए एक शाखा से कम हो। दिसम्बर, 1979 के अन्त की स्थिति के अनुसार, मल्लापुरम जिले में वाणिज्यिक बैंकों को 66 ग्रामीण और 53 अर्ध नगरीय शाखाओं के साथ बैंकिंग व्याप्ति प्रति 16,000 ग्रामीण अर्धनगरीय लोगों के लिए एक शाखा बैठती है। इस लिए यह कमी वाला जिला नहीं है। फिर भी राज्य सरकार की सिफारिशों के आधार पर रिजर्व बैंक ने इस जिले के चंगुवेती, बेतातुपुतेया अंगडो, वलियातूर, वालिक्कुन्नु, एडारिकोडे, पल्लिक्काल, उरगम मणिमली, पनाक्कड और मक्कटापरम्ब केन्द्रों में शाखाएं खोलने के लिए नियतन/लाइसेंस जारी किये हैं।

इण्डियन एयरलाइन्स के वरिष्ठ अधिकारियों और पायलटों में पदोन्नति के बारे में असंतोष

1400. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स में कुछ वरिष्ठ लोगों के दावे को न मानते हुए अन्य व्यक्तियों की की गई पदोन्नति पर वहां के वरिष्ठ अधिकारियों और पायलटों में गंभीर असंतोष है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) नए मंत्री द्वारा कार्यभार संभालने के बाद पदोन्नत किए गए व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री जे० बी० पट्टनायक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कुछ वरिष्ठ (senior) पदों में वर्तमान तथा संभावित रिक्तियों के लिए एक पेनल तैयार करने के लिए चयन (selection) की कार्यवाही आरंभ कर दी गयी है और अभी चल ही रही है। कार्यवाही पूरी हो जाने पर, सामान्य तरीके से पदोन्नतियां की जाएंगी।

राजकीय अफीम फैक्टरी, गाजीपुर को अफीम की सप्लाई

1401. **श्री जैनुल बशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजकीय अफीम फैक्टरी गाजीपुर को कितने जिले अफीम की सप्लाई कर रहे हैं तथा प्रत्येक जिले के उत्पादन का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक जिले में अफीम की खेती के लिए कितने एकड़ क्षेत्र की अनुमति है।

(ख) अफीम की खेती के लिए लाइसेंस जारी करने सम्बन्धी कसौटी क्या है ; और

(ग) गाजीपुर में पैदा की जाने वाली अफीम किस्म किस तथा ग्रेड की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) मांगी गई सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) पोस्त की काश्त के लिए लाइसेंस जारी करने के मुख्य-मुख्य मापदण्ड ये हैं :—

(i) ये लाइसेंस सटे हुए और संहित क्षेत्रों में दिए जाते हैं जिससे पोस्त की काश्त पर कारगर ढंग से निगरानी और नियंत्रण रखा जा सके।

(ii) लाइसेंस जारी करने के सिद्धान्त इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर बनाए जाते हैं कि केवल दक्ष और ईमानदार काश्तकारों को ही लाइसेंस दिए जाएं।

(ग) गाजीपुर स्थित कारखाने में निर्मित अफीम लगभग 90° गाढ़ता की होती है और उसमें लगभग 10 प्रतिशत मार्फीन होती है।

दिल्ली और जबलपुर के बीच दैनिक हवाई सेवा

1402. **श्री सुन्दर शर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और जबलपुर के बीच कोई नियमित दैनिक हवाई-सेवा नहीं है, जबकि जबलपुर मध्य-प्रदेश का एक प्रमुख नगर है और एक ऐसा औद्योगिक और पर्यटन केन्द्र है, जहां अनेक महत्वपूर्ण रक्षा संस्थान स्थित हैं;

(ख) क्या बार-बार केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या जबलपुर, और दिल्ली के बीच नियमित दैनिक हवाई-सेवा प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो दैनिक हवाई-सेवा कल तक शुरू हो जाएगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री जे० बी० पट्टनायक) : (क) और (ख) जबलपुर के लिए मंगलवार, बृहस्पतिवार तथा शनिवार को भोपाल/जबलपुर/रायपुर (आई. सी-469/470) का परिचालन करने वाली सप्ताह में तीन बार की एच. एस-749 सेवा उपलब्ध है। यह मंगलवार, बृहस्पतिवार तथा शनिवार को दिल्ली/ग्वालियर/भोपाल (आई. सी-459 460) का परिचालन करने वाली एच. एस-748 सेवा से तत्काल कनेक्शन प्रदान करती है। अतः दिल्ली जबलपुर दिल्ली के बीच विमान यात्रा की सुविधा सप्ताह में उपर्युक्त तीन दिन उपलब्ध है।

(ग) टर्बो-प्रॉप विमान-बेड़े की मौजूदा तंग स्थिति के रहते हुए दिल्ली तथा जबलपुर के बीच एक दैनिक विमान सेवा प्रदान करने पर विचार करना संभव नहीं है। इसके अलावा, उपर्युक्त सैक्टर पर यातायात की मांग से भी एक दैनिक सेवा का औचित्य सिद्ध नहीं होता।

फसल बीमा लागू करने में उड़ीसा राज्य सरकार का वित्तीय खर्च

1403. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य विधान संभा भंग होने से पूर्व 1980 में, राज्यपाल के अभिभाषण में उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा फसल बीमा लागू करने, बेरोजगारों को भत्ता देने और प्राथमिक अध्यापकों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने के संबंध में दिए गए आश्वासनों से राज्य सरकार का कितना खर्च आएगा; और

(ख) क्या राज्य सरकार ने वित्तीय पहलू के साथ इस प्रस्ताव पर विचार किया है और यदि

हां, तो राज्य के कोष से कितना धन व्यय किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) :(क) और (ख) उड़ीसा के राज्यपाल ने 11 फरवरी, 1980 को राज्य विधान सभा में अपने अभिभाषण में कहा कि राज्य सरकार, किसानों को प्राकृतिक प्रकोपों की वजह से हुंई फसल की हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए फसल बीमा की एक योजना पर विचार कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने तथा योग्य बेरोजगार व्यक्तियों की बेरोजगारी भत्ता देने के लिए भी प्रस्तावों पर विचार कर रही है। इन प्रस्तावों के ब्यौरों तथा वित्तीय पहलुओं को स्पष्ट नहीं किया गया।

जिला कटक में जेपुर में विकास कार्य

1404 **श्री अनन्दी चरण दास** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला कटक में जेपुर में "बिराजा क्षेत्र" तथा "दसाश्वमेध पीठ" जो कि हिन्दू तीर्थ पर्यटक आकर्षण का एक ऐतिहासिक स्थान है, के विकास के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि देश के सभी भागों से और विदेशों से आने वाले लोग संचार और आवास के अभाव के कारण अत्यधिक कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उराव) : (क) जी, नहीं।

(ख) चूंकि ऐसे केन्द्रों पर, जिनकी स्वदेशी पर्यटकों द्वारा यात्रा की जाती है, सुविधाओं का विकास करना प्रधान रूप से राज्य सरकार का दायित्व है, इसलिए इन स्थानों पर सुविधाओं की व्यवस्था राज्य सेक्टर में की जानी चाहिए। अत: राज्य सरकार जेपुर में एक पर्यटक बंगले का निर्माण करने पर विचार कर रही है। यह समझा जाता है कि उड़ीसा के विभिन्न भागों से जेपुर के लिए नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं।

"राष्ट्रीय ग्रामीण विकास" योजना के लिए बांड़

1405. **श्री बिरधी चन्द जैन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "राष्ट्रीय ग्रामीण विकास" योजना के लिए 7 वर्षीय बांड़, जिसे लगभग 1 वर्ष पूर्व लागू किया गया था, अभी छपे जाने है और आवेदनकर्त्ताओं को दिए जाने है और उस पर ब्याज बैंकों में सावधिक जमा राशि योजना की तुलना में बहुत कम है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को शीघ्र कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि आवेदनकर्त्ताओं को और असुविधा न हो ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांडों का पहले ही मुद्रण किया जा चुका है तथा अधिकांश निवेशकर्ताओं को दे दिये गये हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांडों पर 7½ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता है। इन बांडों में पूंजी लगाने पर पूंजी लाभकर से छूट दिए जाने के विचार से उन पर दी जाने वाली ब्याज-दर

की बैंक जमा की दर से तुलना करना उचित नहीं होगा।

आई० ए० टी० ए० की सिफारिशों पर विमान सेवा के किराए बढ़ाया जाना

1406. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० ए० टी० ए० की सिफारिशों पर सरकार ने विमान सेवा किरायों में वृद्धि की अनुमति किस कारण से दी;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि सरकारी उपक्रम समिति ने जोरदार सिफारिश की थी कि आई० ए० टी० ए० की सदस्यता को समाप्त कर दिया जाये;

(ग) सम्पन्न देशों से चलने वाले यात्रियों से कम किराये लेने और निर्धन एवं निर्धन देशों से चलने वाले यात्रियों से अधिक किराया लिये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच नहीं है कि निर्धन देशों के लोग सम्पन्न देशों को विमान यात्राओं का पैसा अदा कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसको रोकने के लिए उनका क्या कदम उठाने का विचार है; और

(च) क्या एयर इण्डिया के कार्यकरण पर सरकारी उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों को उन्होंने स्वयं पढ़ा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री जे० बी० पट्टनायक) : (क) पैट्रोल की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण, सरकार ने विमान किरायों में वृद्धि की अनुमति प्रदान कर दी।

(ख) और (च) सार्वजनिक उद्यम समिति ने आई० ए० टी० ए० से हमारी सदस्यता समाप्त करने की सिफारिश की थी। अन्य सिफारिशों के साथ-साथ इस सिफारिश की एक विभागीय समिति द्वारा जांच की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) से (ङ) : कुछेक अपवादों को छोड़कर, जोकि नीचे दिए गए अपरिहार्य कारणों की वजह से हैं, भारत आने के किराये भारत से बहार जाने के किरायों से सस्ते नहीं हैं :—

(i) मुद्रा स्फीति के कारण :

(ii) भारत के लिए पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए कम दरों के प्रोत्साही किरायों की आवश्यकता के कारण।

(च) जैसा ऊपर (ख) में दिया है।

सरकारी कर्मचारियों का अपना मकान होते हुए भी उन्हें आबंटित किए गए आवास के लिए बाजार दर से किराया दे रहे सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

1407. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे अधिकारी मकान किराया भत्ता पाने के हकदार हैं जो मकान मलिक हैं और जिन्हें सरकारी आवास आबंटित है तथा जो आबंटित आवास के लिए बाजार देर से किराया दे रहे हैं, और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) विद्यमान आदेशों के आधीन ऐसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी जिन्हें सरकारी आवास आवंटित है मकान किराया भत्ते के हकदार नहीं हैं भले ही उसके लिए किसी भी दर पर लाइसेंस शुल्क/किराया लिया जाता हो। सितम्बर, 1975 में ऐसे कर्मचारी जिनको सरकारी आवास आबंटित किए गए थे और जिनके ड्यूटी के स्थान पर अपने मकान थे, उन्हें सरकारी आवास खाली करने थे और ऐसा न करने पर उन्हें 1. 1. 76 से बाजार दर से किराया देना था। लेकिन फिर भी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संबंधित कर्मचारी अपने मकान किराएदारों से खाली करवाने के लिए कानूनी कार्यवाही का सहारा लिए बिना अपने मकान का कब्जा नहीं ले सकते, अत: ऐसे मामलों में अंतर्गत कठिनाई को दूर करने लिए 1. 1. 76 से मकान किराए भरते की अदायगी किए जाने के लिए कुछ शर्तों के अधीन आदेश जारी किए गए थे। ये आदेश 31. 5. 77 तक प्रभावी थे 1. 6. 77 से ऐसे कर्मचारी, जिनके अपने मकान थे उन्हें सरकारी आवास के आवंटन के लिए पुन: पात्र बना दिया गया। यह भी निर्णय किया गया कि ऐसे मामलों में जहां मकान से काफी आय हो अर्थात जहां यह 2000/-रुपये प्रतिमास से अधिक हो वहां बाजार दर से किराया लिया जाए। ऐसे मामलों में यह न्यायसंगत नही समझा गया कि मकान किराया भत्ता दिया जाए क्योंकि इससे बाजार दर से किराया वसूल करने का उद्देश्य पूरा नहीं होता।

सूर्य ग्रहण से प्रकट नई बातें

1408. **श्री टी० आर० शमन्ना**
श्री डी० पी० जदेजा
श्री जनार्दन पुजारी
श्री अहमद एम० पटेल
} क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विशेषज्ञों के आरम्भिक प्रतिवेदन के अनुसार 16 फरवरी, 1980 के पूर्ण सूर्य ग्रहण से क्या नई बातों का पता चला है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उराव) : कुछ दिलचस्प सूचना तथा आंकड़े एकत्रित किए गए है। वैज्ञानिक महत्व के निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए भी आंकड़ों का विश्लेषण करने में लगभग एक वर्ष लग जाने की संभावना है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के वैज्ञानिक प्रेक्षणों के परिणामस्वरूप प्राप्त किए गए कुछ प्रारम्भिक निष्कर्षों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

16 फरवरी, 1980 को पूर्ण सूर्य ग्रहण के वैज्ञानिक अध्ययन तथा प्रेक्षणों के परिणामस्वरूप प्राप्त किए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रारम्भिक निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं—

क्रम सं०	प्रेक्षण	निष्कर्ष
1.	कॉरोना तथा क्रोमोस्फीयर का स्पेक्ट्रो-स्कोपिक तथा फोटोमीट्रिक अध्ययन	(i) कॉरोना के स्पेक्ट्रा कॉरोना में हाइड्रोजन प्रक्षेप के संयोग की पुष्टि करते हैं।

1	2	3
		(ii) रैड कॉरोनल लाइन के संबंध में प्राप्त की गई उच्च विकिरण संरचना से कॉरोना के निम्न उत्तेजना क्षेत्र की तापीय विशेषताओं का जहां तक अब तक अध्ययन किया जा सका था उससे और आगे अध्ययन किया जा सकेगा ।
		(iii) हासिल किए गए अच्छे फ्लैश स्पेक्ट्रा से अनेक ऊंचाइयों पर क्रॉमोस्फीयरिक विशेषताओं की व्याख्या करने में सहायता मिल सकेगी ।
2.	भूमि की परिधीय सतह और ट्रॉपोस्फीयर पर प्रभाव । इनके संबंध में प्रेक्षण किए गए— (i) सौ॰देज द्वारा तीस किलोमीटर तक ताप, ओजोन तथा इन्फ्रारैड रेडियेशन फ्लक्सिज का उर्ध्वाधरीय वितरण; (ii) अन्तर्गामी-बहिर्गामी विकिरण; (iii) सतह पर इलैक्ट्रिक पौटेशियल ग्रेडिएन्ट। सूर्यग्रहण के संपर्क के चारों अवसरों के समयों की जांच तथा शैडों बैंड्स के परिमाणात्मक प्रेक्षण ।	(i) मिट्टी की सतह के तापमान में एक महत्वपूर्ण गिरावट (लगभग 20° सेंटीग्रेड) तथा भूमि की अव्यवहित परिधीय सतह में लगभग 2° सेंटीग्रेड की गिरावट देखी गई । (ii) निचले वायुमंडल में विकिरण संतुलन का महत्वपूर्ण व्युत्क्रमण तथा विद्युतीय गति-विधि में परिवर्तन । (iii) सूर्यग्रहण के दौरान ओजोन और ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के सतहीय जमाव में उल्लेखनीय उतार-चढाव देखा गया ।
3.	(i) आयन मंडलीय संचार में परिवर्तन (ii) रॉकेट कार्यक्रम के द्वारा स्ट्रेटोस्फीयरिक ऑयन का माप; (iii) अल्ट्रा वॉयलेट रेडियेशन का माप (iv) माइक्रोवेव रेडियोमीट्री (v) वायुमंडलीय क्षोभ	(i) विभिन्न वेव-लैंग्थ्स पर संकेतीय स्तर में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई ।
4.	भू-चुम्बकीय अध्ययन	(i) एक चुम्बकीय तूफान के दौरान भूमि के चुम्बकीय क्षेत्रों में परिवर्तन का पता लगा । (ii) पूर्ण सूर्यग्रहण के लगभग कुछ दीर्घकालिक स्पदन अनुभव किया गया ।

1	2	3
5.	स्पैक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन	(i) सूर्य के उच्च 'टाइम रेजोल्यूशन फ्लक्स' के माप लिए गए। (ii) इन्फ्रारैड रिकार्ड लिए गए और स्थिति के निकट दृष्टिरेखा में कुछ असमंजसपूर्ण रेडियेशन स्रोतों का पता चला। (iii) पूर्ण सूर्यग्रहण के दौरान आकाशीय प्रकाश के घनत्व एवं ध्रुवण का अध्ययन।

आल इंडिया इन्कम टैक्स एम्पलाईज फैडरेशन से ज्ञापन

1409. **श्री के० ए० राजन**
श्री एम० अरुणाचलम } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को आल इंडिया इन्कम टैक्स एम्पलाईज फैडरेशन से एक ज्ञापन मिला है जिसमें दिल्ली आयकर विभाग द्वारा उच्च श्रेणी लिपिकों के संबंध में 1 सितम्बर, 1974 के दिन की वरिष्ठता सूची तैयार करने में बरती गई गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख है;

(ख) यदि हां, तो आल इंडिया इन्कम टैक्स एम्पलाईज फैडरेशन द्वारा दिए गए ज्ञापन पर क्या कार्यवाई की गई है;

(ग) क्या दिल्ली आयकर विभाग में प्रभावित हुए उच्च श्रेणी लिपिकों की वरिष्ठता उपयुक्त स्थानों पर बहाल कर दी गई है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसे कब तक बहाल कर दिया जाएगा;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) अखिल भारतीय आयकर कर्मचारी महासंघ एक गैर-मान्यता प्राप्त संस्था होने के कारण उसके ज्ञापन पर कोई कार्रवाई करना आवश्यक नहीं समझा गया।

भारत में स्पंज लोहे को प्रोसैस करने की क्षमता

1410. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत में "स्पंज लोहे" को प्रोसैस करने की काफी क्षमता है जिससे कि कोकिंग कोयले, जिसकी कि हमारे देश में कमी है के प्रयोग में काफी कमी की जा सकती है; और

(ख) क्या अनुसंधान और विकास के अन्तर्गत लौह-अयस्क की कमी में निम्न तपि प्लाज्मा पद्धति, जिसके परिणामस्वरूप इस्पात उत्पादन में वृद्धि होगी पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) विद्युत आर्क भट्टी द्वारा कच्चे माल के रूप में स्पंज लोहे का इस्तेमाल करके इस्पात का उत्पादन

करने और अकोककर कोयले को ठोस अपचायक के रूप में इस्तेमाल करके स्पंज लोहे का उत्पादन करने के महत्व को स्वीकार करते हुए सरकार ने इस कार्य के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं—

1. आन्ध्र प्रदेश में कोत्तगूडेम के स्थान पर 30,000 टन वार्षिक क्षमता का स्पंज लोहे का एक प्रदर्शन-संयंत्र लगाया जा रहा है। आशा है, यह संयंत्र शीघ्र ही चालू कर दिया जाएगा।
2. उड़ीसा के इंडस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन को ऐलीस चामर्स प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर स्पंज लोहे की 300,000 टन वार्षिक क्षमता का एक वाणिज्यिक संयंत्र लगाने के लिए आशय-पत्र जारी कर दिया गया है। संयंत्र के प्रथम चरण का कार्य आरंभ हो गया है। इस चरण में 150,000 टन स्पंज लोहा तैयार किया जाएगा।
3. रांची में ठोस अपचायक (अकोककर कोयला) प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके एक घूर्णन—भट्टी (रोटरी किलन) लगाई जा रही है। इसकी दैनिक क्षमता 10 टन होगी। यह भट्टी "सेल" के अनुसंधान और विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाई जा रही है।

(ख) प्लाज्मा-पद्धति से लौह-अयस्क का उपचयन करने की प्रक्रिया बाहर के कई देशों में अभी अनुसंधान और विकास की अवस्था में है। चूंकि इस प्रक्रिया में बिजली की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए वर्तमान स्थिति में इस प्रक्रिया को अपनाना वांछनीय नहीं होगा। इस समय देश में प्लाज्मा पद्धति से लौह-अयस्क का अपचयन करने का कार्य नहीं किया जा रहा है।

ग्रामीण बचत जमा करने का प्रस्ताव

1411. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिबेन्चर जारी करके ग्रामीण बचतें जमा राशि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां तो इस संबंध में क्या ब्यौरा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) ग्रामीण बचतों को जुटाने के लिए राज्य प्रायोजित संस्थाओं द्वारा ग्रामीण ऋणपत्रों को जारी करने संबंधी योजना पहले ही से विद्यमान है। यह योजना कुछ वर्ष पूर्व शुरू की गई थी और इसे ग्रामीण निवेशकर्त्ताओं के लिए अपेक्षाकृत अधिक आकर्षक बनाने के लिए समय-समय पर इसकी समीक्षा की गई है तथा इसमें संशोधन किया गया है। वर्तमान में, ग्रामीण ऋणपत्रों पर ब्याज की दर 12 प्रतिशत वार्षिक है और इसकी परिपक्वता अवधि 5 वर्ष की है।

दिल्ली में आयकर निरीक्षकों और प्रधान लिपिकों के लिए विभागीय पदोन्नति समितियां

1412. **श्री के० ए० राजन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में भर्ती के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक द्वारा विचार किए जाने के लिए पात्र उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के बारे में क्या अनुदेश हैं;

(ख) क्या यह सच है कि आयकर विभाग के दिल्ली चार्ज में आयकर निरीक्षकों और प्रधान-लिपिकों के लिए विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकों में उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित अनुदेशों का उल्लंघन किया गया है; और

(ग) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए ऐसे अनुदेशों को लागू करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) प्रवरण पदों के लिए, जिन योग्य उम्मीदवारों के मामले पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया जाता है उनकी संख्या एक वर्ष के भीतर भरे जाने वाले संभावित रिक्त पदों की संख्या की पांच गुना होती है। गैर-प्रवरण पदों के मामले में चयन, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पूर्णतया वरिष्ठता तथा उपयुक्तता के आधार पर किया जाता है। पैनल, स्पष्टतया रिक्त हुए तथा संभावित रिक्त पदों की संख्या के ठीक बराबर के पदों के लिए तैयार किया जाता है और यदि कोई उम्मीदवार अनुपयुक्त पाया जाता है तो उस स्थिति में उससे बाद के वरिष्ठ व्यक्ति को पदोन्नत करने पर विचार किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

चीनी आक्रमण के दौरान लोगों से प्राप्त सोने को लौटाने का प्रस्ताव

1413. **श्री के० ए० राजन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1962 में चीनी आक्रमण के दौरान लोगों से स्वर्ण बांडों के बदले प्राप्त सोना वापस लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) 1962 में जारी किए गए स्वर्ण बांड, नवम्बर, 1977 में प्रतिशोधन के लिए अधिसूचित किए गए। इन बांडों का कुल मूल्य, 8.62 करोड़ रुपए था जिसमें से जनवरी, 1980 तक, 8 करोड़ रुपए के बांडों की अदायगी की जा चुकी है।

चन्दन की लकड़ी के निर्यात पर रोक

1414. **श्री के० ए० राजन** : क्या वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चन्दन की लकड़ी का निर्यात रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके कारण क्या हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि इसके कारण भारी संख्या में जबरन छुट्टी और बेरोजगारी बढ़ी है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) तथा (ख) जी नहीं। वर्तमान निर्यात नीति के अन्तर्गत लट्ठों, चिरी हुई और बिलेटों के रूप में सीमित मात्रा में चन्दन की लकड़ी का निर्यात और चिप्स, डस्ट, फ्लैक्स और पाउडर की शक्ल में मात्रा संबंधी किसी पाबंदी के बिना स्वतंत्र रूप से निर्यात किए जाने की अनुमति है।

(ग) जी नहीं। देश में चन्दन की लकड़ी का कुल उत्पादन लगभग 4,000 मे० टन है। निर्यात आमतौर पर 300 से 400 मे० टन के बीच घटे-बढ़े हैं, इसलिए लट्ठों, चिरी हुई और बिलेटों

के रूप में चन्दन की लकड़ी के निर्यातों को सीमित रखने से बड़ी संख्या में जबरन छुट्टी और छटनी होने की संभावना नहीं है।

मैसर्स मंडोवी पिलेट्स लिमिटेड, गोवा को आयात शुल्क से छूट

1415. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स मंडोवी पिलेट्स लिमिटेड, गोवा को उनके पूंजीगत सामान पर आयात शुल्क से छूट दी गई है; यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और छूट किस आधार पर दी जाती है;

(ख) क्या कुछ अन्य शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उद्योगों ने भी ऐसी सुविधाएं मांगी हैं परन्तु उनके मामलों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उन मामलों में शीघ्र निर्णय करने और एक समान नीति का पालन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) भारत से बाहर निर्यात के लिए सर्वथा लौह अयस्क के पिलेटों के निर्माण में इस्तेमाल किए जाने हेतु भारत में आयातित संयंत्र, मशीनरी, उपस्करों और उनके फालतू पुर्जों को, वर्ष 1975 में, उन पर लगने वाले समस्त सीमाशुल्क से छूट दी गई थी।

(ख) हाल ही में तीन पार्टियों से इस आशय की दरख्वास्तें प्राप्त हुई हैं कि शत प्रतिशत निर्यात माल का उत्पादन करने वाले उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक पूंजीगत माल पर आयात शुल्क से छूट दी जाए।

(ग) ऐसे प्रत्येक मामले की, संबंधित प्रणाली मंत्रालय के साथ परामर्श करके, गुण-दोष के आधार पर जांच की जाती है।

दिल्ली में भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों द्वारा अर्जित लाभ उठाई गई हानि

1416. **श्री मधु दंडवते** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा दिल्ली में कितने होटल चलाये जा रहे हैं;

(ख) इन होटलों द्वारा अर्जित लाभ तथा उठाई हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) हानि को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) ऐसे होटलों द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (घ) भारत पर्यटन विकास निगम, दिल्ली में, निम्नलिखित छः होटलों का संचालन कर रहा है—

1. अशोक होटल, नई दिल्ली।
2. अकबर होटल, नई दिल्ली।
3. जनपथ होटल, नई दिल्ली।

4. लोधी होटल, नई दिल्ली।

5. रणजीत होटल, नई दिल्ली।

6. कुतुब होटल, नई दिल्ली।

2. परीक्षित लेखों के अनुसार उपर्युक्त सभी होटलों ने वर्ष 1978-79 में लाभ अर्जित किया है। पिछले दो वर्षों के संबंध में इन होटलों का निष्पादन कार्य संक्षेप में नीचे दिया गया है—

(रुपये लाखों में)

होटल	कमरों की संख्या	आकुपेंसी		कुल कारोबार (टर्नओवर)		अर्जित विदेशी मुद्रा		कर पूर्व लाभ	
		77-78	78-79	77-78	78-79	77-78	78-79	77-78	78-79
अशोक	486	89	85	658.73	682.32	79.50	77.15	154.54	168.70
जनपथ	213	90	95	195.51	207.89	61.97	75.81	20.12	23.24
लोधी	196	89	89	88.53	98.96	19.25	17.92	9.99	14.56
रणजीत	188	82	83	78.91	89.96	37.34	35.11	3.62	2.26
अकबर	165	96	95	195.84	199.62	41.49	38.82	26.86	28.56
कुतुब	98	79	64	45.83	58.83	8.59	13.41	(—)1.65	2.53

नट-बोल्ट निर्माताओं का ज्ञापन

1417. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नट-बोल्ट निर्माताओं द्वारा अनुभव की जा रही कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि तथा अन्य दिक्कतों के बारे में विस्तृत ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नट-बोल्ट उद्योगों को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की छूट की सीमा बढ़ाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है अथवा की जानी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, हां।

(ख) यदि लुधियाना नट बोल्ट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (रजि०) ने अपने ज्ञापन में यह दरख्वास्त की है कि निम्नलिखित कारणों को देखते हुए, नटों और बोल्टों का निर्माण करने वाले लघुएककों के संबंध में लागू 5 लाख रुपये की छूट सीमा को बढ़ाया जाय—

(i) लोहे और इस्पात, औजारों, ड्रिलों, टैपों और चूड़ी काटने की डाइयों तथा चिकनाने वाले पदार्थों की कीमतों में हुई वृद्धि;

(ii) मजदूरी की दरों, कारखाना परिसरों के जमाबन्दी मूल्य बिजली के खर्च और सामान्य ऊपरी खर्चों में वृद्धि; तथा

(iii) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क संबंधी काम करने के लिए कर्मचारी रखने के मामले में लघु एककों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयां।

(ग) सरकार द्वारा इस विषय पर सावधानी पूर्वक विचार किया गया है और एसोसिएशन की दरख्वास्त को मानना मुमकिन नहीं हो पाया है।

भारत और पाकिस्तान के बीच पर्यटन को प्रोत्साहन

1418. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के वर्षों में पाकिस्तान से भारत आने वाले तथा भारत से पाकिस्तान जाने वाले पर्यटकों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या दोनों देशों की सरकारों ने पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच कोई पर्यटक यातायात नहीं है। तथापि, 1974 के भारत-पाक वीजा समझौते के अनुसार, दोनों देशों के राष्ट्रिकों को अपने संबंधियों से मिलने, व्यापारिक उद्देश्यों और तीर्थ यात्रा हेतु यात्रा करने के लिए वीजा जारी किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पर्यटन सलाहकार बेगम विकारून्निसा नून, ने हाल ही में दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच पर्यटक यातायात के संवर्धन हेतु एक सुझाव दिया था। सरकार द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है।

ट्रैफिक विभाग के अधिकारी की नियुक्ति

1419. **श्री सी० टी० दंडपाणि** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैफिक विभाग के अधिकारी की विदेश नियुक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया गया है; यदि हां, तो कितना और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) ट्रैफिक विभाग के कितने अधिकारियों को दक्षिण पूर्व एशिया में विदेश स्थित कार्यालयों में एक के बाद एक तीन नियुक्तियां दी गईं; और

(ग) किसी अधिकारी की तीसरी नियुक्ति देने से पूर्व उसे भारत वापस बुलाने और उसके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी को न भेजने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री जे० बी० पट्टनायक) : (क) 1977 से एयर इंडिया ने विदेशों में नियुक्ति की अवधि को तीन से चार वर्ष निर्धारित किया है जिसे यातायात विभाग (वाणिज्यिक विभाग) के अधिकारियों के मामले में छः वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इंडियन एयरलाइंस में, विदेशों में नियुक्ति की अवधि, विशेष मामलों को छोड़कर, सामान्यतः 3 से 4 वर्ष है।

(ख) और (ग) इण्डियन एयरलाइंस के दक्षिण-पूर्वी एशिया में कोई विदेशी स्टेशन नहीं है। जहां तक एयर इण्डिया का संबंध है, सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

आयकर अधिनियम के संशोधन के पश्चात् से अर्थहीन व्यय को रोकने के लिए संगठन

1420. **श्री सी० टी० दंडपाणि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिनियम में "अर्थहीन व्यय" के संबंध में किए गए संशोधन के प्रवृत्त होने के बाद से महानगरों में विशेष रूप से बड़े-बड़े होटलों एवं क्लबों में होने वाले "अर्थहीन व्यय" को रोकने के लिए किसी संगठन की स्थापना की गई है; और

(ख) राजधानी में इस प्रकार के "अर्थहीन व्यय" के कितने मामलों का पता चला और उन पर क्या कार्रवाई की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) कुछ महानगरों में आयकर विभाग की केन्द्रीय सूचना शाखाएं, फाइव स्टार होटलों को की गई 5,000 रुपये से अधिक की अदायगियों के संबंध में सूचना एकत्र करती रही हैं। यह सूचना कर-निर्धारण करने वाले आयकर अधिकारियों को भेजी जाती हैं ताकि वे कर निर्धारण करते समय उस पर विचार कर सकें।

(ख) आयकर आयुक्त, दिल्ली के अधिकार-क्षेत्र में ऐसे किसी मामले का पता नहीं चला है।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि संबंधी आंकड़े

1421. **श्री ई० के० इम्बीची बावा** : क्या **वाणिज्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 और उसके बाद आवश्यक वस्तुओं अर्थात चावल, गेहूं, चीनी, दाल, मिट्टी का तेल, नारियल का तेल, नहाने और कपड़ा धोने का साबुन आदि के मूल्य में वृद्धि के वर्षवार आंकड़े क्या हैं;

(ख) गत तीन महीनों में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के आंकड़े क्या हैं ?

वाणिज्य और इस्पात तथा खान तथा नागरिक पूर्ती मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) 1975 से 1979 के वर्षों में चावल, गेहूं, चीनी, दालों, मिट्टी के तेल, नारियल के तेल और साबुन के वार्षिक औसत थोक मूल्य सूचकांकों में जो उतार-चढ़ाव हुआ उसका प्रतिशत विवरण-I में दिया गया है।

(ख) नवंबर, 1976 से फरवरी, 1980 के बीच चुनी आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों में हुए उतार-चढ़ाव का प्रतिशत विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

1795 से 1979 के वर्षों में चुनी आवश्यक वस्तुओं के वार्षिक औसत थोक मूल्य सूचकांकों (1970-71 = 100) में हुए उतार-चढ़ाव का प्रतिशत

वस्तु का नाम	निम्नांकित वर्ष के दौरान उतार-चढ़ाव का प्रतिशत				
	1975	1976	1977	1978	1979
1. चावल	+ 7.7	—17.7	+ 5.6	— 2.8	+10.3
2. गेहूं	+ 3.4	—11.1	+ 3.5	— 0.6	+ 2.6
3. चीनी	+ 3.0	+ 1.2	— 2.5	— 8.2	+ 6.8
4. दालें	— 8.4	—25.5	+36.8	+25.7	— 2.1
5. मिट्टी का तेल	+11.5	+14.6	स्थिर	+ 1.4	+10.7
6. नारियल का तेल	—22.0	+ 5.8	+15.6	+ 8.7	+ 1.4
7. साबुन*	+30.8	— 9.0	+ 3.0	+ 6.2	+11.5

* कपड़े धोने और नहाने के साबुनों का संयुक्त सूचकांक।

विवरण II

नवंबर, 1979 की तुलना में फरवरी, 1980 में चुनी आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों (1970-71=100) में हुए उतार-चढ़ाव का प्रतिशत

वस्तु का नाम	सूचकांक में हुए उतार-चढ़ाव का प्रतिशत (फरवरी, 1980), (नवंबर, 1979)
1	2
1. चावल	— 2.5
2. गेहूं	+ 2.3
3. ज्वार	— 1.0
4. बाजरा	+10.5
5. चना	+ 4.3
6. अरहर	— 7.9
7. मूंग	— 2.5
8. मसूर	— 7.1
9. उड़द	— 2.8
10. आलू	+ 7.2
11. प्याज	—46.8

1	2
12. दूध	+ 1.0
13. अंडे	+ 7.7
14. मछली	+ 3.9
15. मांस	+15.3
16. लाल मिर्च	—17.4
17. चाय	— 4.6
18. कॉफी	+ 1.8
19. कोक	स्थिर
20. मिट्टी का तेल	स्थिर
21. चीनी	— 28.4
22. गुड़	+20.7
23. वनस्पति	— 0.1
24. मूंगफली का तेल	— 1.4
25. सरसों का तेल	+ 8.5
26. नारियल का तेल	+ 1.4
27. सूती कपड़ा (मिल का)	+ 2.2
28. कागज	+ 2.9
29. जूते	स्थिर
30. टायर	स्थिर
31. ट्यूब	स्थिर
32. सोडा-राख	+ 7.5
33. साबुन	— 2.7
34. दियासलाइयां	+ 1.3
35. सीमेंट	+ 0.6
36. शुष्क सैल	+ 3.6
37. बिजली के लैम्प	+ 0.6
38. रैजर ब्लेड	स्थिर
39. नमक	+12.3

रत्नगरि स्थित एल्यूमिनियम संयंत्र के निर्माण पर खर्च की गई राशि

1422. **श्री बापूसाहिब परुलेकर** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में रत्नगिरि स्थित एल्यूमिनियम संयंत्र के निर्माण पर अब तक, मद-वार और वर्षवार, कुल कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) इसका निर्माण कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) क्या किन्हीं अन्य एल्यूमिना/एल्यूमिनियम परियोजनाओं के बारे में अध्ययन किया जा रहा है और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं; और

(घ) क्या अन्य परियोजनाओं के बारे में अध्ययन किए जाने के बाद रत्नगिरि संयंत्र में पूंजी निवेश के बारे में निर्णय किया जाएगा या सिर्फ पहले ही किया जा चुका है ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) रत्नगिरी एल्यूमिनियम परियोजना 1974 में मंजूर की गई थी। परन्तु वित्तीय कठिनाइयों के कारण परियोजना को कार्यान्वित नहीं किया जा सका। इसके बाद, हाल ही में पूर्वी घाट में प्राप्त विशाल बाक्साइट भंडारों पर आधारित एक एल्यूमिना एल्यूमिनियम कम्प्लैक्स उड़ीसा में और एक एल्यूमिना प्रोजेक्ट आन्ध्र प्रदेश में स्थापित करने के लिए साध्यता अध्ययन किए गए। इन सभी परियोजनाओं के प्रौद्यो-अर्थिक पहलुओं पर विचार करने के बाद में स्थापित किए जाने वाले नए एल्यूमिना एल्यूमिनियम कारखानों के बारे में पूजी-निवेश संबंधी निर्णय लिया जाएगा।

विवरण

31 मार्च, 1979 तक रत्नगिरि स्थित एल्यूमिनियम परियोजना पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा

खर्चे की मदें (लाख रुपए)

वर्ष	परामर्श (विदेशी)	परामर्श (भारतीय)	भूमि	सर्वेक्षण तथा पर्वेक्षण	स्टाफ तथा आकस्मिक खर्च	स्थायी परिसम्पत्ति	अस्थायी निर्माण कार्य	घोल पाइप लाइन बिछाने के लिए साध्यता अध्ययन	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1965-66 1966-67	15.51	—	—	6.50	1.44	0.01	—	—	23.46
1967-68	—	—	—	1.75	2.04	0.15	—	—	3.94
1968-69	—	—	—	6.34	1.71	—	—	—	8.05
1969-70	7.53	9.43	—	0.58	1.35	—	—	—	18.89
1970-71	6.07	9.42	20.00	1.50	1.38	—	—	—	38.37
1971-72	7.05	10.15	—	1.54	7.06	0.56	1.51	—	27.87
1972-73	4.80	—	—	0.01	9.39	0.54	1.46	—	16.20
1973-74	—	—	—	1.31	11.01	0.03	0.47	—	12.82
1974-75	—	—	—	0.26	8.79	0.68	0.23	—	9.96
1975-76	—	0.24	—	0.66	7.50	0.12	—	0.06	8.58
1976-77	—	—	—	0.10	3.75	—	0.11	2.09	6.05
1977-78	—	—	—	—	1.51	—	—	0.19	1.70
1978-79	—	—	—	3.19	1.23	—	—	—	4.42
	40.96	29.24	20.00	23.78	58.16	2.09	3.78	2.34	180 31

राउरकेला इस्पात संयंत्र की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव

1423. **श्री अर्जुन सेठी**: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 350 करोड़ रुपए की लागत पर राउरकेला इस्पात संयंत्र की क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एयर इंडिया द्वारा अमरीकी और कनाडा में दिया गया बुकिंग एजेंसी कमीशन

1424. **श्री गदाधर साहा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 75-76, 76-77 और 78-79. के दौरान अमरीका, कनाडा क्षेत्र में एयर इंडिया द्वारा कुल कितना बुकिंग एजेंसी कमीशन दिया गया;

(ख) एयर इंडिया के जी. एस. ए. और विभिन्न राज्यों के ट्रैवल एजेंटों की ओर कितनी राशि बकाया है;

(ग) क्या यह सच है कि श्री जोगेन्द्र सागर (नान रेजिडेंट) जिसकी ब्रिटेन में हिन्दुतान ट्रेवल सर्विस है, के प्रति विशेष पक्षपात किया गया था;

(घ) क्या यह भी सच है कि उसी व्यक्ति को जनरल सेल्स का व्यापार दिया गया था जो भारत में कभी हिन्दुस्तान ट्रेवल एंड टूर्स के नाम से था और बाद में जितना नाम दलकर जनता ट्रेवल्स रख दिया गया था;

(ङ) क्या यह भी सच है कि इस व्यापार को, जो श्री जोगेन्द्र सागर को दिया गया है, इंडियन एयरलाइन्स से अनियमित ढंग से ले लिया गया है;

(च) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(छ) एयर इंडिया से सागर की कम्पनी ने कितना कमीशन लिया है;

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री जे० णी० पट्टानयक) : (क) से (छ) मुख्य मसले सार्वजनिक उद्यम समिति (1978-79) (छठी लोक सभा) की 53वीं रिपोर्ट में सम्मिलित हैं, जोकि सरकार के विचाराधीन हैं। 53वी. रिपोर्ट पर सरकार के उत्तर को अंतिम रूप देते ही समिति के समक्ष रख दिया जाएगा।

भूमि अधिग्रहण हेतु बोकार स्टील लिमिटेड के आस-पास के साटनपुर और अन्य गांवों को नोटिस

1425. **श्री ए० के० राय** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि बोकारो स्टील लिमिटेड के आस-पास के साटनपुर और अन्य

गावों को 1973 से बाद वाले भूमि अधिग्रहण के लिए धारा 9 के अंतर्गत नोटिस दे दिये गये है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस नोटिस से, रोजगार और मुआवजे का कोई लाभ मिले बिना, भूमि की बिक्री और हस्तांतरण में बहुत कठिनाई उत्पन्न हो गई है; और

(ग) क्या सरकार का इस स्थिति को समाप्त करने के लिए, या तो नोटिस को समाप्त करके अथवा इन गांवों का अधिग्रहण करके अल्प समय में ही मामले को अंतिम रूप देने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) बोकारो इस्पात कारखाने की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बिहार सरकार ने साटनपुर, सिजुआ, तेन्तुलिया तथा बन्धगोरा गांवों की भूमि का अर्जन करने की मंशा से वर्ष 1974 में भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत नोटिस जारी किए थे। लेकिन कुछ प्रोद्योगिकीय परिवर्तनों के कारण बाद में भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 48 (i) के अधीन अधिसूचना जारी करके वर्ष 1977 में साटनपुर तथा तेन्तुलिया और वर्ष 1978 में सिजुआ तथा बन्धमोरा गांवों की भूमि अर्जन करने की कार्यवाही वापिस ले ली थी।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मध्य प्रदेश में ढाल्हा, राझरा में सुरक्षित लौह अयस्क खानों में कार्य-संचालन

1426. **श्री ए० के० राय** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में ढ़ाल्हा-राझरा सुरक्षित लौह अयस्क खानों में ठेके और सोसायटी के कर्मचारी बड़ी संख्या में वर्षों से काम करते आ रहे हैं; यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और ब्यौरेवार तथ्य क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि काम के स्वरूप की जांच करने के लिए नियुक्त की गई समिति ने यह पाया था कि काम निरंतर चलने वाला है और यह सिफारिश की कि कर्मचारियों का विभागीयकरण किया जाए;

(ग) क्या यह सच है कि सिफारिशों के बावजूद कर्मचारियों का विभागीयकरण नहीं किया गया है जिसके कारण वहां बड़ा रोष व्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो उस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) भिलाई इस्पात कारखाने की ढ़ाल्हा-राझरा खानों में 8,472 ठेका मजदूर सहकारी समितियों के मजदूर खुदाई करने, खानों से अयस्क निकालने, साइज के अनुसार उसकी छंटाई करने, उसे ट्रकों में लादने जैसे परिचालन संबंधी कार्यों तथा वाहन चालक और सहायकों के रूप में लगे हुए हैं।

(ख) लौह-अयस्क की खानों में ठेका मजूदरों को लगाने के संबंध में केन्द्रीय सलाहकार ठेका-मजदूर बोर्ड द्वारा गठित एक समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने केन्द्रीय बोर्ड से परामर्श के पश्चात् दिनांक 15.12.1979 को एक अधिसूचना जारी करके लौह-अयस्क की खानों में तीन कार्यों नामत:

(1) उपरिभार को हटाने, (2) खुदाई तथा विस्फोटन, और (3) विमुक्त अयस्क (फलोट ओर) निकालने, के लिए दिनांक 10.5.1980 से ठेका-मजदूर लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

(ग) ढाल्हा-राजहरा खानों में विमुक्त अयस्क (फलोट ओर) नहीं निकाला जाता है। अन्य कार्यों का, जिनके लिए ठेका-मजदूर लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, विभागीयकरण करने का प्रश्न 10.5.1980 के पश्चात् ही उठेगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ब्रिटेन से सहायता

1427. **श्री एन० के० शेजवलकर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि ब्रिटेन द्वारा भारत को दी जाने वाली सहायता में कटौती किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि गत वर्ष पैरिस में विश्व बैंक कंसार्टियम की बैठक में, ब्रिटेन भारत की विकास सहायता के लिए कोई पक्का वचन नहीं दे सका;

(ग) उसके परिणामस्वरूप भारत में विकास संबंधी योजनाओं पर किस हद तक असर पड़ेगा; और

(घ) देश में विकास संबंधी योजनाओं को ठप होने से बचाने के लिए सहायता के अन्य स्रोतों का पता लगाने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है / किये जा चुके हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। नई सरकार जो यूनाइटेड किंगडम में मई 1979 में सत्तारुढ़ हुई थी, जून, 1979 में हुई सहायता संघ की अंतिम बैठक के लिए समय पर यह निश्चय न कर पाई कि उसके द्वारा भारत को कितनी सहायता दी जाएगी। परन्तु बाद में यू० के० द्वारा दी जाने वाला सहायता के स्तर की सूचना भारत को दे दी गई थी।

(ग) और (घ) ब्रिटिश सहायता में कमी होने के कारण भारत की किसी भी वर्तमान विकास योजना में बाधा नहीं पहुंचने दी जाएगी। जिस सीमा तक आवश्यक होगा, भारत के अपने साधनों और दूसरे स्रोतों से प्राप्त सहायता को उपयोग में लाया जाएगा।

शीर्षक के अंतर्गत समाचार

1428. **श्री एन० के० शेजवलकर :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान दिनांक 3 मार्च, 1980 के "अमृत बाजार पत्रिका" में "इंडिया हंगरी स्ट्रैस ज्वाइंट वेन्चर्स शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो भारत के वाणिज्य मंत्री और हंगरी के विदेश मंत्री के बीच हुये विचार-विमर्श का क्या परिणाम निकला तथा हंगरी के शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) जिन संयुक्त उद्यमों का पता लगा लिया गया है उनका ब्यौरा क्या है और उनमें से उन

उद्यमों की संख्या कितनी है जो आरंभ किये जा चुके हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जी हां। अपनी भारत यात्रा के दौरान हंगरी के विदेश मंत्री ने 1 मार्च, 1980 को वाणिज्य मंत्री के साथ शिष्टाचार स्वरूप मुलाकात की थी। बैठक के दौरान विचार विमर्श के लिए कोई विशिष्ट कार्य-सूची नहीं थी तथापि इस अवसर पर भारत-हंगरी व्यापार की प्रगति की व्यापक रूप से समीक्षा की गई।

(ग) बैठक के दौरान कुछ औद्योगिक परियोजनाओं में भारत-हंगरी सहयोग बढ़ाने का उल्लेख किया गया। तथापि बैठक के दौरान कोई विशिष्ट परियोजना अभिज्ञात नहीं की गई। सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में पहले ही कई औद्योगिक परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें हंगरी ने अपनी तकनीकी जानकारी दी है।

अगले पांच वर्षों की अवधि में भारत-हंगरी व्यापार में अनुमानित वृद्धि

1429. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगले पांच वर्षों के दौरान भारत-हंगरी व्यापार में कितनी वृद्धि होने की आशा है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : जबकि इस बात का ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है कि अगले पांच वर्षों के दौरान भारत और हंगरी के बीच व्यापार में कितनी वृद्धि होने की संभावना है, हमारा यह लक्ष्य है कि इस अवधि के दौरान व्यापार की मात्रा दुगुनी हो जाए।

गुजरात के कच्छ क्षेत्र में एक एल्युमिना संयंत्र की स्थापना

1430. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के कच्छ क्षेत्र में एक एल्यूमिना संयंत्र स्थापित करने के बारे में भारत के वाणिज्य मंत्री और हंगरी के विदेश मंत्री के बीच एक करार पर हस्ताक्षर हो चुके हैं जैसा कि 3 मार्च, 1980 के 'अमृत बाजार पत्रिका' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर अनुमानतः कितना खर्च आयेगा; इसकी स्थापना कब तक आरंभ हो जाएगी तथा पूरी हो जाएगी और इसका वार्षिक उत्पादन क्या होगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

अटारी में रेल द्वारा आने वाले पर्यटकों के लिए सीमा-शुल्क निकासी पद्धति

1431. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या वित्त मंत्री दिनांक 7 मार्च, 1980 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में "एक्सचेंज काउंटर एट अटारी विगेस्ट रैकेट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें भारत-पाकिस्तान सीमा पर अटारी में रेल द्वारा आने वाले पाकिस्तानी पर्यटकों की कठिनाई और शोषण का पता है;

(ख) क्या उनका विचार पर्यटकों के सामान की शीघ्रतापूर्वक और सुविधाजनक निकासी को सुनिश्चित करने और समाचार-पत्रों में प्रकाशित बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये सीमाशुल्क निकासी पद्धति में सुधार करने के लिये कोई कार्यवाही करने का है; और

(ग) क्या उनका विचार सीमा-शुल्क अहाते के अन्दर कुलियों द्वारा की गई परेशानी को खत्म करने के लिए कोई कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (ग) प्रश्न में उल्लिखित अटारी रेलवे स्टेशन के संबंध में जो इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, वह सरकार की जानकारी में आयी है। मौके पर अध्ययन के लिए दिल्ली से एक वरिष्ठ अधिकारी अटारी गया था। अटारी में हालत सुधारने और यात्रियों को होने वाली असुविधा और परेशानी के कारणों को दूर करने के लिए, विभिन्न प्रशासनिक, कार्यविधिक तथा विधायी उपाय किए गए हैं।

पर्यटकों और गैर-पर्यटकों के लिए असवाव नियम, जोकि अन्य अन्तराष्ट्रीय यात्रियों पर लागू होते हैं, पाकिस्तान जाने वाले अथवा वहां से आने वाले यात्रियों के संबंध में पहले ही से लागू किए जा चुके हैं। ये नियम, वर्ष 1955 से प्रभावी विशेष पकिस्तान असवाव नियमों के स्थान पर लागू किए गए है। यात्रियों की निकासी के लिए, अन्य अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर प्रचलित ग्रीन चैनल प्रणाली अटारी रेलवे स्टेशन पर भी चालू की जा रही है। इससे वे यात्री, जिनके पास वास्तव में शुल्क लगने योग्य कोई वस्तु नहीं है, अपने असवाव की न्यूनतम चुनिंदा जांच करवा कर सीमा शुल्क से निकासी पा सकेंगे।

यात्रियों की शिकायतें सुनने, उनकी जांच करने और उनकी दिक्कतों को तत्काल वहीं दूर करने तथा भारतीय कानूनों के अंतर्गत उन्हें उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में लाउड-स्पीकरों पर और इश्तहारों के जरिए जानकारी देने की व्यवस्था की जा रही है। अवांछनीय तत्वों के खिलाफ समुचित प्रशासनिक अथवा अन्य कार्यवाही करने की दृष्टि से, लाइसेंसधारी कुलियों पर नियंत्रण को कड़ा करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों के जरिए उपाय भी किए जा रहे हैं।

सीमा शुल्क, पुलिस, आप्रवास, स्वास्थ्य और रेलवे जैसे विभागों के संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने कार्यक्षेत्र में ठीक समय पर संबंधित उपचारी कार्यवाही किए जा सकने की बात ध्यान में रखते हुए, अटारी रेलवे स्टेशन की स्थिति पर सतत निगरानी रखने के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं को संस्थागत रूप दिया जा रहा है। सीमा शुल्क स्वास्थ्य और आप्रवास संबंधी जांच का कार्य अटारी रेलवे स्टेशन से अमृतसर रेलवे स्टेशन को अंतरित करने के जिस प्रस्ताव से यात्री यातायात का कार्य और सुविधाजनक हो जाने की आशा की जाती है, उसके सभी पहलुओं और प्रभावों की संबंधित प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है।

निर्यात व्यापार के लिये नीति

1432. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1980 से प्रारंभ होने वाले दशक के लिये निर्यात व्यापार नीति बनाई है

और क्या 1970 के निर्यात नीति संकल्प को नई स्थिति के अनुरूप पुनः बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या 1980 की भारत निर्यात नीति के मामले पर विचार कर रही सरकारी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, यदि नहीं, तो यह अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत करेगी; और

(ग) क्या सरकार निर्यात के लिये राजसहायता देने के तरीके, मानदंड और वांछनीयता के बारे में लोक लेखा समिति की टिप्पणियों को विशेष रूप से देखते हुये निर्यात के लिये नकद सहायता देने के प्रश्न पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता महसूस करती है ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) 1980 के दशक के दौरान भारत के निर्यातों में वृद्धि के लिए दीर्घावधि निर्यात नीति का सुझाव देने के वास्ते जुलाई, 1979 में श्री पी० एल० टंडन, अध्यक्ष राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। आशा है कि समिति की रिपोर्ट जून, 1980 के बाद तैयार हो जायेगी। निर्यात नीति संकल्प, 1970 को फिर से तैयार करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि निर्यात नीति की लगातार समीक्षा की जाती है और समय-समय पर तथा हर वर्ष मार्च में वार्षिक समीक्षा के अवसर पर अपेक्षित परिवर्तन घोषित किए जाते हैं।

(ग) लोक लेखा समिति द्वारा की गई कतिपय टिप्पणियों तथा निर्यात व आयात नीति तथा क्रियाविधि संबंधी समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद 1978 में नकद मुआवजा सहायता के सिद्धान्तों में कुछ परिवर्तन किये गये थे। नकद सहायता की दरों की समीक्षा की जाती है और उत्पन्न होने वाली स्थिति को देखते हुए समय-समय पर आवश्यक परिवर्तनों की घोषणा की जाती है।

विदेशी पूंजी निवेश

1433. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश कितना है और उन फर्मों तथा कंपनियों का नाम क्या है और उनका कारोबार क्या है जिसमें विदेशी पूंजी प्रत्यक्ष रूप से लगी है;

(ख) प्रत्येक फर्म में कुल कितनी विदेशी पूंजी का निवेश किया गया है और विदेशी पूंजी निवेशकों के नाम और पता क्या है; और

(ग) गत वर्षों के दौरान जिसके लिए ऐसे आंकड़े उपलब्ध हैं, प्रत्येक कंपनी द्वारा कितना लाभ/लाभांश/ब्याज अथवा प्रतिलाभ के अन्य ग्रुप बाहर भेजे गये थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (ग) विदेशी पूंजी निवेश की मौजूद रकमों से संबंधित आंकड़े इकट्ठे करने में अनिवार्यतः समय लगता है। सबसे हाल के जो आंकड़े उपलब्ध हैं वे 31 मार्च 1974 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए हैं। एक

विवरण संलग्न है जिसमें भारतीय कम्पनियों में सामान्य पूंजी (इक्विटी) निवेश से संबंधित मौजूदा रकमों के आंकड़े दिए गए हैं। एक और विवरण संलग्न है जिसमें गत तीन वर्षों में विदेशी कंपनियों द्वारा प्रेषित रकमों के आंकड़े दिए गए हैं।

जहां तक कम्पनियों और फर्मों के नामों और पत्तों का संबंध है, सूचना बहुत व्यापक है और इस सूचना को एकत्रित करने में जो प्रयत्न करने पड़ेंगे वे उससे प्राप्त होने वाले फलों के अनुरूप नहीं होंगे। फिर भी यदि माननीय सदस्य किसी कम्पनी/कम्पनियों के बारे में कोई सूचना चाहते हैं तो यह इकट्ठी की जा सकती है और सभा-पटल पर रखी जा सकती है।

विवरण

मार्च 1974 को मौजूदा दीर्घावधिक विदेशी देनदारियां

(करोड़ रुपए)

उद्योग समूह	विदेश नियंत्रित रुपया		सामान्य पूंजी निवेश	जोड़
	कंपनियों में पूंजी निवेश			
	सहायक कंपनियों	अन्य		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(i) बागान	15·0	0·1	5·3	20·4
(ii) खनन	2·8	—	2·8	5·6
(iii) पेट्रोलियम	37·4	23·7	5·6	66·7
(iv) विनिर्माण	406·9	167·8	63·9	638·6
1. खाद्य पदार्थ, पेय आदि	44·6	4·5	2·7	51·8
(i) सिगरेट और तम्बाकू	32·4	3·5	0·2	36·1
(ii) अन्य	12·2	1·0	2·5	15·7
2. वस्त्र उत्पाद	10·3	12·4	7·8	30·5
(i) कपास की वस्तुएं	2·3	7·2	3·4	12·9
(ii) जूट और नारियल जटा की वस्तुएं	—	0·3	1·4	1·7
(iii) अन्य	8·0	4·9	3·0	15·9
3. परिवहन उपस्कर	22·5	9·3	5·2	37·0
(i) आटोमोबाइल और अनुषंगी भाग	18·9	9·7	2·8	31·4
(ii) अन्य	3·6	−0·4	2·4	5·6
4. मशीनरी और मशीनी औजार	21·8	18·7	6·8	47·3
5. धातु और धातु उत्पाद	52·4	29·2	10·4	92·0
(i) लोहा और इस्पात उत्पाद	24·2	15·5	8·1	47·8
(ii) अन्य	28·2	13·7	2·3	44·2

6. बिजली की वस्तुएं और मशीनरी	48·8	19·3	7·3	75·4
7. रासायनिक पदार्थ और संबद्ध उत्पाद	130·6	60·2	17·7	208·5
(i) रासायनिक पदार्थ	28·3	47·7	14·6	90·6
(ii) दवाइयां और औषधि	47·5	11·2	0·5	59·2
(iii) अन्य	54·8	1·3	2·6	58·7
8. विविध	75·9	14·2	6·0	96·1
(i) भवन निर्माण सामग्री	6·7	4·3	2·3	13·3
(ii) रबड़ की वस्तुएं	42·3	2·5	1·7	46·5
(iii) अन्य	26·9	7·4	2·0	36·3
(iv) सेवाएं	8·3	9·8	30·1	48·2
1. व्यापारिक	5·8	1·9	2·2	3·9
(i) खाद्य पदार्थ, पेय आदि	0·2	—	—	0·2
(ii) वस्त्र उत्पाद	0·2	0·1	0·2	0·5
(iii) परिवहन उपस्कर	—	—	0·4	0·4
(iv) मशीनरी और मशीनी औजार	1·0	0·4	0·2	1·6
(v) धातु और धातु उत्पाद	—0·1	—	0·1	—
(vi) बिजली की वस्तुएं और मशीनरी	0·5	0·8	0·1	1·4
(vii) रासायनिक पदार्थ और संबद्ध उत्पाद	0·1	0·1	0·2	0·4
(viii) आयातक और निर्यातक	0·4	0·4	0·2	1·0
(ix) अन्य	3·5	0·1	0·8	4·4
2. निर्माण, उपयोगिताएं और परिवहन	0·1	1·4	18·0	19·5
3. वित्तीय	0·4	2·0	4·5	6·9
4. विविध	2·0	4·5	5·4	11·9
(i) प्रबंध अभिकर्ता	0·9	4·2	4·5	9·6
(ii) अन्य	1·1	0·3	0·9	2·3
जोड़	470·4	201·4	107·7	779·5

टिप्पणी : 1. विदेश नियंत्रित रुपया कंपनियों में पूंजीनिवेश सामान्य शेयरों (इक्विटी शेयरों) में नियंत्रक देश के निवल पूंजी निवेश ओर निर्बाध आरक्षित निधि में उसके आनुपातिक भाग को प्रकट करता है।

2. सामान्य पूंजी निवेश के आंकड़े गैर-विदेशी नियंत्रित भारतीय ज्वाएंट स्टाक कंपनियों में विदेशी सामान्य पूंजी (इक्विटी) के निवेश को और विदेश नियंत्रित रुपया कंपनियों के साधारण शेयरों में नियंत्रक देश से भिन्न देशों द्वारा किये गये पूंजी निवेश को प्रकट करते हैं।

विदेशी कंपनियों द्वारा प्रेषित राशियों का विवरण

(अद्यतन अवधि जिसके लिए सूचना उपलब्ध है)

(करोड़ रुपए)

वर्ष	लाभ	लाभांश	रायलटी	तकनीकी जानकारी	ब्याज	जोड़
1974-75	7·19	18·46	8·46	12·56	36·79	83·37
1975-76	20·36	24·84	10·49	25·66	24·65	106·00
1976-77	19·39	48·47	15·88	37·80	25·11	146·65
1977-78 (अप्रैल-जून)	2·69	21·52	9·66	7·16	7·62	48·65

स्वदेश भेजे जाने वाला धन

1434. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में भारत में विदेशी मुद्रा का कुल आरक्षित भंडार कितना था और इस समय यह भण्डार कितना है;

(ख) इस प्रत्येक पांच वर्षों में विदेशों से गैर निवासी भारतीयों द्वारा स्वदेश भेजे गए धन से कितनी राशि भारत आई;

(ग) गत दो वर्षों में स्वदेश भेजे गए धन का महीनेवार/तिमाही आंकड़े क्या हैं; और

(घ) स्वदेश भेजे जाने वाले धन में यदि कोई कमी आई है तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) ब्योरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए)

राजकोषीय वर्ष/अवधि के अन्त में	विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियां	स्वर्ण भंडार	विशेष आहरण अधिकार	जोड़ विदेशी मुद्रा भंडार
1975-76	1,491.70	182.53	211.16	1,885.39
1976-77	2,862.99	187.80	191.96	3,242.75
1977-78	4,499.75	193.09	166.06	4,258.90
1978-79	5,219.86	219.50	384.78	5,824.14
17 मार्च, 1978	4,198.83	193.09	166.06	4,557.98
16 मार्च, 1979	5,223.39	219.50	384.78	5,827.67
14 मार्च, 1980	5,307.48	224.71	544.18	6,076.37

(ख) चूंकि वर्तमान विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों के अन्तर्गत प्राधिकृत डीलरों को 10,000 रुपए और उससे कम विदेशों से प्रेषित राशि का भेजने वाले की राष्ट्रिकता, राशि भेजने के प्रयोजन आदि सहित कोई ब्योरा भारतीय रिजर्व बैंक को नहीं देना पड़ता, इसीलिए विदेशों

में रहने वाले भारतीयों द्वारा प्रेषित राशि को अलग से बताना सम्भव नहीं है। तथापि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नमूने के तौर पर किए गए सर्वेक्षण के आधार पर मार्च, 1978 तक के उपलब्ध आंकड़ों का अनुमान नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए)

1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78
71.3	109.9	230.6	360.8	634.7

ये आंकड़े निम्नलिखित प्रयोजनों/श्रेणियों के अन्तर्गत प्राप्त राशियों के हैं, जिन्हें मोटे तौर पर, अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत भेजी जाने वाली राशि माना जाता है :

(i) परिवार अनुरक्षण

(ii) बचतों का अन्तरण

(iii) विदेशों में रहने वाले भारतीयों की परिसम्पत्तियों का अन्तरण

(iv) संवितरित मनीआर्डरों के संबंध में प्रतिपूर्ति:

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) से बताए गए कारणों से पिछले दो वर्षों में विदेशों में काम कर रहे भारतीयों से वास्तव में प्राप्त रकम की ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन पिछले दो वर्षों में पारिवारिक प्रेषणाओं सहित कुल निर्यात भिन्न त्वरित अनुमान (संशोधित आंकड़े) नीचे दिए गए हैं :—

(करोड़ रुपए)

माह	1978-79	1979-80 (जनवरी 1980 तक)
अप्रैल	186.73	224.63
मई	205.48	211.79
जून	203.59	274.21
जुलाई	208.64	192.75
अगस्त	152.76	210.94
सितम्बर	163.45	247.76
अक्टूबर	142.07	173.51
नवम्बर	174.73	255.09
दिसम्बर	150.31	339.71
जनवरी	154.36	400.47

(1)	(2)	(3)
फरवरी	178.71	उपलब्ध नहीं
मार्च	333.65	उपलब्ध नहीं
	2,255.48	2,530.86

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर में दिए गए आंकड़ों से यह पता चलता है कि ऐसी प्रेषणाओं में कोई कमी नहीं हुई है।

ब्रांड वाली बीड़ियों पर उत्पादन शुल्क

1435. **श्री धर्मवीर सिन्हा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रांड वाली बीड़ियों पर उत्पादन शुल्क लगाने और बिना ब्रांड वाली बीड़ियों पर उत्पादन शुल्क न लगाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या उनके मन्त्रालय को ब्रांड वाली बीड़ियों से उपभोक्ताओं की किस्म, विश्वास के रूप में होने वाले लाभ की जानकारी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) बिना ब्रांड वाली बीड़ियों में, यदि उनका निर्माण ऐसे निर्माता द्वारा किया गया हो जो केवल ऐसी बीड़ियों का ही निर्माण करता है, उत्पादन शुल्क से छूट मिली हुई है ; छूट की मात्रा एक वित्त वर्ष में की गयी उन निकासियों तक सीमित है, जो 60 लाख बीड़ियों से अधिक नहीं हो। ऐसे निर्माताओं द्वारा एक वित्त वर्ष में निकासित बिना ब्रांड वाली बीड़ियों की उस तादाद पर, जो 60 लाख से अधिक हो, उत्पादन शुल्क 1.60 रुपये प्रति एक हजार बीड़ी की दर से लगता है। ब्रांडयुक्त बीड़ियों पर (और ऐसे निर्माता द्वारा निर्मित बिना ब्रांड वाली बीड़ियों पर, जो स्वयं अथवा जिसकी ओर से किसी ब्रांड नाम में बीड़ियां बेची जाती हैं) 3.60 रुपये प्रति एक हजार बीड़ी की दर से शुल्क लगता है। बिना ब्रांड वाली बीड़ियों के मामले में 60 लाख तक की मात्रा पर छूट, विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में बिना ब्रांड वाली बीड़ियों के लघु निर्माताओं की सहायतार्थ और प्रशासनिक कारणों से दी गयी है, और बिना ब्रांड वाली बीड़ियों के मुकाबले ब्रांडयुक्त बीड़ियों के लिये उपभोक्ताओं की पसन्द, यदि कोई हो, के विचार से नहीं।

जीवित पशुओं पक्षिओं और सरीसृपों का निर्यात

1436. **डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या **वाणिज्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देश से (1) जीवित पक्षिओं, (2) जीवित पशुओं और (3) रेंगने वाले जीवित प्राणियों का कुल कितना निर्यात किया गया तथा उनका मूल्य लगभग क्या था ;

(ख) क्या दुर्लभ किस्म के पक्षिओं, पशुओं और रेंगने वाले प्राणियों के निर्यात के मामले रिकार्ड किये गये हैं और यदि हां, तो भविष्य में उनके संरक्षण के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या यह सच है कि सरकार का ध्यान 24 मई, 1979 के स्टेटमैन में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय तस्करों के गिरोह द्वारा किये गये ऐसे निर्यात की अन्तर्राष्ट्रीय पशु संरक्षण सोसायटी द्वारा की गई आलोचना की रिपोर्ट दी गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जिआउर रहमान अंसारी) :

(क)	1976-77	1977-78	1978-79
		(मूल्य लाख रु० में)	
1. प्रजनन योजनाओं के लिए सांड जिसमें भैंसे शामिल नहीं हैं।	51	367	241
2. भेड़ तथा बकरी	223	404	140
3. कुक्कुर जीवित	14	15	59
4. पक्षी	94	58	39
5. हाथी	7	5	—
6. बन्दर	85	81	1
7. चिड़ियाघर के पशु (जिनका अन्यत्र उल्लेख नहीं है) तथा अन्य पालतू पशु	1	1	नगण्य
8. कच्छप अथवा कछुआ	नगण्य	नगण्य	—
9. अन्य जीवित पशु कीड़े-मकोड़े	6	16	12
योग :	481	947	499

(ख) तथा (ग) भारत सरकार क्या जंगली वनस्पति तथा जीव-जन्तुओं की संकटग्रस्त किस्मों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बन्धित कन्वेंशन दोनों जंगली जीव-जन्तुओं की संकट-ग्रस्त किस्मों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने के बारे में चिंतत है। भारत सरकार ने कन्वेंशन का अनुसमर्थन कर दिया है और निर्यातों को कठोरतापूर्वक इस कन्वेंशन के अधीन स्वीकार किये गये नियमों के अनुसार विनियमित किया जा रहा है। चार मुख्य पत्तनों पर वन विज्ञान विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय खोले गये हैं ताकि इन पत्तनों की मार्फत निर्यात किये गये वन्य जीव-जन्तुओं तथा उनके उत्पादों का समुचित रूप से पता लगाने में आसानी हो। जीव-जन्तुओं की संकट-ग्रस्त किस्मों के अनधिकृत निर्यात को रोकने के लिये सभी प्रयास जारी किये जा रहे हैं।

कपड़ों पर गलत और नकली मोहरें लगाने संबन्धी धोखाधड़ी

1437. **श्री आर० के० महालगी :** क्या वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 'चीटिंग इन टेक्सटाइल्स रिगार्डिंग फाल्स एण्ड मिसलीडिंग स्टैम्पिंग इन टैक्सटाइल्स' शीर्षक के अंतर्गत नवम्बर, 1979 की 'कंज्यूमर एण्ड रिटेलर आवधिक प्रत्रिका में प्रकाशित लेख की जानकारी है ;

(ख) क्या लेख में बताई गई (एक) नकली व्यापार चिन्ह (दो) नकली मिश्रण (तीन) नकली व्यापारिक नाम वाली बातें सच हैं ;

(ग) क्या मंत्रालय ने इस प्रकार की धोखाधड़ी को रोकने के लिए अब तक कोई कदम उठाये गये हैं ;

(घ) क्या उपयुक्त कानूनी उपबंधों के अंतर्गत कोई मुकदमा दायर किया गया है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए इस मामले में कोई और कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति और इस्पात तथा खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) लेख में कुछ कपड़ा मिलों द्वारा तैयार किये जाने वाले कपड़ों पर जाली, भ्रामक और झूठे व्यापार चिन्ह तथा व्यापार विवरण देने के कार्य में तेजी आने के बारे में कुछ बातें सामान्य रूप में व्यक्त की गई हैं। सरकार को इन आरोपों की सत्यता अथवा असत्यता की कोई जानकारी नहीं है। लेख में किन्हीं ऐसे विशिष्ट मामलों का उल्लेख नहीं किया गया है, जिनमें किसी विशिष्ट मिल अथवा व्यापारी ने कोई ऐसा कार्य किया हो, परन्तु उसमें उपभोक्ताओं तथा दूसरों का ध्यान कानूनी बचावों की ओर आकर्षित किया गया है। जैसाकि लेख में उल्लेख किया गया है, व्यापार तथा पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम, 1958 में किसी वस्तु पर झूठे व्यापार चिन्ह अथवा विवरण देने से संबंधित अपराधों को रोकने तथा दंड देने के लिये पर्याप्त तथा समुचित उपबंध हैं। अधिनियम में दीवानी तथा फौजदारी दोनों प्रकार के उपायों की व्यवस्था है। व्यापार चिन्ह का मालिक इन उपबंधों का लाभ उठा सकता है और न्यायालय में अपराधी के विरुद्ध मुकदमा चला सकता है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुये, सरकार का इस समय न तो अलग से कोई कारवाई करने का विचार है और न ही इरादा रखती है।

इस्पात उत्पादन पर कोयले की कमी का प्रभाव

1438. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोककर कोयले की कमी है जिसका देश में इस्पात के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं ; और

(ग) कमी पूरी करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जी, हां। अप्रैल, 1979 से फरवरी, 1980 की अवधि में छः सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों

को कोककर कोयले की 150.5 लाख टन की आवश्यकता के मुकाबले में वास्तव में देशीय स्रोतों से केवल 118.4 लाख टन कोककर कोयला प्राप्त हुआ। यह कमी मुख्यतः मानसून अच्छी न होने से हुई। बिजली की अत्याधिक कमी तथा अन्य परिचालनामक समस्याओं के कारण हुई है।

(ग) कोककर कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने तथा इस्पात कारखानों के लिए आवश्यक कोककर कोयले की कमी की पूर्ति के लिए कई कदम उठाए गए हैं। ये हैं :

(क) वर्तमान खानों से कच्चे कोयले का उत्पादन बढ़ाना,

(ख) कोककर कोयले की वर्तमान खानों का पुनः निर्माण करना तथा कोककर कोयले की नई खानें खोलना,

(ग) नई कोयला शोधनशालाओं का निर्माण करना तथा कोककर कोयले की वर्तमान शोधनशालाओं के कार्यकरण में सुधार करना,

(घ) इस्पात कारखानों में इस्तेमाल के लिए कोल इण्डिया लि० द्वारा कोककर कोयले के नये स्रोतों का पता लगाना,

(ङ) दामोदर घाटी निगम की बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि, डीजल से बिजली का उत्पादन करने वाले सैटों की स्थापना आदि करके खानों को बिजली की सप्लाई में वृद्धि करना ताकि बिहार-बंगाल कोयला क्षेत्र में, जो देश में कोककर कोयले के उत्पादन का मुख्य स्रोत हैं, कोयले के उत्पादन में वृद्धि की जा सके, और

(च) कम राख वाला उच्च-ग्रेड का कोककर कोयला आयात करके देशीय उपलब्धि में वृद्धि करना।

रेफ्रीजरेशन उद्योग को उत्पादन शुल्क में राहत

1439. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया एअर कंडीशन एण्ड रेफ्रीजरेशन एसोसिएशन ने सरकार से रेफ्रीजरेशन उद्योग को उत्पादन शुल्क में कमी करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी हां।

(ख) सरकार द्वारा ऑल इण्डिया एअर कंडीशनिंग एण्ड रेफ्रीजरेशन एसोसिएशन की दरख्वास्त की जांच की गयी थी, परन्तु उसे मानना संभव नहीं हो पाया है।

वेतन, आय और मूल्यों के बारे में राष्ट्रीय नीति

1440. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन, आय और मूल्यों के बारे में एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) तथा (ख) वेतन, आय

तथा कीमतों संबंधी राष्ट्रीय नीति के निर्धारण से संबंधित अत्यन्त व्यापक बातों पर विचार करने तथा उनके संबंध में दृष्टिकोण बनाने का नई सरकार को अभी तक अवसर नहीं मिला है।

भारतीय बन्दरों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटाने हेतु बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की ओर से दबाव

1441. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल** : क्या **वाणिज्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां सरकार पर इस आशय का भारी दबाव डाल रहे हैं कि सरकार युद्ध सम्बन्धी परीक्षणों के लिए भारतीय बन्दरों के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा ले; और

(ख) यदि हां, तो बन्दरों को नृशंस आणविक और नेपाम परिक्षणों का शिकार होने से बचाने के लिए इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) जीव-चिकित्सा अनुसंधान प्रयोजनों और पोलियो के टीके बनाने के लिए भारत से भारतीय बन्दरों के निर्यात की अनुमति देने के लिए आयातक देशों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) भारतीय बन्दरों के निर्यात की अनुमति देने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

गुजरात में एक लाख रुपए से कम आयकर देने वाले व्यक्ति

1442. **श्री सोभजीभाई डामोर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में एक लाख रुपए से कम आयकर देने वाले कितने व्यक्ति हैं;

(ख) उन पर देय और ब्याज की अलग-अलग कितनी राशि बकाया है; और

(ग) सरकार ने मूल राशि और ब्याज की अलग-अलग कितनी राशि छोड़ दी है !

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) 31 दिसम्बर 1979 की स्थिति के अनुसार, गुजरात में आयुक्तों के अधिकार क्षेत्र में, वर्ष के दौरान निपटान के लिए, चालू कर-निर्धारण के 1 लाख रु० में कम आय के 4,39,589 मामले थे। ऐसे कर-निर्धारण के मामले कुल मिलाकर कर दाताओं की संख्या के अनुरूप होते हैं।

(ख) अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और उसे एकत्र करने में पर्याप्त समय और श्रम लगेगा। यदि माननीय सदस्य किसी मामले विशेष के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहते हों तो वह एकत्र करके प्रस्तुत की जा सकती है। तथापि, 31-12-79 तक की स्थिति के अनुसार गुजरात आयकर अधिकार-क्षेत्रों में कुल बकाया मांग निम्नानुसार थी :

"बकाया कर"	35.58	करोड़ रु०
जारी की गई परन्तु वसूली के लिए देय नहीं, बनी मांग	25.15	करोड़ रु०

(ग) मांगी गई सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। तथापि, गुजरात में आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों में वर्ष 1978-79 के दौरान कर तथा ब्याज की कुल रकम, जिसे वसूल नहीं होने योग्य रकम के रूप में बट्टे खाते डाला गया, 1.65 करोड़ रु० थी।

ऊनी कपड़ों और ऊनी सिले सिलाये कपड़ों का निर्यात

1443. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान कितने मूल्य के ऊनी कपड़ों और सिले-सिलाये ऊनी कपड़ों का निर्यात किया गया;

(ख) क्या ऊनी उत्पादों के निर्यात में गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार उसका निर्यात बढ़ाने हेतु कुछ सुविधायें दे रही है; और

(ङ) यदि हां, तो दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) 1978-79, अप्रैल-दिसम्बर 1979 और अप्रैल-दिसम्बर, 1978 के दौरान निर्यात दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) तथा (ग) ऊनी परिधानों के निर्यातों के अन्तिम आंकड़े निर्यातों में कुछ गिरावट दर्शाते हैं, दूसरी ओर फैब्रिक्स के निर्यातों में वृद्धि हुई है। फिर भी अन्तिम तस्वीर तभी सामने आयेगी जबकि बाद को प्राप्त होने वाली विवरणियों का हिसाब लगा लिया जाएगा।

(घ) तथा (ङ) ऊन और ऊनी उत्पादों के निर्यातकों को अनेक निर्यात प्रोत्साहन उपलब्ध हैं। जिनमें ये शामिल हैं :

(1) नकद मुआवजा सहायता।

(2) आयात प्रतिपूर्ति।

(3) शुल्क वापसी।

विवरण

ऊनी परिधानों और फैब्रिक्स के निर्यात का तुलनात्मक विवरण।

(कीमत लाख रुपये में)

	1978-79	अप्रैल-दिसम्बर 1979	अप्रैल-दिसम्बर 1978
परिधान :	115.29	76.48	106.27
फ़ैब्रिक्स :	209.77	192.55	157.78
परिधानों और फैब्रिक्स का योग	325.06	269.03	264.05

टिप्पणी : आंकड़े अनन्तिम हैं।

स्रोत : ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद।

अफीम का निर्यात

1444. **श्री डी० पी० जदेजा**
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी
श्री अमर सिंह वी० राठवा } क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों में अफीम का निर्यात कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसका निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, हां। अफीम का निर्यात 1977-78 में 978 मीट्रिक टन से घट कर 1978-79 में 852 मीट्रिक टन हो गया है।

(ख) निर्यात में हुई कमी का मुख्य कारण यह है कि कुछ अन्य देशों में उत्पादित पोस्त और उसके सांद्रण से होड़ बढ़ गई है।

(ग) सरकार ने, खरीदारों को, उनके द्वारा खरीदी गई अतिरिक्त मात्रा पर, अफीम के निर्यात-मूल्य में प्रोत्साहन के रूप में छूट दी है।

उड़ीसा की तेल, कोयला, साफ्ट कोक, सीमेंट आदि के बारे में मांग

1445. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वाणिज्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को तेल, कोयला, साफ्ट कोक, सीमेंट और खाद्य तेल के बारे में उड़ीसा की आवश्यकता की जानकारी है और क्या इसे गत एक वर्ष के दौरान किये गये वास्तविक नियतन पर्याप्त नहीं थे; और

(ख) यदि हां; तो क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य की सप्लाई किया गया गेहूं खराब किस्म का है और वह मानव-उपभोग के लिए अनुपयुक्त था ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) उड़ीसा की राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार मिट्टी के तेल, डीजल, कोयले, साफ्ट कोक और सीमेंट के वास्तविक आबंटन मांग को पूरा करने के लिए काफी नहीं रहे हैं। जहां तक खाद्य तेल का संबंध है, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को उचित दर की दुकानों के जरिये वितरण हेतु केवल आयातित खाद्य तेल ही सप्लाई करती है। चालू वर्ष 1979-80 में उड़ीसा सरकार से मिले अनुरोध पर उड़ीसा को 500 मीटरी टन परिष्कृत रेपसीड तेल और 30 मीटरी टन आ० बी० डी० ताड़ के तेल का आबंटन किया गया था। इसमें से आज तक राज्य सरकार ने केवल 20 मीटरी टन आर० बी० डी० ताड़ का तेल उठाया है। जबकि रेपसीड तेल के भेजने की व्यवस्था की जा चुकी है।

(ख) राज्य या केन्द्र सरकार को ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कुछ मौकों पर रोलर आटा चक्कियों को खराब किस्म का गेहूं सप्लाई करने की शिकायतें मिली थीं और भारतीय खाद्य निगम से खराब स्टाक बदलने और भविष्य में अच्छी किस्म के स्टाक की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था।

बैंक ऑफ इण्डिया और औद्योगिक विकास बैंक द्वारा कोहिनूर मिल्स को दिया गया ऋण

1446. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा दिये गये ऋण के अतिरिक्त कोहिनूर मिल्स, बम्बई को बैंक ऑफ इण्डिया और औद्योगिक विकास बैंक ने भी ऋण दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि के ऋण दिये गये और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोहिनूर मिल्स को ऋण सुविधाओं संबंधी एक सदस्यीय जांच समिति के निष्कर्ष के बाद अनुवर्ती कार्यवाही इस बीच पूरी कर ली गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा यह कार्यवाही कब तक पूरी होने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) हालांकि बैंक ऑफ इण्डिया ने कोहिनूर मिल्स की कोई सहायता मंजूर नहीं की है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सहित अखिल भारतीय सावधिक ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं ने इस मिल के आधुनिकीकरण एवं पुर्नवास कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए 4 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया है।

(ग) अनुवर्ती कार्रवाईयां पूरी की जा चुकी हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

निर्धनों में बांटने हेतु विदेशी कपड़ों का आयात

1447. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐसे मामले सरकार के ध्यान में आये हैं कि निर्धनों में मुफ्त वितरण के बहाने विदेशों से मंहगे विदेशी कपड़े विशेषकर सिले-सिलाये वस्त्रों का आयात किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऐसे आयात पर रोक लगाने के लिए तथा दोषी सीमा शुल्क अधिकारियों को दण्ड देने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) सीमा शुल्क समाहर्ता, मद्रास, ने बताया है कि गरीब और जरूरतमंद लोगों में मुफ्त वितरण के प्रयोजनार्थ विदेश स्थित दानकर्ताओं से उपहारस्वरूप प्राप्त हुए पहनने के कपड़ों के मामले में सीमा शुल्क से दी गई छूट के दुरुपयोग किये जाने के कुछ मामले जानकारी में आए हैं। इस प्रकार के मामलों में, जिनमें वर्ष 1978-79 के दौरान लगभग 12 लाख रुपये की कीमत के तथा वर्ष 1979-80 के

दौरान लगभग 6 लाख रुपये की कीमत के विदेशी कपड़े ग्रस्त थे, संगत कानूनी उपबन्धों के अधीन समुचित कार्यवाही की गई थी।

(ग) वास्तविक उपहारों के सम्बन्ध में शुल्क रियायत के मामले में कोई बाधा डाले बिना, शुल्क रियायत के दुरुपयोग को रोकने की दृष्टि से संबंधित अधिसूचना में उपयुक्त संशोधन करके अतिरिक्त रक्षोपायों की व्यवस्था की गई है। उदाहरणार्थ, भारत स्थित अलग-अलग व्यक्तियों को भेजे जाने वाले उपहारों को इस छूट के दायरे से अलग रखा गया है। शुल्क रियायत के मामले में आशयित उपहारों की पात्रता नियत करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शी सिद्धान्तों का सम्बन्धित अधिसूचना में समुचित रूप से उल्लेख किया गया है, जिनमें ये पहलू शामिल हैं, जैसे आयातकर्ता संगठन के कार्यकलाप और उसकी सदाशयता, उसका कार्यक्षेत्र, उसके वित्तीय साधन, दानकर्ता संगठन की हैसियत, जिन लोगों में आयातित माल का वितरण किया जाना हो, उनका पहनावा तथा जिस क्षेत्र में उक्त माल वितरित किया जाना हो, उस क्षेत्र की जलवायु।

शुल्क मुक्त रियायत के दुरुपयोग के इन मामलों में सीमा शुल्क विभाग के किसी अधिकारी के अर्न्तग्रस्त होने का कोई मामल जानकारी में नहीं आया है।

भारत में जीवन बीमा की लोकप्रियता

1448. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में जीविकोपार्जन करने वाली जनता के एक बड़े भाग को जीवन बीमा के बारे में कुछ पता नहीं है और जीविकोपार्जन करने वाले 75 प्रतिशत से अधिक लोग जीवन बीमा के बारे में अनभिज्ञ हैं और शहरी लोगों की संख्या गांवों के रहने वाले लोगों से कम है ;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (ग) राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन० सी० ए० ई० आर०) ने "एटिट्यूड्स टुवर्ड्स लाइफ इंश्योरेंस कवर" शीर्ष से दिसम्बर 1979 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि :

(i) 75 प्रतिशत से अधिक जीविकोपार्जन बीमे से कवच से अनभिज्ञ थे यह अनभिज्ञता शहरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम थी जहां 50 प्रतिशत से अधिक लोगों को इसकी जानकारी थी।

(ii) बीमा सम्बन्धी जानकारी परिवारों की आय के स्तर के अनुसार अलग-अलग थी सबसे निचले स्तर पर केवल 8.3 प्रतिशत जीविकोपार्जकों को इसकी जानकारी थी जबकि 30000 रुपए से अधिक आय वाले परिवारों में 80 प्रतिशत से अधिक लोगों को इसका पता था।

उपर्युक्त निष्कर्ष देश के कुल मिलाकर लगभग 10 करोड़ परिवारों में से केवल 5,125 परिवारों के एक छोटे से नमूने के आधार पर निकाला गया है। दूसरी ओर, जीवन बीमा निगम

द्वारा 1350 जीविकोपार्जकों के नमूने के आधार पर, 1979 में किए गए एक अन्य अध्ययन से पता चला कि उनमें से 93 प्रतिशत को जीवन बीमा के सम्बन्ध में पहले से ही जानकारी थी। इन दोनों अध्ययनों में नमूनों की कम संख्या को देखते हुए, यह कहना कठिन है कि उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को समस्त जनसंख्या पर लागू करना कहां तक सही हो सकता है।

नकारात्मक वृद्धि दर

1449. **श्रीमती मोहसिना किदवई**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही
श्री रामावतार शास्त्री
श्री सुभाषचन्द्र बोष अल्लूरी } क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद ने इस वित्तिय वर्ष के दौरान उसे 4 प्रतिशत तक नकारात्मक वृद्धि दर होने का अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी स्थिति के क्या कारण हैं ; और

(ग) वृद्धि दर के इस प्रकार बहुत पीछे रह जाने की स्थिति से उबारने और उसे पुनः वृद्धि के रास्ते लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी हां। राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने, अपनी त्रैमासिक पत्रिका "मार्जिन" (जनवरी, 1980) के अंक में अनुमान व्यक्त किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में "वर्ष 1979-80 में वास्तविक रूप में 3-4 प्रतिशत की कमी अथवा ऋणात्मक वृद्धि दर" उत्पन्न हो सकती है।

(ख) वर्ष 1979-80 में अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर में सम्भावित कमी के मुख्य कारण ये थे, अर्थात भयंकर सूखे के फलस्वरूप कृषि के उत्पादन में होने वाली कमी और विद्युत की कमी, परिवहन की बाधाओं और बिगड़े हुए औद्योगिक सम्बन्धों के कारण औद्योगिक उत्पादन में लगभग गतिरोध।

(ग) नई सरकार ने कोयला, विद्युत, पत्तनों तथा रेलवे जैसे अत्यधिक महत्वपूर्ण आधारभूत क्षेत्रों के संचालन में सुधार करने के लिए बाकायदा प्रयास शुरू कर दिये हैं। औद्योगिक आधारभूत व्यवस्था सम्बन्धी एक मंत्रि-मण्डलीय समिति ने इन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के संचालन में सुधार करने के उद्देश्य में कुछ एक अल्पावधिक निश्चित सुझाए हैं। तापीय बिजली घरों को कोयले की सप्लाई करने के प्रबन्धों को ठीक कर दिया गया है और रेलवे अपने कार्य की और ज्यादा गति तथा कुशलता से पूरा करने के लिए सन्नद्ध हो रही है। डीजल और सीमेन्ट की कमी को इन वस्तुओं का ज्यादा आयात करके पूरा किया जा रहा है। दीर्घावधिक हल के लिए, योजना आयोग को पुनर्गठित किया जा रहा है ताकि एक नई योजना तैयार हो सके और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए नई नीति निर्धारित की जा सके।

औषधीय पौधों के निर्यात में कमी

1450. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण कोरिया ने औषधीय पौधों के विश्व के प्रमुख निर्यातक के रूप में भारत का महत्वपूर्ण स्थान ले लिया है ;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) औषधीय पौधों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) 1976 तक भारत औषधीय पौधों का प्रमुख निर्यातक था। उस समय भारत के निर्यात 21.4 मिलियन अमरीकी डालर के थे जबकि दक्षिण कोरिया के निर्यात 22 मिलियन अमरीकी डालर के थे। दक्षिण कोरिया से निर्यात की प्रमुख मद जेनशेन है जिसका निर्यात 1978 के दौरान 75 करोड़ रु० का हुआ था जबकि 1978-79 के दौरान भारत के औषधीय पौधों के कुल निर्यात लगभग 17 करोड़ रु० के हुए थे।

(ग) मूल रसायन, भेषजीय तथा सौंदर्य प्रसाधन निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई, औषधीय पौधों तथा पादप रसायनों के सम्बन्ध में अध्ययन दौरा कर रही है और इस सम्बन्ध में प्रारंभिक गोष्ठी पहले ही आयोजित की जा चुकी है। 1980 में किसी समय औषधीय पौधों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी भी आयोजित करने का प्रस्ताव है जिसमें औषधीय पौधों के प्रमुख प्रयोक्ताओं को आमंत्रित किया जायेगा।

अखिल भारतीय बुनकर महासंघ का ज्ञापन

1451. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वाणिज्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि उन्हें अखिल भारतीय बुनकर महासंघ की ओर से एक ज्ञापन भेजा गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी हां।

(ख) अखिल भारतीय बुनकर महासंघ ने अपने ज्ञापन में बताया है कि नाइजीरिया द्वारा 1-4-1976 से असली मद्रासी रूमालों के आयातों पर प्रतिबन्ध लगाने से दो लाख बुनकरों पर प्रभाव पड़ा है। अतः परिसंघ ने सुझाव दिया है कि नाइजीरिया सरकार के साथ तेल के जिसका उत्पादन नाइजीरिया में होता है, आयातों के बदले में असली मद्रासी रूमालों के निर्यातों के लिए वस्तु विनिमय के लिए बातचीत की जा सकती है।

(ग) अभ्यावेदन पर मंत्रालय में विचार किया जा रहा है।

केरल की ऊंची पर्वतमाला का पर्यटन की दृष्टि से विकास

1452. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल की ऊंची पर्वतमाला के प्राकृतिक सौन्दर्य का लाभ उठाने की सम्भावना का पता लगाया है ;

(ख) क्या केरल सरकार ने इस दिशा में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मन्त्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) से (घ) केरल की ऊंची पर्वतमाला का पर्यटन की दृष्टि से विकास करने के लिए केरल सरकार से कोई प्रस्ताव पास नहीं हुए हैं । तथापि, पेरियार वन्य जोव विहार स्थल पर जो ऊंची पर्वतमाला पर स्थित है, सुविधाएं जुटाने के लिए केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत निम्नलिखित स्कीमें प्रारम्भ की गयीं :—

(i) थेक्कड़ी स्थित विश्राम गृह का सुधार ;

(ii) थेक्कड़ी में अरण्य निवास होटल का विस्तार ;

(iii) पेरियार झील में वन्य जीवन के अवलोकन के लिए क्रूजिंग हेतु मोटर लॉचों की व्यवस्था ; और

(iv) थेक्कड़ी में एक जेटी का निर्माण ।

आर्थिक अपराधियों से निबटने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन

1453. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक अपराधियों के साथ सख्ती से निपटने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

स्वर्ण-नीति में परिवर्तन

1454. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्ण-नीति के परिवर्तन के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) तथा (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में स्वर्ण-नीति की सभी पहलुओं से समीक्षा करने के लिये गठित समिति की रिपोर्ट सरकार को मिल गयी है और इसकी जांच की जा रही है। सोने की फिर से बिक्री करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।

बोकारो इस्पात संयंत्र का विस्तार

1455. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या बोकारों इस्पात संयंत्र के विस्तार में बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या इस हेतु किसी बाह्य देश से कोई सहायता मांगी गई है, ; और

(घ) यदि हां तो उस देश का नाम क्या है औक मांगी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री प्रणब मुकर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) बोकारो इस्पात कारखाने का 17 लाख टन से 40 लाख टन तक विस्तार करने का कार्य पहले ही चल रहा है। इसका 40 लाख टन से 47.5 लाख टन तक आगे विस्तार करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस अलावा इसकी क्षमता को आगे 55 लाख टन तक बढ़ाने के लिए एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भी तैयार किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नमक झील क्षेत्र में निर्बाध व्यापार क्षेत्र के बारे में व्यापार विकास प्राधिकरण का व्यवहारिकता प्रतिवेदन

1456. **श्री मुकुद मंडल** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार विकास प्राधिकरण ने नमक झील क्षेत्र, कलकत्ता में निर्बाध व्यापार क्षेत्र के बारे में कोई व्यवहारिकता प्रतिवेदन तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस प्रतिवेदन के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और नागरिक पूर्ति तथा खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) 1975 में जो रिपोर्ट तैयार की गई थी उसमें बहु उत्पाद क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव था। इस क्षेत्र में विनिर्माण के लिए चुने गए उत्पाद ये थे : स्टेनलैस स्टील कटलरी, छोटे

बल्ब, इंटेग्रेटिड सर्किट, सिलेसिलाए परिधान, फाइबर ग्लास लगज़री यॉट, नकली जवाहरात, बिजली के घरेलू उपकरण, इलैक्ट्रोलाइटिक कैपसिटर्स, प्लास्टिक फिल्म कैपसिटर्स, वैज्ञानिक यन्त्र, पी. वी. सी. लैदर क्लाथ सीट तथा लैमीनेट्स, ऊनी निटवीयर तथा संशिलिष्ट निटवीयर ।

(ग) भारत सरकार ने मई-जून, 1976 में एक सामान्य निर्णय लिया था कि देश में और आगे किसी निर्वाध व्यापार क्षेत्र की स्थापना न की जाए और इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए कलकत्ता स्थित साल्ट लेक क्षेत्र में निर्वाध व्यापार क्षेत्र बनाने की प्रस्थापना को स्वीकार नहीं किया गया। इस सामान्य निर्णय में संशोधन करने के लिए फिलहाल कोई प्रस्तावना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

कृषि आय कर

1457. **डा० वसन्त कुमार पण्डित :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी राज्य सरकारों को यह आदेश दिये हैं कि धनी किसानों और भूस्वामियों से नये संसाधन जुटाने के लिये एक समान कृषि आय कर लगाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (ग) प्रत्यक्ष कर विधि समिति (चौकसी समिति) ने सुझाव दिया है कि ऐसे राज्यों में जिनमें वर्तमान में कृषि आय के कराधान के लिए कोई कानून नहीं है उन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार के विधान को लागू करने के लिए सलाह दी जानी चाहिए और यह भी कि विधान की पद्धति जहां तक सम्भव हो सभी राज्यों में समान हो। इससे पहले कि राज्यों को सलाह दी जाए सुझाव के लक्ष्यार्थों पर सावधानी पूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है।

रीसस बन्दरों के निर्यात पर रोक हटाने के लिए अमरीकी सरकार का अनुरोध

1458. **डा० वसन्त कुमार पण्डित :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार अथवा अमरीकी औषध उद्योग ने औषध उद्योग के अनुसन्धान में काम आने वाले रीसस बन्दरों के निर्यात पर लगी रोक को हटाने के लिये सरकार से कोई अनुरोध किया है ;

(ख) वर्ष 1974, 1975, 1976 और 1977 के दौरान कितने बन्दरों का निर्यात किया गया और उपरोक्त प्रत्येक वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ; और

(ग) क्या सरकार बन्दरों के निर्यात पर रोक हटाने पर सहमत हो गई है, यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जिआउर रहमान अंसारी) : (क) जी हां । अमरीकी औसत उद्योग ने रोक हटाने के लिए सरकार से अनुरोध कियाहै।

(ख) निर्यात आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	मात्रा (संख्या में)	मूल्य (लाख रु० में)
1974-75	29078	34
1975-76	27906	50
1976-77	20267	85
1977-78	18224	81

(ग) जी नहीं।

अनुसूचित और वाणिज्यिक बैंको के कार्यकारी दलों की सिफारिश

1459. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने कृषकों और लघु उद्योगों को ऋण सुविधाएं देने, रोजगार में वृद्धि करने और विभिन्न ब्याज दर योजनाओं को लागू करने के सम्बन्ध में विभिन्न कार्यकारी दलों की सिफारिशों को क्रियान्विति के बारे में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सभी अनुसूचित और वाणिज्यिक बैंकों से कहा है ; और

(ख) प्रतिवेदनों के क्या निष्कर्ष हैं और सरकार ने इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे वर्ष, 1978 में स्थापित किए गये कृषि ऋण, विभेदी ब्याज दर योजना, रोजगार संवर्धन में बैंकों की भूमिका, छोटे पैमाने के उद्योग और बीमार एककों की समस्या विषयक पांच कार्यकारी दलों की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति के बारे में तिमाही आधार पर गुणात्मक और परिणात्मक मूल्यांकन की रिपोर्ट दें।

इन रिपोर्टों से यह पता चलता है कि कुल मिलाकर इन सिफारिशों के कार्यान्वयन में सन्तोषजनक प्रगति हो रही है। किसानों, कारीगरों, शिल्लियों, कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगों के सम्बन्ध में ऋण सुविधा में सुधार करने और ऋण के लिए आवेदन-पत्रों को तेजी से निपटाने के उद्देश्य से फार्मों और ऋण प्रदान करने की कार्य प्रणाली को सरल बनाने के वास्ते जारी की गयी हिदायतों के बारे में सूचना देने के अलावा बैंकों ने विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को अधिक ऋण दिये जाने की भी सूचना दी है। इस प्रकार, सितम्बर, 1979 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिये गये अग्रिमों की राशि उनके द्वारा दिये गये कुल ऋणों का 33.5 प्रतिशत बैठती थी जिसमें से कृषि के लिए ऋण राशि कुल ऋण का 14.8 प्रतिशत थी जबकि दिसम्बर, 1978 में यह राशि 13.3 प्रतिशत थी। इस अवधि में, विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत दिये गए अग्रिमों का अनुपात 0.62 प्रतिशत से बढ़कर 0.83 प्रतिशत हो गया है। इस

नोजना के अन्तर्गत दिये गये अग्रिमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों का हिस्सा 40.5 प्रतिशत था। रोजगार संवर्धन के क्षेत्र में भी बैंकों ने प्रतिमास प्रति शाखा के आधार पर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के छः अतिरिक्त ऋणकर्ताओं के वित्तपोषण की सूचना दी है जबकि निर्धारित लक्ष्य कम से कम दो ऋणकर्ता का था।

रिजर्व बैंक सभी बैंकों से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा करता है और कार्यकारी दलों की सिफारिशों के गुणात्मक और परिणात्मक कार्यान्वयन के सम्बन्ध में बैंकों के साथ अनुवर्ती कार्यवाही करता है।

रुई का निर्यात

1460. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रुई के निर्यात के समूचे प्रश्न पर पुनर्विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा और कारण क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) सरकार के 1980 के दौरान अधिक लम्बे स्टेपल वाली किस्मों को छोड़कर स्टेपल रुई की 50,000 गांठें निर्यात करने की अनुमति दी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हथकरघा को उत्पादन शुल्क में छूट

1461. **श्री छीतूभाई गामित :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें हैं कि हथकरघा को शुल्क से दी गई छूट का बहुत बार दुरुपयोग किया गया है जिसके परिणामस्वरूप असंतोष है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मिल मालिकों से हथकरघा विद्युतचालित करघा उद्योग को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कराने के लिये सरकार का प्रस्ताव उत्पादन शुल्क ढांचे को औचित्यपूर्ण बनाने का है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) हाल ही में, इंडियन टेक्सटाइल प्रोसेसर्ज एसोसिएशन, बम्बई से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि शक्ति की सहायता के बिना प्रक्रियागत केन्द्रकों को दी गई उत्पादन शुल्क रियायत का लाभ ऐसे निर्माताओं द्वारा उठाया जा रहा है, जो मशीनों की सहायता से किन्तु शक्ति की सहायता के बिना फैब्रिकों की प्रक्रिया करते हैं। उसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी अनुरोध किया गया है कि निर्माताओं द्वारा मशीनों की सहायता से किन्तु शक्ति की सहायता के बिना प्रक्रियागत फैब्रिकों पर शुल्क मूल्यानुसार 6 प्रतिशत की दर से आयात किया जाना चाहिए।

(ख) सूती फैब्रिकों को लागू उत्पादन शुल्क के ढांचे में कोई परिवर्तन करने के बारे में कोई भी प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

गुजरात में एक लाख रुपये से अधिक आयकर देने वाले व्यक्ति

1462. **श्री सोमजीभाई डामोर :** क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में एक लाख रुपये से अधिक आयकर देने वाले कितने व्यक्ति हैं ;

(ख) उन पर देय और ब्याज की अलग-अलग कितनी राशि बकाया है ; और

(ग) सरकार ने देय राशि और ब्याज की अलग-अलग कितनी राशि छोड़ दी है और उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) 31 दिसम्बर 1979 की स्थिति के अनुसार, गुजरात में आयकर आयुक्तों के अधिकार-क्षेत्रों में वर्ष के दौरान निपटान के लिये 1 लाख रुपये से अधिक की आय के चालू कर निर्धारण से सम्बन्धित 3976 मामले थे। कर-निर्धारण के इस प्रकार के मामले कुल मिलाकर कर-दाताओं की संख्या के अनुरूप हैं।

(ख) अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और इस तरह की सूचना एकत्र करने में पर्याप्त समय और श्रम लगेगा। यदि माननीय सदस्य किसी मामले विशेष के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहते हों तो वह एकत्र करके भेजी जा सकती है। तथापि, 31 दिसम्बर 1979 की स्थिति के अनुसार गुजरात स्थित अधिकार-क्षेत्रों में कुल बकाया मांग निम्न प्रकार थीं :

बकाया कर	35.58 करोड़ रुपये
जारी की गई परन्तु	25.15 करोड़ रुपये
वसूली के लिये देय नहीं	
बनी मांगें	

(ग) मांगी गई सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। तथाति, गुजरात के आयकर आयुक्तों के अधिकार-क्षेत्रों में वर्ष 1978-79 के दौरान आयकर तथा ब्याज की कुल रकम, जो ऐसे बहुत से कारणों से जिनमें से कुछ कारण नीचे दिए गये हैं, वसूल नहीं हो सकने योग्य रकम के रूप में बट्टे खाते के रूप में डाली गई 1.65 करोड़ रुपये थी :—

1. निर्धारितियों का निधन हो गया और उन्होंने अपने पीछे कोई परिसम्पत्ति नहीं छोड़ी ;
2. निर्धारिती कम्पनियों का परिसमापन हो गया ;
3. निर्धारिती जीवित हैं परन्तु उनका अभिग्रहण योग्य कोई परिसम्पत्ति नहीं है ;
4. निर्धारितियों को पता नहीं लग सका है ;
5. निर्धारिती देश छोड़ कर चले गए हैं और कोई परिसम्पत्ति नहीं छोड़ गए हैं ;
6. निर्धारितियों के साथ समझौता हो जाने से बट्टे खाते डाल दी गव है ; और
7. छोटी रकम होना आदि।

दूरस्थ क्षेत्रों में सुपर बाजार खोलने का प्रस्ताव

1463. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरस्थ क्षेत्रों में रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुएं आसानी से उपलब्ध कराने के लिए उन क्षेत्रों में सुपर बाजार खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या कुछ राज्यों में इस तरह के सुपर बाजार वहां के दूरस्थ क्षेत्रों में काम कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने राज्य हैं और उनके नाम क्या हैं ?

वाणिज्य और इस्पात खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी नहीं । सहकारी सुपर बाजार खोलने की योजना शहरी तथा अर्द्धशहरी इलाकों तक ही सीमित है । ग्रामीण तथा दूरस्थ इलाकों में उपभोग्य वस्तुओं के वितरण के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने हेतु प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को सहायता देने की एक अलग योजना है ।

(ख) व (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कुछ हवाई अड्डों का विकास

1465. **श्री तारिक अनवर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ हवाई अड्डों के विकास में विलम्ब हो रहा है, जिसके परिणाम-स्वरूप लागत में वृद्धि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार ने क्या उपाय किए हैं/करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) रेल वेगनों तथा कार्यस्थल पर सामान लाने ले जाने के लिए डीजल के उपलब्ध न होने, सीमेंट, लोहे तथा डामर की अपर्याप्त सप्लाई तथा कुछ कार्यों का ठेका आदि देने में नियमगत औपचारिकताओं के पूरा करने आदि जैसे विभिन्न कारणों की वजह से वर्ष 1979-80 के दौरान प्लान परियोजनाओं के निष्पादन की प्रगति धीमी रही है । जहां तक संचार व्यवस्था, रेडियो दिक्चालन, दार्शिक उप-करणों (विज़अल एड्स) तथा सुरक्षा सेवा उपस्कर के विकास का सम्बन्ध है, इसकी धीमी प्रगति का मुख्य कारण खरीद प्रक्रिया पर लगने वाला समय है, जिसके अनुसार सामान प्राप्त करने से पहले सरकार की विभिन्न एजेन्सियों से परामर्श लेने की आवश्यकता होती है । सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों जैसे देशीय स्रोतों से स्टोर खरीदने के मामले में उपकरणों के विकास तथा अपेक्षित संख्या में डिलि-वरी में कुछ समय लग जाता है, क्योंकि कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है इसलिए इन कारणों से कभी-कभी कुल लागत में भी वृद्धि हो जाती है ।

विमान क्षेत्रों पर निर्माण कार्यों की प्रगति के पुनरीक्षण तथा अड़चनों को दूर करने के उपाय करने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ समय-समय पर उच्च स्तरीय बैठकें की

जाती हैं। सामान के प्राप्त करने में शीघ्रता लाने की दृष्टि से समय-समय पर ऐसी ही बैठकें मुहैया करने वाली एजेन्सियों तथा सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों के साथ भी की जाती है।

राज्यों में बैंकों की जमा राशि और ऋण के बीच अनुपात

1466. **श्री चित्त बसु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 और 1979-80 में विभिन्न राज्यों में बैंकों की जमा राशि और ऋण के बीच क्या अनुपात था ;

(ख) क्या इस बारे में राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित हैं ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों का कठोरता से पालन किया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) दिसम्बर 1977 और दिसम्बर 1978 के अन्त की स्थितियों के अनुसार जमा राशियों और ऋणों तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जमा अनुपात के बारे में उपलब्ध राज्यवार आंकड़े विवरण में दिये गए हैं।

(ख) से (ङ) बैंक ऋण की मात्रा और उसका क्षेत्रीय वितरण अनेक बातों पर निर्भर होता है जिनमें कृषि, छोटे पैमाने के उद्योग और अन्य क्षेत्रों में, अर्थक्षम योजनाएं तैयार करने की पर्याप्त व्यवस्था, मध्यम और बड़े उद्योग तथा व्यापार संगठित क्षेत्रों में कार्यकलाप के स्तर और बिजली, परिवहन संचार और सिंचाई आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता शामिल है ; सन्तुलित आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करने की राष्ट्रीय नीति के अनुसरण में सरकारी क्षेत्र के बैंक, राज्य सरकारों और उनसे सम्बन्धित निकायों की प्रतिभूतियों में अधिक निवेश करके तथा अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्रों में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋणों के मामले में अधिक महत्त्व देकर अपने संसाधनों का सन्तुलित वितरण करने का प्रयास करते हैं।

विवरण

(करोड़ रु० में)

क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जमाएं		ऋण		ऋण : जमा अनुपात (प्रतिशत)	
	1977	1978	1977	1978	1977	1978
1	2	3	4	5	6	7
1. उत्तरी क्षेत्र :	4348.29	5610.04	4024.35	4782.47	92.6	85.2
1. हरियाणा	343.77	427.10	211.39	296.20	61.5	69.4
2. हिमाचल प्रदेश	105.51	139.91	25.73	37.75	24.4	27.0
3. जम्मू एवं कश्मीर	182.98	278.58	52.29	94.96	28.6	30.5
4. पंजाब	1010.72	1279.76	427.62	586.45	42.3	45.8
5. राजस्थान	440.31	569.04	273.07	348.32	62.0	61.8

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6. चण्डीगढ़	143.20	193.63	406.29	398.50	283.7	205.8
7. दिल्ली	2121.80	2727.02	2627.96	3030.29	123.9	111.1
2. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र:	276.56	347.88	111.76	141.17	40.4	40.6
1. असम	207.43	256.65	94.41	115.77	45.5	45.1
2. मणीपुर	7.10	9.81	3.39	4.19	47.7	42.7
3. मेघालय	26.76	34.36	4.98	6.31	18.7	18.4
4. नागालैंड	8.96	12.44	2.31	3.62	25.8	29.1
5. सिक्किम	3.44	3.40	0.11	0.14	3.2	4.1
6. त्रिपुरा	16.97	21.50	6.12	9.90	36.1	46.0
7. अरुणाचल प्रदेश	3.72	5.74	0.30	0.65	8.1	11.3
8. मिजोरम	2.24	4.07	0.14	0.59	6.2	14.5
3. पूर्वी क्षेत्र :	3612.36	4485.20	2211.10	2664.51	61.2	59.4
1. बिहार	877.66	1067.60	346.25	455.26	39.5	42.6
2. उड़ीसा	201.04	263.62	115.62	153.56	57.5	58.3
3. पश्चिमी बंगाल	2529.39	3148.30	1748.40	2054.32	69.1	65.3
4. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	4.27	5.68	0.83	1.37	19.4	24.1
4. केन्द्रीय क्षेत्र :	2526.44	3174.94	1179.49	1511.86	46.7	47.6
1. मध्य प्रदेश	634.74	791.64	347.62	431.12	54.8	54.5
2. उत्तर प्रदेश	1891.70	2383.30	831.87	1080.74	44.0	45.3
5. पश्चिमी क्षेत्र :	6121.97	7389.06	4257.49	5124.78	69.5	69.4
1. गुजरात	1524.30	1882.04	824.31	1027.66	54.1	54.6
2. महाराष्ट्र	4413.94	5284.80	3359.15	3998.45	76.1	75.7
3. गोवा, दमन और दयू	183.23	216.36	73.45	98.03	40.1	45.3
4. दादर और नागर हवेली	0.50	0.86	0.68	0.64	116.0	74.4
6. दक्षिणी क्षेत्र :	4329.46	5507.35	3519.38	4346.19	81.3	78.9
1. आन्ध्र प्रदेश	993.81	1279.13	720.62	951.57	72.5	74.4
2. कर्नाटक	1117.70	1341.26	932.48	1091.27	83.4	81.4
3. केरल	760.52	1042.22	466.11	655.33	61.3	62.9

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4. तमिलनाडु	1426.30	1806.12	1379.56	1624.17	96.7	89.9
5. पांडचेरी	29.00	37.73	20.55	23.78	70.9	63.0
6. लक्षद्वीप	1.13	0.89	0.06	0.07	5.3	7.9
अखिल भारतीय	21214.08	26509.47	15303.57	18570.98	72.1	70.1

(1) यह आँकड़े, दिसम्बर, 1977 एवं 1978 के अन्तिम शुक्रवार के बारे में हैं।

(2) 1978 के आँकड़े अनन्तिम हैं।

एयर इण्डिया और इन्डियन एयरलाइन्स के लिग संयुक्त चेयरमैन

1467. **श्री चित्त बसु :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स के लिए संयुक्त चेयरमैन रखने की प्रथा के बारे में निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री जे० बी० पट्टनायक) : (क) और (ख) सरकार ने इण्डियन एयरलाइन्स के भावी सगठन के बारे में निर्णय ले लिया है और एक अध्यक्ष-व-प्रबन्ध निदेशक ने पहले ही कार्यभार सम्भाल लिया है। जहां तक एयर इण्डिया का सम्बन्ध है, प्रस्तावों पर अलग से विचार किया जा रहा है।

ज्यूरिख तथा अन्य पश्चिम यूरोपीय धन-मण्डियों में भारतीय रुपयों की खरीद के लिये छीना-झपटी

1468. **श्री चित्त बसु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पिछले चुनावों के पहले, ज्यूरिख तथा अन्य पश्चिम यूरोपिय धन-मण्डियों में भारतीय रुपयों की खरीद के लिये बड़ी छीना-झपटी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या रहा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (ग) सरकार को जुलाई/अगस्त 1979 में कुछ सामान्य सूचनाएं मिली थीं कि दुबई में भारतीय मुद्रा की बड़े पैमाने पर खरीदारी चल रही है, जिसे सीधे अथवा वहरीन के रास्ते से स्विट्जरलैण्ड/ज्यूरिख भेजा जा रहा है। इन सूचनाओं की अन्य स्रोतों से पुष्टि नहीं हो सकी। फिर भी उपयुक्त आवश्यक कार्यवाही करने के लिये, सरकार की सम्बन्धित एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया था।

"एस्टैन्ड मल्टी करोर्स फ्राँड" शीर्षक से समाचार

1469. **श्री के० लकप्पा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या उनका ध्यान 17 नवम्बर 1979 के साप्ताहिक 'ब्लिट्ज़' में "एस्टैन्ड मल्टी-करोर्स स्टील फ्रांड" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सीमा शुल्क विभाग ने ऐसे 16500 स्टेनलेस स्टील ड्रमों को जब्त किया है जिनमें कम्पनी ने मलेशिया और सिंगापुर से आर० ई० डी० खजूर का तेल आयात किया था ; और

(ग) यदि हां, तो मामले के पूरे तथ्य क्या हैं और उसमें क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रायल में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (ख) जी हां, मेरठ के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क अधिकारियों ने 18 अगस्त, 1979 तथा 20 अगस्त, 1979 के बीच मैसर्स जैन शुद्ध वनस्पति प्राइवेट लिमिटेड, गाजियाबाद के परिसर से और अन्य संबन्ध परिसरों से स्टेनलैस स्टील के 15,674 ड्रम और वैसे ही ड्रमों से बनी स्टेनलैस स्टील की 2,721 चद्दरें पकड़ी थीं। इस मामले में की गई जांच से पता चला है कि इस फर्म ने सिंगापुर से अनेक खेपों में आयात किये गये आर० बी० डी० पाम तेल के लिए, आधानों के रुप में ऐसे 19,590 ड्रमों का आयात किया था। इन आधानों को चूंकि आयातित आर० वी० डी० पाम तेल के लिए सामान्य व्यापारिक पैकिंग के रूप में नहीं माना जा सकता था, इसलिए वे सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अन्तर्गत कार्यवाही के योग्य थे।

यह रिपोर्ट मिली है कि इस मामले में सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत न्याय-निर्णय की कार्यवाही सीमाशुल्क समाहर्ता, बम्बई द्वारा पहले ही शुरु की जा चुकी है किन्तु, फर्म ने दिल्ली उच्च न्यायालय में 11 फरवरी 1980 को एक रिट याचिका दायर करके सरकार को इस मामले में आगे कार्यवाही करने से रोकने संबंधी एक अन्तरिम स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है।

उड़ीसा में फ्रांसीसी सहयोग से एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना

1470. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में फ्रांसीसी सहयोग से एक बड़ा एल्यूमिनियम संयंत्र स्थापित किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो उक्त संयंत्र की क्षमता क्या होगी और उसमें कितना पूंजी निवेश किए जाने का अनुमान है ;

(ग) क्या संयंत्र के लिए स्थान के बारे में निर्णय कर लिया होगा ; और

(घ) उक्त संयंत्र पर कार्य कब तक आरम्भ हो जाएगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) उड़ीसा में एल्यूमिना/एल्यूमिनियम कम्पलैक्स की स्थापना हेतु भारत सरकार और फ्रांस सरकार के बीच 28-1-1980 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। फ्रांस सरकार ने परियोजना के लिए व्यापक वित्तिय व्यवस्था हेतु एकमुश्त सौदे का प्रस्ताव किया है। उनके प्रस्तावों की प्रतिक्षा है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा तकनीनी सहयोग की शर्तों के बारे में फ्रांस की मैसर्स एल्यूमिनियम पैचानी के साथ शीघ्र ही बातचीत शुरू किए जाने की आशा है।

(ख) परियोजना के लिए मै० एल्यूमिनियम पैचीनी द्वारा तैयार साध्यता रिपोर्ट में कोरापुट जिले के पंचपटयाली स्थित बाक्साइट भण्डारों पर आधारित एल्यूमिनियम कम्पलैक्स की व्यवस्था है ; जिसमें निम्नलखित का समावेश है :—

(1) 2,400,000 टन वार्षिक क्षमता की एक बाक्साइट खान ;

(2) 800,000 टन बार्षिक क्षमता का एल्यूमिना संयंत्र ; और

(3) 218,000 टन वार्षिक क्षमता का एल्यूमिनियम प्रद्रावक।

परियोजना की अनुमानित पूंजी लागत 1000 करोड़ रुपए है। इसमें अवस्थापना और अन्य संगत सुविधाओं पर आने वाली लागत भी शामिल है। इसके अलावा एक ग्रहीत बिजली घर बनाने का भी प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) परियोजना की साध्यता रिपोर्ट इस समय विभिन्न सरकारी मूल्यांकन एजेन्सियों के विचाराधीन है। दूल्यांका के बाद परियोजना पूंजी-निवेश संबन्धी निर्णय के लिए पेश होगी उसी समय परियोजना स्थल के बारे में भी निर्णय लिया जाएगा।

विदेश व्यापार सस्थान द्वारा देश के औद्योगिक दृष्टि से पिछले क्षेत्रों का सर्वेक्षण

1471. **श्री के० पी० सिंह देव :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेश व्यापार संस्थान ने देश के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों का, उनकी निर्यात सम्भावनाओं का आंकलन करने के लिये, सर्वेक्षण किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों/जिलों का सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो इन क्षेत्रों के नाम क्या हैं ;

(ग) कौन-कौन ही वस्तुओं का निर्यात किया जा सकता है और उनका कितना मूल्य होगा ; और

(घ) ऐसे उत्पादों के विपणन का आयोजन करने के लिये क्या केन्द्रीय सहायता दिये जाने का विचार हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) भारतीय विदेश संस्थान, निर्यात संभावना का अध्ययन करने तथा उसका पता लगाने की दृष्टि से समय समय पर भारत के विभिन्न राज्यों का सर्वेक्षण करता है। उड़ीसा का निर्यात संभाव्यता सर्वेक्षण 1970 में किया गया था जिसमें उस राज्य के पिछड़े क्षेत्रों/जिलों सहित संपूर्ण राज्य शामिल था। इससे 64 विशिष्ट उत्पादों का पता चला जिन्हें मौटे तौर पर इन समूहों के रूप में रखा जा सकता है : कृपि-आधारित, खनिज आधारित, इंजीनियरी, रासायनिक पदार्थ तथा सम्बद्ध उत्पाद और हस्त-शिल्प तथा हथकरघा मदें। केन्द्रीय सरकार विदेशों में बाजार सर्वेक्षणों, व्यापार प्रतिनिधि मंडलों, मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने तथा प्रचार सम्बन्धी अन्य प्रयोजनों जैसे निर्यात संवर्धन कार्यों के लिए सहायता देती है।

उड़ीसा में मनोरम स्थलों तथा गरम पानी के झरनों के लिये सवक्षण

1472. **श्री के० पी० सिंह देव :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में पर्यटकों के आकर्षण के गर्म पानी के झरनों और मनोरम स्थलों के लिये कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन स्थलों के विकास के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) **जी, नहीं ।**

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय उद्योग मेला, 1978 में कार्य करने हेतु व्यापार मेला प्राधिकरण में नियोजित अस्थायी कर्मचारी

1473. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापार मेला प्राधिकरण में राष्ट्रीय उद्योग मेला, 1978 में कार्य करने हेतु श्रेणी-वार कुल कितने कर्मचारी अस्थायी रूप से नियोजित किये गये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि व्यापार मेला प्राधिकरण एक और विश्व मेला आयोजित करने वाला है;

(ग) क्या सरकार का विचार उपरोक्त भाग (क) में, उल्लिखित सभी कर्मचारियों को वापस लेने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) 1980 के दौरान भारत में एक अन्तर्राष्ट्रीय मेला आयोजित करने का प्रस्ताव विचारधीन है ।

(ग) तथा (घ) चूंकि राष्ट्रीय उद्योग मेला 1978 के लिए स्टाक की भर्ती अस्थायी तौर पर की गई थी, इसलिए उन कर्मचारियों को वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

क्रमांक	पदनाम	नियुक्त किए गए कर्मचारियों की संख्या
1.	प्रचार सहायक	2
2.	मंच प्रबन्धक	3
3.	प्रवेशक	4
4.	गर्ल गाइड	26
5.	हिन्दी अनुवादक	3
6.	उद्घोषक	2
7.	प्रक्षेपक	6

1	2	3
8.	ध्वनि तकनीशियन	2
9.	स्टेज हैन्डस	7
10.	टिकट विक्रेता	25
11.	गस्टेटनर चालक	1
12.	हैल्पर	45
13.	मंच सहायक	9
14.	आशुलिपिक	1
15.	अपर श्रेणी लिपिक (फील्ड हैन्डस)	5
16.	सुरक्षा प्रहरी	71
17.	निम्न श्रेणी लिपिक	10
18.	वाहन चालक	4

व्यापार मेला प्राधिकरण में प्रतिनियुक्त कर्मचारी

1474. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापार मेला प्राधिकरण में कितने कर्मचारी अन्य मन्त्रालयों से प्रतिनियुक्ति पर हैं;

(ख) ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनकी सीधी भर्ती की गई है और ऐसे कर्मचारियों की वर्ग-वार संख्या कितनी है जिनकी उद्योग मेला, 1978 के पश्चात् छटनी की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित कर्मचारियों की सेवाओं को विनियमित करने का है; और

(घ) क्या उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित कर्मचारियों को उनके अपने-अपने विभागों में वापस भेजा जा रहा है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री : (श्री प्रणब मुखर्जी) (क) अन्य मंत्रालयों से व्यापार मेला प्राधिकरण में प्रति नियुक्ति पर गये कर्मचारियों की कुल संख्या 33 है ।

(ख) उद्योग मेला 1978 के लिए सीधे भर्ती किए गए कर्मचारियों की श्रेणी वार कुल संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । इन सभी कर्मचारियों की सेवाएं मेले के समाप्त होने के बाद समाप्त कर दी गई थीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों को आमतौर पर उनके कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद या व्यापार मेला प्राधिकरण में उनकी सेवाओं की आवश्यकता न रहने पर उन्हें उनके विभागों को वापस भेज दिया जाता है ।

विवरण

क्रमांक	पदनाम	नियुक्त किए गए कर्मचारियों की संख्या
1.	प्रचार सहायक	2
2.	मंच प्रबन्धक	3

1	2	3
3.	प्रवेशक	4
4.	गर्ल गाइड	26
5.	हिन्दी अनुवादक	3
6.	उद्घोषक	2
7.	प्रक्षेपक	6
8.	ध्वनि तकनीशियन	2
9.	स्टेज हैन्ड्स	7
10.	टिकट विक्रेता	25
11.	गस्टेटनर चालक	1
12.	हैल्पर	45
13.	मंच सहायक	9
14.	आशुलिपिक	1
15.	अपर श्रेणी लिपिक (फील्ड हैन्ड्स)	5
16.	सुरक्षा प्रहरी	71
17.	निम्न श्रेणी लिपिक	10
18.	वाहन चालक	4

उत्तर प्रदेश में पर्यटकों के लिए गांवों का चयन

1475. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री उत्तर प्रदेश में पर्यटक गांव योजना के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 7860 दिनांक 20 मार्च, 1979 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श के साथ पर्यटकों के लिए कुछ गांवों का चयन किया है और यदि हां, तो जिला-वार उनके नाम क्या हैं; और

(ख) इन गांवों का चयन करते समय किन बातों को ध्यान में रखा गया ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ पर्यटक गांव काम्पलैक्सों का, जहां पर मुख्यतया सड़क द्वारा यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी, निर्माण करने के लिए किसी भी स्थान का अभी तक चयन नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बैंक कर्मचारियों को गृह-निर्माण के लिये ऋण

1476. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक अपने कर्मचारियों को गृह निर्माण के लिये ऋण दे रहे हैं, यदि हां, तो कब से;

(ख) क्या यह सच है कि उसको पुन: अदायगी पर ब्याज की दर अत्यन्त कम है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी उद्यमों को यह सलाह देने का है कि वे अपने कर्मचारियों को भी उसी ब्याज दर से ऋण दें ताकि नगरीय आवास की समस्या उस सीमा तक हल हो जाये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, हां। सभी राष्ट्रीयकृत बैंक मकान बनाने के लिए अपने कर्मचारियों को ऋण देते हैं। इस प्रकार की प्रथा बहुत दिनों से चली आ रही है।

(ख) ऋणों की वापस अदायगी की शर्तें तथा लिए जाने वाले ब्याज की दरें, खासकर लिपिक वर्गीय तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के मामले में उदार हैं। जहां तक अधिकारियों का सम्बन्ध है, पहली जुलाई, 1979 को पिल्ले समिति के विनियमों को लागू किये जाने के बाद से इस प्रकार के ऋणों पर 6 प्रतिशत वार्षिक की एक समान दर से ब्याज लिया जाता है।

(ग) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों को, मकान बनाने के लिए अग्रिम मंजूर करने के उद्देश्य से नमूने की एक योजना (माडल स्कीम) तैयार करने का प्रश्न विचाराधीन है।

जीवन बीमा निगम के प्रीमियम दरों के बारे में समिति द्वारा की गई सिफारिशें

1477. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम के प्रीमियम दरों और सम्बद्ध विषयों के बारे में अध्ययन करने और सिफारिशें करने के लिए नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन और सिफारिशें जीवन बीमा निगम को प्रस्तुत कर दी है, यदि हां, तो कब;

(ख) उपरोक्त समिति के निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं;

(ग) इस बारे में जीवन बीमा निगम/सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और यह निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, हां।

(ख) समिति ने जीवन बीमा निगम की प्रीमियम दरों, मूल्यांकन पद्धतियों और निवेश सम्बन्धी स्वरूप सहित बहुत से विषयों के बारे में कई सिफारिशें की हैं।

(ग) और (घ) चूंकि समिति की रिपोर्ट में कई बुनियादी सवाल उठाए गए हैं, इसलिए जीवन बीमा निगम द्वारा मामले पर बड़ी सावधानी से विचार किया जा रहा है। लेकिन आशा है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय ले लिए जायेंगे।

राजस्थान में तांबे के निक्षेपों का पता लगना

1478. **श्री आर० के० महालगी**
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा } क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के रेत से ढके कछरी क्षेत्र में तांबे के विशाल निक्षेपों का पता लगा है;

(ख) क्या सरकार ने तांबे के इन निक्षेपों के बारे में कोई अनुमान तैयार किए हैं;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है; और

(घ) सरकार का विचार पाए गए इस तांबे का उपयोग किस प्रकार करने का है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) हाल ही में राजस्थान के झुंझुनू जिले के सिंहाना-मुरादपुर-पचेरी क्षेत्र के रेत से ढके हुए कछारी भूभाग में बोरिंग से हुए कटान स्थलों पर तांबा खनिजीकरण का पता चला है।

(ख) और (ग) अभी अयस्क भंडारों का अनुमान नहीं लगाया गया है। खनिजीकृत कटान-स्थलों पर तांबा तत्व 0·5% से 1% के बीच है।

(घ) चूंकि खोज कार्य प्रारंभिक अवस्था में है, अतः अभी भंडारों की खुदाई के बारे में निर्णय करना संभव नहीं है।

अपना व्यवसाय करने वाले लोगों द्वारा आयकर की राशि का भुगतान

1479. **श्री सी० टी० दंडपाणि** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें अपना व्यवसाय करने वालों जैसे डाक्टर, आयकर प्रैक्टीशनर, एडवोकेट, आर्टिटेक्ट, चार्टेड एकाउन्टेन्टों और अन्य व्यक्तियों द्वारा बड़े पैमाने पर किये जा रहे आयकर के अपवंचन का पता है;

(ख) क्या संदिग्ध ढंग से काफी राशि का भुगतान किया जाता है और ये लोग इस राशि की प्राप्ति के लिये कोई रसीद नहीं देते हैं; और

(ग) उनके लिये यह अनिवार्य करने के लिए कि वे प्राप्त फीस के लिये रसीद दें ताकि सरकारी राजकोष को इस प्रकार के राजस्व की हानि से बचाया जा सके, सरकार का विचार क्या सांविधिक और अन्य कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) सरकार सामान्यतः इस बात को जानती है कि अपना व्यवसाय करने वाले व्यक्ति आयकर अपवंचन करते हैं। यह भी विश्वास किया जाता है कि अपना व्यवसाय करने वाले कुछ व्यक्ति न तो उन्हें प्राप्त पूरी फीस का पूर्ण रूप से हिसाब रखते हैं और ना ही उसकी रसीद देते हैं।

(ग) कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा आयकर अधिनियम में धारा 44क क अन्तःस्थापित की गयी जिससे अपना व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के किसी वर्ग को लेखे रखना अनिवार्य हो गया। अपना व्यवसाय करने वाले इस तरह के व्यक्तियों द्वारा रखे जाने वाले लेखों का स्वरूप निर्धारित करने से सम्बन्धित संगत नियम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के विचाराधीन हैं। इस बीच, विस्तृत जांच करने और एक समान और समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की दृष्टि से इस प्रकार के मामलों का निपटान करने के लिए व्यवसायिक मण्डलों (सर्कल्स) की स्थापना की गयी है और ये (सर्कल्स) मण्डल बड़े-बड़े महानगरों में कार्य कर रहे हैं। ऐसे मामलों में जहां आय अथवा परिसम्पत्तियों के छिपाये जाने की विशिष्ट सूचना प्राप्त होती है, आयकर अधिनियम की धारा 132 के अन्तर्गत तलाशी लेने की और अभिग्रहण की कार्यवाही की जाती रही है और की जाती रहेगी।

उड़ीसा में एक एल्यूमिनियम उद्योग समूह स्थापित करने के लिए फ्रांस द्वारा वित्तीय सहायता

1480. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस ने उड़ीसा में प्रस्तावित एक एल्यूमिनियम उद्योग समूह के लिए अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं हेतु वित्तीय सहायता देने में अपनी गहन रुचि दिखाई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां ।

(ख) उड़ीसा में एल्यूमिना/एल्यूमिनियम कम्पलैक्स की स्थापना हेतु भारत सरकार और फ्रांस सरकार के बीच 28-1-1980 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे । ज्ञापन की मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :—

(1) फ्रांस सरकार भारत सरकार के साथ व्यापक वित्तीत व्यवस्था हेतु एक एकमुश्त सौदा करने का भरसक प्रयत्न करेगी । इस सौदे में परियोजनाओं हेतु देश से बाहर की जाने वाली खरीद-फरोख्त और अवस्थापना सुविधाओं सहित स्थानीय लागतें शामिल होंगी । सौदे में अधिमान्य शर्तों पर सरकारी ऋण और अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण भी शामिल होंगे ।

(2) इसके साथ-साथ भारत एल्यूमिनियम कम्पनी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहयोग की शर्तों के बारे में फ्रांस की एल्यूमिनियम पैचीनी कम्पनी से बातचीत करेगी ।

फिनलैंड की भारत में संयुक्त उद्योग स्थापित करने की इच्छा

1481. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **वाणिज्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिनलैंड ने उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए भारत एवं तृतीय देशों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने की इच्छा व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जी हां । 12 से 15 फरवरी, 1980 तक नई दिल्ली में हुए भारत-फिनलैंड संयुक्त आयोग के तृतीय सत्र के दौरान भारत तथा फिनलैंड पक्षकारों ने नोट किया कि भारत में भारत-फिनलैंड सहयोग की अच्छी सम्भवाएं हैं और तीसरे देशों में भारत-फिनलैंड सहयोग की गुंजाइश है ।

चीनी और गुड़ का निर्यात

1432. **श्री चित्त महाटा**
श्री अहमद एम० पटेल } क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अप्रैल, 1980 से मार्च, 1981 के दौरान चीनी और गुड़ का निर्यात करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जिआउर रहमान अंसारी) : (क) तथा (ख) यह निर्णय लिया गया है कि चीनी का निर्यात फिलहाल अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार के अन्तर्गत पहले से की गई वचनवद्धताओं की सीमा तक सीमित रखा जाए । गुड़ का निर्यात आन्तरिक कीमतों को ध्यान में रखते हुए विनियमित किया जाएगा ।

कपिलवस्तु (पिपरहवा) में पर्यटकों के लिए परिवाहन सुविधाएँ

1483. **श्री कृष्ण चन्द पाण्डेय** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय और विदेशी बौद्ध लोगों को अपर्याप्त परिवाहन-सुविधाओं के कारण गौतम-बुद्ध के जन्म स्थान कपिलवस्तु, पिपरहवा की यात्रा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यदि इस स्थान के लिए हवाई सेवा शुरू कर दी जाए, तो और अधिक पर्यटक आकर्षित होंगे और देश को अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने की सम्भावना होगी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार कोई ऐसी योजना तैयार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री जे०बी० पट्टनायक) : (क) से (घ) यह सही है कि कपिल-वस्तु (पिपरहवा) न तो निकटतम एअरपोर्ट गोरखपुर (95 किलोमीटर की दूरी) और न ही निकटतम रेलवे स्टेशन नौगढ़ (20 किलोमीटर दूर) से बस द्वारा सीधे जुड़ा हुआ है, परन्तु फिलहाल कपिलवस्तु के लिए अधिक पर्यटक यातायात नहीं है । गोरखपुर से लुम्बिनी के लिए बसें नौगढ़ हो कर जाती हैं और यात्री इस मार्ग पर बिर्दपुर से, जो पिपरहवा से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, स्थानीय परिवहन द्वारा यात्रा कर सकते हैं ।

गोरखपुर पहले ही दिल्ली, कानपुर और कलकत्ता से वायु सेवा द्वारा जुड़ा है । कपिलवस्तु (पिपरहवा) को वायु सेवा से जोड़ने की सरकार की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

इस स्थान के महत्व को देखते हुए एक महायोजना (भूमि-प्रयोग योजना) तैयार की जा रही है जिसका विकास क्षेत्र की वास्तविक आयोजना, इन क्षेत्रों में प्रदान की जाने वाली पर्यटक सुविधाओं के लिए स्थान निर्धारण, रमणीय प्रतिवेश को सुनिश्चित करने और परिस्थिति संबंधी संतुलन बनाए रखने के लिए पर्यावरण संबंधी सुधार और नियंत्रण के उपाय शामिल हैं।

कपिलवस्तु में रिहायशी सुविधायें

1484. **श्री कृष्ण चन्द पाण्डेय** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बस्ती जिले में कपिलवस्तु (पिपरहवा) के स्थान पर की गई खुदाई से यह सिद्ध हो गया है कि यह महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है और वहां देश तथा विदेशों से बुद्ध-भिक्षु आ रहे हैं जिनके लिए अब तक वहाँ कोई रिहायशी प्रबंध नहीं किए गए हैं जिसके फलस्वरूप तीर्थ यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या कपिलवस्तु (पिपरहवा) के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार वहां पर पर्यटक गृह बनायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ग) भगवान बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान है, न कि कपिलवस्तु; इसीलिए बड़ी संख्या में बौद्ध तीर्थयात्री लुम्बिनी की यात्रा करते हैं। तथापि, तथा पिपरहवा में की गई खुदाई से कुछ मोहरें प्राप्त हुई हैं जिन पर कपिलवस्तु का नाम अंकित है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भगवान बुद्ध के पिता राजा सुद्धोधन की राजधानी, कपिलवस्तु आस पास ही रही होगी। शुरूआत करने के लिए, सुविधाओं का विकास निर्धारित करने हेतु पिपरहवा की एक महा-योजना तैयार की जा रही है। तथापि, इसका कार्यान्वयन धन-राशि की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

स्वर्ण तथा चाँदी के मूल्यों में वृद्धि

1485. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डेय** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त वर्ष 1975-76 के दौरान स्वर्ण के प्रति 10 ग्राम और चांदी के प्रति किलोग्राम मूल्य क्या थे;

(ख) वित्त वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान उनके मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई तथा इस वृद्धि के क्या कारण थे और क्या यह सच है कि इन मूल्यों में प्रशासन की असफलता के कारण वृद्धि हुई थी; और

(ग) इनके मूल्यों में वृद्धि रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) वित्तीय वर्ष 1975-76 के दौरान बम्बई के बाजार में सोने की औसत कीमत 545 रुपये प्रति 10 ग्राम थी और चांदी की कीमत १171.25 रुपये प्रति किलोग्राम थी।

(ख) 1975-76 की तुलना में 1977-78 और 1978-79 के दौरान सोने और चाँदी की कीमतों में होने वालो वृद्धि संलग्न विवरण में दिखाई गई है।

1976 से सोने और चाँदी की कीमतों में वृद्धि का मुख्य कारण, तेल की कीमतों में होने वाली वृद्धि और वित्तीय दरों में तेजी से होने वाली घटबढ़ के कारण उत्पन्न आर्थिक अनिश्चितता के वातावरण के कारण इन वस्तुओं की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में तेजी से वृद्धि होना है। साधारण तौर पर बाजार में इन वस्तुओं की कीमतों पर प्रभाव डालने वाले तत्वों पर प्रशासन का कोई प्रभाव डालने वाले तत्वों पर प्रशासन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

(ग) चूंकि सोना और चांदी सामान्य उपयोग की वस्तुएं नहीं हैं, अतैव इनकी कीमतों में होने वाली वृद्धि पर व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए।

विवरण

बम्बई बाजार

सोने की वार्षिक औसत कीमत

(प्रति 10 ग्राम रुपए)

वर्ष (अप्रैल-मार्च)	उच्चतम	निम्नतम	औसत
1975-76	574.00	511.00	544.99
1976-77	598.00	504.00	549.50 (+0.8)

1	2	3	4
1977-78	710.00	565.00	637.33 (+16.9)
1978-79	960.00	645.00	791.22 (+45.2)

चाँदी की वार्षिक औसत कीमत

(प्रति किलोग्राम रूपए)

वर्ष (अप्रैल-मार्च)	उच्चतम	निम्नतम	औसत
1975-76	1425.00	1001.00	1171.25
1976-77	1410.00	1135.00	1247.86 (+6.5)
1977-78	1383.00	1093.00	1240.52 (—0.6)
1978-79	1958.00	1334.00	1501.02 (+21.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए अंकड़े पूर्ववर्ती वर्ष में हुई प्रतिशत घटबढ़ के द्योतक हैं।

खाद्य तेल परिष्करण एककों को राज्य व्यापार निगम द्वारा कच्चा तेल सप्लाई न किया जा सकना

1486. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अधिकांश छोटे तथा मध्यम खाद्य तेल परिष्करण एकक राज्य व्यापार निगम द्वारा कच्चे तेल की सप्लाई न किए जा सकने के कारण बन्द होने की स्थिति में हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन एककों को बचाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य और इस्पात तथा खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) व (ख) देश में खाद्य तेलों का परिशोधन करने वाले एकक आमतौर पर देशीय तथा आयातित दोनों ही प्रकार के तेलों का प्रयोग करते हैं। राज्य व्यापार निगम केवल आयातित तेलों का ही व्यापार करता है और वह अन्य कार्यों के साथ-साथ ऐसे तेलों की समय-समय पर वाणिज्यिक बिक्री भी करता है। चालू वर्ष 1979-80 के दौरान, राज्य व्यापार निगम अब तक देश में विभिन्न परिष्करण एककों की लगभग 1.13 लाख मीटरीटन कच्चा तेल बेच चुका है। इसमें 38,973 मी० टन कच्चा रेपसीड तेल तथा 74,313 मी० टन कच्चा सोयाबीन का तेल शामिल है। राज्य व्यापार निगम द्वारा बेची जाने वाली इन मात्राओं की विभिन्न संबंधित पार्टों, विशेषकर देशीय तेलों

की उपलभ्यता, देश के विभिन्न बाजारों में चल रहे मुख्य स्तरों, आदि के सन्दर्भ में समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।

किसान सहकारी चीनी मिल, महमदाबाद के निर्माण के लिए औद्योगिक वित्त निगम से वित्तीय सहायता

1487, **श्री रामलाल राही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से उत्तर प्रदेश में सीतापुर खान पर किसान सहकारी चीनी मिल, महमदाबाद के निर्माण और उसके लिए मशीनरी खरीदने के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु चार करोड़ रुपए की राशि मांगी गई है और यदि हां, तो राशि उपलब्ध कराने में विलम्ब से क्या कारण हैं और निर्माण प्रयोजनों के लिए राशि कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी; और

(ख) क्या विस्तृत जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

वित्तीय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) भारतीय ओद्योगिक वित्त निगम को 24 जनवरी 1980 को किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, महमदाबाद से एक प्रार्थना पत्र मिला था जिसमें, उसने एक चीनी कारखाना खोलने के लिए 490 लाख रुपए की वित्तीय सहायता माँगी है। यह आवेदनपत्र अभी निगम के विचाराधीन है।

वित्तीय संस्थायें, चीनी उद्योग में विद्यमान स्थितियों के सन्दर्भ में, जिनमें दिसम्बर, 1979 से शुरू किये गये आंशिक नियंत्रण और दोहरी मूल्य प्रणाली शामिल है, नई चीनी परियोजनाओं की वित्तीय सक्षमता के प्रश्न पर विचार कर रही हैं। पर यह संस्थाएं, चीनी परियोजनाओं की ऊंची पूंजीगत लागत को ध्यान में रखते हुए यह महसूस करती हैं कि नए एकक सरकार से उपयुक्त प्रोत्साहन के बिना अर्थक्षम नहीं होंगे। इसलिए वित्तीय संस्थाएं, नए चीनी एककों की स्थापना के लिए अनिर्णित पड़े आवेदनपत्रों (किसान सहकारी चीनी मिल्स के आवेदनपत्र समेत) पर विचार करने से पहले नयी चीनी मिलों को प्रात्साहन दिये जाने के संबंध में सरकार के कृषि मंत्रालय के निर्णय की प्रतीक्षा कर रही हैं।

वित्त मंत्रालय में उच्च पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कार्मिक

1488. **श्री रामलाल राही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त मंत्रालय में उच्च पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कार्मिक कितने प्रतिशत हैं; और

(ख) क्या उनके लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाता है, यदि हां तो सीधी भर्ती के माध्यम से उनके पद भरने में क्या कठिनाई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) वित्त मंत्रालय (सचिवालय विभागों) में वर्तमान में उच्चतर पदों पर कार्यरत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कार्मिकों का प्रतिशत समूह क पदों के संबन्ध में 5 तथा समूह ख (राजपात्रित) पदों के संबन्ध में 8 है।

(ख) जबकि अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाता है लेकिन योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण रिक्त पदों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाना हमेशा सम्भव नहीं होता। इसके अलावा ये आरक्षण स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे गए पदों के संबंध में लागू नहीं होते।

अन्तर्राष्ट्रीय और देशीय पर्यटन के संवर्धन के लिए योजना

1489. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अन्तर्राष्ट्रीय और देशीय पर्यटन के सम्वर्धन के लिए कोई प्रस्ताव योजना बनाती है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) सरकार 3 दशकों में से अधिक समय से भारत में पर्यटन का विकास तथा संवर्धन करती रही है और अनेक उपाय पहले ही किए जा चुके हैं, जैसे विदेशों में पर्यटन संवर्धन कार्यालय खोलना, समुद्र-तट विहारों और शीतकालीन क्रीड़ा-स्थलों का विकास, तथा अन्य योजनायें, भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना आदि।

अन्तर्राष्ट्रीय तथा स्वदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक नए उपाय किए जा रहे हैं, जैसे इण्डियन एयरलाइन्स की फ्लीट में वृद्धि एक्स० एस० टी० सी० मूल्य पर वातानुकूलित कारों की व्यवस्था, वीसा तथा प्रवेश औपचारिकताओं को जारी करने संबंधी नियमों को उदार बनाना, होटल आवास में वृद्धि, धर्मशालाओं, सरायों, आदि का सुधार, विस्तार और निर्माण, युवा होटलों की स्थापना और केन्द्रीय सेक्टर में जनता होटल स्थापित करना।

कलकत्ता तथा न्यूयार्क के बीच जम्बो उड़ान सेवा का चालू न होना

1490. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या पर्यटन औरनागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इण्डिया द्वारा कलकत्ता और न्यूयार्क के बीच सीधी जम्बो उड़ान सेवा चालू नहीं हुई है; और

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (जे० बी० पट्टनायक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मंगलौर में इस्पात संयंत्र की स्थापना

1491. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) इस्पात उद्योग की क्षमता में वृद्धि करने के लिए समग्र विकास कार्यक्रम के अंग के रूप में सरकार बन्दरगाह पर इस्पात का एक नया कारखाना, जिसकी अन्ततः क्षमता 30 लाख टन वार्षिक होगी, लगाने की सम्भावनाओं पर विचार कर रही है। इस बारे में जिन सम्भाव्य स्थानों पर विचार किया जा रहा है उनमें मंगलौर भी एक है। क्या इस्पात कारखाना लगाने के बारे में विदेशी पार्टियों के साथ बातचीत की जा रही है जिन्होंने इस प्रयोजन के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता की पेशकश की है।

विदेशी पूंजी वाली कंपनियों पर नियंत्रण

1492. **श्री एन० ई० होरो** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी पूंजी वाली सभी भारतीय कंपनियों पर संपूर्ण भारतीय नियंत्रण लागू करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं; और

(ख) उन भारतीय कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिनमें अभी भी विदेशी पूंजी 50 प्रतिशत से अधिक है, और उन कंपनियों को यह अनुमति देने के क्या कारण हैं कि वे विदेशी निवेशकर्त्ताओं की सहायता से अपने नियंत्रक शेयर रख सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी नहीं । विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के मार्गनिर्देशों के अन्तर्गत देश में कार्यरत कंपनियों को विदेशी शेयर धारिता का स्तर उनके कार्यकलाप के स्वरूप के आधार पर विनियमित करने की व्यवस्था है। परन्तु कंपनियों का नियंत्रण प्राथमिक रूप से कंपनियों की सामान्य पूंजी धारिता की सीमा और उनकी पूंजीधारिता के स्वरूप से उन्हें प्राप्त होने वाले मताधिकार के अनुसार कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित होता है।

(ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के मार्गनिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित प्रकार की कम्पनियों को 74 प्रतिशत तक या 51 प्रतिशत तक विदेशी सामान्य पूंजी (इक्विटी) अपने पास रखने का अधिकार है :

(1) औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति 1973 के परिशिष्ट 1 में सूची वस्तुएं बनाने वाली कम्पनियां।

(2) ऐसी कम्पनियां जिनके विनिर्माण सम्बन्धी कार्यकलाप में आधुनिकतम प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है।

(3) ऐसी कम्पनियां जो प्रमुख रूप से निर्यातोन्मुख हैं।

(4) चाय बागान कम्पनियां।

उन कम्पनियों का विवरण संलग्न है जिन्हें इन मार्गनिर्देशों के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक विदेशी सामान्य पूंजी अपने पास रखने की अनुमति दी गई है।

विवरण

उन कम्पनियों के नाम जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 29 (2) के अन्तर्गत 50 प्रतिशत से अधिक अभिन्नासी शेयर रखने की अनुमति दी है।

क्रम सं०	कम्पनी का नाम
1.	कैमीकल्ज एंड फाईबर्स आफ इंडिया लि०, बंबई
2.	दी इंगलिश इलेक्ट्रिक कम्पनी आफ, इंडिया लि०
3.	इंडियन ऐल्यूमीनियम कम्पनी लि०, कलकत्ता
4.	साउथ इंडिया पेपर मिल्स प्राइवेट लि०
5.	शाह मैलियेबल कास्टिंगस लि०, बम्बई
6.	जुआरी एग्रो कैमीकल्स लि०, गोआ
7.	हिन्दुस्तान फेरोडो लि०, बम्बई
8.	फ्रिक इंडिया लि०, फरीदाबाद
9.	लुर्गी इंडिया कम्पनी प्राइवेट लि०
10.	ग्रौज-बैकर्ट साबो लि०, चण्डीगढ़
11.	गुडईयर इंडिया लि०, नई दिल्ली
12	ट्रौब इंडिया प्राइवेट लि०, बम्बई
13.	होलमैन-कलाईमेक्स मैन्यूफैक्चरिंग लि० कलकत्ता
14.	के० एस० बी० पंप्स लि०, बम्बई
15.	मोटर इंडस्ट्रीज कम्पनी लि०, बंगलौर
16.	सीट टायर्स आफ इंडिया लि०, बम्बई
17.	माथेर एंड प्लाट (इंडिया) लि०, बम्बई
18.	किर्लोस्कर कमिंस लि०, पूना
19.	स्पिरेक्स मार्शल लि०, पूना
20.	त्रिबेनी टिश्यूज लि०, कलकत्ता
21.	वालडीज लि०, कलकत्ता
22.	आर० एच० विंडसर (इंडिया) लि०, थाना
23.	ल्यूकस टी० वी० एस० लि० मद्रास
24.	एशोशियेटेड बीयरिंगस कंपनी लि०, बम्बई
25.	इंडीफल कैमीकल्स लि०, बम्बई
26.	इंडियन एक्सप्लोसिव्ज लि०, कलकत्ता
27.	वीडिया (इंडिया) लि०, बंगलौर
28.	गोंटरमैन-पाइपर्स (इंडिया) लि०, कलकत्ता
29.	सैंडविक एशिया लि०, पूना
30.	मोलिन्स आफ इंडिया लि०, कलकत्ता
31.	एस० एफ० इंडिया लि०, पश्चिम बंगाल

1	2
32.	जे० स्टोन एंड कम्पनी (इंडिया) लि० कलकत्ता
33.	शैरडर स्कोविल डंकन-लि०, कलकत्ता
34.	पोरिटस एंड स्पेंसर (एशिया) लि०
35.	कन्सोलिडेटेड न्यूमेटिक टूल कंपनी (इंडिया) लि०
36.	अर्क इन्वेस्टमेंट लि०, मद्रास
37.	नोरोसजी वाडिया एंड संस (प्रा०) लि०, बम्बई
38.	नेवेली वाडिया प्रा० लि०, बम्बई
39.	डनलप इंडिया लि०, कलकत्ता
40.	नामडांग टी कंपनी (इंडिया) लि०
41.	माकुम टी कंपनी (इंडिया) लि०, असम
42.	वेलमैन इनकैंडसेंट इंडिया लि० ,कलकत्ता
43.	बी० ए० एस० एफ० इंडिया लि०, बम्बई
44.	ऐस बौस्टौस सीमेंट लि०, नई दिल्ली
45.	अशोकलेलैंड लि०, मद्रास
46.	इयरे स्मेल्टिंग प्रा० लि०, बम्बई
47.	इंडियन कार्ड क्लोदिंग कंपनी लि०, पूना
48.	इंगरसोल-रैंड (इंडिया) प्रा० लि०, बम्बई
49.	मेटालिक्स इंडिया, कलकत्ता
50.	मोनसैंटो केमीकल्स आफ इंडिया लि०, बम्बई
51.	ओटिस एलीवेटर कंपनी इंडिया लि०, बम्बई
52.	बम्बई टायर्स इंटरनेशनल प्रा०लि०
53.	एन्नौर फाउंड्रीज लि०, मद्रास
54.	इंडिया फौयल्ज प्रा० लि०, कलकत्ता
55.	प्लास्सर (इंडिया) प्रा० लि०, कलकत्ता
56.	क्लोराइड इंडिया लि०, कलकत्ता
57.	अहदे इंडिया लि०
58.	हिन्दुस्तान डौर ओलीवर लि०
59.	टोयो इंजीनियरिंग कारपोरेशन इंडिया, बम्बई
60.	ई० हिल एंड कम्पनी प्रा० लि०, मिर्जापुर
61.	फाइबर ग्लास पिलकिंगटन लि०, बम्बई
62.	सेमिडिया कम्पनी लि०, बम्बई
63.	वारेन टी लि०, कलकत्ता
64.	जार्ज विलयमसन (असम) लि०, शिलांग
65.	मैकलियौड रसेल (इंडिया) लि०, कलकत्ता
66.	दी असम कम्पनी (इंडिया) लि०, कलकत्ता

1	2
67.	गौडरिके ग्रुप लि०, कलकत्ता
68.	टी एस्टेट इंडिया प्रा० लि०
69.	असम फ्रटियर टी कम्पनी लि०, कलकत्ता
70.	स्टीवार्ट हाल (इंडिया) लि०
71.	बुक्सा डूआर्स टी० कम्पनी लि०
72.	सी० डबल्यू० एस० (इंडिया) लि०, कोचीन
73.	दार्जिलिंग प्लांटेशन इंडिया लि०, कलकत्ता
74.	एम्पायर प्लाँटेशन (इंडिया) लि०, कलकत्ता
75.	जोकाई (असम) टी कम्पनी लि०, कलकत्ता
76.	मोरन टी कम्पनी (इंडिया) लि०, कलकत्ता
77.	मजूली टी कम्पनी (इंडिया) लि०, कलकत्ता
78.	मलयालम प्लांटेशन (इंडिया) लि०
79.	सिग्लो टी कम्पनी लि०, कलकत्ता
80.	डूम डूमा इंडिया लि०, कलकत्ता
81.	एवेरेस्ट टी कम्पनी लि०, कलकत्ता

पूंजीनिवेश गारंटी समझौता

1493. **श्री एन० ई० होरो** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 मार्च, 1980 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारतीय उद्योगपतियों ने सरकार से कहा है कि वह अन्य देशों के साथ विशेषकर ऐसे देशों के साथ जहाँ भारतीय फर्मों की अनेक परियोजनाएं हैं, पूंजीनिवेश गारण्टी समझौता करें;

(ख) क्या यह सच है कि मलयेशिया और श्रीलंका ने ऐसे समझौते किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस पर भारतीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) सरकार का यह विचार है कि विदेश कार्यरत कम्पनियों को मेजवान देशों की नीतियों, कानूनों और विनियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए और उन्हें राष्ट्रीयकरण आदि के विरुद्ध गारंटी की आशा नहीं करनी चाहिए।

सरकारी उपक्रमों को उपभोक्ता वस्तु उद्योग में प्रवेश करने की अनुमति देने का प्रस्ताव

1494. **श्री एन० ई० होरो** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सामान्य लोगों को उचित दर पर उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराने के प्रयोजन से सरकारी उपक्रमों को उपभोक्ता वस्तु उद्योग में प्रवेश करने की अनुमति देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी उद्यम, उपभोक्ता वस्तु उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत डबल रोटी, औषधियां, हथघड़ियां, स्कूटरों, सीमेंट, कागज, पेट्रोल, ईंधन गैस, कपड़ा, जूते, उर्वरक आदि का उत्पादन कर रहे हैं। इन उद्यमों की स्थापना, उपभोक्ताओं को उचित दर पर उक्त मदों की पूर्ति बनाए रखने में सुस्थिरता लाने के उद्देश्य से की गई है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को किसी अन्य उपभोक्ता वस्तु उद्योग में प्रवेश करने की अनुमति देने का कोई नया प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पेंशनरों को राहत

1495. **श्री समर मुखर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अखिल भारतीय श्रमजीवी वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीनों के औसत में जब कभी 16 अंकों की वृद्धि हो तब पेंशनरों को राहत देने के लिए तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सूचकांक में जब कभी 16 अंकों की वृद्धि हुई है तब पेंशनरों को समय-समय पर अतिरिक्त राहत दी है;

(ग) क्या यह सच नहीं है कि जिस तारीख से सूचकांक में 16 अंकों की वृद्धि होती है उसी तारीख से सरकार को राहत में वृद्धि करनी पड़ती है;

(घ) यदि भाग (ग) का उत्तर 'हाँ' है तो क्या सरकार ने उचित तारीखों से बढ़ी हुई राहत दे दी है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, हां।

(ख) से (ड.) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार औसत सूचकांक में प्रत्येक 16 अंकों की वृद्धि होने पर राहत की एक किश्त के आधार पर 1-4-1973 से 31-10-1979 तक की अवधि के दौरान पेंशनभोगियों को दी जाने वाली राहत की 8 किस्तें देय हो गई हैं। राहत की अगली किस्त 1 नवम्बर, 1979 से देय हो गई हैं, और उस किश्त की मंजूरी के आदेश जल्दी ही जारी कर दिए जाएंगे। राहत की प्रत्येक किस्त, पेंशन के 5 प्रतिशत की दर पर दी जाती हैं बशर्ते कि यह रकम एक मास में कम से कम 5 रुपए तथा अधिक से अधिक 25 रुपए हों।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों को धन भेजने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सुविधाएं

1496. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विदेशी मुद्रा का इस समय भण्डार कितना है;

(ख) इस भण्डार की वृद्धि की प्रतिशतता क्या है;

(ग) क्या सरकार का और अधिक सुविधाएं देने का विचार है ताकि भण्डार में वृद्धि करने के लिए विदेशों में रहने वाले भारतीयों को देश में अधिक धन भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके; और

(घ) यदि हाँ, तो सत्संबंधी विवरण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) सोने तथा विशेष आहरण अधिकारो (एस० डी० आर०) को छोड़कर 14 मार्च, 1980 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5307.48 करोड़ रुपए का था।

(ख) पहली अप्रैल 1979 से 14 मार्च, 1980 की अवधि के दौरान सोने तथा विशेष आहरण अधिकारों को छोड़कर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 87.62 करोड़ रुपए अथवा 1·7 प्रतिशत की निवल वृद्धि हुई जबकि इसके मुकाबले पहली अप्रैल, 1978 से 16 मार्च, 1979 की अवधि के दौरान इस भंडार में 723.64 करोड़ रुपए अथवा 16.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

(ग) और (घ) सरकार की यह कोशिश रही है कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों की आवश्यक सुविधाएं दी जाएं ताकि भंडार को बढ़ाने के लिए उन्हें देश में अधिक धन भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

(घ) इस सम्बन्ध में दी जाने वाली सुविधाओं तथा कार्यविधियों की निरन्तर समीक्षा की जाती है ताकि रकमें भेजने के प्रवाह को बढ़ावा दिया जा सके।

औपचारिक माध्यमों के जरिए विदेशों से धन भेजने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन देने के प्रयोजन से सरकार ने और बातों के साथ निम्नलिखित योजनाएं बनाई हैं:—

(1) अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना जिसके अन्तर्गत अनिवासी भारतीय खाताधारी उस खाते में जमा रकमों में से अपनी इच्छा के अनुसार रकमें भारत से बाहर भेज सकता है।

(2) विदेशी करेंसी (अनिवासी) खाता योजना, जिसके अन्तर्गत उपर्युक्त मद (1) में उल्लिखित लाभ के अलावा खाताधारी को विनिमय दरों में होने वाली घट-बढ़ के कारण किस का खतरा भी नहीं उठाना पड़ता।

(3) अनिवासी भारतीयों और विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को रकमें वापस लौटाने के विकल्प के साथ नई भारतीय कम्पनियों के नए सामान्य शेयरों में 20 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति देने की योजना।

(4) अनिवासी भारतीयों और विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को रकमें वापस लौटाने के विकल्प के साथ कतिपय उच्च प्राद्योगिकी और अथवा उच्च विशेषज्ञता प्रधान औद्योगिक उपक्रमों में 74 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति देने की योजना; और

(5) विदेशों में रहने वाले संबंधियों से लागत के बराबर रकम प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को ट्रैक्टर, सीमेंट और स्कूटर आयात करने के सम्बन्ध में प्राथमिकता के आधार पर आवंटन की योजना।

(6) अनिवासी भारतीयों तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों को, विशिष्ट व्यक्तिगत प्रयोजनों से रिहाइश बदलने पर उनके द्वारा बैंकों के माध्यम से भेजी गई विदेशी मुद्रा की राशि के 25 प्रतिशत तक की राशि का उपयोग करने की अनुमति देने की योजना।

अधिकारियों की एक समिति इस बात पर विचार कर रही है कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों को क्या सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए कि वे और अधिक धन भेज सकें।

मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर

1497. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के समय मुद्रास्फीति की वार्षिक दर क्या थी;

(ख) गत तीन महीनों के दौरान मुद्रास्फीति में किस दर से वृद्धि हुई है;

(ग) मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस स्थिति का सामना करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) तथा (ख) 12 जनवरी, 1980 को, थोक कीमतों के सूचक अंक (1970-71 = 100) के संदर्भ में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 20.5 प्रतिशत थी। पहली मार्च, 1980 को वार्षिक दर बढ़कर 23.8 प्रतिशत हो गई अर्थात् इसमें लगभग 3 प्रतिशत अंश की वृद्धि हुई।

(ग) मुद्रास्फीति के दबाब, पिछली प्रवृत्तियों के अनवरत रूप से बने रहने के द्योतक हैं और वे प्रवृत्तियां विभिन्न कारणों से उत्पन्न हुई हैं, जिनमें पूर्ववर्ती सरकार की गैर-मुनासिब नीतियों के अपनाए जाने और अर्थ-व्यवस्था के प्रभावहीन प्रबंध की बातें भी शामिल हैं।

(घ) सरकार कीमतों की स्थिति में इन उपायों के द्वारा सुधार करना चाहती है, अर्थात् (i) उत्पादन और पूर्ति बढ़ाकर; (ii) पूर्ति तथा मांग का अधिक अच्छा प्रबंध करके; (iii) पावर (विद्युत), परिवहन तथा आधारभूत व्यवस्था संबंधी अन्य बाधाओं को दूर करके; (iv) वितरण को व्यवस्था को सरल बना कर; और (v) जमा खोरी तथा काला धन्धा करने वाले समाजविरोधी तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू करके।

मुद्रास्फीति की दर

1498. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि मुद्रास्फीति की वार्षिक दर, जो इस वर्ष 19 जनवरी को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान 20.8 थी, 16 फरवरी, 1980 समाप्त हुए सप्ताह में बढ़कर 23.5 प्रतिशत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि के क्या कारण है; और

(ग) मुद्रास्फीति की इस वृद्धि को रोकने के लिए क्या कार्रवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) मुद्रास्फीति के दबाव, पिछली प्रवृत्तियों के अनवरत रूप से बने रहने के द्योतक हैं और वे प्रवृत्तियां विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय तथा घरेलू कारणों से उत्पन्न हुई हैं, जिनमें पूर्ववर्ती सरकार की गैर-मुनासिब नीतियों के अपनाए जाने और अर्थ-व्यवस्था के प्रभावहीन प्रबंध की बातें भी शामिल हैं। कीमतों की वृद्धि की गति को धीमा करने में, कुछ समय अवश्य ही लगेगा। कीमतों की स्थिति पर काबू पाने के लिए सरकार जो उपाय कर रही हैं उनमें ये उपाय शामिल हैं, अर्थात (i) उत्पादन और पूर्ति में वृद्धि; (ii) पूर्ति तथा मांग का अधिक अच्छा प्रबंध; (iii) विद्युत, परिवहन

तथा आधारभूत व्यवस्था संबंधी अन्य बाधाओं को दूर करना; (iv) वितरण व्यवस्था को सरल बनाना तथा (v) मौजुदा कानूनों को सख्ती से लागू करना।

पश्चिम बंगाल सरकार को जारी किया गया अग्रिम योजना नियतन

1499. **श्री नीरेन घोष** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल सरकार को सूखे के लिए कितनी राशि की अग्रिम योजना नियतन, प्रदान किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : केन्द्रीय दलों और राहत संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर पश्चिम बंगाल में सूखा संबंधी राहत की विभिन्न मदों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यय के लिए कुल 27.67 करोड़ रुपये की उच्चतम सीमा का अनुमोदन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा 13.60 करोड़ रुपये की सीमांकित राशि से ऊपर किया गया। वास्तविक व्यय अग्रिम आयोजनागत सहायता द्वारा पूरा किया जाना है। इस प्रकार राज्य सरकार को स्वीकार्य अग्रिम आयोजनागत सहायता की अधिकतम राशि 14.07 करोड़ रुपये बैठती है। यह राशि राज्य सरकारों को उपयुक्त किस्तों में दी जानी थी, जो कि राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई व्यय की गति पर आधारित हैं। लेकिन अब तक राज्य सरकार से व्यय के बारे में कोई प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी, राज्य सरकार को 12 करोड़ रुपये की राशि यह सुनिश्चित करने के लिए दी गई है कि निधियों के अभाव में सूखा राहत कार्य में कोई बाधा न पड़े।

'टाट' और बोरियों पर निर्यात शुल्क

1500. **श्री निहाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टाट और बोरियों के निर्यात पर फिर से निर्यात शुल्क लगा दिया है और यदि हां, तो निर्यात शुल्क को कब समाप्त किया गया था; और

(ख) निर्यात शुल्क की समाप्ति के बाद से विदेशी मुद्रा में कितने मूल्य के टाट और बोरियों का निर्यात हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, हां। हेसियन कपड़े तथा थैलों (कालीन-अस्तर से भिन्न) पर निर्यात-शुल्क 5 जून 1975 से हटा लिया गया था; यह 1000 रु० प्रति मीट्रिक टन की दर से 18 फरवरी 1980 से दोबारा लगा दिया गया है।

(ख) इस अवधि के दौरान निर्यात किए गए हेसियन कपड़े तथा थैलों (जिसमें संकीर्ण अस्तर वाला कपड़ा शामिल है किन्तु कालीन का अस्तर शामिल नहीं है) का पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य नीचे दिया गया है—

	लाख रुपये
1975-76 (जून 1975 से मार्च 1976 तक)	9209
1976-77	10757
1977-78	13715
1978-79	8685
1979-80 (दिसम्बर 1979 तक)	*11381 (*अनंतिम)

स्ट्रा प्रोडक्ट्स लि०, नई दिल्ली द्वारा उत्पादन-शुल्क, सीमा-शुल्क का भुगतान और उन पर आयकर की बकाया राशि

1501. **श्री निहाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्ट्रा प्रोडक्ट्स लि० (जे० एण्ड के०), जो राजगड़ा, नेहरू हाउस, 4, बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली में स्थित है, ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कितना-कितना उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क का भुगतान किया और उस पर आयकर की कितनी राशि बकाया है; और

(ख) इस फर्म की स्थापना से अब तक इसमें अलग-अलग वर्षों में कितनी-कितनी पूंजी लगी हुई है और इसमें कितने भागीदार हैं तथा वे किन-किन उद्योगों और व्यापारों में भागीदार हैं और उनमें से प्रत्येक में कितनी-कितनी पूंजी लगी हुई है तथा पिछले तीन वर्षों में उन पर आयकर की कितनी राशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) मेसर्स स्ट्रा प्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान अदा किए गए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की रकम निम्नलिखित है—:

वर्ष	अदा किए गए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की रकम (लाख रु० में)
1976-77	368.09
1977-78	367.52
1978-79	456.33

प्रत्येक आयातकर्त्ता/निर्यातकर्त्ता से प्राप्त होने वाले सीमा-शुल्क का अलग से वर्षवार कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है, अत: यह सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है ।

कंपनी की ओर बकाया आयकर की रकम के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) मेसर्स स्ट्रा प्रोडक्ट्स लिमिटेड का पंजीकरण कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत शुरू में भोपाल (मध्य प्रदेश) में हुआ था, लेकिन बाद में उनका रजिस्टर्ड कार्यालय उड़ीसा स्थानान्तरित हो गया। इसके पंजीकरण की तारीख 6 अगस्त 1938 है । इसकी चुकता पूंजी, जिससे कंपनी के निवेश का पता चलता है, कंपनी के तुलन-पत्रों के अनुसार निम्नलिखित है :

निम्नलिखित अवधि को समाप्त होने वाले तुलन पत्र की तारीख	चुकता पूंजी (लाख रु० में)
31-12-1953 से 31-12-1959 तक	15.00
31-12-1960	115.00
31-12-1961	214.79
31-12-1962	214.98
31-12-1963	214.99
31-12-1964 से 31-12-1966 तक	215.00

1	2
31-12-1967 से 31-12-1970 तक	211.00
31-12-1971	246·00
31-12-1972	359.00
31-12-1973 से 31-12-1975 तक	414.00
31-12-1976	498.70
31-12-1977	523.25
31-12-1978	523.25

ओरियन्ट पेपर मिल्स, कलकत्ता द्वारा उत्पादन-शुल्क, सीमा-शुल्क और आयकर की बकाया राशि का भुगतान

1502. **श्री निहाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओरियन्ट पेपर मिल्स (बृजराज नगर यूनिट), बिड़वा बिल्डिंग, 9/1, आर० एन० मुखर्जी रोड़, कलकत्ता ने गत तीन वर्षों में कितना उत्पादन-शुल्क और सीमा-शुल्क का भुगतान किया है और उस पर आयकर की कितनी राशि बकाया है; और

(ख) इस फर्म की स्थापना के समय से, वर्षवार, इस पर अब तक कितनी राशि लगाई गई है और इसके भागीदारों की संख्या क्या है, और वे किन अन्य उद्योगों और व्यापारों में भागीदार हैं और प्रत्येक पर कितनी राशि लगाई गई है और उन पर आयकर की कितनी राशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) आयातकर्त्ताओं/निर्यातकर्त्ताओं की सीमा शुल्क की वर्षवार वसूली का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। इसलिए एकक द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अदा की गयी सीमा शुल्क की रकम के बारे में सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

गत तीन वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अदा किए गए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की रकम और आयकर की बकाया रकम के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) : मैसर्स ओरियन्ट पेपर मिल्स लिमिटेट कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य में पंजीकृत की गयी थी और इसके पंजीकरण की तारीख 19-11-1947 है। इस कंपनी का नाम मैसर्स ओरियन्ट पेपर मिल्स लिमिटेड से बदल कर मैसर्स ओरियन्ट पेपर एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड कर दिया गया है। इसकी चुकता पूंजी, जिससे इस कंपनी के तुलनपत्र के अनुसार कंपनी में निवेश का पता लगता है, सूचना नीचे दिए अनुसार है—

निम्नलिखित अवधि को समाप्त होने वाले तुलनपत्र की तारीख	चुकता पूंजी (लाख रु० में)
31-3-1948 से 31-3-1950 तक	100.98
31-3-1951 से 31-3-1953 तक	121.95
31-3-1954 से 31-3-1955 तक	226.83

1	2
31-3-1959	276.83
31-3-1957	278.68
31-3-1958	278 68
31-3-1959	281.27
31-3-1960 से 31-3-1941 तक	326.83
31-3-1962	337.84
31-3-1963 से 31-3-1966 तक	370.87
31-3-1967 से 31-3-1979 तक	561.75
31-3-78 और 31-3-1979	752.62

दिल्ली आयकर संयुक्त कर्मचारी संघ से प्राप्त अभ्यावेदन

1503. **श्री एम० अरुणाचलम** : क्या **वित्त** मंत्री दिल्ली आयकर आयुक्त कर्मचारी संघ की ओर से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 19 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7339 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर आयुक्त, दिल्ली-1, दिल्ली आयकर संयुक्त कर्मचारी संघ की ओर से कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं पर दिए गये अभ्यावेदनों पर विचार नहीं कर रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो 1 अप्रैल, 1979 से 31 दिसम्बर, 1979 तक दिल्ली आयकर संयुक्त कर्मचारी संघ की ओर से प्राप्त अभ्यावेदनों की संख्या कितनी है तथा कितने अभ्यावेदनों का उत्तर दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, नहीं। (पिछले प्रश्न की तारीख जो 19 अप्रैल 1979 छपी है वास्तव में 19 अप्रैल 1974 है)

(ख) दिल्ली आयकर संयुक्त कर्मचारी संघ से 1 अप्रैल 1979 से 31 दिसम्बर 1979 तक ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ जिसमें कर्मचारियों की समस्याओं का उल्लेख हुआ हो। तथापि, आयकर आयुक्त, दिल्ली को संयुक्त कर्मचारी संघ से 26 नवम्बर 1979 का एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें मुलाकात के लिए निवेदन किया गया था। जिस समस्या पर संघ के महामंत्री विचार-विमर्श करना चाहते थे उसके बारे में उन से सम्पर्क किया गया। उन्होंने दावा किया कि संघ को संयुक्त परामर्शदाता तंत्र के प्रयोजनार्थ मान्यता दब गई और वह वैसी ही सुविधाओं को प्राप्त करने का हकदार है जैसाकि अन्य संगठनों को प्राप्त है। उन्होंने अपने 8 जनवरी 1980 के पत्र के साथ कुछ काम जात आयकर आयुक्त, दिल्ली को दिए जिनमें बताया गया कि एक विस्तृत नोट अलग से भेजा जा रहा है परन्तु इस संबंध में एक अनुस्मारक भेजे जाने पर भी वह नोट प्राप्त नहीं हुआ है।

कर-सहायकों को आयकर अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा में बैठने की अनुमति

1504. **श्री एम० अरुणाचलम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर विभाग में कर-सहायकों को आयकर अधिकारियों की

विभागीय परीक्षा (ग्रुप-बी) में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उन्हें आयकर अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा (ग्रुप-बी) में बैठने की अनुमति देने का है; और

(घ) यदि हां, तो किस वर्ष/तारीख से ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) यह मामला वित्त मंत्रालय का विभागीय परिषद में उठाया गया है तथा परिषद इस पर विचार करेगी।

भारत-यूरोपीय व्यापार में वृद्धि

1505. **श्री बाला साहेबविखे पाटिल**
श्री फारुक अब्दुल्ला } : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय वाणिज्य सचिव के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधि मण्डल भारत-यूरोपीय व्यापार में वृद्धि करने के लिये यूरोपीय साझा बाजार के साथ दीर्घावधि करार पर बातचीत करने के लिये ब्रसेल्स भेजा गया है; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य शर्तें क्या हैं तथा भारतीय प्रतिनिधि मंडल को यदि कोई रियायतें मिली हैं तो वे क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी नहीं। वाणिज्य सचिव के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमण्डल 29 फरवरी, 1980 को इंडिया ट्रेड सेण्टर के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए बुसेल्स भेजा गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मगरमच्छ की खाल की निर्यात-क्षमता

1506. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मगरमच्छ की खाल की निर्यात क्षमता काफी अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) तथा (ख) मगरमच्छ की खालों के निर्यात पर लगी पूर्ण रोक को ध्यान में रखते हुए उनकी निर्यात क्षमता का कोई निर्धारण नहीं किया गया है।

महाराष्ट्र में सतपुड़ा पहाड़ों पर और अधिक स्थलों का विकास

1507. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पृष्ठभूमि में सुन्दर पहाड़ों वाले कितने गर्म जल स्रोतों को पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने कुछ अन्य ऐसे स्थलों के विकास के बारे में निर्णय किया है जो महाराष्ट्र के सतपुड़ा पहाड़ों में है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उराव) : (क) केन्द्रीय सेक्टर में अभी तक कोई नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

न्यूनतम करदेय सीमा को बढ़ाने के लिए आय-कर दाताओं की ओर से मांग

1508. **श्री विजन एन० पाटिल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर दाताओं की ओर से ऐसी मांग है कि करदेय आय की न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मांग पर विचार करने का है और सीमा को 10,000 रुपये बढ़ाकर 20,000 रुपये करने का है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, हां। सरकार को, व्यक्तिगत आय-कर की छूट सीमा को 20,000 रुपये तक बढ़ाने के संबंध में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं।

(ख) सरकार की प्रतिक्रिया और कराधान नीतियों से संबंधित अन्य सुझाव आम बजट में परिलक्षित होंगे।

भारत और हंगरी के बीच व्यापार

1509. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हंगरी के विदेश मंत्री, जिन्होंने हाल में भारत की यात्रा की थी, दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने हेतु उनसे बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो वस्तुओं के आयात तथा निर्यात के बारे में चर्चा के क्या परिणाम रहे तथा भारत को किस हद तक लाभ होगा; और

(ग) कुल कितनी राशि का व्यापार समझौता हुआ है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) यद्यपि हंगरी के विदेश मंत्री की यात्रा प्रमुख रूप से शिष्टाचार स्वरूप मुलाकात जैसी थी लेकिन इस अवसर पर भारत-हंगरी व्यापार की सामान्य रूप से समीक्षा की गई।

(ग) इस यात्रा के दौरान कोई व्यापार करार सम्पन्न नहीं किया गया।

तेल के आयात का विदेशी मुद्रा पर प्रभाव

1510. **डा० फारूक अब्दुल्ला** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा नीति के कार्यकारी दल ने यह चेतावनी दी है कि तेल के निरंतर आयात से 2000 ईसवी में विदेशी मुद्रा कोष प्राय: समाप्त हो जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि विदेशी मुद्रा रिजर्व तेजी से घट रहा है;

(ग) ऐसा किन कारणों से हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा की स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही हैं; और

(ङ) इस समय विदेशी मुद्रा स्थिति कैसी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) ऊर्जा नीति के कार्यकारी दल ने जनसंख्या और सामान्य अर्थ-व्यवस्था के विकास की दरों और कुछ परिकल्पनाओं के आधार पर और देश में तेल उत्पादन के संभावित स्तर को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान लगाया कि यदि तेल की खपत पर रोक लगाने के लिए नीति संबंधी उपाय न किए गए तो राजकोपाय वर्ष 2000-01 के अन्त तक तेल के आयात के खर्च का स्तर भारत की कुल निर्यात आय का 75 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा ।

(ख) और (ङ) पिछले कुछ महीनों में विदेशी मुद्रा के भंडार में (सोने और विशेष आहरण अधिकारों को छोड़ कर) कुछ कमी हुई है । 14 मार्च, 1980 को सोने और विशेष आहरण अधिकारों को छोड़ कर विदेशी मुद्रा भंडार की राशि 5307.48 करोड़ रुपए थी जबकि सिसम्बर 1976 को यह राशि 5635.90 करोड़ रुपए थी।

(ग) विदेशी मुद्रा के भंडार में होने वाले परिवर्तन दूसरे देशों के साथ भारत के लेन-देनों के निबल परिणामों के द्योतक होते हैं; जिनका ब्योरा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान शेष के आंकड़ों का संकलन कर लिए जाने के बाद ही उपलब्ध होगा ।

तथापि स्थूल रूप से ऐसे संकेत मिले हैं कि पिछले कुछ महीनों में विदेशी मुद्रा के भण्डार में (सोने और विशेष आहरण अधिकारों को छोड़ कर) जो मामूली-सी कमी हुई वह मुख्य रूप से बहुत बड़े व्यापारिक घाटे के कारण हुई हैं; जिनकी दो वजह थीं, एक तो निर्यात का मंद विकास और दूसरे मध्यवर्ती वस्तुओं और कच्चे माल, खाद्य तेलों जैसी आम खपत की वस्तुओं के अधिक आयात तथा कच्चे तेल और पैट्रोलियम उत्पादों, उर्वरकों, अलौह धातुओं आदि के अंतराष्ट्रीय मूल्यों में असामान्य वृद्धि के परिणामस्वरूप आयात बिल में भारी वृद्धि ।

(घ) आयात बिल में भारी वृद्धि के कुछ बाह्य कारण थे जैसे कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों उर्वरकों आदि के अंतराष्ट्रीय मूल्यों में तेजी से वृद्धि होना । घरेलू उत्पादन में सुधार करने और आयात संबंधी आवश्यकताओं को कम करने के विचार से कोयला, कच्चे तेल बिजली जैसे बड़े क्षेत्रों और देश के सामान्य आधारभूत ढांचे में सुधार लाने के लिए कुछ जोरदार कदम उठाए जा रहे हैं। बहुत से क्षेत्रों में निर्यात में वृद्धि करने के लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

कलकत्ता में तथा उसके निकट मत्स्य-उद्योग स्वामियों के घरों पर आयकर छापे

1511. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों ने 5 फरवरी, 1980 को कलकत्ता में तथा उसके निकट मत्स्य-उद्योग स्वामियों के घरों पर कई छापे मारे थे;

(ख) क्या इन छापों में बहुत बड़ी राशि का लेखा बाह्य धन पकड़ा गया था; और

(ग) उक्त छापों में अन्तर्ग्रस्त मत्स्य-उद्योग स्वामियों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) हां। कलकत्ता में 5 फरवरी 1980 को मत्स्य-उद्योग स्वामियों के दो समूहों के घरों की तलाशी ली गई थी।

(ख) छापे के दौरान, प्रथमदृष्ट्या, हिसाब में नहीं दिखायी गई 3,62,000 रु० की नकद रकम तथा 15 लाख रुपये मूल्य के जवाहरात पकड़े गये हैं।

(ग) तलाशियों में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं—

(1) **सरकार समूह**

श्री समीर कुमार सरकार, श्री प्रबीर कुमार सरकार,
श्री प्रदीप कुमार सरकार, श्री मिहिर कुमार सरकार,
श्री पुलक कुमार सरकार, कुमारी हाशीरानी सरकार,
श्रीमती छबिरानी मित्रा और श्रीमती शान्ति बोस (सरकार)

(2) **नस्कर समूह**

श्री अमलेन्दु शेखर नस्कर, श्री विमलेन्दु शेखर नस्कर,
श्री नवेन्दु शेखर नस्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर नस्कर,
श्री अर्धेन्दु शेखर नस्कर, श्रीमती आरती प्रभा नस्कर तथा
श्रीमती जोगेश्वरी नस्कर, कुमारी नस्कर, कुमारी सुमिता नस्कर और
श्री पारेषनाथ मण्डल।

विशाखापत्तनम में एल्यूमिना संयंत्र की स्थापना के लिए सोवियत रूस से वित्तीय सहायता

1512. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस के उप-प्रधान मंत्री ने हाल में विशाखापत्तनम का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने राज्य में एल्यूमिना संयंत्र को लगाने के लिए हमारी सरकार को वित्तीय सहायता देने का आश्वासन दिया था ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) सोवियत रूस के साथ दीर्घकालीन सहयोग के लिए 6 मार्च, 1978 को हुए प्रोतोकोल के अन्तर्गत सोवियत पक्ष द्वारा भारतीय पक्ष को संयंत्र के लिए सोवियत संघ से आयातित उपकरणों और प्रदत्त सेवाओं की लागत को उत्पादन प्रतिपूर्ति योजना के तहत स्वयं वहन करने की पेशकश की

गई है। इसके अलावा वित्तीय सरकार की ओर कोई पेशकश नहीं की गई है।

चीनी के मामले में जमाखोरी और कालाबाजारी करने वाले लोग

1513. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में चीनी के मूल्य में वृद्धि करने में जमाखोरों और कालाबाजारियों के सक्रिय होने के मामलों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य और इस्पात तथा खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) चीनी की जमाखोरी और कालाबाजारी की शिकायतें सरकार की जानकारी में आई हैं।

(ख) चीनी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम और चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय बनाये रखना अधिनियम, 1980 में कड़े उपाय करने की व्यवस्था है। राज्य सरकारों को उक्त कानूनों का पूरा-पूरा उपयोग करने की सलाह दी गई है। इन उपायों में, 26-2-1980 से थोक व्यापारियों के लिए चीनी का स्टाक जमा करने की सीमा को 50 प्रतिशत तक घटा देना शामिल है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों से यह भी कहा गया है कि वे फिलहाल कोई नये थोक विक्रेता लाइसेंस जारी न करें।

तिरुपति की हवाई पट्टी

1514. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुपति हवाई पट्टी को, रात्रि में जहाजों के उतरने की सुविधायुक्त पूर्ण हवाई अड्डा बनाये जाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री जे० बी० पट्टनायक) : (क) और (ख) राज्य विधान सभा के एक प्रश्न के संबंध में, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति विमानक्षेत्र के बारे में ऐसी ही सूचना 1978 में मांगी थी जो उन्हें दे दी गयी थी। विमान क्षेत्र के समीप पहाड़ियां होने के कारण, रात्रिकालीन परिचालनों को सुरक्षित नहीं समझा जाता है। इण्डियन एयरलाइन्स ने भी निकट भविष्य में तिरुपति विमानक्षेत्र पर रात्रिकालीन अवतरण सुविधाओं की कोई आवश्यकता प्रस्तावित नहीं की है।

सरकारी कर्मचारियों का वेतन और महंगाई भत्ता बढ़ाने का मापदंड

1515. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन तथा महंगाई भत्ता आदि में प्रतिवर्ष जो वृद्धि की जाती है उसका मापदंड क्या है;

(ख) क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य सुविधाएं निश्चित करते समय समाज के अन्य लोगों की वित्तीय स्थिति, उनका जीवन स्तर और कार्य करने के घंटों आदि को भी ध्यान में रखती है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि सरकार के उपरोक्त रवैये के विरुद्ध आम जनता में भारी असन्तोष और आक्रोश व्याप्त है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों में सामान्य संशोधन समय-समय पर स्थापित किए गए वेतन आयोगों की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। वेतनमानों में प्रतिवर्ष संशोधन नहीं किया जाता। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वर्तमान वेतन की संरचना तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है और यह संरचना 1-1-73 से प्रभावी है। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए नई वेतन संरचना को तैयार करते समय, वेतन आयोग ने देश में प्रतिव्यक्ति की कम आय, गम्भीर बेरोजगारी की स्थिति तथा राज्य सरकारों के वित्त पर संभावित प्रतिक्रिया पर पूरा ध्यान दिया था।

महंगाई भत्ते के बारे में तीसरे वेतन आयोग ने एक फार्मूले की सिफारिश की थी जिसके आधार पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सामान्य (1960=100) के 12 महीने के औसत में 200 अंकों से ऊपर प्रत्येक 8 अंकों की वृद्धि के लिए दिया जाना था। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के लिए सरकार द्वारा इस फार्मूले के आधार पर विचार किया जाता है।

(ग) मजदूरी नीति संबंधी फसलों की जटिलता और विविधता को देखते हुए उनके बारे में सार्वजनिक प्रतिक्रिया का निर्धारण करना आसान नहीं है।

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के पर्यटकों के लिए सुविधाएं

1516. **श्री मूलचन्द डागा : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विभाग ने विभिन्न राज्यों के उन पर्यटकों के लिए जनता होटल तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु एक योजना बनायी है जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं और पर्यटक रुचि के स्थानों तथा भारत में किए गए विकास कार्यों को देखना चाहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) जी, हां। स्वदेशी पर्यटकों और अन्तर्राष्ट्रीय बजट पर्यटकों को स्वच्छ, आरामदायक और सस्ता आवास उपलब्ध कराने संबंधी निर्णय के अनुसरण में, नई दिल्ली में 1250 बैड वाले एक जनता होटल (अशोक यात्री निवास) का निर्माण किया जा रहा है। पंचवर्षीय योजना 1978-83 में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के महानगरों में ऐसी ही इकाइयों के निर्माण की परिकल्पना की गयी है। अन्य महत्वपूर्ण केन्द्रों पर जिनका चयन एक सर्वेक्षण के बाद किया जाएगा, अपेक्षाकृत छोटी इकाइयों की स्थापना की

जाएगी, बशर्ते धन-राशि उपलब्ध हो। राज्य सरकारों और निजी उद्यमकर्त्ताओं को कम लागत वाले होटल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए उन्हें, अनुरोध पर, मॉडल डिजाइन उपलब्ध कराए जाएंगे।

एयर-इंडिया द्वारा देय आयकर

1517. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया द्वारा अपने वर्ष 1974-75, 1975-76, 1976-77 और 1977-78 के लाभ-हानि के लेखों के आधार पर आयकर की कितनी राशि देय थी;

(ख) वर्ष 1975-76 और 1977-78 के लिए एयर इंडिया को दी गई सीमा शुल्क की छूट की राशि कितनी थी;

(ग) जहाजों के पुर्जों के आयात के लिए सीमा-शुल्क में दी गई छूट की कुल राशि कितनी थी; और

(घ) वर्ष 1975-76 और 1977-78 के लिए बिक्री कर के रूप में महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडू (केवल एयर इण्डिया) से मिली छूट कितनी थी?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री जे० बी० पट्टनायक) : (क) एयर इण्डिया द्वारा 1974-75, 1975-76, 1976-77 और 1977-78 के वर्षों के लिए कोई भी आयकर देय नहीं था।

(ख) एयर इण्डिया द्वारा खरीदे गए विमानों के बारे में 1975-76 से 1977-78 के वर्षों के लिए सीमा शुल्क से छूट की राशि 484.27 लाख रुपए थी।

(ग) 1975-76 से 1977-78 के वर्षों के लिए विमानों के फालतू पुर्जों के आयात के लिए सीमा शुल्क में छूट की कुल राशि 1893.85 लाख रुपए थी।

(घ) महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल और तामिलनाडु सरकारों की ओर से इन राज्यों से उठाए जाने वाले विमानन ईंधन के लिए बिक्री-कर से छूट की राशि निम्न प्रकार थी :—

1975-76	288.80 लाख रुपए
1977-78	458.50 लाख रुपए

राजकोट के लिए बोइंग विमान सेवा

1518. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि यातायात क्षमता तथा लम्बी प्रतीक्षा सूची के बावजूद भी राजकोट के लिए कोई बोइंग सेवा नहीं और वह अहमदाबाद तथा कांडला से भी जुड़ा हुआ नहीं है जिससे कि वह दिल्ली के लिए कनैक्शन ले सके;

(ख) क्या सरकार को पता है कि सौराष्ट्र में भावनगर, जामनगर तथा भुज जैसे तुलनात्मक दृष्टि से छोटे स्थानों के लिए बोइंग सुविधा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अप्रैल 1980 से लागू होने वाली नई समय-सारिणी में राजकोट के लिए बोइंग विमान सेवा उपलब्ध कराने पर विचार करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री जे० बी० पट्टनायक) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) इंडियन एयरलाइंस की अपने विमान-बेड़े में सितम्बर, 1980 तक चार और बोइंग-737 विमान जोड़ लेने के बाद बम्बई तथा राजकोट के बीच एक दैनिक बोइंग-737 विमान सेवा चालू करने की योजना है।

रुई की गांठों का निर्यात

1519. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978 की तुलना में वर्ष 1979 के दौरान गुजरात से रुई की कितनी गांठों का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : गुजरात राज्य सरकारी रुई विपणन महासंघ ने 1-4-1979 से 18-3-1980 तक की अवधि के दौरान 19,727 गांठों का निर्यात किया जबकि 1-4-1978 से 31-3-1979 तक की अवधि के दौरान उसने 16,331 गांठों का निर्यात किया था।

उत्तर-पूर्वी भारत का "पर्यटकों का स्वर्ग" के रूप में विकास

1520. **श्री पी० ए० संगमा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण उत्तर-पूर्वी भारत को उसकी जलवायु और प्राकृतिक सौन्दर्य के कारण "पर्यटकों का स्वर्ग" के रूप में विकसित किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के ध्यान से यह अब तक कैसे बचा रहा; और

(ग) सम्पूर्ण उत्तर-पूर्व क्षेत्र को भारत के पर्यटन-मानचित्र पर लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं अथवा करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ख) उत्तरी-पूर्वी राज्यों में प्रवेश-प्रतिबंधों के कारण, इस क्षेण के लिए पर्यटन संवर्धन हेतु इन राज्यों में पर्यटक आकर्षणों विकास कर पाना संभव नहीं हो सका है। तथापि, पर्यटन विभाग की पहल पर, अब अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन काजीरंगा वन्यजीव विहार स्थल और शिलांग की क्रमशः 7 दिन और 15 दिन तक यात्रा कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें किसी परमिट की आवश्यकता नहीं होगी बशर्ते वे गोहाटी तक आने और वापस जाने संबंधी यात्रा वायुयान द्वारा करें और गोहाटी से शिलांग, काजीरंगा के लिए निर्धारित मार्गों द्वारा यात्रा करें।

केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा पहले ही काजीरंगा वन्य जीव विहार स्थल पर एक वन-गृह का निर्माण किया जा चुका है और गोहाटी तथा शिलांग में उपयुक्त स्थालों पर एक-एक युवा होस्टल के निर्माण का प्रस्ताव है। ये उपयुक्त स्थल राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

यह आशा की जाती है कि उपर्युक्त उपायों द्वारा उत्तर-पूर्व क्षेत्र के इन केन्द्रों के लिए पर्यटक यातायात का संवर्धन होगा।

इस्पात के उपभोक्ता एककों द्वारा कदाचार

1521. **श्री के० पी० सिंह देव**
श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी } : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात वितरण की वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत लगभग 45 प्रतिशत उपभोक्ता एककों को कदाचार में लगे हुए पाया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यद्यपि उत्पादन में कमी के कारण पूर्ति की जो स्थिति थी वह आयात करने के फलस्वरूप इतनी खराब नही रह गई थी फिर भी इस्पात की निरंतर कमी बनी हुई है और उससे छोटे उपभोक्ताओं को कठिनाई हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो वितरण प्रणाली को और सुधारने और मूल्य-वृद्धि पर रोक लगाने हेतु बाजार में पर्याप्त मात्रा जारी किए जाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) यह कहना ठीक न होगा कि 45 प्रतिशत उपभोक्ता एककों को कदाचार में लगे हुए पाया गया है। अप्रैल, 1979 से जनवरी, 1980 की अवधि में लोहा और इस्पात संगठन द्वारा विवर्जित किये गये एककों की संख्या 294 और आगे जांच किए जाने तक और माल लेने से अस्थाई रूप से निलम्बित किये गये एककों की संख्या 471 है। यह संख्या इस्पात उपभोक्ता एककों की कुल संख्या का बहुत कम प्रतिशत है।

(ख) यह ठीक है कि देशीय उत्पादन में कमियों के बावजूद काफी मात्रा में आयात के कारण कुल मिलाकर इस्पात की उपलब्धि इतनी बुरी नहीं हैं। इसलिए यह कहना ठीक न होगा कि इसकी लगातार कमी चल रही है, यद्यपि मांग बढ जाने कारण पिछले वर्ष की तुलना में कुल उपलब्धि अधिक होने के बावजूद कुछ किस्मों के इस्पात की कमी हो सकती है। जहां तक लघु क्षेत्र की इकाइयों का संबंध है, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं। लघु उद्योग निगमों की सप्लाई में उत्तरोत्तर वृद्धि की गई है। वर्ष 1977-78 में लगभग 176,000 टनऔर 1978-79 में लगभग 333,000 टन की सप्लाई के मुकाबले में चालू वर्ष में लगभग 500,000 टन अधिक माल सप्लाई करने का कार्यक्रम है।

(ग) वितरण-व्यवस्था की सतत समीक्षा की जाती है और जैसे और जब आवश्यक होता है परिवर्तन किये जाते हैं। कम सप्लाई वाली श्रेणियों का प्रयाप्त मात्रा में आयात करने के अलावा देशीय उत्पादन बढ़ाने के लिए भी प्रयत्न किये जा रहे हैं। इनमें इस्पात कारखानों को बिजली और अच्छी किस्म के कोककर कोयले की अधिकाधिक सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय, दामोदर घाटी निगम, राज्य विद्युत बोर्डों, कोयला सप्लाई करने वाले अभिकरणों और रेलवे के साथ निकट और सतत् सम्पर्क रखना शामिल हैं। औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं में विभिन्न कमियों और कठिनाइयों को दूर करने के लिए हाल में बनाई गई मंत्रिमंडल की एक समिति कोयले और बिजली

की स्थिति की हर सप्ताह समीक्षा करती है।

पश्चिम बंगाल को सीमेंट, चीनी, खाद्य तेल आदि की सप्लाई

1522. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पश्चिमी बंगाल सरकार ने उस राज्य में चल रहे सीमेंट, चीनी, खाद्य तेल, डीजल और मिट्टी के तेल के गंभीर संकट के बारे में सूचित किया है;

(ख) यदि हां, तो अक्टूबर, 1979 से फरवरी, 1980 तक इन वस्तुओं की मांग, केन्द्र द्वारा आबंटन और वास्तविक सप्लाई का महीनेवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त वस्तुओं की केन्द्र द्वारा की जाने वाली सप्लाई में कमी के लिए उत्तरदायी कारण, यदि कोई हों तो क्या हैं; और

(घ) इस गंभीर संकट का सामना करने के लिए राज्य सरकार की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) कुछ समय पूर्व पश्चिम बंगाल के खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री ने पश्चिम बंगाल में सीमेंट, चीनी, खाद्य तेलों, डीजल तथा मिट्टी के तेल की कमी की सूचना दी थी।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दी गई सूचना विवरण में दी गई है।

(ग) पश्चिम बंगाल सहित देश के अनेक भागों में पिछले कुछ महीनों के दौरान संदर्भाधीन वस्तुओं की आपूर्ति की स्थिति पर इन कारणों से बुरा प्रभाव पड़ा है—इनमें से कुछ वस्तुओं के उत्पादन में कमी होना, ढुलाई संबंधी बाधाएं, चीनी के लिए दोहरी मूल्य प्रणाली फिर से लागू करने में आने वाली आरंभिक कठिनाइयां, बिजली की कटौती के कारण कुछ तेल शोधक कारखानों में तेल परिष्करण कार्य में हुई कमी। आयातित खाद्य तेलों के मामले में सप्लाई में कमी होने का कारण आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल में परिष्करण की अपर्याप्त क्षमता का होना तथा आंशिक रूप से राज्य सरकार के नामित द्वारा समय से स्टाक न उठाया जाना है।

(घ) इन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने तथा ढुलाई में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आयात करके सीमेंट की सप्लाई भी बढ़ाई जा रही है। चूंकि पश्चिम बंगाल के कोटे की आबंटित अधिकांश लेवी चीनी, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के चीनी उत्पादक राज्यों में स्थित फैक्ट्रियों से ले जायी जानी है, अतः संचलन संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए मौके पर निर्णय लेने की दृष्टि से बम्बई और लखनऊ में समय-समय पर पुनरीक्षण बैठकें आयोजित की गई हैं। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में स्थित फैक्ट्रियों से लेवी चीनी पश्चिम बंगाल को ले जाने के लिए रेकों की व्यवस्था की गई है। भारतीय खाद्य निगम से, कुछ फैक्ट्रियों द्वारा बैंगनों के लिए इंडेंट भेजने में की जाने वाली देरी की शिकायतें मिलने पर उन फैक्ट्रियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि उनके खिलाफ मुकदमे दायर किए जाएंगे। उठाए गए विभिन्न कदमों के फलस्वरूप राज्यों को मार्च, 1980 के दौरान, मार्च, 1979 में हुई बिक्री की तुलना में 9% अधिक डीजल तथा 10%

अधिक मिट्टी का तेल सप्लाई करना संभव हो सकेगा। पश्चिम बंगाल सरकार की परिष्कृत रेपसीड तेल की सप्लाई बढ़ाने की दृष्टि से भारतीय राज्य सरकार निगम ने अब रेपसीड तेल पर्याप्त मात्रा में परिष्कृत करने और उसे पश्चिम बंगाल को भेजने के लिए व्यवस्था की है। जहाँ तक आर० बी० डी० ताड़ के तेल का संबंध है। राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है कि वह राज्य व्यापार निगम से, जो इसका आयात करता है, तथा स्टाक रखता है, वांछित मात्रा प्राप्त कर सकती है। राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के दौरान यह भी अनुरोध किया गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को समय-समय पर आवंटित खाद्य तेलों के स्टाक को समय से उठाने तथा वितरित करने के लिए राज्य सरकार की नामित एजेंसी द्वारा समुचित व्यवस्था की जाए।

विवरण

पश्चिम बंगाल के बारे में सीमेंट, डीजल, मिट्टी के तेल, चीनी और आयातित खाद्य तेलों की मांग, आबंटन, वास्तविक आवक/वास्तविक निर्गम/आपूर्ति के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दी गई सूचना।

सीमेंट

मांग	आबंटन	वास्तविक आवक
तिमाही 111/79 (अक्तू०-दिस०) 4,50,000 मीटरी टन	3,39,625 मीटरी टन	2,11,462 मीटरी टन
तिमाही 1/80 (जन०-मार्च 80) 4,50,000 मीटरी टन	2,86,000 मीटरी टन	1,50,000 मीटरी टन

डीजल

मांग	आबंटन	निर्मुक्त की गई वास्तविक मात्रा
65,000 मीटरी टन	अक्तू० 79 —43085 मीटरी टन	अक्तू०, 79 462040 मीटरी टन
नव०, 79	57,246 मीटरी टन	नव०, 79 57,762 मीटरी टन
दिस०, 79	62,318 मीटरी टन	दिस०, 79 58,669 मीटरी टन
जन०, 80	500,00 मीटरी टन	जन०, 80 50,619 मीटरी टन
फर०, 80	52,740 मीटरी टन	फर०, 80 50980 मीटरी टन

मिट्टी का तेल

मांग	आबंटन	निर्मुक्त की गई वास्तविक मात्रा
अक्तू०,79 35,000 मीटरी टन	32,440 मी० टन	31,730 मी० टन
नव०, 79 —वही—	32,279 मी० टन	33,170 मी० टन
दिस०, 79 40,000 मी० टन	3?,695 मी० टन	32,810 मी० टन
जन०, 80 —वही—	28,878 मी० टन	32,040 मी० टन
फर०, 80 —वही—	28,452 मी० टन	28,100 मी० टन

चीनी

मांग	आबंटन	आवक
34,000 मी० टन प्रतिमास	दिस०,79 (भाग) 8,109	कुल
	फर०, 80 25,015	11-3-80 तक आवक
	मार्च, 80 22018.5 मी०टन	14,000 मी० टन

खाद्य तेल

रेपसीड तेल	आबंटन	राज्य व्यापार निगम द्वारा सप्लाई
अक्तू०, 79	5,000 मी० टन	2,103 मी० टन
नव०, 79	5,000 मी० टन	1,157 मी० टन
दिस०, 79	5,000 मी० टन	1,464 मी० टन
जन०, 80	5,000 मी० टन	1,441 मी० टन
फर०, 80	5,000 मी० टन	1,703 मी० टन

आर० बी० बी०

ताड़ का तेल	आबंटन	राज्य व्यापार निगम द्वारा सप्लाई
सितंबर, से दिसंबर, 1979 तक	4,000 सित०, 79	500 मी० टन
	अक्तू०,79	500 मी० टन
	नव०, 79	1,100 मी० टन
	दिस०, 79	550 मी० टन
जन०, 80	2,000 मी० टन	575 मी० टन
फर०, 80	2,000 मी० टन	1,066 मी० टन

भूतपूर्व प्रधान मंत्री (श्री चरण सिंह) का स्विस बैंक से चुनावों (1980) के लिए भारी रकम निकलवाने के संबंध में वक्तव्य

1523. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व प्रधान मंत्री (श्री चरण सिंह) का यह वक्तव्य देखा है कि वर्तमान प्रधान मंत्री ने चुनावों (1980) के लिए स्विश बैंक से भारी रकम (करोड़ों रुपये) निकलवाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए भारी निधि कहां से आई ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) समाचार-पत्रों में छपी ऐसी कुछ खबरें सरकार की जानकारी में आयी हैं, जिनमें भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री चरण सिंह ने अपने आम भाषणों के

दौरान और संवाददाताओं के साथ हुई बैठकों में यह आरोप लगाया था कि वर्तमान प्रधान मंत्री ने स्विस बैंक से भारी रकमें निकाली हैं। सरकार यह बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती है कि इस आरोप के समर्थन में कोई सरकारी सूचना नहीं मिली है। अतः इसे सत्य नहीं माना जा सकता।

जनता पार्टी की सरकार ने प्रकट रूप से विभिन्न कारणों से विदेश में अनेक जांचकर्त्तादल भेजे थे लेकिन वस्तुतः उनका काम ऐसे आरोपों की जांच करना ही था। ऐसा भी लगता है कि तत्कालीन प्रधान मंत्री ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गयी जांच में अन्य स्रोतों की मदद ली थी। ऐसे कड़े प्रयासों के बावजूद भी, जनता सरकार को तनिक सा भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिल सका जिससे मामूली सा भी यह पता लग सके कि विदेशों में श्रीमती गांधी की रकमें थीं अथवा उनकी ओर से जमा थी।

(ग) वर्तमान सरकार की यह नीति नहीं है कि वह राजनैतिक पार्टियों द्वारा चुनाव लड़ने के लिए किये गये खर्चों के बारे में सूचना इकठ्ठी करे अथवा किन्हीं ऐसे स्रोतों का पता लगा लगाए, जिससे इस खर्चे को पूरा करने के लिए पैसा लिया गया हो।

एयर इण्डिया द्वारा अपने अधिकारियों पर किया गया भारी खर्च

1524. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया ने एयर इण्डिया के कुछ अधिकारियों के लिए क्लब को भोजन और शराब के मूल्यों के भुगतान सहित निम्नलिखित राशि अदा की;

76-77	2.74 लाख रु०
77-78	3.59 लाख रु०
78-79	3.27 लाख रु०

(ख) क्या अकेले एयर इण्डिया के मैनेजर ने ओसाका में 77-78 से 78-79 के बीच क्लब के खर्चे के रूप में 1 लाख 6 हजार 4 सौ छिहत्तर रुपये खर्च किए;

(ग) क्या एयर इण्डिया के मैनेजर ने सिंगापुर में इसी अवधि में क्लब के खर्चे के रूप में 41,546 रु० खर्च किए और अन्य इसी प्रकार के बहुत से मामले हैं;

(घ) क्या एयर इण्डिया के अधिकारी विदेशों में 3 से 11 तक क्लबों के सदस्य हैं;

(ङ) क्या सरकार एयर इण्डिया के वाणिज्यिक हितों को बढ़ाने में खर्च की गई वास्तविक धन राशि तथा अपने निजी मनोरंजन पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा देने की स्थिति में है;

(च) क्या इस व्यय की कोई विशेष लेखापरीक्षा की गई है; और

(छ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री जे० बी० पट्टनायक) : (क) से (छ) ये मसले सार्वजनिक उद्यम समिति (1978-79) (छठी लोक सभा) की रिपोर्ट में सम्मिलित हैं जोकि सरकार के विचाराधीन हैं। इन रिपोर्टों पर सरकार के उत्तर को अन्तिम रूप देते ही समिति के समक्ष रख दिया जाएगा।

दिल्ली से पूना तक बोइंग उड़ान

1525. **श्री वी० एन० गाडगिल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मराठा चैम्बर आफ कामर्स ने अनुरोध किया है कि दिल्ली से पूना तक, या तो दिल्ली-बम्बई बेलगांव उड़ान के एक अंश के रूप में अथवा स्वतंत्र रूप से, प्रतिदिन एक नियमित बोइंग-उड़ान होनी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसी एक उड़ान आरम्भ करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री जे० बी० पट्टनायक) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली/पुणे/दिल्ली मार्ग पर वर्तमान यातायात की मांग से एक सीधी विमान सेवा के परिचालन का औचित्य सिद्ध नहीं होता। तथापि, दिल्ली/पुणे के यात्रियों के लिए बम्बई के मार्ग से उसी दिन संयोजी उड़ान उपलब्ध है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा-राशि

1526. **श्री मधु दंडवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा-राशि कुल कितनी है;

(ख) इस जमा-राशि में किसानों का योगदान कितने प्रतिशत होता है; और

(ग) किसानों को दिए जाने वाले ऋणों का प्रतिशत क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) दिसंबर, 1979 के अन्तिम शुक्रवार को स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल जमा राशियां 25977 करोड़ रुपये थी।

(ख) और (ग) सांख्यिकीय सूचना देने की वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत क्षेत्रवार बैंक जमा राशियों के स्रोत के बारे में सूचना देने की व्यवस्था नहीं है। जून, 1979 को स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल कृषि ऋणों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) को बकाया राशि 22.45 करोड़ रुपये थी जो उनके कुल ऋण का 14.1 प्रतिशत बैठती है।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया और बैंक आफ इण्डिया के बैंक-शुल्क में अंतर

1527. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया और बैंक आफ इण्डिया दोनों ही राष्ट्रीयकृत बैंक होने के बावजूद उनके तार अन्तरण, डाक अन्तरण, डिमाण्ड ड्राफ्ट आदि संबंधी बैंक-शुल्कों में बहुत अधिक अन्तर है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इनमें से किसी भी बैंक द्वारा उच्च दरों पर लिया गया अधिक शुल्क वापस किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) विभिन्न बैंकों में, टेलीग्राफिक अन्तरणों, डाक द्वारा अन्तरणों, डिमाण्ड ड्राफ्टों आदि जैसी विभिन्न सेवाओं के लिए बैंक

प्रभारों (चार्जिज) में एकरूपता नहीं है क्योंकि बैंक इन प्रभारों को अपने कर्मचारियों तथा अन्य परिचालन लागतों, डाक और तार प्रभारों आदि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करते हैं। यह प्रभार एक ही बैंक की विभिन्न शाखाओं के बीच भी अलग-अलग होते हैं क्योंकि प्रबंधक, ग्राहकों (पार्टियों) के साथ बैंक कारोबार के परिमाण के आधार पर स्वेच्छा से इन प्रभारों को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। बैंकों में उत्पादकता, कार्यकुशलता और लाभप्रदता के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त किए गए कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने भी यह मत प्रकट किया है कि सेवाओं की कीमतें अपरिवर्तनीय नहीं हो सकतीं और अनेक बातों पर निर्भर रहते हुए इन कीमतों को अलग अलग रखना ही होगा। चूंकि, इस प्रकार के प्रभार, विभिन्न बैंकों के लिए सामान्यत: एक स्तर पर निश्चित नहीं किए जाते इसलिए एक बैंक की अपेक्षा, दूसरे बैंक द्वारा लिए गए अधिक प्रभारों को वापस करने का प्रश्न नहीं उठता।

जीरे का निर्यात

1528. **श्री विरधी चन्द जैन :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीरा एक व्यापारिक उत्पाद है;

(ख) क्या विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए इसके उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए पिछले 20 वर्षों से जीरे का बराबर निर्यात किया जा रहा है, यदि हां, तो किन देशों को इसका निर्यात किया जाता है;

(ग) क्या सरकार ने इसके निर्यात पर अब प्रतिबन्ध लगा दिया है जिसके कारण इसके मूल्यों में काफी गिरावट आ गई है; और

(घ) क्या सरकार जीरे का निर्यात पुन: शुरू करेगी/उसमें वृद्धि करेगी ताकि किसानों को उसका उचित मूल्य मिल सके और विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके; यदि हां तो कब से ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ती मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) जी हां।

(ख) 4-1-78 से 20-1-79 तक की अवधि को छोड़कर जीरे का निर्यात किया जा रहा है। नेपाल, जापान, सऊदी अरब, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमिरात, ओमान, इराक, सिंगापुर, जाम्बिया, तंजानिया, केन्या, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फिजी द्वीप समूह और आस्ट्रेलिया वे मुख्य देश हैं जिन्हें जीरे का निर्यात किया जाता है।

(ग) फिलहाल जीरे के निर्यात पर कोई पाबन्दी नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इण्डियन एयर लाइंस में पदोन्नतियों में अनियमिताओं की जांच करने के लिए जांच समिति

1529. **श्री भगवान देव :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1977-78, 1978-79 और 1979-80 में इण्डियन एयरलाइंस में

नियमों का उल्लंघन करके बहुत सी पदोन्नतियां की गई थीं;

(ख) यदि हां, तो इन अनियमितताओं की जांच करने के लिए सरकार एक जांच समिति नियुक्त करेगी;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार स्वयं इन अनियमितताओं को दूर करेगी तथा प्रभावित व्यक्तियों को उनका न्यायोचित भाग देगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री जे० बी० पट्टनायक) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

राज्य व्यापार निगम द्वारा तम्बाकू उत्पादों की खरीद तथा निर्यात

1530. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाराम** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम तम्बाकू युक्त उत्पादकों की खरीद तथा उनका निर्यात करता है; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादकों के नाम क्या हैं और चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक कुल कितनी मात्रा में उनकी खरीद तथा निर्यात किया गया ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चांदी का निर्यात

1531. **श्री बापूसाहिब परलेकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1980 में बम्बई सराफा बाजार में चांदी के मूल्यों में नाटकीय वृद्धि हुई थी, तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार का चांदी के निर्यात पर से प्रतिबंध हटाने का विस्तार है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जनवरी 1980 के प्रारम्भिक दिनों में बम्बई के सराफा बाजार में चांदी की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई; 3 जनवरी को कीमतें तेजी से बढ़कर 4933 रुपए प्रति किलो और 4 जनवरी को 6000 रुपए प्रति किलो हो गई। फरवरी 1980 में चांदी की कीमतें 3078 रुपए और 3525 रुपए के बीच घटती-बढ़ती रहीं। भारत में चांदी की कीमतों में वृद्धि नाटकीय ढंग से विदेशों में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप हुई।

(ख) चांदी के निर्यात पर से प्रतिबंध हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि फिलहाल मौजूदा नीति में कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझा जाता।

कुछ माननीय सदस्य : खड़े हो गए। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमती के बिना कार्यवाही-वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाये।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

पेन्ट तथा सहायक उत्पाद निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1980 और मिट्टी से बनी पालिश की हुई टाइलों का निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1980, बाट और माप मानक (पैकशुदा वस्तुएं) संशोधन नियम, 1980, बड़ी इलायची को पौधा घोषित करने के बारे में अधिसूचना, इलायची बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1978-79, कॉफी बोर्ड के वर्ष 1976-77 के प्रमाणी कृत लेखे, मूल रसायन, फर्मेस्यूटिकल्स तथा प्रसाधन सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद् बम्बई के 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, रबड़ अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत अधिसूचना और भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य और इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मैं निम्न-लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) पेन्ट तथा सहायक उत्पाद निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1980 जो दिनांक 16 फरवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 356 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) मिट्टी से बनी पालिश की हुई टाइलों का निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1980, जो दिनांक 16 फरवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 359 में प्रकाशित हुए थे।

[**ग्रंथालय में रखे गए** : देखिए संख्या एल० टी०—596/80]

(2) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, बाट और माप मानक (पैकशुदा वस्तुएं) संशोधन नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजों संस्करण), जो दिनांक 23 फरवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 59(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[**ग्रंथालय में रखा गया**। देखिए संख्या एल० टी०—597/80]

(3) इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 3 के अन्तर्गत, जारी की गई अधिसूचना सख्या सां० आ० 25/1/78-एडम (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 14 जुलाई, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बड़ी इलायची को इलायची का पौधा घोषित किया गया है।

[**ग्रंथालय में रखा गया**। देखिए संख्या एल० टी—598/80]

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(4) इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, इलायची बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1978-79 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—599/80]

(5) कॉफी बोर्ड के वर्ष 1976-77 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उस पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 600/80]

(6) मूल रसायन, फार्मेस्यूटिकल्स तथा प्रसाधन सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई के 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 601/80]

(7) रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 25 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 2207 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 30 जून, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 11 जनवरी, 1978 की अधिसूचना संख्या सां० आ० 13(ङ) में कतिपय संशोधन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 602/80]

(8) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति—

(एक) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण, नई दिल्ली का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उस पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 603/80]

रेलवे सुरक्षा आयुक्त का वर्ष 1676-77 का प्रतिवेदन

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : रेलवे सुरक्षा आयोग के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण पर रेलवे सुरक्षा आयुक्त के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—604/80]

विभिन्न राज्य कृषि उद्योग निगमों के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलम्ब के कारणों के 6 विवरण

कृषि और ग्रामीण पुनर्गठन मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति—

(क) (एक) उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम, लिमिटेड लखनऊ का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखें गए। देखिए संख्या एल० टी०—605/80]

(ख) (एक) आंध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, हैदराबाद के 30 जून, 1975 को समाप्त हुई अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, हैदराबाद का 30 जून, 1975 को समाप्त हुई अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—606/80]

(ग) (एक) तमिलनाड कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) तमिलनाडु कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पिणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—607/80]

(घ) (एक) केरल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—608/80]

(ङ) (एक) उड़ीसा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, कटक के वर्ष 1971-72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उड़ीसा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, कटक का वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) उड़ीसा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, कटक के वर्ष 1973-74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उड़ीसा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, कटक का वर्ष 1973-74 का वार्षिक

प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले छः विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 609/80]

तम्बाकू बोर्ड का वर्ष 1978-79 का प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा

श्री प्रणब मुखर्जी : वाणिज्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जैड० आर० अंसारी) की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 19 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(2) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 610/80]

दिल्ली वित्तीय निगम का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 38 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली वित्तीय निगम के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन जो दिनांक 29 अगस्त, 1979 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 6/7/79-फिन—(जी) में प्रकाशित हुआ था सभा पटल पर रखता हूं ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 611/80)

राज्य सभा से सन्देश

सचिव : महोदय मैं राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देता हूं :—

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे एततद्वारा बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1980, जो लोक सभा द्वारा 15 मार्च, 1980 को हुई अपनी बैठक में पास किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिये भेजा गया था, वापस भेजने तथा यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को उक्त विधेयक के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के

उपबन्धों के अनुसरण में मुझे एतत्द्वारा बिहार विनियोग विधेयक, 1980 जो लोग सभा द्वारा 15 मार्च, 1980 को हुई अपनी बैठक में पास किया गया था तथा राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिये भेजा गया था, वापस भेजने तथा यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को उक्त विधेयक के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे एतत्द्वारा गुजरात विनियोग (लेखानुदान) निधेयक 1980 जो लोक सभा द्वारा 15 मार्च, 1980 को हुई अपनी बैठक में पास किया गया था तथा राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिये भेजा गया था, वापस भेजने तथा यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को उक्त विधेयक के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(चार) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे एतत्द्वारा गुजरात विनियोग विधेयक, 1980, जो लोक सभा द्वारा 15 मार्च, 1980 को हुई अपनी बैठक में पास किया गया था तथा राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिये भेजा गया था, वापस भेजने तथा यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को उक्त विधेयक के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(पांच) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 186 ने उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनसार मुझे इसके साथ मध्य प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 1980 को लौटाने का निदेश हुआ है जो लोक सभा द्वारा 15 मार्च, 1980 को हुई उसकी बैठक में पारित किया गया था, और राज्य सभा की सिफारिश हेतु राज्य सभा को भेजा गया था। इस संबंध में मुझे यह निवेदन करने का भी निदेश हुआ है कि उक्त विधेयक के संबंध में इस सदन को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(छः) "राज्य सभा के प्राक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम के उप-नियम (6) के उपबन्ध वे अनुसार, मुझे इसके साथ मध्य प्रदेश विनियोग विधेयक, 1980 को लौटाने का निदेश हुआ है जो लोक सभा द्वारा 15 मार्च, 1980 के हुई उसकी बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा की सिफारिश हेतु राज्य सभा को भेजा गया था। इस संबंध में मुझे यह निवेदन करने का भी निदेश हुआ है कि इस सदन को उक्त विधेयक के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(सात) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमों वे नियम 186 के उप-नियम (6) के अनुसार मुझे एक साथ महाराष्ट्र, विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1980 को लौटाने का निदेश हुआ है जो लोक सभा द्वारा 1 मार्च, 1980 को हुई उसकी बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा की सिफारिश हेतु राज्य सभा को भेजा गया था। मुझे यह निवेदन करने का भी निदेश हुआ है कि इस सदन को उक्त विधेयक के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(आठ) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के अनुसार मुझे उसके साथ महाराष्ट्र, विनियोग विधेयक, 1980 को लौटाने का निदेश

हुआ है जो लोक सभा द्वारा 1 मार्च, 1980 को हुई उसकी बैठक में पारित किया था और राज्य सभा की सिफारिश हेतु राज्य को भेजा गया था। मुझे यह निवेदन करने का भी निदेश हुआ है कि इस सदन को उक्त विधेयक के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, श्री अजय विश्वास (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : आप जिस मामले का उल्लेख कर रहे है, वह सभ्य में उठाया जा रहा है, (व्यवधान)

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : मुझे अभी-अभी बताया गया है कि स्थगन प्रस्ताव नामंजूर कर दिया गया है। मैं जनना चाहता हूं कि उसको किस आधार पर नमंजूर किया गया है। आपको मुझे वताना होगा। उन्होंने मुझे कारण नहीं बताये। इस संबंध में प्रक्रिया है उच्च न्यायालय भवन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सामने बन्दूक रख दी जाती है और क्या हो सकता है।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसको सभा में उठाया जा रहा है।...(व्यवधान)।

मैंने इसके साथ पूरा-पूरा न्याय किया है।

अब आप बेकार में सभा को परेशान कर रहे हैं (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : (व्यवधान) अब शान्त रहिए आप एक दृष्टांत, उदाहरण पेश कर रहे हैं संसद में काम करने का। देखिये अगर एक आदमी खड़ा होकर बात करेगा तो उसकी बात सुनी जा सकती है। आप बैठे-बैठे बात करते हैं, और एक मिनट में करते हैं, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप सुन लीजिये, सोच लीजिये। अगर यही अच्छा लगता है तो कैसे काम चलेगा।...(व्यवधान)

आप भी बहुत उत्तेजित होते हैं, यह बात ठीक नहीं है। इधर से आप 5, 7 आदमी एक साथ खड़े हो कर बात करते हैं। आप को एक पौइंट उठाना था तो मैं उसका जवाब भी देता, उस पर रूलिंग भी दे सकता हूं। लेकिन 10 आदमी एक साथ बात खड़े हो कर करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। और जब आप 10 आदमी खड़े होते हैं तो वह 50 आदमी जरूर खड़े होंगे क्योंकि उनका नम्बर ज्यादा है। इसमें मैं क्या कर सकता हूं। आप एक-एक करके अपनी बात कीजिये।

मुझे सुनने तो दीजिए। उसके बाद ही मैं निर्णय दूंगा कि वह ठीक भी है कि नहीं। ऐसा तो किया जा सकता है। श्री शेजवलकर आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है? और आप किस नियम के अन्तर्गत उठा रहे हैं।

श्री एन० के० शेजवलकर : मैं स्थगन प्रस्ताव संबंधी नियमों का हवाला दे रहा हूं। मैंने आज सुवह लगभग 8.30 बजे एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी...।

अध्यक्ष महोदय : उसको मैंने नामंजूर कर दिया है। (व्यवधान)

श्री एन० के० शेजवलकर : मैं तर्कों को नहीं दोहराऊंगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, मैं बड़े संक्षिप्त में कहूँगा। प्रश्न यह है कि एक महत्वपूर्ण मामला यह है कि ग्वालियर उच्च न्यायालय में

पुलिस के आदेश पर पिस्तौल से गोली चलायी गई···।

अध्यक्ष महोदय : इसको मैंने अस्वीकार कर दिया है।

श्री एन० के० शेजवलकर : न्यायाधीशों को भी नहीं बख्शा गया। उनको पीटा गया। अतः उसके आधार पर मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी और मुझे अभी-अभी यह बताया गया है कि मेरे प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया है। माना कि अध्यक्ष महोदय की शक्तियां असीमित हैं। शर्त यही है कि हमें नियमानुसार चलना होगा।

यह एक अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला था। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मध्य प्रदेश में कोई विधान सभा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नाधीन व्यवस्था का प्रश्न···

श्री एन० के० शेजवलकर : कृपया मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिये। मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है। (व्यवधान) किसी सूचना को नामंजूर करने के लिए स्वयं नियम में ही कई आधार बताए गए हैं। क्या यह आवश्यक नहीं है कि स्थगन प्रस्ताव की सूचना देने वाले माननीय सदस्य को यह बताया जाए कि उसका मामला अमुक के अन्तर्गत आता है। अथवा क्या सदस्य को यह बताना आवश्यक नहीं है कि वह अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला नहीं है। उच्च न्यायालय न्यायपालिका के अन्तर्गत आता है जो भारतीय लोकतन्त्र के तीन अंगों में से एक है। यदि कल कोई संसद में घुसकर हमको पीटना शुरू कर दे, तो हमारी क्या स्थिति होगी? अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला और क्या होता है?

अध्यक्ष महोदय : अब कृपा कर अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

नियमों पर पूरी तरह से विचार करने के बाद ही मैंने इसको नामंजूर किया है और यदि कोई और नई चीज हो, तो आप मेरे चैम्बर में आकर मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं। (व्यवधान)

कई माननीय सदस्य उठ खड़े होते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप फिर खड़े हो रहे हैं—इतने सारे लोग एक साथ। मैं एक को ही इजाजत दे सकता हूं, सबको नहीं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा क्यों करते हैं। यह मुझे करने दीजिए। मैं इसको सम्भाल लूंगा। यदि मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता हुई तो मैं मांग लूंगा।

श्री ई० बालानन्दन (मुकुन्दपुरम) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था के प्रश्न के संबंध में···

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अंतर्गत?

श्री ई० बालानन्दन : नियम 53 के अधीन। इसको नामंजूर किए जाने का कारण बताया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे नामंजूर करता हूं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है कि हिन्दुस्तान के इतिहास में···

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत?

श्री राम विलास पासवान : नियम 56 के अन्तर्गत।

हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली दफा ऐसी घटना घटी है कि हाईकोर्ट में आकर पुलिस ने रिवाल्वर ताना है (व्यवधान) मैं मांग करता हूं कि इस पर गृह-मंत्री को कहिए कि वह जवाब दें, नहीं तो··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नामंजूर करता हूं। आपको सूचना देनी होगी··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ही ने मुझे शक्तियां प्रदान की हैं?

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : वे आए दिन किसी न किसी समाचार पत्र की खबर या अन्य···चीज से उठते हैं···।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं नामंजूर करता हूं।

(श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : नियम 57 के अन्तर्गत।

आपने अपनी दिन की व्यस्त तालिका में इस बात को नजरंदाज कर दिया है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा अभागा राज्य है जहां प्रजातंत्र पर ग्रहण लग गया है और वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह इस सभा के क्षेत्राधिकार में आता है। वहां कोई विधान सभा नहीं है। केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ही नहीं अपितु वकील भी जो कि उच्च न्यायालय में थे···

अध्यक्ष महोदय : इसको लिया जा रहा है। इसको आप सभा को निर्दिष्ट किया जा रहा है। मैंने इसकी स्वीकृति दे दी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, वह किस तरह?

श्री इन्द्रजीत (बसिरहाट) : नामंजूरी की वजह सदस्यों को बताई जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं इसे पढ़कर सुनाऊं। यह नियमावलि है। इसमें लिखा है :

"पीठसीन अधिकारी को स्थगन प्रस्ताव के बारे में अनुमति न देने के कारण बताने होंगे।"

मैं अपने चैम्बर में इसके बारे में चर्चा करने को तैयार हूं और कोई भी माननीय सदस्य आकर यह चर्चा कर सकता है। अब यदि आप मुझको मजबूर ही करना चाहते हैं···

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप किसमें से यह पढ़ रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही की नियमावलि है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह नियमों का अधिक्रमण नहीं कर सकती।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आए मैं आपको संतुष्ट कर दूंगा।

अच्छा तो अब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लेते है—श्री अजय विश्वास।

आप बतायें आपका ध्यानार्पकण प्रस्ताव क्या है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मैंने आपका ध्यानार्पकण प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपके उस वायदे का क्या हुआ जो आपने कल किया था—यह कि प्रधान मंत्री एक वक्तव्य देंगी?

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसको भेज दिया है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप सारे सदन को बेकार में क्यों परेशान कर रहे हैं। तो हों भी विश्वास।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सदन के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल नहीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रधान मंत्री यह वक्तव्य कब देंगी ? आपने पक्का वायदा किया था कि वह वक्तव्य देंगी।

अध्यक्ष महोदय : मैंने केवल यह कहा था कि मैंने भेज दिया है···। (**व्यवधान**) : श्री बसु आपने सारी कार्यवाही पर अपना प्रभुत्व कायम किया हुआ है। मैं बता दूं कि यह ठीक नहीं है। आप हमेशा के लिए कार्यवाही पर प्रभुत्व नहीं रख सकते। आप एक निर्वाचित सदस्य हैं।

हां तो श्री विश्वास—

अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले की ओर ध्यान दिलाना

(एक) पिम्पल गांव-वसवंत (महाराष्ट्र) में प्याज उत्पादकों पर गोली चलाये जाने का समाचार

अध्यक्ष महोदय : अ ध्यानार्षकण प्रस्ताव है। श्री विश्वास।

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं गृह मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध है कि वे इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :—

"महाराष्ट्र के नासिक जिले में 19 मार्च, 1980 को पिम्पल गांव-वसवंत में प्याज उत्पादकों पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने, जिसके परिणामस्वरूप दो किसानों की मृत्यु हुई तथा अनेक घायल हुए, के समाचार।"

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बया : अध्यक्ष महोदय···

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : असम के मामले का क्या हुआ ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : ध्यानार्षकण के बाद।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय आपने पक्का वायदा किया था।

अध्यक्ष महोदय : यह पूरा हो चुका। मैं अपने वायदे से पीछे कभी नहीं हटता। यह तो आप ही करते हैं।

हां, तो माननीय मंत्री महोदय—

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बया) : यह बड़े खेद और तीव्र वेदना का विषय है कि 19 मार्च, 1980 को जिला नासिक के पिम्पल गांव में घटित एक घटना में दो मूल्यवान जानें गई हैं और कुछ व्यक्ति घायल हो गए हैं। भारत सरकार ने इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बारे में महाराष्ट्र सरकार से तुरन्त एक रिपोर्ट भेजने के लिए कहा था।

महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 18 मार्च, 1980 को किसानों ने यह मांग लेकर कि बाजार में लाई गई हर प्रकार की सम्पूर्ण प्याज को, 45/-रु० प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाए,

[श्री० पी० वेंकट सुब्बया]

अचानक आन्दोलन छेड़ दिया। उन्होंने दिन के 12 बजे जिला नासिक के पिम्पल गांव में बम्बई आगरा रोड़ पर जम कर बैठकर तथा ट्रैक्टरों को खड़ा करके वाहन यातायात को ठप्प कर दिया। जिला अधिकारी तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे और हस्तक्षेप किया, और प्याज उत्पादकों तथा नेफेड प्राधिकारियों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौता हो गया और उसी दिन शाम के लगभग 5-45 बजे किसानों ने सड़क को खोल दिया।

प्याज उत्पादकों और नेफेड प्राधिकारियों के बीच हुए मौखिक समझौतों का उल्लंघन करते हुए 19-3-80 को श्री माधव राव मौरे नामक एक व्यक्ति ने आग्रह किया कि नेफेड द्वारा एक निश्चित दर पर सारी प्याज खरीदी जाए। नेफेड के अधिकारी ने इस मांग को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की क्योंकि इससे पहले हो चुके मौखिक समझौते का उल्लंघन होता था। श्री मौरे ने कृषकों को बम्बई आगरा रोड पर बंध आयोजित करने के लिए उकसाया। इसके पश्चात् किसानों ने ट्रैक्टरों को खड़े करके और यातायात ठप्प कर दिया। सड़क के दोनों तरफ का यातायात बन्द हो गया।

इस बीच धूले में ठहरी हुई राज्य रिजर्व पुलिस (रा० रि० पुलिस) ग्रुप VI की एक कंपनी सड़क से बम्बई से अपने मुख्यालय लौट रही थी और घटनास्थल पर पहुंची। वे पिम्पल गांव में विधि और व्यवस्था से संबंधित नहीं थे। आन्दोलनकारियों ने दोपहर के लगभग 11.45 बजे राज्य रिजर्व पुलिस की गाड़ियों को रोका। राज्य रि० पु० के अधिकारियों ने आन्दोलनकारियों से घुल जाने के लिए अनुरोध किया किन्तु उनका अनुरोध ठुकरा दिया गया।

भालेगांव चुनाव क्षेत्र के श्री जैड० एम० खंडोले, संसद सदस्य, मौके पर आए और उन्होंने किसानों को सम्बोधित करने और शान्त करने की कोशिश की। आन्दोलनकारी उनको सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने उनको तथा पुलिस अधिकारियों और लोगों को गालियां दी। श्री मौरे ने अचानक श्री खंडोले को एक चांटा मारा। पुलिस ने हस्तक्षेप किया। श्री खंडोले ने अपने को बचाया और एक मकान में शरण ली। आन्दोलनकारियों ने तुरन्त भारी पथराव शुरू कर दिया और राज्य रि० पु० की गाड़ियों को आग लगाने की कोशिश की। पुलिस को एक हल्का बैंत प्रहार करना पड़ा। रा० रि० पु० के एक हैड कांस्टेबल ने सर पर पत्थर से चोट लगने और यह सुनने पर कि उसकी गाड़ी को आग लगाने की कोशिश की जा रही है तथा अपनी गाड़ी को घिरा देखकर अपनी राईफल से 8 राउंड गोलियां चलाई। भीड़ का पीछा किया गया किन्तु वह पुलिस लाईन्स में घुस गई। पुलिस को फिर हल्का बैंत प्रहार करना पड़ा क्योंकि आन्दोलनकारी दंगाई हो गए और पथराव किए जा रहे थे। रा० रि० पु० की एक प्लाटून पर भीड़ ने आक्रमण कर दिया और चार राउंड गोली चलानी पड़ी जब बैंत प्रहार निष्फल हो गया था।

दो व्यक्ति मारे गए और 12 व्यक्ति घायल हुए लेकिन उनमें से 7 गोली से जख्मी हुए। एस० आर०पी० के कार्मिक और अधिकारी घायल हुए, कुछ बहुत घायल हो गए।

पुलिस उप महानिरीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कुमुक के साथ तुरन्त पिम्पल गांव पहुंचे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन 3 दिन के लिए आदेश प्रख्यापित किए गए।

स्थिति अब नियंत्रण में बताई जाती है।

बम्बई के डिविजनल कमिश्नर ने पिम्पल गांव में 20 मार्च को प्रातः 9 बजे घटना की जांच शुरू की।

श्री अजय विश्वास : मंत्री महोदय द्वारा दिया गया वक्तव्य एकांगी है और हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। प्याज-संकट दो विभिन्न अवसरों पर और दो भिन्न तरीकों से सबके सामने आ गया है। चुनावों से ठीक पहले, बड़े समृद्ध व्यापारियों, दुकानदार और निर्यातकर्ताओं द्वारा की गई हेराफेरी की गतिविधियों के कारण मूल्य में तीव्र वृद्धि हुई है। ये व्यक्ति वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी के प्रबल समर्थक हैं। और इसके परिणामस्वरूप, सम्पूर्ण देश में प्याज का खुदरा मूल्य बढ़कर 8 रु० प्रति किलो अर्थात् 800 रु० प्रति क्विंटल तक हो गया था और उन विभिन्न राजनैतिक दलों के विरुद्ध, जो विभिन्न राज्यों में सत्तारूढ़ हैं, इसका एक बड़े प्रचार के रूप में प्रयोग किया गया था। और अब यह व्यापक प्रचार हो रहा है कि भरपूर फसल है। प्याज के मूल्य निर्धारण ढांचे के बारे में कृषि मूल्य आयोग ने गत मई में प्रतिवेदन दिया है। नाफेड के वसूली कार्यक्रम से स्थिति की मांग बने एक अंश मात्र की ही पूर्ति होती है। सरकार की यह एक गम्भीर असफलता है। हमें यह पता नहीं है कि क्या राज्य व्यापार निगम से बाजार में से खरीद करने के लिए कहा गया है अथवा सरकार ने सभी निर्जलीकारक संयंत्रों का उपयोग किया है और क्या निर्जलीकृत प्याज को रक्षा सेनाओं के कार्मिकों और निर्यात के लिए रखा जाएगा। श्रीमान जी, सारी बात यह है क्योंकि बड़े प्याज व्यापारी और निर्यातकर्ता (जो सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थक हैं) अब पुरस्कृत होना चाहते हैं और वे प्याज के निर्यात के लिए खुले सामान्य लाइसेंस की मांग कर रहे हैं। और एक कठिन स्थिति को पैदा करने की दृष्टि से, वे प्याज की सभी थोक मंडियों से पूर्णतः गायब हो गए हैं और इसके परिणामस्वरूप प्याज एक ऐसी कीमत पर बिक रही है, जो लागत मूल्य से भी कम है। लागत मूल्य···

अध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रश्न पूछ रहे हैं? कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री अजय विश्वास : मैं उस पर आ रहा हूं। यह पृष्ठभूमि है···

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री अजय विश्वास : सरकार का सदैव ही यह दृष्टिकोण रहा है कि बड़े व्यापारियों, निर्यातकर्त्ताओं और उद्योगपतियों के हित को ही और आगे बढ़ाया जाय। मुझे विश्वास है कि बड़े प्याज व्यापारियों और सत्तारूढ़ पार्टी के बीच गुप्त समझौता है कि वे आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस (आई) को भारी मात्रा में धनराशि देंगे। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं···

अध्यक्ष महोदय : आप एक राजनैतिक भाषण देने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ नहीं।

श्री अजय विश्वास : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। मेरा प्रश्न यह है :

क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि प्याज की आगामी फसल के प्रारंभ से ही 'नाफेड' और राज्य व्यापार निगम—दोनों बाजार में आएंगे जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य प्राप्त हो और निर्यात को विनियमित किया जा सके जिससे देश के अन्तर्गत कमी की स्थिति न हो ?

अध्यक्ष महोदय : इस सामान्य प्रश्न को पूछने में 10 मिनट लगा दिए। (व्यवधान)

श्री पी० वेंकट सुब्बया : श्रीमान जा मेरे माननीय मित्र ने कुछ आक्षेप लगाए हैं। मैं पिछली जनता सरकार द्वारा किए गए उपायों के बारे में सदन को अवगत कराना चाहूंगा, जिसके एक सदस्य श्री जार्ज फर्नांडीज थे। (व्यवधान) श्रीमान जी, समुचित प्रकार की औसत किस्म की प्याज के लिए वर्ष 1978—80 के मौसम के लिए पिछले शासन के दौरान कृषि मूल्य आयोग ने 40 रु० प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। इसके लिए पिछली सरकार सहमत हो गई थी और इसलिए 40 रु० मूल्य निर्धारित किया गया था और कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित दर पर इस प्याज की खरीद करने के लिए राज्य सरकार और नाफेड को उनके आदेशों को पिछली सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। इसके बाद शेतकारी संगठन के नेतृत्व में प्याज उत्पादकों ने अपने उत्पाद के लिए 70 रु० प्रति क्विंटल के लाभप्रद मूल्य की मांग की और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आन्दोलन प्रारंभ किया। 10 मार्च, 1980 को शेतकारी संघ और 'नाफेड' के बीच वार्ता असफल रही। इस बीच कुछ घटनाएं हुईं। 1 मार्च, 1980 को किसानों ने पुणे-नासिक राष्ट्रीय राजमार्ग को चाकन पर बैलगाड़ियों से अवरुद्ध कर दिया जिससे यातायात पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया। 3 मार्च, 1980 को, 400 सत्याग्राहियों को "पुणे-नासिक सड़क बंध" के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। और ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो यह दर्शाती हैं कि ये किसान उस दर से संतुष्ट नहीं थे, जो पिछली सरकार द्वारा निर्धारित की गई है।

एक, श्री जोशी, कृषक संगठन के प्रधान ने एक अनिश्चितकालीन भूख-हड़ताल भी प्रारंभ की। जब प्रधान मंत्री को स्थिति से अवगत कराया गया, तो उन्होंने 14 मार्च, 1980 को मूल्यों संबंधी सचिवों की समिति के सदस्यों और सचिव (समन्वय) के साथ स्थिति की समीक्षा की। इसके बाद अभिमंडल द्वारा 14 मार्च, 1980 को एक निर्णय किया गया और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सदन में यह घोषणा की कि प्याज के मूल्य की समीक्षा की गई थी और प्याज के ग्रेड और किस्म के अनुसार 45 रु० से 60 रु० प्रति क्विंटल की दर निर्धारित की गई है। इसलिए यह स्थिति है और नाफेड से भी आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा गया था जिससे वे किसानों की रक्षा कर सकें और बाजार में खरीद करें। बम्बई को-आपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी भी इस कार्य में लगी हुई थी और फिर खरीद की गई।

श्री जोशी ने, जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे थे, तब अपनी भूखहड़ताल समाप्त की और पूना जिले के किसानों का आन्दोलन वापस ले लिया गया। 'नाफेड' के अधिकारी चाकन गए और 45 रु० से 60 रु० प्रति क्विंटल की दर से सारी प्याज खरीद ली। तभी कुछ हतोत्साहित, उपेक्षित तथा असंतुष्ट राजनीतिज्ञों ने स्थिति का लाभ उठाया। वे वहां गए और स्थिति को राजनैतिक रंग दिया। उन्होंने इन निरीह किसानों को आन्दोलन करने तथा इसे अन्य क्षेत्रों में भी फैलाने के लिए उकसाया।

माननीय सदस्य ने व्यापारियों द्वारा मूल्य वृद्धि तथा वस्तुओं की कमी की स्थिति पैदा करने की बात कही है। यह सरकार तथा प्रधानमंत्री महोदय इसके प्रति पूरी तरह जागरूक हैं और प्रधान-मंत्री इस बात पर बल दे रही हैं कि समाज विरोधी तत्वों पर निगाह रखी जाय और आर्थिक अपराध करने वालों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। वर्तमान सरकार ने अच्छे मूल्य देने का प्रस्ताव

किया है। ये मूल्य कुछ सिद्धांतों और फारमूलों पर आधारित हैं। मूल्य 45 रुपये से 60 रुपये प्रति क्विंटल के बीच है जबकि पहली सरकार ने सभी ग्रेडों की प्याज के लिए 40 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किए थे, चाहे प्याज ऊंचे ग्रेड की थी या नीचे ग्रेड की। इस तथ्य के बावजूद भी कि केन्द्रीय सरकार प्याज उत्पादन वाले क्षेत्र में किसानों की शिकायतें दूर करनें के लिए तैयार है। यह आन्दोलन सरकार के लिए एक समस्या पैदा करने के लिए राजनीति से प्रेरित है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करा सकता हूं कि हमने किसानों की समस्याओं पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और प्याज के मूल्य पर भी सावधानीपूर्वक विचार किया है। 'नाफेड' सहित सहकारी संस्थानों से बाजार से बड़े पैमाने पर खरीद करने और किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कहा गया है ताकि किसान मजबूरन बिक्री न करें और व्यापारी उनकी मजबूरी का अनुचित लाभ न उठा पायें।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : इस समस्या के दो पहलू हैं। और यदि वित्त मंत्री यहां उपस्थित होते तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। जब हम महाराष्ट्र सरकार के बजट पर चर्चा कर रहे थे यह मामला उठा था। मैंने उस समय ये सभी प्रश्न उठाए थे और वित्त मंत्री ने वाद-विवाद का उत्तर देते समय कुछ विचार व्यक्त किए थे।

दो पहलू हैं, एक तो किसानों द्वारा आन्दोलन और दूसरा मामला, जिसका मेरे विचार से मंत्री महोदय उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं परन्तु वह प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं इसीलिए वह ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि पहली सरकार ने क्या किया और जमाखोरों ने क्या किया आदि। हम जमाखोरों के प्रति आपकी सरकार के दृष्टिकोण पर भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं। उदाहरण के लिए तीन दिन पहले एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि उड़ीसा में जब मजिस्ट्रेट ने कुछ जमाखोरों को गिरफ्तार किया, आपके दल के राजनीतिज्ञों ने उन्हें छुड़वा दिया हम उस मामले पर भी चर्चा करेंगे, यहां उस मामले के मत लाओ।

दो मामले हैं, एक है परसों की गोली चलाए जाने की घटना। मंत्री महोदय उस विषय से बचने का प्रयास कर रहे हैं। उनके तर्क का मुख्य मुद्दा यह है कि कुछ असंतुष्ट, बदनाम और उपेक्षित राजनीतिज्ञ वहां गए। दूसरे शब्दों में वह यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के किसान इतने मूर्ख हैं कि कुछ उपेक्षित, असंतुष्ट और बदनाम राजनीतिज्ञों ने जाकर उनसे अनुचित लाभ उठाया। मेरे विचार से उन किसानों ने आपको अपना मत दिया है। जब उन्होंने अपना मत तुम्हारे दल को दिया तब वे बुद्धिमान थे परन्तु अब वे यकायक इतने मूर्ख हो गए हैं कि कुछ उपेक्षित, असंतुष्ट और बदनाम राजनीतिज्ञों की, जैसा आप उन्हें कहते हैं, बात मानते हैं। पता नहीं कौन···

मूल्यों को लेकर आन्दोलन हुआ है। मंत्री महोदय यह कहकर सदन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं कि पहली सरकार ने सभी ग्रेडों के लिए 40 रु० प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया था। ऐसा नहीं था। मंत्री महोदय अपनी गलती ठीक कर लें। इस मामलों में अन्य समय लूंगा। इस समय मैं इस विषय पर नहीं बोलना चाहता। हमने प्याज की तीन श्रेणियां बनायी थीं। उस समय 40 रु० से 60 रु० प्रति क्विंटल के बीच मूल्य निर्धारित किया गया था। मंत्री महोदय अपनी त्रुटि ठीक कर लें अथवा उनके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न लाना होगा। किसानों ने कुछ समय पहले आन्दोलन आरम्भ किया था। यह मानते हुए कि जनता सरकार अथवा कोई भी सरकार रही हो, ने न्यूनतम

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

मूल्य 40 रु० प्रति क्विंटल रखा था, परन्तु लासलगांव, पिम्पल गांव तथा ओजल के बाजार में परसों, जब पुलिस ने गोली चलायी, प्याज का मूल्य 25 रु० प्रति क्विंटल था ।

चार दिन पूर्व जब हम महाराष्ट्र के बजट पर चर्चा कर रहे थे, जब श्री चव्हाण ने प्रश्न उठाया, चर्चा के दौरान मैंने भी प्रश्न उठाया था, वित्त मंत्री महोदय ने सदन को बताया था कि उन्होंने 45 रु० की दर से प्याज खरीदने के लिए नाफेड को आदेश दिए हैं। वित्त मंत्री तथा कृषि मंत्री को हमें बताना चाहिए कि वहां 'नाफेड' क्या कर रहा था ? वे किसके हितों के लिए कार्य कर रहे थे ? मूल्य 25 रु० प्रति क्विंटल क्यों था ? जो लोग प्याज खरीदने जाते हैं उनके तथा व्यापारियों के बीच सांठ-गांठ है। उन्हें यह नहीं कहना चाहिए कि वे अमुक दल के हैं। आप सजा में हैं और वे आपके हैं, 'नाफेड' आपका है, तुम्हारे व्यापारियों ने किसानों को न्यायोचित मूल्य से, जो आपने न्यूनतम मूल्य 40 रु० और 60 रु० प्रति क्विंटल की दर से चार दिन पूर्व सदन में घोषित किया था, वंचित रखने के लिए षडयंत्र किया। किसानों की मांग 50 से 70 रुपये के बीच की है। यह एक न्यायोचित मांग है। मैं किसानों की ओर से आपका न्याय निर्णय स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मैं वहां गया हूं जब यह आन्दोलन चल रहा था मैंने दो दिन नासिक जिले में पूणे में बिताए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछिए ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह अधिक महत्वपूर्ण मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर जोर दे रहे हैं ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं किसानों की ओर से आपका न्याय निर्णय स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, वे 50 से 70 रु० के बीच मांग रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार किसानों की 50 से 70 रु० की मांग के बारे में क्या करना चाहती है ।

इससे तीसरा प्रश्न यह उठता है श्री काहनडोल की भूमिका। मंत्री महोदय सदन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। श्री काहनडोल जो मालेगोक, से कांग्रेस (आई), आपके दल के, से संसद सदस्य हैं। वह किसानों तथा उनकी मांगों को लेकर राजनीतिक वातावरण पैदा करने के लिए वहां गए। उन्होंने जो भाषण वहां दिया उसका मुझे पता है। मै उसमें से कुछ अंश उद्धृत कर सकता हूं। उन्होंने कहा—

> "इन्दिरा गांधी देवी की अवतार है, यह आप किसानों के लिए ही उतर कर आई है। इन्दिरा गांधी आप लोगों को 125 रु० का दाम दिलाने के लिए तैयार है, लेकिन शरद पवार और जो तथाकथित अन्य लोग हैं, इनके चलते यह काम नहीं हो पा रहा है।"

उन्होंने यह भाषण दिया। इसके पश्चात उन्हें उकसाया गया और तत्पश्चात पुलिस ने अन्धाधुन्ध प्रहार शुरू कर दिया। मैं चाहता हूं, कि मंत्री महोदय सदन को यह सब कुछ बताएं। वक्तव्य में उन्होंने कहा है कि एस० आर० पी० की गाड़ियां 11 बजकर 45 मिनट पर आयीं। गोली किस समय चली ? क्या वहां कोई अधिकारी उपस्थित थे ? वक्तव्य में आगे कहा गया है कि एक डैडकांस्टेबिल ने गोली चलाने का आदेश दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि पुलिस अधिकारी उपस्थित थे, मंत्री महोदय कहते हैं कि डकांस्टेबिल ने गोली चलाने का आदेश दिया। इसके पश्चात वक्तव्य में कहा गया है दो व्यक्ति गोली मारे गए और सात घायल हुए। हमारे लोगों को मारने के लिए उनके अनुसार 12 गोलियां चलीं।

उन्होंने कहा है कि वे लोग सड़क अवरुद्ध कर रहे थे, चार दिन तक कोई अवरोध नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं मारा गया। लोगों को मारने के लिए वहां क्यों गए ? जिला अधिकारी क्या कर रहे थे ? जबकि उन्हें पता था कि कोई आन्दोलन चल रहा है। मंत्री महोदय जो कुछ कहें स्पष्ट रूप में कहें। जहां इस आन्दोलन का संबंध है, इसमें कृषि का मामला अन्तर्ग्रस्त है। कृपि मंत्री तथा वित्त मंत्री को मामले का स्पष्टीकरण देना चाहिए।

आपको ज्ञात है कि वहां किस प्रकार की अराजकता फैलायी गयी। क्या मंत्री महोदय को पता है कि जब घायल व्यक्तियों को अस्पताल ले जाया गया तब आपके एस० आर० पी० तथा पुलिस के जवानों ने वहां जाकर डाक्टरों को पीटा ? डा० डे को सिविल अस्पताल में पीटा गया, रोगियों को सिविल अस्पताल से निकाल दिया गया और उन्हें निजी क्लिनिक्स में उपचार कराना पड़ा। चार स्थानों पर गोली चलायी गयी, मंत्री महोदय ने एस० आर० पी० की उन गाड़ियों को रोकने की बात कही है जिनमें एस० आर० पी० के जवान गरीब किसानों को मारने के प्रयास कर रहे थे। क्या सत्ता में आने के बाद कुछ ही महीनों में गृहमंत्री, श्री जैलसिंह ने यही कुछ किया है ? "अंधों से लेकर किसानों तक, उधर अदालत से लेकर सड़क तक लाठी और बन्दूक को छोड़कर और कुछ आता। गृहमंत्री महोदय आप क्या कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया नियंत्रण से काम लें।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं अपने पर नियंत्रण रखकर ही बोल रहा हूं परन्तु मेरे भावुक हो उठने के लिए भी कारण हैं। सरकार हमें बताएं विद्यालय लोगों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार किया गया ? क्या अस्पताल में उनका उपचार किया गया ? क्या यह सच है कि डाक्टर और रोगियों को पीटा गया ? क्या यह सच है कि लोगों को गैर-सरकारी क्लिनिक्स में भेजा गया ? मंत्री महोदय सच्चाई से इन प्रश्नों का उत्तर दें।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : अध्यक्ष महोदय, श्री जार्ज फर्नान्डीस शब्दाडम्बर और भड़काने वाले भाषण के लिए प्रसिद्ध हैं···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए। मंत्री महोदय खड़े हुए हैं। उन्हें उत्तर देना है आपको नहीं। उन्हें उत्तर देना है। मेरी अनुमति के बिना कोई चीज भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नही की जायेगी। (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें। कृपया बैठ जाइए। आप अपने स्थान पर बैठिए। मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। (**व्यवधान**)

श्री पी० वेंकटसुब्बया : न तो मैं मित्रों को भ्रम में ही डाल रहा हूं और सदन को गुमराह कर रहा हूं। तथा यह है कि पहली सरकार ने सभी ग्रेडों की प्याज के लिए 40 रु० प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित किया था। हमारे दल की सरकार ने मूल्य पुनरीक्षण करने का निर्णय किया क्योंकि सभी ग्रेडों की प्याज के लिए 40 रु० प्रति क्विंटल मूल्य से किसानों के साथ न्याय नहीं होगा। अतः 45 रु० से 60रु० के बीच मूल्य निर्धारित किया गया। इसी के परिणामस्वरूप किसान संघ के अध्यक्ष,

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री पी० वेंकट सुब्बया]

श्री जोशी ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त की। एक समझौता किया गया है और 'नाफेड' से सभी उपलब्ध प्याज खरीद लेने के लिए कहा गया। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है यदि प्याज के मूल्य में गिरावट से मूल्य 45 रु० प्रति क्विंटल आ गया तो सरकार ने 45 रु० से 60 रुपये के बीच समर्थन मूल्य दिया है। क्या यह बेइमान व्यापारियों के चंगुल से बचाने के लिए किसानों की सहायता नहीं है?

श्री बिरेन घोष (दमदम) : किस प्रकार ? (व्यवधान)

श्री पी० वेंकटसुब्बया : कृपया मेरी बात सुनिए। एक समझौता हुआ है। 'नाफेड' और विपणन समिति ने खरीद आरम्भ कर दी है। इस बीच कांग्रेस (अर्स) और स्थानीय जनता पार्टी चाकान आन्दोलन को समर्थन दे रहे थे। पूना शहर जनता पार्टी के अध्यक्ष, श्री उमा जोशी तथा महाराष्ट्र के भूतपूर्व विधान सभा सदस्य डा० अरविन्द लेले आन्दोलन का प्रसार करने की धमकी दी और पुणे बंद का आयोजन किया। अध्यक्ष अपनी भूख हड़ताल पहले ही समाप्त कर चुके हैं। वह सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मूल्यों से संतुष्ट हैं। महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री शरद पवार कुछ आन्दोलनकारियों से मिले और उनके आन्दोलन की सराहना की। यह इस मामले का राजनैतिक पहलू है। मैं श्री फर्नान्डीस को बताना चाहता हूं कि यह मामले का राजनैतिक पहलू है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप क्या बात कर रहे हैं वहां आपके दल का ही एकमात्र संसद सदस्य श्री काहनडोल ने राजनैतिक भावना पैदा की है। मंत्री महोदय आप कह क्या रहे हैं ?

श्री पी० वेंकटसुब्बया : आपको मेरी बात सुनने के लिए धैर्य रखना चाहिए। जहां तक पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने की बात है, हैडकांस्टेबिल एस० आर० पी० को धमकी दी गयी। उनकी गाड़ियों का घेराव किया गया। यद्यपि वे वापस जाना चाहते थे, वे पुलिस लाइन में चले गए। जैसाकि मैंने अपने वक्तव्य में कहा है, जब हैडकांस्टेबिल ने महसूस किया कि उनके जीवन को खतरा है और उनकी गाड़ी को भी आग लगाई जाने वाली है तब उसने आत्मरक्षा में कुछ गोलियां चलायी और कुछ लोग घायल हो गए। (व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मंत्री महोदय सदन को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)**

श्री पी० वेंकटसुब्बया : घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया। श्री जार्ज फर्नान्डीस के अनुसार एस० आर० पी० के जवान वहां गए, डाक्टरों को रोगियों का उपचार न करने से धमकी दी और उनका गैर सरकारी अस्पतालों में उपचार हुआ। यह श्री जार्ज फर्नान्डीस ने कहा है। मैं उन्हीं के शब्दों को लेता हूं। लोगों की अपनी जानकारी है। मुझे जो कुछ बताया गया मैंने सदन को बता दिया है। उन्होंने जो कुछ कहा है, यदि उसमें कोई सचाई है तो हम इसकी भी जांच करेंगे कि वास्तव में हुआ क्या है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय एक व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय ने भ्रामक वक्तव्य दिया है। मेरी गलती पकड़ने पर अब वह कह रहे हैं कि "शायद श्री फर्नान्डीस के पास कुछ निजी जानकारी है मुझे यह जानकारी मिली है, उनका कथन सही हो सकता है इत्यादि।" (व्यवधान) श्रीमान आपको सदन के हितों की रक्षा करनी चाहिए। वह सदन को गलत जानकारी दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती प्रमिला दंडवते।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो बातें कही हैं, उनसे एक बात उठती है कि उनके स्टेटमेंट में जो दो किसान वहां मर गये हैं उनके बारे में सरकार को कोई दुःख नहीं है। उनके जवाब में इस बात का कोई जिक्र नहीं है जो इस प्रकार के आन्दोलन होते हैं और उनमें किसी के हुकम के सिवा जो बेकानूनी और कानूनी भी जो फाइरिंग करते हैं और उसमें जो कोई मर जाते हैं तो उनके बारे में भी सरकार को कुछ कहना चाहिए। लेकिन इसमें उसके बारे में भी कोई बात नहीं है।

आज मुझे जो खबर मिली है उससे पता चलता है कि वहां जो आन्दोलन चल रहा था उसके बारे में किसानों ने सब बातें उनको पहले से कह दिया था। नाना साहब गोरे वहां पर गये थे, जार्ज फनान्डीस वहां गये थे। सबको किसानों ने कहा था कि यह आन्दोलन राजनीति से दूर रह कर चलाया जा रहा है लेकिन बार-बार अभी मिनिस्टर साहब उसको राजनीतिक कलर, राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं।

किसानों पर फाइरिंग का जो सवाल है उसके बारे में जार्ज फर्नान्डीस ने कह दिया है उससे आगे उस पर कहने की जरूरत नहीं है। जो मुझे पता चला है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने नाफेड के बारे में जो बातें कही थीं उससे बहुत नीचे दाम वे किसानों को देने की कोशिश कर रहे थे। वहां के किसानों की मांग है कि 70 से 75 रुपये प्रति क्विंटल उनको बेग के देने चाहिएं यही उनको रेम्युनरेटिव प्राइस पड़ती है। उन्होंने यह भी कहा था कि हम अपना आन्दोलन वापस लेने को तैयार हैं अगर हमें 40-45 रुपये दाम दे दिये जाएं। इस 40-45 रुपये क्विंटल पर भी हम बेचने के लिए तैयार हैं लेकिन पांच रुपये क्विंटल बोनस के रूप में बाद में हम को दे दिया जाए। लेकिन उन्होंने इसको नहीं माना। उन्होंने कहा कि यह हम वापस नहीं करेंगे।

मुझे सरकार से अब यह पूछना है कि इसके बारे में सरकार की कोई लोंग टर्म नीति रहने वाली है या नहीं ? बार-बार जब कंज्युमर शिकायत करते हैं तो एक्सपोर्ट बंद कर दिया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में एग्रीकल्चर के बारे में कोई लोंग टर्म पालिसी सरकार की नहीं है जिससे कि किसानों को रेम्युनरेटिव प्राइस मिले और उसके साथ-साथ कंज्युमर्स को भी ठीक दाम पर चीजें मिलें। जब पांच रुपये किलो प्याज बिक रहा था उस समय किसान को 25 पैसे किलो में प्याज बेचना पड़ा।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल कीजिए।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : मैं यह पूछना चाहती हूं कि मिडिलमेन को एलीमिनेट करने के बारे में सरकार क्या करने वाली है ?

दूसरे में यह पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार ऐसी कोई पालिसी बनायेगी जिससे कि किसानों को रेम्युनरेटिव प्राइस मिले और कंज्युमर को काफी मात्रा में आवश्यक चीजे ठीक दाम पर मिलें और जितना एक्सपोर्ट आवश्यक हो उतना ही एक्सपोर्ट किया जाए ?

तीसरे इस प्रकार की आफत जनता और सरकार पर नहीं आये जिससे कि फाइरिंग हो, इसके बारे में सरकार की लोंग टर्म पालिसी क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : यह सब हो गया है, बार-बार मिसेज दंडवते आप क्यों दोहरा रहीं हैं ?

श्री पी० वेंकटसुब्बया : माननीया महिला सदस्य की जानकारी के लिए मैंने अत्यन्त गम्भीर खेद व्यक्त करते हुए अपना उत्तर देना आरम्भ किया है।

श्री मनीराम बागड़ी : ये लेडी मेम्बर कह रहे हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर को भी ये लेडी मेम्बर कहेंगे ?

श्री पी० वेंकटसुब्बया : श्री बागड़ी मेरे से अच्छी अंग्रेजी जानते हैं। मैं अपनी गलती दूर करता हूं और 'माननीय सदस्य' कहता हूं। मैंने अपना उत्तर अत्यन्त खेद के साथ तथा व्यचित होकर प्रारम्भ किया है। सरकार नहीं चाहती कि ऐसी स्थिति पैदा हो जिसमें लोगों की जान को खतरा हो जैसा कि मैं बता चुका हूं कुछ विशेष परिस्थियों में, जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई थी पुलिस को गोली चलानी पड़ी।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह पूर्णतया अनुचित है।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : प्रसाशकीय जांच की जा रही है। मैं विरोधी दलों के माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि पूर्ण तथा विस्तृत जांच के लिए वे सरकार के साथ सहयोग करें ताकि जांच में दोषी पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार उचित कार्यवाही कर सके।

माननीय सदस्यों ने उपभोक्ताओं का मामला फिर उठाया है। इस मामले में कृषि मंत्रालय तथा प्रधान मंत्री द्वारा सावधानी पूर्वक विचार किया जा रहा है। हमें इस प्रकार का संतुलन स्थापित करना है जिससे कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिले और साथ ही उपभोक्ताओं पर उसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। हमने इस मामले में गहराई से विचार किया है तथा कृषि मंत्रालय ने मूल्य निर्धारित करने का निर्णय किया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने विशेष रूप से यह प्रश्न किया है कि बिक्री मूल्य कम था कि नहीं और कम मूल्य बिक्री रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : हमने कम मूल्य बिक्री रोकने के लिए हर सम्भव कदम उठाये हैं। कम मूल्य बिक्री रोकने के लिए ही 18-3-1980 को नाफेड के अधिकारी प्याज खरीदने के लिए मण्डी में गए। श्री लक्ष्यण भीखा पगार के भकड़ाने पर किसान बेकाबू हो गए। वहां के तहसीलदार द्वारा हस्तक्षेप करने पर समझौता शांतिपूर्ण हो गया। प्याज की कम मूल्य पर बिक्री रोकने के लिए सहकारी विपणन समिति नाफेड उपलब्ध सारी प्याज खरीदने के लिए तैयार थे।

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 40 के उपनियम 14 के अनुसार सदस्यों को सदन में समाचार पत्र नहीं पढ़ना चाहिए। श्री ज्योतिर्मय बसु खुलेआम सदन में समाचार पत्र पढ़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न स्वीकार किया जाता है। (व्यवधान) समाचार-पत्र पढ़ने की अनुमति नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं मंत्री महोदय से कुछ विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूं। इस समस्या के तीन पहलू हैं। पहली बात है कि प्याज उत्पादकों ने लाभकारी मूल्य मांगा था परन्तु पुलिस ने उन पर गोली चलाई जिसके बदले में उन्होंने मारपीट की। इससे दो मुख्य बातें उत्पन्न हुई हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय सदन को यह बताएं कि क्या यह सच नहीं है कि पुलिस ने केवल गोली ही नहीं चलाई जिसके परिणामस्वरूप दो व्यक्ति मारे गए और अन्य बहुत से व्यक्ति घायल हुए, बल्कि पुलिस

ने सिविल अस्पताल में जाकर डाक्टर तथा उनकी पत्नी को भी पीटा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बात दोहराई जा रही है। प्रोफेसर साहब आप बहुत विद्वान आदमी हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि श्री जार्ज फर्नान्डीस ने जो कुछ कहा है उससे आगे कहें।

प्रो० मधु दंडवते : यह प्रश्न दोहराने के लिए मुझे मजबूर किया गया है क्योंकि इस प्रश्न का उन्होंने उत्तर ही नहीं दिया। क्या यह सच नहीं है कि पुलिस ने सिविल अस्पताल में डाक्टर तथा उनकी पत्नी को पीटा ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर वह पहले ही दे चुके हैं।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय आप थोड़ा धैर्य रखें।

अध्यक्ष महोदय : आप केवल एक बात को दोहरा रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय मैं जो वाक्य पढ रहा हूं वह एक युग्म वाक्य अभी मैंने इसे पूरा नहीं किया है। यदि आप बाकी वाक्य को सुनेंगे तो आप पाएंगे कि यह बात इससे जुड़ी हुई है।

क्या यह सच नहीं है कि पुलिस ने किसानों का अदालत तक पीछा करके उन्हें पीटा, परेशान तथा उन्हें अपमानित किया। दूसरे, क्या यह सच नहीं है कि सदन में की गई घोषणा के बावजूद नाफेड ने यहां घोषित मूल्यों के बावजूद 25 से 30 रु० मूल्य पर समझौता करने का प्रयास किया जो गड़बड़ी का वास्तविक कारण था और जिससे प्याज उत्पादक भड़क उठे ? इसके अतिरिक्त जिस घटना का हमने जिक्र किया है क्या वह नहीं घटी थी अर्थात, माननीय संसद सदस्य ने अपने भाषण में, जिसका टेप रिकार्ड उपलब्ध है, क्या यह नहीं कहा था कि इस गडबड़ी के लिए शरद पवार सरकार जिम्मेदार है और श्रीमती गांधी की सरकार इस समस्या का हल निकाल रही है, जिसके बारे में कुछ प्याज उत्पादकों ने कहा था हम लोग सभी दलों से संबंधित हैं हम में कुछ कांग्रेस (आई) से तथा कुछ विरोधी दलों से संबंधित हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि इस आंदोलन को राजनीतिक रंग दिया जाए, अतः कृपया इस मामले में राजनीति न लायें।"

इसलिए क्या यह सच नहीं है कि सदन की आखों में धूल झोंकते हुए और मुख्य मसले से ध्यान हटाने की चेष्टा करते हुए इस आन्दोलन को यह जान बूझकर राजनीतिक रंग देने का प्रयास है ?

आन्दोलन दो विभिन्न स्थानों पर हुआ है। क्या यह सच नहीं है कि प्याज के कुल 20 लाख मीटरीकटन उत्पादन में से वास्तव में 12 लाख टन प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है और उसमें भी 6 लाख टन उत्पादन नासिक और पूना जिलों में होता है ? और यही कारण है कि आन्दोलन इन्हीं दो स्थानों पर केन्द्रित रहा है, इसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, वरन उपरोक्त कारण से ही आन्दोलन इन्हीं दो स्थानों पर केन्द्रित रहा है।

अध्यक्ष महोदय : इन दोनों मुद्दों का उत्तर दिया जा चुका है।

प्रो० मधु दंडवते : न्यायालय में की गयी मार-पिटाई के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

क्या यह सच नहीं है कि जब मूल्य ढांचे की घोषणा की गई थी, तो 'नाफेड' के कुछ अधिकारियों और कुछ गैर सरकारी व्यापारियों की सांठ गांठ से गड़बड़ घोटाल हुआ जिसके परिणाम स्वरूप बढ़िया

[प्रो० मधु दण्डवते]

किस्म की कुछ प्याज गैर सरकारी व्यापारियों को दी गई और घटिया किस्म की प्याज 'नाफेड'' को दी गई जिससे 'नाफेड'' को घाटा हुआ ?

क्या यह सच नहीं कि इन कदाचारों की वजह से हमें घाटा हो रहा है ? क्या इस कदाचार को रोका जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : इसका पहले ही उत्तर दिया जा चुका है।

प्रो० मधु दंडवते : यदि मौजूदा संकट जारी रहा, तो क्या सरकार इस खतरे के प्रति सजग है कि यदि मौजूदा संकट जारी रहा तो प्याज के स्थान पर कोई और फसल उगायी जा सकती है जैसा कि गन्ने के मामले में हुआ है ?

यदि प्याज की फसल के लिए लाभकारी मूल्य सम्बन्धी मामला नहीं निपटाया गया तो क्या प्याज के स्थान पर किसी अन्य वस्तु की खेती नहीं होने लगेगी ? इसलिए दीर्घावधि के महत्व को ध्यान में रखते हुए, क्या इस सम्बन्ध में कोई समेकित मूल्य नीति निर्धारित नहीं की जाएगी, ताकि इस समस्या को हल किया जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : इस अंतिम प्रश्न का ही उत्तर दिया जाना है।

प्रो० मधु दंडवते : न्यायालय में की गई मार-पिटाई का प्रश्न भी है।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : इसकी जांच की जा रही है। जांच के दौरान इन सभी मामलों पर विचार किया जाएगा। मैं माननीय सदस्य से जांच में सहयोग करने की अपील करता हूं। प्रत्येक पक्ष को इस मामले में सहयोग करना चाहिए ताकि हम वास्तविकता का पता लगा सकें।

जहां तक उत्पादन और उचित मूल्य का सम्बन्ध है कृषि मंत्री निश्चित ही उन पर विचार करेंगे। हम यह कहने में किसी से पीछे नहीं हैं कि सीमान्त और छोटे किसानों के कल्याण के लिए हम वचन बद्ध हैं। सरकार इसके लिए हर संभव कदम उठाएगी कि किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा हो।

माननीय सदस्य महोदय को मैं यह विश्वास दे सकता हूं कि 'नाफेड' के अधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की कृषि मंत्रालय द्वारा जांच की जाएगी।

श्री मुकुन्द मण्डल (मथुरापुर) : मंत्री महोदय ने सदन में भ्रामक वक्तव्य दिया है। 18 मार्च, 1980 को, वहां आंदोलन हुआ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न कीजिए।

श्री मुकुन्द मण्डल : मैं प्रश्न पर आता हूं। प्याज उत्पादक अनेक वर्षों से न्यूनतम मूल्यों के लिए आन्दोलन करते हैं। माननीय कृषि राज्य मंत्री श्री आर० वी० स्वामीनाथन ने आश्वासन दिया और एक वक्तव्य दिया था कि नाफेड 50 से 70 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्याज खरीदेगा। उस वक्तव्य के बाद प्याज उत्पादकों ने अपना आन्दोलन वापस ले लिया। परन्तु बाद में 'नाफडे' ने प्याज उत्पादकों से 50 से 70 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर प्याज खरीदने से इन्कार कर दिया। वस्तु स्थिति यह थी और 'नाफेड' ने प्याज उत्पादकों से कहा कि वे (नाफेड) मंत्री महोदय के वायदे से प्रतिबद्ध नहीं हैं क्योंकि वह एक स्वायत्त सरकारी निगम है। यह नाफेड का रवैया था। मेरा प्रश्न यह है कि प्याज उत्पादकों द्वारा विशेष जुलूस निकालने के बाद···

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्या है ?

श्री मुकुन्द मण्डल : मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। (व्यवधान) मंत्री महोदय ने हमसे कहा था कि यह एक राजनीतिक मामला है। कुछ राजनैतिक दलों ने उसमें भाग लिया और यही कारण है कि प्याज उत्पादकों ने यह आन्दोलन किया। मेरा प्रश्न यह है कि कांग्रेस (आई) के एक संसद सदस्य वहां गए और उन्होंने प्याज उत्पादकों से कांग्रेस (आई) में शामिल होने के लिए कहा और उनसे कहा कि केवल इन्दिरा गांधी ही समस्या को हल कर सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री मंडल, आप एक ही बात को दोहरा रहे हैं।

श्री मुकुन्द मंडल : जब प्याज उत्पादकों ने कहा कि किसी भी राजनैतिक दल से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है और तत्पश्चात् उन्होंने एक जुलूस निकाला, पुलिस ने उन पर गोली चलाई। इस घटना के बारे में देश के लिए लज्जा की बात यह है कि पुलिस अस्पताल गई और उसने डाक्टरों से घायलों को भर्ती न करने और उनका इलाज न करने के लिए कहा था। जब डाक्टरों ने कहा कि वे कर्तव्य निष्ठ हैं तो डाक्टरों को धमकाया गया और पीटा गया।

अध्यक्ष महोदय : आप कोई नई बात क्यों नहीं बताते ? इस सबको पहले ही दो बार कहा जा चुका है। (व्यवधान)

श्री मुकुन्द मण्डल : मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि मारे गए और घायल हुए व्यक्तियों की पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा ? क्या सम्बन्धित दोषी अधिकारियों को दण्ड दिया जाएगा। और क्या उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता में इसकी न्यायिक जांच की जाएगी ?

श्री पी० वेंकटसुब्बया : महोदय, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, ऐसे मामलों में जांच की जा रही है और फिर हम देखेंगे···

अध्यक्ष महोदय : मुआवजे के बारे में।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : मुआवजे और न्यायिक जांच के बारे में।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : सरकार मुआवजे के बारे में भी विचार करेगी और निर्णय लेगी।

असम की स्थिति को लेकर पश्चिम बंगाल में हुए प्रदर्शन के बारे में वक्तव्य

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं कल उस समय सभा में उपस्थित थी जबकि माननीय सदस्य बंगाल में हुए प्रदर्शनों के सम्बन्ध में अपनी चिन्ता व्यक्त कर रहे थे। मैं उसी समय बोलती किन्तु उस समय अन्य सदस्य दूसरे मामले उठा रहे थे और ऊंचे स्वर में बोल रहे थे और घोर असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे थे।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : ऐसा कांग्रेस (आई) के सदस्य कर रहे थे।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जी नहीं ऐसा विपक्ष के सदस्य कर रहे थे।

हमें आसाम के लोगों की वास्तविक कठिनाइयों के प्रति सहानुभूति है। *साथ ही हम यह भी*

[श्रीमति इन्दिरा गान्धी]

जानते हैं कि आसाम में हो रहे आन्दोलन से स्वयं आसाम के लोगों, पश्चिम बंगाल और देश के अन्य भागों के लोगों को क्या कठिनाई हो रही है। हम पश्चिम बंगाल के लोगों में उत्पन्न वास्तविक आशंकाओं की उपेक्षा कर सकते हैं और न इस बात की उपेक्षा कर सकते हैं कि वहां भी लोगों की भावनायें भड़क रही हैं। युवा कांग्रेस का उद्देश्य केवल इस व्याप्त भावना को व्यक्त करना था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपके अनुमोदन से।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुख्य मंत्री ने स्वयं इसे उचित आन्दोलन बताया था और मुझे याद आता है किन्तु बता नहीं सकती कि कहां पर—मुख्य मंत्री ने आसम में हो रहे निरन्तर आन्दोलन पर बंगाल के निवासियों को उत्तरोत्तर बढ़ रही चिन्ता के बारे में कुछ समय पूर्व उल्लेख किया था। बुधवार को मैंने सभा को बताया था कि सरकार यह नहीं चाहती कि कोई ऐसा काम किया जाये जिससे आसम या बंगाल की स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाये। (**व्यवधान**)

युवा कांग्रेस ने स्वयं एक सूचना जारी की है जिसमें अपने सभी सदस्यों और अन्य लोगों से ऐसा कोई काम न करने की अपील की गई है जिससे स्थिति खराब हो और इस बात पर भी जोर दिया गया है कि आसम की कठिन समस्या का हल ढूंढने के लिए जो प्रयत्न दिल्ली में आरम्भ किये गये हैं उनका समर्थन किया जाना चाहिये। यह समाचार आज सवेरे रेडियो पर भी प्रसारित किया गया था और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग इस बात को मानेंगे।

हमें प्राप्त रिपोर्टों से पता चला है कि स्कूलों और कालिजों में कल हड़ताल शान्तिपूर्ण रही थी। मेरा विचार है कि सभी पार्टियां इस सम्बन्ध में संयम रखने की आवश्यकता के महत्व को समझती हैं और मुझे पूर्ण आशा है कि न केवल बंगाल में स्थिति शान्तिपूर्ण रहेगी अपितु आसम के विद्यार्थी और नवयुवक अन्य राज्यों में व्याप्त चिन्ता तथा भारत के लोगों को हो रही कठिनाई को समझेंगे और जिम्मेदारी एवं उदारता का प्रदर्शन करेंगे। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इस वक्तव्य पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। मेरी अनुमति के बिना कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाना चाहिए।

श्री मनीराम बागड़ी : (हिसार)**

महाराष्ट्र में रत्नागिरि एल्यूमीनियम परियोजना स्थापित किये जाने के बारे में याचिका

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नगिरी) : मैं महाराष्ट्र में रत्नगिरि अल्यूमीनियम परियोजना की स्थापना के सम्बन्ध में श्रीमती कुसुम रामचन्द्र अभयंकर तथा अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री द्वारा राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की रिपोर्ट के बारे में 21 मार्च, 1980 को लोक सभा में दिया जाने वाला वक्तव्य

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने, उसे सौंपे गए विभिन्न मामलों के बारे में आज केन्द्रीय सरकार को एक रिपोर्ट और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं।

2. यह उल्लेखयीय है कि संसद में समय-समय पर इस बात का जिक्र किया जाता रहा है कि देश में एक कारगर बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने बाढ़ समस्या के विभिन्न पहलुओं की गहराई से समीक्षा करने के लिए और देश में बाढ़ों से निपटने के लिए एक व्यापक बहुविषयक कार्यपद्धति तैयार करने के लिए श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना की थी। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों का सारांश सभा-पटल पर रखा गया है। पूरी रिपोर्ट की कुछ प्रतियां संसद पुस्तकालय में रखी जा रही हैं।

राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा भारत सरकार को 21 मार्च, 1980 को प्रस्तुत रिपोर्ट में की गई कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों का सारांश

1. यह जरूरी है कि बाढ़ समस्या के बारे में व्यापक कार्यपद्धति, दीर्घकालीन आधार पर इष्टतम उत्पादन करने के लिए जल-संसाधनों के विकास और भूमि के उपयोग की समूची व्यापक योजना का एक भाग हो।
2. प्रत्येक नदी बेसिन के लिए जल-संसाधनों के विकास और बाढ़-नियंत्रण की मास्टर योजनाएं तैयार की जानी चाहिएं और इस प्रयोजन के लिए नदी बेसिन प्राधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए।
3. यथासमय एक केन्द्रीय प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए जिसके अध्यक्ष प्रधान मंत्री हों और जिसकी सहायता के लिए एक सुदृढ़ तकनीकी निकाय हो।
4. केन्द्रीय सरकार की संविधान की संघ सूची की प्रविष्टि 56 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियां इस्तेमाल करनी चाहिएं और अंतर्राज्यीय नदियों के विनियमन और विकास के लिए उपयुक्त कानून बनाने चाहिएं।
5. जल-संचयन जलाशयों को बाढ़-नियंत्रण और प्रबंध के लिए किए जाने वाले उपायों के किसी भी समूह का महत्वपूर्ण अंग समझा जाना चाहिए।
6. वनरोपण और भूसंरक्षण उपायों की सिफारिश, अन्य उपायों के उपयोगी अनुपूरक के रूप में, की जाती है, और भारी गाद वाली नदियों के जल-विभाजक क्षेत्रों (वाटर शेड) में ये उपाय किए जाने चाहिएं।
7. बाढ़-प्रवण बेसिनों में भूसंरक्षण और क्षेत्रों के प्रबंध की एकीकृत कार्य योजना तैयार

और क्रियान्वित की जानी चाहिए और जारी रखी जानी चाहिए। इन योजनाओं को क्रियान्वित करने वाली एजेन्सियों को प्रशिक्षित कार्मिकों को नियुक्ति करके पर्याप्त रूप से सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। लोगों का सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए।

8. बाढ़ तटबंधों के उपयोग पर विचार करते समय संबंधित समस्याओं और इनके प्रतिकूल प्रभावों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा इन्हें यथासंभव सीमा तक कम किया जाना चाहिए।

9. राज्यों को चाहिए कि जमीदारी तटबंधों की उपयोगिता पर पुनर्विचार किया जाए और जहां यह तटबंध उपयोगी नहीं समझे जाते वहां इन्हें गिरा दिया जाना चाहिए अथवा ढहने दिया जाना चाहिए।

10. कटावरोधी कार्य सामान्यतः केवल उन नगरों, औद्योगिक क्षेत्रों घनी आबादी वाले ग्राम-समूहों, रेलवे लाइनों और सड़कों आदि की रक्षा के लिए हाथ में लिए जाने चाहिए, जिनको तकनीकी आर्थिक आधार पर अन्य स्थानों पर पुनः स्थापना सम्भव न हो। यह कार्य कृषि क्षेत्रों के लिए हाथ में नहीं लिए जाने चाहिएं, जहां सुरक्षित की जाने वाली परिसम्पत्तियां इतनी न हों जिससे इन कार्यों पर आने वाली लागत का औचित्य सिद्ध किया जा सके।

11. संबंधित एजेंसियों जैसे, रेलवे, राष्ट्रीय राजपथों, राज्यों के सिंचाई/बाढ़ नियंत्रण विभागों के बीच निकट समन्वय की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुलों, सड़कों, रेलों आदि जैसी संरचनाओं से बाढ़ की समस्यायें अधिक विकट रूप धारण न करें।

12. जिन राज्यों में आवश्यक कानून पारित हो चुके हों, वहां बाढ़-क्षेत्र-प्रबंध संबंधी उपाय किए जाने चाहिएं और अन्य राज्यों में उपयुक्त कानून बनाए जाने चाहिएं।

13. समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवातीय स्थितियों के लिए विशेष रूप से अभिकल्पित आश्रय स्थल बनाए जाने चाहिएं और जहां व्यावहारिक हो वहां समुद्र तट के साथ-साथ 2 किलोमीटर चोड़ी पट्टी में वायु को रोकने के साधन (विंड ब्रकर) के रूप में काम आने के लिए केसुआरिना के पेड़ और अन्य बागान लगाए जाने चाहिएं।

14. बाढ़ से होने वाली क्षति का अनुमान लगाने के तरीके में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि फसलों और सम्पति को हुई क्षति और मृत पशुओं के मूल्य का यथार्थवादी अनुमान लगाया जा सके। चुने हुए क्षेत्र में दूरस्थ संवेदन (रिमोट सेंसिंग) तकनीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि प्रभावित फसली क्षेत्र सेम्पल चेक की व्यवस्था की जा सके। सुरक्षित क्षेत्रों, असुरक्षित क्षेत्रों और बाढ़ सुरक्षा तटबंधों तथा नदी के बीच के क्षेत्रों के लिए बाढ़-क्षति का अनुमान अलग-अलग लगाया जाना चाहिए और उसकी सूचना भी अलग-अलग दी जानी चाहिए।

15. बाढ़ से होने वाले विनाश को कम करने के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। विनाश का सामना करने की तैयारी की योजना बनाने और तत्संबंधी संगठन की लगातार समीक्षा की जानी चाहिए।

16. बाढ़-नियंत्रण सेक्टर में महत्वपूर्ण स्कीमों और अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं के लिए धनराशि अलग से निर्धारित की जानी चाहिए।

17. बाढ़ नियंत्रण स्कीमों से लाभान्वित होने वालों से साधन जुटाने और बाढ़-सुरक्षा अथवा जल-निकास स्कीमों को पूंजीगत लागत के आधार पर बाढ़-उपकर लागू करने की संभावना पर विचार किया जाना चाहिए।

18. अनुरक्षण के लिए पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित की जानी चाहिए। जब तक उपयुक्त अनुरक्षण की सुनिश्चित व्यवस्था न हो, तब तक नए निर्माण-कार्य हाथ में लेना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होगा। अनुरक्षण संबंधी धनराशि के मानदंडों का समय-समय पर पुनरीक्षण करते रहना चाहिए।

19. जिन बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लाभ का अनुपात लागत के अनुपात से अधिक हो उन्हें स्वीकृति के लिए पात्र समझा जाना चाहिए। यदि सम्भव हो तो अप्रत्यक्ष लाभों की मात्रा निर्धारित की जानी चाहिए और उन्हें लाभ-लागत अनुपात का हिसाब लगाते समय शामिल किया जाना चाहिए। केवल विशेष मामलों में लाभ-लागत कसौटी को छोड़ा जा सकता है।

20. यह सुनिश्चित करने के लिए कि जल-वैज्ञानिक और अन्य आंकड़ों आदि को इकट्ठा करने का काम एक समान तरीके से और लगातार किया जाए, केन्द्रीय सरकार को तकनीकी निदेश देने चाहिए।

21. बाढ़-प्रवण क्षेत्रों का कन्टूर सर्वेक्षण करने और नक्शा बनाने का काम तत्काल हाथ में लिया जाना चाहिए।

22. जल-वैज्ञानिक और मौसम-विज्ञान संबंधी आंकड़ों को एकत्र करने, बाढ़-क्षेत्रों के नक्शे बनाने और बाढ़-पूर्वानुमान के लिए आधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं आपकी अनुमति से 25 मार्च, 1980 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए निम्नलिखित सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं :

(एक) बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के संबंध में जारी की गई घोषणा की मंजूरी लेने के लिए प्रस्तावों पर चर्चा;

(दो) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा;

(तीन) महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा;

(चार) भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई के परिवार के सदस्यों तथा भूतपूर्व गृहमंत्री श्री चरणसिंह के परिवार के सदस्यों के विरुद्ध आरोपों की न्यायमूर्ति सी० ए० वैद्यलिंगम की जांच की रिपोर्ट संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा; तथा

(पांच) संघ लोक सेवा आयोग की 20वीं रिपोर्ट पर आगे चर्चा।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : श्रीमान जी, आपकी अनुमति से, मैं चर्चा तथा सरकार द्वारा वक्तव्य देने के लिए निम्नलिखित मदों को शामिल करने का सुझाव दे रहा हूं। आपको स्मरण होगा कि पश्चिम बंगाल विधान सभा में पिछले बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्रालय पश्चिम बंगाल में स्वयं बैंक स्थापित करने के लिए प्रस्ताव किया था। मालूम हुआ है कि केन्द्रीय सरकार ने इस आधार पर अपने स्वयं के बैंक स्थापित करने के पश्चिम बंगाल के इस प्रस्ताव का विरोध किया है कि वित्तीय सौदों के निष्पक्ष होने की संभावना नहीं है। यह राज्य के वित्तीय अधिकारों के स्वायत्ता के लिए अत्याधिक अपमानजनक है और मुझे आशा और विश्वास है कि सरकार उनके वित्तीय अधिकारों के इस विशेष अतिक्रमण संबंधी पश्चिमी बंगाल के लोगों के दिमागों में संदेह को खत्म करने के लिए स्पष्ट वक्तव्य देगी।

केन्द्रीय विधि मंत्रालय की ओर से निर्वाचन आयोग को कथित निदेश है कि दिल्ली महानगर परिषद् से राज्य सभा के लिए चुनाव की अधिसूचना को रोक दिया जाए। इससे इस तथ्य का बोध होता है कि सरकार दिल्ली महानगर परिषद् को भंग करने वाली है तथा इस परिषद् में क्योंकि जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में है सत्तारूढ़ दल को यह भय है कि सत्तारूढ़ दल को राज्य सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो। जिसकी उनको बहुत आवश्यकता है तथा इसलिए इन दोनों पहलुओं को सभा में स्पष्ट किया जाना चाहिए।

तीसरे, अभी प्रधानमंत्री महोदय ने आर्थिक नाकेदारी संबंधी वक्तव्य दिया है। उन्होंने किसी गतिविधियों के प्रति अपना विरोध प्रकट किया है जो उस क्षेत्र में वास्तविक रूप से तनाव बढ़ाएगीं।

इसके बावजूद इन सब समाचार-पत्रों में यह संकेत दिया गया है कि पहले से ही नाकेबंदी कर दी गई है। तीन घंटे का प्रदर्शन तथा एक प्रयास की गई नाकेबंदी थी। यदि ये बातें जारी रहती हैं उस दशा में यह अर्थ होगा कि सत्तारूढ़ दल स्वयं ही अधिकारियों के गुप्त सहयोग से देश में गृह युद्ध की तैयारी कर रही है। इसलिए मुझे आशा है कि प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर चर्चा के लिए कुछ समय दिया जाएगा जो दुर्भाग्यवश नियम प्रक्रिया के अन्तर्गत यथा अपेक्षित अध्यक्ष महोदय को वक्तव्य की प्रतिलिपि प्रस्तुत किए बिना दिया गया था।

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, डावरी को लेकर जो महिलाओं की मृत्यु हो रही है उसके सम्बन्ध में डिस्कशन की मांग करती हूं। 1978 में दिल्ली में 350 बहनें बर्निंग से यानी आग लगने के कारण मर गईं—इस प्रकार का बयान दिल्ली के भूतपूर्व ले० गवर्नर, श्री कृष्ण चन्द्र ने दिया था। उस समय उन्होंने यह भी कहा था कि इस प्रकार की हर एक डेथ को एक्सीडेन्ट ही नहीं समझना चाहिए बल्कि मर्डर समझ कर केसेज चलाए जाने चाहिए

लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं हुआ। उसके बाद महिला दक्षता समिति, नारी रक्षा समिति जैसे संगठनों ने इस विषय को अपने हाथ में लिया और इसके पीछे पड़े लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। मैं यह कहना चाहती हूं कि प्रोहिबिशन आफ डावरी ऐक्ट, 1971 इस काम के लिए बिल्कुल कामयाब नहीं है। वह ऐक्ट बिल्कुल असमर्थ है और वह इन घटनाओं को रोक नहीं पाया। डावरी को कागिनजेबिल आफेन्स बनाया जाए---इस प्रकार की सभी की मांग है।

इसके साथ ही साथ जो पुलिस है वह ऐसे परिवार की मदद नहीं करती है बल्कि जो मर्डर करते हैं, किसी को जलाते हैं या कभी कभी लड़की को आत्म-हत्या करने के लिए मजबूर करते हैं उन्हीं लोगों को ही पुलिस सुरक्षा देती है। उनके खिलाफ एफ० आई० आर० भी पुलिस दर्ज नहीं करती है। मैं दो एक उदाहरण देना चाहती हूं। अभी 15 दिन पहले दिल्ली में चांदनी चौक में एक व्यक्ति काशी राम पुलिस के पास गया था लेकिन उसकी एफ० आई० आर० रजिस्टर नहीं की गई। उन्होंने कहा कि लड़की ऐसे ही मर गई होगी। इसी प्रकार से तीन साल पहले का एक केस है जिसमें यादव घर की एक लड़की को उसके फादर-इन-ला, सरपंच ने जला दिया। उस केस में लोग गवाही देने के लिए तैयार हैं। 24 तारीख को उस केस का फैसला होने वाला है। अगर इस मामले में उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की गई तो मैं समझती हूं यह केस भी लड़की के खिलाफ जाने वाला है और जिन्होंने दो बहुओं को जलाया है वे ऐसे ही छूट जायेंगे। इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर मैं बहस के लिए समय मांगती हूं।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि निम्नलिखित मद को अगले सप्ताह के दौरान होने वाली चर्चा में शामिल कर लिया जाए। यह बहुत गंभीर मामला है। 20 मार्च, 1980 को ग्वालियर उच्च न्यायालय पीठ के एडवोकेटों तथा न्यायाधीशों पर मध्य प्रदेश पुलिस तथा होम गार्ड्स द्वारा लाठियों तथा रिवाल्वरों से निर्दयता से हमला किया गया जो अभूतपूर्व था। स्पष्टीकरण जो पुलिस ने दिया है, वह यह है कि पुलिस नियंत्रण कक्ष के अनुसार पुलिस जनों ने हाथापाई में शामिल वकीलों में से उनको गलती से एक मानकर न्यायाधीश के साथ दुर्व्यवहार किया—मानो कि वकील पीटने के लिए ही हैं। लगभग एक सौ वकीलों को बुरी तरह से पीटा गया है और वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनमें से अधिकांश को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। यहां समाचार-पत्रों में फोटो है। यहां मेरे पास समाचार पत्र की एक प्रति है। इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि यह एक बहुत गंभीर मामला है। आखिरकार न्यायपालिका है, उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालय हैं। ये हमारे लोकतंत्र के प्रमुख तंत्र हैं। यदि उच्च न्यायालय में उस तरह की कोई घटना घट जाती है तो मैं नहीं जानता हूं कि यहां क्या होगा यदि कल यहां कोई घुस जाता है और कुछ सदस्यों की पिटाई शुरू कर देता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार को इस मामले पर एक विशिष्ट वक्तव्य देना चाहिए तथा इस पर विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए। एक अवसर प्रदान किया जाए तथा अगले सप्ताह के कार्य में इसे शामिल कर दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु तथा श्री राम विलास पासवान ने इसको पहले से लिखित में नहीं दिया है। चूंकि उनका निवेदन है, विशेष मामलों के रूप में मैं प्रत्येक को एक-एक मिनट की अनुमति दे रहा हूं। श्री ज्योतिर्मय बसु—मुझे आशा है कि आप कोई विवादस्पद मुद्दा नहीं उठाएंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जहां तक मुझे याद है, माननीय अध्यक्ष महोदय अपनी बुद्धिमत्ता से यह कहने में काफी अच्छे हैं कि एक बार प्रधानमंत्री महोदय असम पर वक्तव्य देती है तो उस पर सभा में विचार-विमर्श किया जा सकता है तथा इस सामान्य कारण से चर्चा की जा सकती है कि—तथा आप अपनी राजनैतिक पृष्ठभूमि तथा व्यापक जानकारी से देश के बहुराष्ट्रीय स्वरूप के बारे में जानते हो—यदि हम इस मामले को अभी समाप्त नहीं कर देते हैं तो बहुत देर हो जाएगी तथा हमें पछताना होगा तथा कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाएगा। क्या आप फूट डालने वाले आन्दोलन की अगवानी कर रहे हैं ? असम में यही घट रहा है, श्रीमति प्रधान मंत्री यह कहती है···

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या इसमें शामिल करना चाहते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं असम पर पूर्ण चर्चा चाहता हूं। मैं स्थगन प्रस्ताव की सूचना दे चुका हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री पासवान।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने दो बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि ग्वालियर में जो घटना घटी है और जिस तरीके से 23 वकीलों को घायल किया गया और जज के ऊपर रिवाल्वर ताना गया, हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास में इस तरह की घटना कभी नहीं घटी। सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। जैसा कि उस समय भी हमारे सम्मानीय सदस्य ने कहा कि जिनके हाथ में पावर है वे जिस तरीके से नंगा नाच करवा रहे हैं और जज के ऊपर जो रिवाल्वर ताना गया है, इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिजनों और आदिवासियों के ऊपर जो एट्रोसिटीज हो रही हैं, कल मैंने इस मामले को उठाया तो चेयर की तरफ से कहा गया था कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशनर की रिपोर्ट पर आप बोलें, लेकिन शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशनर की रिपोर्ट तो 1977-78 की है और यह घटना घटी है दो दिन पहले। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि बिहार के बलुवा बाजार में एक हरिजन को गिरफ्तार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। मुजफ्फरपुर जिले में हरिजनों को जिन्दा जलाया गया। बलुवा बाजार में, श्री केदार पाण्डे जी को मालूम है, वहां कांग्रेस (आई) के नेता श्री जगन्नाथ मिश्र का घर है···

उपाध्यक्ष महोदय : आप चाहते हैं कि इसे शामिल किया जाना चाहिए ? अब अन्तिम प्रश्न पर आइए। (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : मुजफ्फरपुर जिले में जो एट्रोसिटीज हुई है, मैं चाहता हूं कि सरकार को उस पर डिबेट करानी चाहिए।

श्री भीष्म नारायण सिंह : माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारे पास केवल चार कार्य दिवस बचे हैं और हमारे पास भारी कार्यक्रम हैं। मैं केवल यह कह सकता हूं कि मैं इन बातों के बारे में अपने साथियों को सूचित करूंगा। मैं आवश्यक कार्यवाही के लिए इसे उनकी जानकारी में लाऊंगा।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) असम से आये गैर-असमिया शरणार्थियों का पुनर्वास

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हाबर) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं :

पिछले एक सप्ताह के दौरान उत्तरी बंगाल के अलीपुरद्वार रेलवे स्टेशन पर असम की नलबाड़ी तथा बारपेटा सब-डिवीजनों में हाल के हुए दंगों से प्रभावित लगभग 3861 गैर-असमी-भाषी लोगों के 962 परिवार पहुंच चुके हैं। उन्हें ग्यारह राहत शिविरों में बसा दिया गया था जिन्हें असम सरकार ने 7 मार्च को बन्द कर दिया है। इन परिवारों को कथित रूप से कुछ पुनर्वास सुविधाएं दी गई हैं परन्तु वे स्पष्ट रूप से अभी तक असम में अपने मूल निवास स्थानों पर वापस जाने के लिए अधिक परेशान हैं। वास्तव में इन परिवारों में से कुछ अपने घरों को वापस जा चुके थे परन्तु कुछ स्थानीय उपद्रवियों ने उन्हें कथित रूप से वापस भेज दिया था और असम को एक बार फिर छोड़ने का यही एक कारण बताया जाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने असम सरकार से अलीपुरद्वार में पहले ही से बसे लगभग 3000 व्यक्तियों के बारे में बातचीत करने तथा उन्हें उन स्थानों पर वापिस ले जाने में सहायता करने के लिए एक अधिकारी भेजने का अनुरोध किया था। मुख्य मंत्री को अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है उन्होंने प्रधानमंत्री महोदया से निवेदन किया है कि वे इस कदम को बिना किसी विलम्ब के उठाने के लिए असम के राज्यपाल से अनुरोध करें।

यह पता लगाना भी आवश्यक है कि क्या उन परिवारों को दी गई पुनर्वास सुविधाएं पर्याप्त हैं जो राहत शिविरों में थे तब क्या उनको उनके पड़ोसियों द्वारा वास्तव में डराया-धमकाया जा रहा था जैसाकि आरोप लगाया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने तथ्यों का पता लगाने का तथा लोगों को अपने घरों को वापस जाने के लिए राजी करने तथा यथा संभव शीघ्र राहत शिविरों का दौरा करने के लिए संसद सदस्यों का एक दल भेजने का सुझाव दिया था। उन्होंने राहत शिविरों का दौरा करने के लिए कि क्या असम सरकार द्वारा आवश्यक सुविधाएं दी जा रही हैं। अपने मंत्रियों में से एक मंत्री को भेजने की राय दी है।

यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है अतः मैं चाहता हूं कि मंत्री इसका जवाब दें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मृत्युंजय नायक, उपस्थित नहीं है।

श्री विरधी चन्द्र जैन : वह भी अनुपस्थित हैं।

श्री छीतू भाई गामित : उपस्थित नहीं हैं।

श्री विजय एन० पाटिल : वह भी अनुपस्थित है।

श्री सत्यनारायण जटिया।

(दो) गोविन्दराम शुगर मिल्स, महोदपुर (मध्य प्रदेश) के बिना पर्याप्त कारण दिये बन्द किये जाने का समाचार

श्री सत्यनारायन जटिया (उज्जैन) : उपाध्याय महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्न-

[श्री सत्यनारायण जटिया]

लिखित महत्वपूर्ण विषय की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :—

"मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में महिदपुर रोड पर स्थित सेठ गोविन्दराम शुगर मिल्स के 579 श्रमिक कर्मचारियों को पिछले 7 महीनों का वेतन तथा कृषकों के गन्ने की कीमत का भुगतान नहीं किया गया है। कर्मचारियों को पिछले दो वर्षों से न्यूनतम बोनस का भुगतान तथा चार साल से रिटेनिंग राशि भी नहीं दी गई है। इस प्रकार लगभग 11 लाख रुपयों का भुगतान कर्मचारियों का मिल की ओर बाकी है। मिल मालिक ने बिना सूचना के जान बूझकर कारखाना बन्द कर लेड-आफ कर दिया है, जबकि मिल चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में गन्ना उपलब्ध था। मिल द्वारा कर्मचारियों को भुगतान न करने के कारण श्रमिक परिवारों का भरण-पोषण मुश्किल हो गया है। वे भूख के कारण व्याकुल और त्रस्त हैं। एक श्रमिक श्री अहमद हुसैन की अभाव और भूख के कारण मृत्यु हो गई है और अनेक परिवार भूख की आह से कराह रहे हैं। इस सारी स्थिति से शासन को अवगत कराया गया है। अतः ऐसी स्थिति में शासन महिदपुर तथा इसी प्रकार जावरा के शक्कर कारखानों को अधिग्रहीत कर और श्रमिकों का भुगतान कर राहत प्रदान करे।

(तीन) देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मनीराम बागड़ी।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त कोई गृह मंत्री नहीं है, तीनों के तीनों गैर-हाजिर हैं। कोई मंत्री है।

एक मानवीय सदस्य : संसदीय कार्य मंत्री है।

श्री मनीराम बागड़ी : उनको तो कुछ पता नहीं है। यह ला एण्ड आर्डर का सवाल है; गृह मंत्री को यहां लाइये क्या वह कानून और व्यवस्था के बारे में जानते हैं?

श्री धनिकलाल मंडल : इतनी कर्टसी तो होनी ही चाहिए थी।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैं कर्टसी के लिए भी यहां हूं और आप को सुनने के लिए भी आपकी सेवा में उपस्थित हूं।

श्री मनीराम बागड़ी : क्या भीष्म नारायण सिंह जी को सब चीज की जानकारी है, क्या वह सर्व-ज्ञानी हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : यह संबंधित मंत्री महोदय को जाएगा। अब आप सही विषय पर आइये।

श्री मनीराम बागड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, अंधों के जुलूस पर लाठी चार्ज दिल्ली व चण्डीगढ़ में व देश-व्यापी गिरफ्तारी, पिपरा में हरिजनों पर अत्याचार, मुरादाबाद में झोंपड़ियों का जलाया जाना, नासिक में किसानों को गोलियों से मारा जाना, देवरिया में गड़रियों को जलाना, रोजाना कत्ल, डकैती, आम लॉ-कानूनी आदि मामले गम्भीर और चिन्ता के विषय हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी की जिन्दगी महफूज नहीं है। इस व्यवस्था को जल्द सुधारा जाना चाहिए। सरकार को हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे रहना चाहिए। गृह मंत्री इस मामले पर तत्काल ध्यान दें।

उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी तो यहां हैं नहीं तो ध्यान क्या देंगे। श्री भीष्म नारायण सिंह जी बैठे हैं, वे ही जवाब दें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बागड़ी आप प्रक्रिया को जानते हैं ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आप बैठे-बैठे बोल रहे हैं, यह नियम के विरुद्ध है। आप जब तक नहीं बोल सकते हैं तब तक कि उपाध्यक्ष अनुमति नहीं देते हैं।

श्री मनीराम बागड़ी ××

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(चार) छितौनी (बिहार) में गंडक नदी पर रेलपुल के निर्माण में कथित विलम्ब

श्री केदार पांडे (बेतिया) : मैं नियम 377 के अधीन सभा का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। बिहार में छिटोनी में गंडक नदी पर उत्तर प्रदेश के साथ बिहार राज्य को जोड़ने वाले रेलवे पुल का निर्माण करने में विलम्ब से लोगों में आक्रोश पैदा हो रहा है। वर्ष 1976 में प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस रेलवे पुल का शिलान्यास रखा था। 1977 में लोक सभा के चुनाव के बाद जनता पार्टी सत्ता में आई और उसने इस पुल के निर्माण की योजना को स्थगित कर दिया। इस पुल के निर्माण इस क्षेत्र के विकास तथा कल्याण के लिए अत्यधिक आवश्यक है। सरकार को इस योजना को पूरा करने के लिए तुरन्त कदम उठाने चाहिए।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के पच्चीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के पच्चीसवें प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे।

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी।

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी (नवद्वीप) : यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी मातृ भाषा में बोलूं।

***अध्यक्ष महोदय :** हां, हां।

श्रीमती गोस्वामी आप को 6 मिनट का समय दिया गया है। कृपया आप अपनी बात इसी समय में समाप्त करने की कोशिश करें।

***श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :** मैं बार-बार नहीं बोलती हूं। मेरा आप से अनुरोध है कि मुझे थोड़ा समय और दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें कहीं गयी हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त प्रति वर्ष अपनी रिपोर्ट

××कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*बंगला में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्रीमति विभा घोष गोस्वामी]

प्रस्तुत करते हैं और सभा में उन पर चर्चा भी की जाती है। आज हम आयुक्त की 25वीं रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं। संसद के दोनों सदनों में इस पर लम्बे-लम्बे भाषण दिए गए हैं। सदन ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की एक समिति बनायी है। इस समिति ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं पर लम्बी अवधि तक चर्चा की थी तथा उसने अनेक सिफारिशें भी की थीं। राज्य स्तर पर भी काफी लम्बी-लम्बी चर्चाएं तथा सिफारिशें की गयीं। वास्तविकता यह है कि इस विषय पर चर्चाओं की कोई कमी नहीं है। लेकिन यदि शब्दों से ही समस्याओं का समाधान हो जाता तो अब तक बोले गए शब्दों की बाढ़ से सभी गरीब मुसीबतों, यातनाओं तथा अत्याचारों का खात्मा हो गया होता। लेकिन केवल शब्दों से ही परिणाम नहीं निकलता। आज भी इन जातियों के लोग गरीबी में भी सबसे ज्यादा गरीब हैं। वे अभी भी भूखे तथा अछूत हैं वे अशिक्षित हैं उन्हें यातनाएं दी जाती हैं उनकी बस्तियों को आग लगा दी जाती है, उनके भाइयों को मार दिया जाता है तथा उनकी माताओं और बहिनों के साथ बलात्कार किया जाता है। इन सब समस्याओं का एक ही कारण है कि इस देश का शासक वर्ग ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों के जीवन स्तर को कभी उठाना नहीं चाहा और न ही वह वर्ग यह चाहता है कि इनकी दशा में कोई परिवर्तन आए। चाहे कांग्रेस हो या जनता हो, विशेष तौर से पददलित तथा मजदूर वर्ग, समाज के एक बहुत बड़े समुदाय के ऊपर मुट्ठी भर विशेषाधिकार प्राप्त शासक वर्ग का प्रभुत्व जमाने के लिए राज्य तंत्र को चलता है। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जाति और धर्म में लिपटा हमारे समाज में साम्प्रदायिकता तथा जातिवाद का प्रयोग गरीब वर्ग को अमीर वर्ग के स्वार्थों को पूरा करने के लिए किया गया। हमने यह अंग्रेजों के समय में देखा तथा यह प्रक्रिया आज भी चल रही है। जब तक हम अपने समाज के वर्ग-स्वरूप में परिवर्तन लाने में समर्थ नहीं होते और इसकी सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पुनः रचना नहीं करते, तब तक हमारे समाज की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की दशा में कोई वास्तविक परिवर्तन होने की कोई आशा नहीं है। आमतौर पर सरकार निहित स्वार्थों की सेवा करती है और इस देश की गरीब जनता के लिए उसकी सहानुभूति "सामाजिक न्याय," "समाज के निर्बल वर्गों का विकास," "न्यूनतम जरूरत कार्यक्रम" आदि शब्दों तक ही सीमित रहती है तथा समाज के सबसे गरीब वर्ग के लोगों की कभी परवाह नहीं की जाती। इस प्रकार सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए सभी शुभ कामनाएं अपने सामाजिक योजनाओं, अनुसूचित जनजातियों की उपयोजनाओं आदि में व्यक्त करती है। अनुसूचित जातियों के कल्याण सम्बन्धी निगम आदि को कोई अधिकार नहीं दिए जाते हैं। इससे वे निहित स्वार्थों के विरुद्ध कार्य करने में निरर्थक होते हैं···

इस मामले में थोड़ा बहुत जो कुछ हुआ है उससे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की दशा में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ है। वास्तविकता यह है कि इससे पददलितवर्ग में एक सम्पन्न वर्ग की उत्पत्ति हुई है जिसको कि सबसे अधिक लाभ पहुंचे हैं। यह वर्ग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समस्त समाज में एकता पैदा करने और उनके सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में पूर्ण परिवर्तन लाने में उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहा है। वे केवल सरकार के सामने अधिक सुविधाओं के प्रदर्शन या अपीलें ही करके प्रसन्न हैं। इस प्रकार वे सरकार का

ध्यान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की मौलिक समस्याओं से हटाकर सरकार की मदद कर रहे हैं।

चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने दृष्टिकोण में परिवर्तन का सुझाव दिया है। लेकिन समाज के ढांचे के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाए बिना दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना उल्टे चरखे पूंनी कातने के बराबर है।

इन लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं के बारे में सरकार का वास्तविक दृष्टिकोण क्या है। उनके भूमि, जंगल फसल में हिस्सा, काम, उचित मजदूरी, शिक्षा के अधिकारों के संबंध में सरकार क क्या विचार हैं। मैं समझता हू कि यह शून्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं। क्योंकि हम एक ही समय में दो विपरीत काम कैसे कर सकते हैं ? हम एक ओर जमींदार तथा जोतदार और दूसरी ओर बधक मजदूर, कृषि मजदूर तथा बटाईदारों के हितों की एक ही समय में रक्षा नहीं कर सकते है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शासक वर्ग, वह वर्ग जो सरकार में रहा है, किस खेमे में आता है। यह खेमा जमींदारों तथा जोतदारों का है। इसलिए वे लोग मूल रूप से बधक मजदूरों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, बटाईदारों गरीब कृषकों तथा जगली जातियों के विरुद्ध हैं। वे श्रीमती महसावेतदवी को उनकी पुस्तक "अर्नयर अधिकार" अर्थात "राइट टू दी फोरेस्ट" के लिए एकेडमी अवार्ड प्रदान कर सकते है, लेकिन यही उनकी सीमा है; वे उनके उस अधिकार को कभी भी वास्तविक रूप में पूरा नहीं कर सकते है सिर्फ कागजों पर ही पूरा करना चाहते हैं और आदिवासियो के जीवन में क्रान्ति लाने के लिए कोई ठोस कदम नही उठा सकते। मैं अपने उन मित्रों से जो पददलितों की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं कहना चाहूंगी कि वे अनुसूचित जातियो की भलाई का कार्य अलग से नही कर सकते क्योंकि उनका भाग्य देश के असंख्य पददलितो से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को भी अन्य पददलित लोगो के साथ चलकर अपने अधिकारो के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तभी उनको कुछ निश्चित परिणाम मिल सकेंगे और इस प्रकार के मिलकर संघर्ष करने से ही वे अपने संवैधानिक अधिकारों को भी कार्यान्वित करा पाएंगे।

9 अगस्त, 1978 को प्रश्न संख्या 3465 के उत्तर में तत्कालीन मंत्री श्री घनिकलाल मंडल ने अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जनजातियों के साथ हुए अत्याचारो के संबंध में कुछ आंकड़े दिए थे। उन्होने बताया था कि 1 जनवरी से 30 जून, 1978 की 6 महीने की अवधि में हत्या के 223, मार-पीट के 730, बलात्कार के 260 लूटपाट के 503 और अन्य अपराधों के 5104 मामले हुए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहूँगी कि पश्चिमी बंगाल के कुल 6820 मामलों में से बंगाल से केवल एक मारपीट का मामला आया है। हत्या, बलात्कार, लूटपाट और आगजनी का कोई मामला नहीं था क्या किसी ने कभी सोचा है कि यह कैसे संभव हुआ ? क्या कभी किसी को यह सोचकर आश्चर्य हुआ है कि गांधी विचारधारा में विश्वास रखने वाले नेता श्री भोला पासवान शास्त्री जी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के बारे में पश्चिमी बंगाल की वामपंथी सरकार द्वारा की गयी मार्गदर्शी कार्यवाही की प्रसंशा क्यों करते हैं। कारण कहीं दूर नहीं ढूंढ़ना है। पश्चिमी बंगाल में सरकार ने अपनी नीतियों के माध्यम से समाज के निम्न वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की है तथा इससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को जिनका इस वर्ग में एक बड़ा भाग है, सहायता

[श्रीमति विभा घोष गोस्वामी]

पहुंची है। उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं को प्रथक रूप से समाधान करने का प्रयास नहीं किया है। हमारे राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग समाज के शेष दबे हुए वर्ग के साथ मिले हुए हैं और वे अपने अधिकारों के लिए मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। जब हम अमरीका और इंगलैंड जैसे पूंजीवादी देशों को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि वहां का समाज रंगभेद के द्वेष से प्रभावित है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था का कोई भी आलोचक यह नहीं बता सकता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों में ऐसी सामाजिक बुराई है। इसलिए मैं अपने मित्र श्री रामविलास पासवान जी से अनुरोध करूंगी कि वे पश्चिमी बंगाल स प्रेरणा लें और सामूहिक सघर्ष के लिए पददलितों के साथ अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को भी संगठित करें क्योंकि उनका भी उद्देश्य वही है और उनके भी शत्रु वही है।

अब मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं की शिक्षा की समस्या के बारे में भी कुछ शब्द कहना चाहूंगी। मैं "टूवर्ड्स क्वालिटी" के पृष्ठ संख्या 271 से कुछ आंकड़े दूंगी। इस पुस्तक के अनुसार 1961 में ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 अनुसूचित जातियों के पुरुषों में से 151 पुरुष शिक्षित थे और 1000 महिलाओं में से 25 शिक्षित थीं। इसी प्रकार अनुचित जनजातियों के 1000 पुरुषों में से 134 पुरुष और 1000 महिलाओं में से 29 महिलाएं शिक्षित थी। प्राईमरी तथा जूनियर स्तर तक 1000 में स अनुसूचित जातियों की महिलाओं की संख्या 5 तथा अनुसूचित जनजातियों की महिलाओ की संख्या 6 थी। 1000 में से कोई ऐसी महिला इन जातियों में नहीं थी जिसने मैट्रिक तथा इसके समकक्ष परीक्षा पास की हो। इस स्थिति में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है जैसाकि शिक्षा मंत्रालय के प्रकाशन "महिला प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम" के प्रथम पृष्ठ की सारिणी से पता लगता है। 1971 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की लगभग आधी प्रौढ़ अशिक्षित महिलाएं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की थीं और उनकी छोड़ने की दर भी बहुत अधिक थी।

दिल्ली में हुए राष्ट्रीय महिला विकास सम्मेलन ने सिफारिशें की थी कि स्कूलों से सम्बद्ध शिशु देखभाल केन्द्रों की कन्याओं को स्कूलों में लाने के लिए प्रयुक्त किया जाये। एशिया तथा प्रशान्त सागरीय क्षेत्रों के लिए आर्थिक तथा सामाजिक आयोग के दिल्ली प्रीपरेटरी सम्मेलन ने भी भारतीय शिष्टमंडल की इस सिफारिश को स्वीकार किया है कि प्रत्येक प्राथमिक स्कूल से शिशु देखभाल केन्द्रों का सम्बद्ध होना आवश्यक है। इस सिफारिश को सम्मेलन ने माना है। अतः मैं यह माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि क्या उन्हें इसके बारे में जानकारी है और उपर्युक्त सिफारिश को कार्यान्वित करने के बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? (व्यवधान)

योजना के कार्यान्वयन के विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है और छठी पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि निर्धारित की जा रही है।

श्री कृष्ण चंद्र हाल्दर (दुर्गापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उनके भाषण को कोई नहीं सुन रहा है। वहां क्या हो रहा है। मंत्री महोदय बंगला नहीं समझते हैं। उन्हें अनुवाद तो सुनना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : वह सुन रहे हैं।

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : श्रीमान जी, मैं दो बातों का हवाला देकर अपनी बात समाप्त करूंगी। श्री के० के० कृष्ण मूर्ति ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन करने का सुझाव दिया है। मैं इस मांग का समर्थन करना चाहूंगी तथा यह सुझाव देना चाहूंगी कि विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल से भारत में आए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सभी व्यक्तियों को जिन्हें अविभाजित बंगाल में फायदा मिल रहा था उनको अन्य राज्यों में भेजने पर वही फायदे मिलते रहने चाहिए। उनमें नमःशूद्र भी है। मैं भी इसी जाति की हूं। जब यह जाति भारत में आई उस समय इसे सभी फायदे मिल रहे थे तथा इस जाति को इनके पश्चिम बंगाल में बसने पर भी ये फायदे इन्हें मिलते रहते लेकिन उनमें से बहुत से लोग हरियाणा, दडकारण्य जैसे स्थानों को भी चले गए थे। परन्तु इन स्थानों पर उनको ये सुविधाएं नहीं दी गयी क्योंकि इन स्थानों पर नमःशूद्रों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल नहीं किया गया था। अतः मैं पुनजोर अनुरोध करूंगी कि इन सभी लोगों को जिन्होंने पूर्वी बंगाल में अपने घरबार छोड़े हैं तथा जिन्हें वहां अनुसूचित जातियों को मिलने वाले लाभ मिल रहे थे, अब उन्हें यहां इनका मिलना बन्द हो गया है उनके साथ न्याय किया जाए तथा मैं इस संबंध में मंत्री महोदय से आश्वासन चाहती हूं। भारत में जहां भी ये लोग गए हैं उन्हें वहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किया जाए।

मुझे दूसरी बात यह कहनी है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लड़के तथा लड़कियों को स्कूलों में जाने का प्रोत्साहन देने के लिए पश्चिम बंगाल की बामपंथी सरकार ने प्रत्येक छात्र को प्रति मास 20 रु० छात्रवृत्ति देने का कार्यक्रम बनाया है। यह कल्याण योजना इंगलैंड की कल्याण योजना से मिलती-जुलती है जहां प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने तथा उसके लिए अभिभावकों को मुआवजा देने की शुरूआत की गयी। लेकिन दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल सरकार के पास समिति सीमित साधन हैं। इस संबंध में केन्द्रीय सरकार से यह जानना चाहूंगी कि क्या वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वास्तविक उत्थान की इस योजना के वित्तीय भाव को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वहन करेगी।

अंत में मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले यह कहूंगी कि सतत प्रयासों और प्रतिक्रियावादी ताकतों के असंख्य षड़यन्त्रों के होते हुए भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति अलग-अलग नहीं रह सकते तथा वे शोषित जनता के मानव अधिकारों की लड़ाई की मुख्य धारा में अपना सही स्थान ढूंढ़ ही लेंगे और भविष्य में उन्नति करेंगे और वे वंशजों के उत्तराधिकारा होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके पूर्व कि मैं अगले वक्ता को बोलने के लिए कहूं, मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि हमारे पास केवल 1 घंटा 45 मिनट का समय है। कांग्रेस (आई) पक्ष के लगभग 22 वक्ता हैं। मैं दोनों ओर के माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे सिर्फ 3 मिनट ही बोलें। अन्यथा हम इस चर्चा को समाप्त नहीं कर सकेंगे। कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निश्चित हम प्रत्येक पार्टी को समय दे रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा नामों की सूची दी गई है। अभी भी लगभग 22 सदस्यों को बोलना है। यदि आप अन्य सदस्यों द्वारा कही गयी बातों को पुनः नहीं दोहरा देंगे तो मैं समझता हूं कि आप अपना भाषण शीघ्र समाप्त कर सकते हैं। मैं प्रत्येक को 3 मिनट का समय दूंगा। यदि

[उपाध्यक्ष महोदय]

आप अधिक समय लेंगे, तो मेरा विचार है कि दूसरों को मौका नहीं मिल सकेगा। हमें इसका निर्धारित समय के भीतर ही समाप्त करना है। यह आप से मेरी प्रार्थना है।

श्री के० प्रधानी (नौरंगपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आयुक्त की रिपोर्ट के संबंध में चर्चा में भाग लेने के लिये खड़ा हुआ हूं। संविधान के अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास के संबंध में राज्यों की जिम्मेदारी के बारे में विचार किया गया है। श्रीमान, संविधान के अनुच्छेद के अनुसार भारत सरकार ने देश के साथ उड़ीसा राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी विकास योजनाओं को शुरू किया है। उड़ीसा के आदिवासी लोगों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए इन आदिवासी विकास परियोजनाओं को शुरू किया गया है। उड़ीसा में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या लगभग 51 लाख है तथा सब लोगों में 71 प्रतिशत गरीबी है तथा आदिवासी लोगों में लगभग 10 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो गरीबी की सीमारेखा से भी नीचे हैं। मैं सिर्फ रिपोर्ट के पृष्ठसंख्या 99 का उल्लेख करूंगा। इसमें यह उल्लिखित है कि पांचवी योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए निर्धारित 880 लाख रुपये की राशि में से 587 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति पाच वर्ष व्यय हुआ है। केरल के लगभग 43 लाख रुपयों में से आदिवासी क्षेत्र में प्रति पांच वर्ष प्रति व्यक्ति व्यय 17 रुपये बैठता हैं। इसी प्रकार उड़ीसा में 43 लाख रुपयों में से आदिवासी क्षेत्र में 5 वर्षों में प्रतिव्यक्ति व्यय एक रुपये से भी कम बैठता है। पिछले 5 वर्षों में राज्यों की पांचवी योजना के दौरानके वल इतनी ही राशि इन लोगों के विकास हेतु खर्च की गई थी। अतः मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस गति से राज्यों में विकास हो रहा है, इन क्षेत्रों का विकास करने में 100 वर्ष से भी अधिक समय लग जायगा। परन्तु इसके बावजूद भी आदिवासी लोगों की स्थिति में कुछ भी सुधार नहीं हो सकेगा। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इन लोगों की अर्थिक दशा सुधारने के लिए और अधिक राशि की व्यवस्था करें।

इन आदिवासी क्षेत्रों में लोगों को उचित दर की दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिए कई बहु-उद्देशीय सहकारी समितियां हैं तथा इन समितियों का कार्यभार संभालने के लिए परियोजना अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है जिन्हें सरकार द्वारा सहायता दी जाती है। फिर भी अधिकारीगण इन लोगों को वस्तुओं की सप्लाई करने के लिए वांछित ध्यान नहीं देते। समिति के प्रबन्ध निदेशकों में से एक ने मुझे बताया कि उसे यह कार्य पसन्द नहीं है क्योंकि इसमें उन्हें अधिक लाभ नहीं मिलता। जब भारत सरकार से इन समितियों को आर्थिक सहायता मिलती है तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये परियोजना अधिकारी इन समितियों में कार्य करने को तैयार क्यों नहीं होते। इस प्रकार की विचारधारा से इस देश के आदिवासी लोगों को कुछ लाभ नहीं होगा। उन सभी परियोजना अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये, जो अपना कर्त्तव्य निभाने में असफल रहते हैं।

अब आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासनिक नियंत्रण के लिए तीन तरीके हैं। पांचवी अनुसूची के अनुसार आदिवासी क्षेत्रों में प्रबन्ध एवं प्रशासन तथा समय-समय पर तत्संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सरकार की है।

आदिवासी लोगों के लिए मंत्रणा परिषद भी गठित की गई है। परन्तु वे अपना कार्य उचित रूप से नहीं करते और इसीलिए आदिवासी क्षेत्रों में ठीक प्रशासन नहीं है। परिणामस्वरूप, आदिवासी लोगों को इन प्रयासों का उचित लाभ नहीं मिल पाया है।

वर्तमान उत्पाद शुल्क नीति, अर्थात, ठेका प्रणाली द्वारा शराब वितरण पर आंशिक प्रतिबंध से आदिवासी लोगों को कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इन आदिवासी क्षत्रों में स्थित जिला, सब डिवीजन तथा तहसील के मुख्यालयों में शराब की दुकानें है जहां से आदिवासी क्षेत्रों में शराब की तस्करी की जाती है। या तो इस आंशिक प्रणाली को पूर्णतया समाप्त किया जाना चाहिए अथवा ऐसे तस्करी के कार्यों को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 16 (4) तथा 335 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की व्यवस्था है। अनुच्छेद 335 में उपबंध है कि प्रशासन में कुशलता बनाए रखते हुए आरक्षण करना चाहिए। इस अनुच्छेद की यह परिभाषा सरकार को इन लोगों को नौकरियों में शत-प्रतिशत आरक्षण देने में बाधक सिद्ध होती है। इस प्रकार यह आरक्षण जैसी बात नहीं अपितु एक प्रकार से रिआयत देने जैसी बात है।

अन्त में, कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि आदिवासी विकास के लिए एक पृथक मंत्रालय होना चाहिए। मैं इस सुझाव से सहमत नहीं हूं। मेरा सुझाव है कि इसके लिए गृह मंत्री के अधीन मंत्रालय में एक पृथक विभाग होना चाहिए।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : उपाध्यक्ष महोदय, हम 1977-78 की शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के कमिश्नर की रिपोर्ट के बारे में कुछ कहने के लिए यहां खड़े हुए हैं। इस रिपोर्ट में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं, इनका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन इससे पहले भी इसी सदन में दर्जनों बार शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शिड्यूलट्राइब्ज की रिपोर्ट पर बहस हुई है, सरकारी पक्ष की ओर से आश्वासन दिए गए हैं, लेकिन उनको कूड़े-कबाड़े में फेंक दिया गया है। इस रिपोर्ट का क्या होगा, मैं नहीं कह सकता। सवाल रिकमैंडेशन्ज का नहीं है, कमीशन तो अच्छी रिकमैंडेशन्ज देते हैं, सवाल इनके इम्पलीमैंटेशन का है। देखना यह है कि इम्पलीमैंटेशन होता है या नहीं? अगर यह होता है तो इस सम्बन्ध में मेरे सुझाव यह हैं :—

शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का उत्पीड़न करने वाले अपराधियों के विरुद्ध आ० पी० सी० की सामान्य धाराओं के बजाय आई० पी० सी० में आवश्यक संशोधन करके विशेष धारायें लागू की जायें।

प्रदेशों के जिन जिलों में एम० सी० एण्ड एस० टी० पर अत्याचार हो सम्बन्धित एस० पी० और डी० एम० को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाये और मुल्जिमान के साथ ही साथ सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध भी कड़ी कार्यवाही की जाए।

जहां भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज पर जुल्म की संभावना हो, जुल्म के काम आ सकने वाले जितने भी लाइसेन्सी हथियार हैं उन सब का कम-से-कम 10 वर्ष के लिए लाइसेन्स जप्त कर लिया जाए।

एस० सी० एण्ड एस० टी० पर अत्याचार करने का दोषी पाने वाले लोगों को सभी सरकारी नौकरियों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाए।

[श्री आर० एन० राकेश]

शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज पर ढाये गए जुल्मों से पहुंची क्षति को संबंधित अत्याचारियों की निजी या पैतृक सम्पत्ति से पूरा किया जाए।

कमीशन की रिपोर्ट को देखने से मालूम होता है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का कोटा प्रथम श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी तक की सरकारी नौकरियों में कहीं भी पूरा नहीं है।

मैं आपका ध्यान सरकारी सिविल नौकरियों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। सिविल सर्विस की नौकरियों की संख्या 13942 है, अनुसूचित जाति की संख्या 1007 यानी 7 प्रतिशत शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की संख्या 319 यानी 2.28 प्रतिशत है। जबकि शिड्यूल्ड कास्ट्स की संख्या 2909 और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की संख्या 1992 होनी चाहिए। मौजूदा रिपोर्ट के अनुसार यह लगता है कि वह दरवाजे जो न्याय के हैं, वह हमारे लिए अन्याय कर रहे हैं।

कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का कोटा पूरा करने में सबसे ज्यादा अनियमिततायें न्यायाधीशों और अपर-न्यायाधीशों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में हुई हैं। बिहार, जम्मू-काश्मीर, मणिपुर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को छोड़ कर उक्त श्रेणी के कुल न्यायाधीशों की संख्या 2336 है, जिनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स केवल 138, अर्थात् 6 परसेंट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज केवल 43 यानी 1.8 परसेंट हैं, जबकि इस श्रेणी में शिड्यूल्ड कास्ट्स के जजिज की संख्या 403 और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के जजिज की संस्था 319 होनी चाहिए थी।

आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और केरल के हाई कोर्ट्स ने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के रिजर्वेशन के सिद्धान्त को स्वीकार किया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन इलाहाबाद, कलकत्ता, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पटना, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तामिलनाडु के हाई कोर्ट् ने रिजर्वेशन के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया है। मैं इस सदन के माध्यम से उनकी कटु भर्त्सना करता हूं। वे कहते हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स में योग्य लोग नहीं मिलते हैं। ये हाई कोर्ट कान खोल कर सुन लेते कि यदि हम देश के संविधान को बना सकते हैं, तो अदालतों में बैठ कर संविधान के अनुसार फैसले भी लिख सकते हैं।

लेकिन दुःख इस बात का है कि आज भी देश में ऐसे हाई कोर्ट्स हैं, जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के प्रति दुर्भावना रखते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ऐसे हाई कोर्ट्स शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के मुकदमों का फैसला क्या करते होंगे। इस बारे में अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के आरक्षण का कोटा केवल इन्हीं वर्गों के अभ्यार्थियों से भरा जाए और पोस्ट्स को डीरिजर्व करने की व्यवस्था को तुरन्त समाप्त किया जाए। हरिजन और आदिवासी अभ्यार्थियों के आरक्षण सम्बन्धी नियमों का अनुपालन करने के लिए प्रत्येक विभाग में तीन-तीन संसद-सदस्यों की समिति गठित की जाए और उस समिति में सभी आवश्यक शक्तियां निहित हों। हरिजनों और आदिवासियों का कोटा भरने के लिए सरकार एक समयबद्ध कार्यक्रम घोषित करे और उसको उसी समय के अन्दर इम्पलीमेंट कराये। जब तक सरकार शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के पढ़े-लिखे बेरोजगार लोगों को नौकरी नहीं दे सकती है, तब तक उनको उनकी एजूकेशन के अनुसार 150 रुपये से 300 रुपये तक मासिक बेकारी-भत्ता दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं एक ऐसा प्रश्न उठाना चाहता हूं, जो सीधे आपसे सम्बन्धित है। हम इस सदन में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के सम्बन्ध में बहस कर रहे हैं। देश की बात छोड़ दीजिए, खुद इस सदन में हरिजनों के मसीहा, डा० अम्बेडकर, के महान् व्यक्तित्व की उपेक्षा की जा रही है। इस सदन के साथ लगे हुए सेंट्रल हाल में आज तक डा० अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं लगाई गई है। वहां पर जिन व्यक्तियों की प्रतिमायें लगी हुई हैं, उनके व्यक्तित्व की तुलना में डा० अम्बेडकर का व्यक्तित्व बीस से उन्नीस नहीं है। जिन लोगों की प्रतिमायें वहां लगी हुई हैं, उनकी जयन्ती वर्ष में एक बार एक दिन मनाई जाती है, और सरकारी दफ्तरों में मनाई जाती है। उनकी जयन्ती को मनाने के लिए कुछ मुट्ठी भर लोग जाते हैं। लेकिन डा० अम्बेडकर की जयन्ती काम रूप से लेकर काठियावाड़ तक, हिमालय की चोटियों से लेकर कन्याकुमारी तक, महीनों तक मनाई जाती है और उसमें करोड़ों लोग शामिल होते हैं।

आप इस सदन के मालिक हैं। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि डा० अम्बेडकर की प्रतिमा सेंट्रल हाल में क्यों नही लगाई गई है। मैं आप से शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के लिए न्याय मांग रहा हूं। क्या डा० अम्बेडकर की प्रतिमा वहा पर इसलिए नहीं लगाई गई है कि वे हरिजन थे, अछूत थे? मैं दावे के साथ कह सकता हू कि अगर भारत के संविधान को लिखने वाला कोई अछूत न होता, तो उसकी प्रतिमा वहां पर सबसे पहले लगती और हिन्दुस्तान के कौने-कौने में उसकी पूजा कराई जाती। अगर डा० अम्बेड़कर अछूत न होते, तो उनकी प्रतिमा भी वहां पर लगती और हिन्दुस्तान के कौने-कौने में उनकी पूजा होती।

तीस वर्ष के लोकतांत्रिक इतिहास में अनेक सरकारें आई हैं और गई हैं। प्रधान मंत्री की कुर्सी पर तस्वीरें बदलती रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हरिजनों और आदिवासियों के भाग्य में कोई बदलाव नहीं आया है। मैंने गत वर्षों में इसी सदन में बेलछी, कानड़िया, विश्रामपुर, धर्मपुरा, पथड्डा, आगरा और मुजफ्फरनगर आदि के हत्याकांडों के लिए जनता सरकार को दोषी ठहराया है। और इसी सदन में पिपरा कांड के लिए मौजूदा कांग्रेस (आई) सरकार भी कलंकित हुई है।

पिपरा कांड की चर्चा करते समय आंख से आंसू निकल आते हैं। जितनी हत्याएं अब तक हरिजनों की हुई है उनमें पिपरा कांड सबसे बड़े कलंक का इतिहास है। पिपरा कांड का जवाब देते हुए होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि अब हरिजनों पर अत्याचार नहीं होगा। लेकिन उसके बाद मुरादाबाद में 3 हरिजनों को और हरिजनों के 250 घरों को जला कर 12 सौ व्यक्तियों को बेघरबार कर दिया गया। होम मिनिस्टर साहब के जवाब के बाद पुनः हरिजन हत्याओं की पुनरावृत्ति हुई है। तो मैं क्या कहूं? थोड़े माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं :—

हमें सताते हो हमारे होकर
इनाम मिला क्या यही हमें तुम्हारे होकर।।

अन्त में अधिक समय न लेते हुए मैं यही कह कर समाप्त करता हूं कि—

सताए जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं।
उठाए जो गरीबों को उसे भगवान कहते हैं।।

मौजूदा सरकार से मेरी प्रार्थना है कि वह भगवान बने, और कुछ न बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समयाभाव के कारण अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बापू साहिब परूलेकर (रत्नागिरी) : सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बहुत दुखद स्थिति है कि राज्य सरकारों ने इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए आवश्यक सूचना प्रस्तुत नहीं की तथा राज्य सरकारों से आंकड़े प्राप्त किए बिना ही हम इस रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं। इस सदन के माननीय सदस्यों की सूचना के लिए मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान इस रिपोर्ट के पृष्ठ 49 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसमें यह उल्लेख है कि राज्य सरकारों को आकड़ों की सूचना 1-1-1978 को या उसके पूर्व भेज देनी चाहिए थी। देश के इतने सारे राज्यों में से केवल एक राज्य, यथा महाराष्ट्र ने ही यह सूचना भेजी है। यह एक बहुत लम्बी तथा बड़ी रिपोर्ट है तथापि सिर्फ एक राज्य द्वारा ही आंकड़े भेजे गये है। इससे ही पता चलता है कि राज्य सरकारों का रवैया इस समस्या विशेष की ओर कैसा एकतरफा है। मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान पृष्ठ 49 में उल्लिखित एक तथ्य की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं जिसमें लिखा है कि आसाम, बिहार, जम्मू और कश्मीर तथा मेघालय, इन चार राज्यों ने आंकड़ों को पिछले 30 वर्षों के दौरान एक बार भी नहीं भेजा है। मैं माननीय गृह मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप क्या कार्यवाही करेंगे यदि चार सरकारें इस सूचना विशेष को भेजने के लिए तैयार नहीं होती? अन्य राज्य सरकारों के संबंध में देखने से हमें पता चलता है कि पश्चिम बंगाल ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट 1970 में भेजी थी, हिमाचल प्रदेश तथा नागालैंड ने 1967 में भेजी थी। यह रिपोर्ट, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्रमशः 1976, 1970 तथा 1978 में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर तैयार की गई है।

यह बहुत खेद की बात है कि इस रिपोर्ट से इस देश में हरिजनों के साथ होने वाले व्यवहार की सही स्थिति का पता नहीं चलता। बात यहीं समाप्त नहीं होती, इस पत्र के संबंध में की गई प्रगति की सूचना देने की सांविधिक जिम्मेदारी राज्यों के राज्यपालों की है। इस मुद्दे पर भी हम देखते है कि केवल 4 या 5 राज्यों के राज्यपालों ने ही अपनी रिपोर्टें भेजी हैं। पुनः पृष्ठ 17 से हमें पता चलता है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार तथा गुजरात राज्य सरकारों ने अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत नहीं की हैं, यद्यपि यह सूचना देने की संवैधानिक जिम्मेदारी उन्हीं की है। राज्यों अथवा राज्यपालों से बिना किसी सूचना प्राप्ति के, जो कि उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है, इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट पर हम लगभग 9 घंटे चर्चा करेंगे। प्रत्येक वर्ष हम इस रिपोर्ट पर चर्चा करते हैं। कुछ मित्रों ने कल कहा था जैसाकि लॉगफैलो ने कहा है: समय बदलता रहता है परन्तु स्थिति वैसी ही रहती है; इसी प्रकार कुछ मित्रों ने कल कहा था, रिपोर्टें बदलती रहेंगी परन्तु हरिजनों की स्थिति हमेशा के लिए इसी प्रकार दुर्भाग्यपूर्ण रहेगी तथा इसमें किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हो सकेगा, यदि राज्य सरकारों तथा राज्यपालों द्वारा इस महत्वपूर्ण मामले पर इसी प्रकार कार्यवाही की जाती रहेगी, इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि वह इस विषय में क्या कार्यवाही करना चाहते हैं।

अब मैं दूसरे विषय पर आता हूं—लम्बे और वाक्पटु गों से हरिजनों की दशा में कोई सुधार नहीं होने वाला है। पूरी विनम्रता के साथ मैं इस सभा ाननीय सदस्यों से, सवर्ण हिन्दुओं से, पूछना चाहता हूं कि हममें से कितने सदस्य गैर-सरकारी का : तथा व्यापार चला रहे हैं तथा

वहां हरिजन कर्मचारियों की संख्या कितनी है ? मैं उनसे यहां वक्तव्य नहीं चाहता; आइये हम सब, जो कि स्वयं को अस्पृश्यता उन्मूलन के मसीहा मानते हैं, अपने आप में झांककर देखें। हम इस संबंध में कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। बहुत से माननीय सदस्य चीनी मिलों के मालिक हैं। इन चीनी मिलों में हरिजन कर्मचारियों की संख्या कितनी है ? इस बारे में सांख्यकीय वितरण दिया जाना चाहिए। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए बहुत सुझाव दिए जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अपने को अस्पृश्यता उन्मूलन के मसीहा समझने वाले हम में से कितने सदस्य हरिजन समुदाय की कन्याओं को अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करने को तैयार है ? हममें से कितने लोग सुशिक्षित और चुस्त युवा हरिजनों से अपनी पुत्रियों का विवाह करने को तैयार हैं ? यदि ऐसा नहीं होगा, तो लंबे-लंबे भाषणों से समस्या का समाधान नहीं होगा। यदि इस दिशा में प्रगति करनी है, तो हम, अर्थात् संसद और विधान सभा में आने वाले प्रतिनिधियों को ठोस उपाय करने चाहिए, ताकि हम कुछ प्रगति कर सकें।

अंत में, मेरे विद्वान और माननीय सहयोगी श्री फेलीरो ने एक मुद्दा उठाया कि संविधान के अन्तर्गत वे विशेष सुविधाएं उन हरिजन को नहीं दी जाती जिन्होंने बौद्ध धर्म, इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लिया है। यह संवैधानिक आदेश के कारण है क्योंकि उसमें परिभाषित किया गया है कि अनुसूचित जाति के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जो हिन्दू धर्म किसी समुदाय विशेष का ही है। चाहे वे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हों किन्तु उन्हें इस संवैधानिक उपबंध से लाभ नहीं मिलता। अत: क्या गृह मंत्री इस आदेश अर्थात् अनुसूचित जाति आदेश, 1958 के संशोधन के प्रश्न पर गंभीरता से विचार करेंगे। मैं इस सभा से बार-बार यह प्रश्न उठा रहा हूं, और पिछली संसद में भी मैंने नव बौद्धों को सुविधाएं देने के बारे में प्रश्न उठाया था। मुझे बताया कि संवैधानिक आदेश में केवल हिन्दू धर्म के अनुसूचित जातियों के बारे में कहा गया है। हिन्दू विवाह अधिनियम तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रयोजन से परिभाषित हिन्दू शब्द में सिक्ख और बौद्ध आदि शामिल हैं, तो इस प्रयोजन के लिए भी हम उनको समान क्यों नहीं मानते।

अन्त में मैं पुन: माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह अनुसूचित जाति आदेश को संशोधित करने के बारे में विचार करें, ताकि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से वे पिछड़े लोग भी इसका लाभ उठा सकें जिन्होंने दूसरे धर्म अपना लिए हैं।

***श्री अनंतरामुलु माल्लु** (नगर कुरबूल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की पच्चीसवीं रिपोर्ट पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया है। माननीय गृह मंत्री प्रशंसा के पात्र हैं कि उन्होंने इस रिपोर्ट के प्रति एक निश्चित दृष्टिकोण अपनाया है, तथा इस आयोग के सदस्यों को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसी प्रामाणिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रशंसनीय प्रयास किया है। इस रिपोर्ट में समस्याओं के साथ ही उनके समाधान भी प्रस्तुत किए गए हैं। मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि सरकार इन भाग्य-हीन लोगों की समस्याओं के समाधान का भरसक प्रयास करेगी। वस्तुत: प्रधान मंत्री के रूप में कार्यभार संभालते ही श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इन लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए तुरन्त कार्यवाही

*तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री अन्तरामुलु माल्लु]

शुरू कर दी थी। शीघ्र ही सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कानूनी आरक्षण को और दस वर्ष तक बढ़ाने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी। अतः इस बारे में कुछ कहना आवश्यक नहीं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी इन कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कितनी प्रतिबद्ध हैं।

विपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों ने इस विषय पर विस्तार से भाषण दिए, किन्तु दुर्भाग्यवश इन अभागे लोगों के उत्थान में उनका योगदान नहीं के बराबर ही है, दूसरी ओर सामंती तत्वों से साठगांठ कर वे हरिजनों पर ऐसे अत्याचार को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि वे श्रीमती गांधी और उसकी नीतियों के अनुयायी हैं, हरिजनों के साथ जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं उसके लिए सामंतशाही और विरोधी दल उत्तरदायी है। यही कारण है कि उत्तर भारत में हरिजनों पर ये अत्याचार हो रहे हैं। महोदय, बिहार, महात्मा बुद्ध, डा० राजेन्द्र प्रसाद और बाबू जगजीवन राम की भूमि है। उसी राज्य में उच्च वर्ग के लोगों द्वारा हरिजनों का अपमान किया जा रहा है। अन्य राज्यों की अपेक्षा इस राज्य में वे बहुत ज्यादा हैं। इससे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ये सामंतवादी लोग कुछ विरोधी दलों की सहायता से योजनाबद्ध ढंग से हरिजनों को अपमानित करने के विस्तृत षडयंत्र में क्रियाशील हैं, और राजनैतिक स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। वे देश में कानून और व्यवस्था को भंग कर कुछ पाना चाहते हैं। किन्तु श्रीमती इन्दिरा गांधी का लाख-लाख शुक्रिया जिनके कारण हरिजनों में काफी आत्मविश्वास पैदा हुआ है। वे अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। माननीय सदस्य इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं।

मेरे अपने राज्य में ही अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हुई हैं। आन्ध्र प्रदेश सरकार पूरे देश में एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने एक वर्ष में ही हरिजनों के ढाई लाख मकान बनवाने का विशिष्ट कार्य किया है। एक अन्य उल्लेखनीय उपलब्धि यह है कि हरिजनों के लिए आरक्षण स्थानीय निकायों तक में भी कर दिया गया है। इस प्रकार उन्हें पहली बार प्रशासन में भी भाग लेने का अवसर मिला है। मैं केन्द्रीय सरकार से हार्दिक अनुरोध करता हूं कि वह पूरे देश में, स्थानीय निकायों में हरिजनों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करे। इससे हरिजनों को (अपना असंतोष व्यक्त करने) का अवसर मिलेगा और वे प्रशासन में भाग ले सकेंगे। यदि यह उपाय लागू कर दिया गया, तो यह इन लोगों के लिए वरदान सिद्ध होगा। और इससे एक नए युग की शुरूवात होगी। केवल चर्चा करने या सभा के समक्ष रिपोर्ट मात्र प्रस्तुत करते से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है।

अस्पृश्यता एक और ऐसी बुराई है, जिसका हमारे समाज को सामना करना पड़ रहा है। यदि केवल कुछ चुने हुए हरिजन नेता ही मिल बैठकर इस समस्या पर चर्चा करते हैं तो यह बुराई दूर नहीं होगी। विभिन्न वर्ग और विचार के लोग एक साथ बैठें और एक ऐसा कार्यक्रम बनायें, जिससे हमारे समाज की इस बुराई को उखाड़ फेंका जा सके। सभी विरोधी दल भी सहयोग दें, क्योंकि यह एक मानवीय समस्या है। कोई भी सभ्य समाज अस्पृश्यता की प्रथा को स्वीकार नहीं कर सकता। बड़े दुःख की बात है कि स्वतंत्रता के 30 वर्ष बाद भी हम इस बुराई को दूर नहीं कर पाए हैं, जिसने कि हमारे समाज को लगभग बरबाद ही कर दिया है।

उत्तर प्रदेश में अनेक हरिजन नर्सों के साथ किया गया बलात्कार समस्त देश के लिए बड़े शर्म

की बात है। पता नहीं अब हम बेहतर दिन देख सकेंगे। इनके लिए मुझे बहुत दुःख होता है। महोदय मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। मैं सभी राजनैतिक दलों से अनुरोध कर रहा हूं कि वे आगे बढ़ें और एक बेहतर और स्वस्थ समाज के निर्माण में मदद करें, जहां हर व्यक्ति सम्मान से रह सके। हमें उनके सहयोग की आवश्यकता है, भाषणों की नहीं। हम सहानुभूति को व्यक्त करके कुछ भी उपलब्ध नहीं कर सकते।

मैं समाज के एक अन्य वर्ग की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिनकी युगों से उपेक्षा हुई है; वे हैं सफाई कर्मचारी, वे हमारे शौचालय साफ करते हैं, अपने सिर पर मल ढोते हैं। वे ऐसे कार्य में लगे हैं, जिससे हर व्यक्ति घृणा करता है। किन्तु उनका रहन-सहन कैसा है? समाज ने उनकी इस सेवा के लिए उन्हें क्या दिया है? इनाम के रूप में उन्हें अस्पृश्यता और उपेक्षा मिली है। स्वतंत्रता के 30 वर्षों ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। इसलिए मानवीयता के आधार पर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। वर्तमान परिस्थितियों से उनका उद्धार होना चाहिए। उन्हें मदद की जरूरत है। इसलिए आइए उनकी मदद करें। उनके समक्ष हुए वैकल्पिक व्यवसाय प्रस्तुत करें और बेहतर रहन-सहन की सुविधाएं दें, उन्हें भूमि प्रदान करें। उनके जीवन में परिवर्तन आवश्यक है। मुझे आशा है कि सरकार उनकी दशा पर ध्यान देगी और शेष समाज के स्तर तक उन्हें लाने के लिए भरसक प्रयास करेगी।

मैं अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाऊंगा यदि गांव में नौकर के रूप में काम करने वालों की समस्याओं पर प्रकाश नहीं डालूं ये लोग 30 रुपए प्रतिमाह के तुच्छ वेतन पर रात-दिन काम करते हैं। गांव के अधिकारी उनसे बहुत दुर्व्यवहार करते हैं। कोई भी उनकी निर्धनता से चिन्तित नहीं है। कोई भी उनकी प्रगति के बारे में रुचि नहीं लेता है। उन्हों। क्या पाप किया है, जो उन्हें इस तरह अलग कर दिया गया है? महोदय मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे उनका यह काम समाप्त कर उन्हें विकल्प के रूप में कार्य दें, जिससे वे ससम्मान रह सकें, फालतू भूमि के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि भूमिहीन लोगों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इतने नाजुक मामले पर अब भी जमींदारों का मत सर्वोपरि है। फालतू भूमि के वितरण पर जमींदारों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। इस संबंध में सरकार से मेरा निवेदन है कि योजना को समुचित रूप से लागू करने के लिए सभी संबद्ध अधिकारियों आदि को सचेत कर दिया जाए। सख्त कार्यवाही करने में भी उसे हिचक नहीं होनी चाहिए।

एक अन्य समस्या भी है जिसका अविलंब समाधान होना चाहिए। इस समय केवल अनुसूचित जनजाति के लोगों को ही अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि प्रदान की जा रही है। यह सुविधा अनुसूचित जाति के लोगों को भी दी जानी चाहिए जो कि काफी समय से क्षेत्र विशेष में रह रहे हैं और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के समान ही जीवन व्यतीत कर रहे हों। ये हरिजन जो आर्थिक और सामाजिक दोनों ही रूप से कोया (आदिवासी) समुदाय से ज्यादा पिछड़े हुए हैं उनके लिए इस प्रकार की सुविधा अधिक आवश्यक है। ऐसे क्षेत्रों में न्यायालयों की कमी के कारण उन्हें वैध अधिकार भी नहीं मिल पाते हैं। इस समय राजस्व प्राधिकारी ही उनके लिए न्यायालय का काम करते हैं। इसीलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मुकदमों के कम खर्चे पर शीघ्र निपटाने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में न्यायालय स्थापित किए जाएं।

[श्री अनन्तरामुलु माल्लु]

कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि अनुसूचित सूची में कुछ और जातियां भी शामिल की जाएं, उनके इस विचार का मैं कोई कारण लक्षित नहीं करता, अनुसूचित जातियों के लोग वे लोग हैं जो काफी अरसे से शेष समाज से अलग कर दिए गए हैं। इसीलिए उनके लिए विशेष सुविधाएं आवश्यक हैं। केवल आर्थिक पिछड़ेपन को ही मानदंड नहीं माना जाए। इसीलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि अनुसूचित जातियों की सूची में किसी जाति को शामिल करते समय उसी सिद्धांत का पालन किया जाए जिसका वह पहले से पालन करती आई है, यह दोहराने की आवश्यकता नहीं कि किसी भी जाति को उक्त सूची में शामिल करने के लिए अस्पृश्यता को ही आधार माना जाए। बेबुनियाद आधार पर किसी जाति को इसकी सुविधाएं न दी जाएं क्योंकि यदि ऐसा न किया गया तो पीड़ितों को उक्त सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह हरिजनों और गिरिजनों की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक पृथक मंत्रालय की व्यवस्था करे। एक जमाने में लाखों शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए पृथक मंत्रालय की व्यवस्था की गई थी। मेरे विचार से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की देखभाल के लिए स्थायी आधार पर एक मंत्रालय स्थापित करना सरकार के लिए कठिन नहीं होगा। यदि हम ऐसा करेंगे तभी इतने अरसे से उपेक्षित इन करोड़ों लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे।

महोदय, आरक्षण की नीति विभिन्न सेवाओं में ईमानदारी से लागू नहीं की जा रही है, विशेषत: निजी क्षेत्र के उद्योगों में इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये नियोक्ता इसकी उपेक्षा करने के लिए बेतुके बहाने बना रहे है। उनका कहना है कि इन जातियों में से तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्ति आगे नहीं आ रहे हैं। अत: सरकार इस बात की जांच करे ताकि वे इस नीति की उपेक्षा न कर सकें। यदि वे ऐसा करते हैं तो उन्हें अस्पृश्यता बरतने के लिए दंडित किया जाए। मुझे आशा है कि सरकार मेरे सभी सुझावों पर ध्यान देगी।

महोदय, हमारी जनता ने एक बार फिर श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में अपनी आस्था व्यक्त की है। पूरे देशवासियों और विशेषत: दलित वर्ग के लिए केवल वे ही आशा की प्रतीक और किरण हैं। निस्संदेह उनका नेतृत्व अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के प्रति सभी प्रकार का न्याय करेगा।

श्री मूल चन्द डागा पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सौभाग्य है कि कल और आज लोकतंत्र के सजग प्रेहरी, समग्र क्रान्ति के अग्रदूत और मानवता के मसीहा, सब लोगों के भाषण सुने और उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो हमारे गृह मंत्री जी, जो इस समय यहां पर बैठे हुए हैं, वे मेरी बातों को सुनें, यह कह देते हैं कि अब ऐसे अपराध भविष्य में नहीं होंगे और अपराधियों को दंड दिया जाएगा। खाली घोषणा कर देने से ही इन लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। शोषण और दमन की जो व्यवस्था है, यह शोषण और दमन की व्यवस्था यों ही टिकी रहेगी इस समाज में, अगर हमने कारगर कदम न उठाए।

आप यह देखें कि यह जो रिपोर्ट है, यह अगर पहले आ जाती और उस पर डिस्कशन हो जाता, तो जो हिन्दुस्तान में शोषण और दमन की व्यवस्था फैली हुई है, वह न होती और 25 जुलाई,

1978 के रोज कृष्णा चेट्टी को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाता। आप समाज में परिवर्तन करने की बात करते हैं, अगर यह रिपोर्ट पहले डिस्कशन के लिए आ जाती, तो उस क्रान्तिकारी आदमी को फाँसी के तख्ते पर न चढ़ाया जाता मुझे, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन समय नहीं है, इसलिए मैं थोड़े में ही अपने विचार रखूंगा।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आज मजदूरों की क्या हालत है, उसको आप देखिए। उनकी संख्या बजाए घटने के बढ़ी है। अधिकांश मजदूर भूमिहीनों की कोटि में हैं जिनकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है। 1954-55 में कुल ग्रामीण परिवारों (6.1 करोड़) में से 10.81 प्रतिशत भूमिहीन थे तथा 1971-72 में कुल ग्रामीण परिवारों (8 करोड़) में भूमिहीन परिवारों का प्रतिशत बढ़कर 27.38 हो गया। अतः खेतिहर मजदूरों के पास सम्पत्ति के नाम पर विरासत में प्राप्त फूस की झोंपड़ी और उनका शारीरिक श्रम है।

जहां तक ऋणग्रस्तता का सवाल है, इस प्रकार का अनुमान लगाया गया है कि 1950-51 और 1956-57 में क्रमशः 44.5 और 64 प्रतिशत खेतिहर मजदूर परिवार ऋणग्रस्त थे। 1964-65 में लगभग 61 प्रतिशत खेतिहर मजदूर परिवार ऋणग्रस्त थे। ऋण की प्रति परिवार मात्रा 1956-57 में औसतन 138 रुपये थी, जो 1964-65 में बढ़कर 244 रुपये हो गयी।

एक बात और कहना चाहता हूं कि वार्षिक आय का जहां तक सवाल है, आप ने एक नेशनल सेर्वे सेम्पल के तौर पर 1977 में करवाया था। मैं उसी की बात कर रहा हूं। इसके अनुसार प्रति परिवार वार्षिक आय केवल 1196 रुपये थी, प्रति परिवार वार्षिक उपभोग व्यय 1302 रुपये, प्रति परिवार सम्पत्ति का मूल्य 973 रुपये, ऋण ग्रस्त परिवारों का प्रतिशत 60 और बेरोजगार व अल्प-रोजगार खेतिहर मजदूरों का प्रतिशत 59.34 है।

इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि किस प्रकार हम लोगों के लिए क्या काम किया गया है, यह आप देखें। बैंकों में हमारी क्या हालत है। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का परसेन्टेज 1.88 है, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया और उसके अनुषंगी कार्यालयों में हमारा प्रतिशत 1.36 है और नेशनेलाइज्ड बैंकों में हमारा प्रतिशत 1 80 है। ये हमारे बारे में आंकड़े हैं। ये क्या बताते हैं। इसके अलावा आप यह देखिए कि जो आप के न्यायालय हैं उन न्यायालयों में 316 जज हैं। उनमें केवल 4 जज अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं।

अब मैं कुछ बातें माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। गृह मंत्री जी ने बहुत सुन्दर भाषण दिया था और बड़ी ईमानदारी से बात कही थी, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं लेकिन उनकी जो यह रिपोर्ट है, यह बताती है कि हमारे बारे में क्या किया गया है। गृह मंत्रालय, जिसने इस रिपोर्ट को पेश किया है, मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट में आपने यह लिखा है कि 10 मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं, जिन्होंने रिपोर्ट नहीं भेजी है। मैं जानना चाहता हूं कि उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है। इसमें आपने लिखा है—

> "गृह मंत्रालय (मुख्य) सहित 10 मंत्रालयों ने वांछित जानकारी नहीं दी है और उन्हें अर्ध-शासकीय पत्र द्वारा स्मरण कराया गया है। यह दुर्भाग्य की बात है और यह समझ नहीं आता कि ये मंत्रालय विभाग जानकारी क्यों नहीं भेज सके जबकि अन्य मंत्रालयों ने समय पर जानकारी भेज दी थी।"

[श्री मूलचन्द डागा]

आप के होम एफेयर्स डिपार्टमेंट की यह रिपोर्ट है और आपकी यह कमेन्टरी है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप रिपोर्ट पेश करें, तो वह समय पर पेश कीजिए। अब मैं कुछ बातें और पूछना चाहता हूं।

क्या मुझे आप यह बतायेंगे कि आपने आज तक उन कर्मचारियों के खिलाफ या उन्हें दंडित करने के लिए क्या कार्यवाही की जिन्होंने कि उस घटना में लापरवाही बरती जिसमें कि मेरे राजस्थान में एक बिचारे का कान काट दिया गया और एस० पी० ने तीन सौ रुपये में उसके साथ राजीनामा करा दिया ? क्या एस० पी० के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ?

मैं यह भी जानना चाहता हुं कि मिनिमम वेजिज एक्ट के अधीन कितने लोगों को और अनटचैब्लिटी एक्ट के अधीन कितने लोगों को आज तक दंडित किया गया ? क्या इस सब के बारे में मुझे बतायेंगे। आज देश में लोक तंत्र है लेकिन इसमें लोक दबा हुआ है और तंत्र सीने पर सवार है। जब यह तंत्र सीने पर सवार होगा तो हमारी क्या हालत होगी ? मैं यह भी चाहता हूं कि इस सारे लोक तंत्र को विकेन्द्रित किया जाए।

मैं गृह मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि जो हमारा संविधान है, यदि वह संविधान हमारे अरमानों को पूरा नहीं कर रहा है तो क्या इतनी मेजोरिटी होते हुए कांग्रेस सरकार इस संविधान को बदलने की कोशिश करेगी ताकि आने वाले दिनों में हम अपने अरमान पूरे कर सकें ? हमारे प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के स्टेटमेंट आये हैं कि साधु और संन्यासी लोग भाषण दें। ये साधु और संन्यासी मुफ्त की रोटी खाने वाले हैं और दूसरों की कमाई पर जिन्दा रहने वाले लोग हैं। वे क्या भाषण करेंगे जो यह कहते हैं—कर्म गति टारे नहीं टरे। जबकि विज्ञान ने इस बात को साबित कर दिया है कि विशाल गरीबी हमारी दुनिया का भाग्य बन कर नहीं रह सकती। क्या हमारे गृह मंत्री जी साधु, संन्यासी की बात न करके हमारे संविधान को बदलेंगे ? क्या मंत्री जी मिनिमम वेजिज एक्ट में, अनटचेब्लिटी एक्ट में लोगों को जो इनके खिलाफ काम करते हैं सजा देंगे ? क्या जिला परिषदों को यह अधिकार देंगे कि कलेक्टर और जिला प्रशासन उनके अधीन हो जिससे कि लोक तंत्र का विकेन्द्रीकरण हो ? जब तक यह नहीं होगा तब तक हमारे अरमान पूरे नहीं हो पायेंगे। गवर्नमेंट की यह रिपोर्ट पढ़ने से बड़ा दुःख होता है कि आज भी 32 साल की आजादी के बाद भी देश में यह हो रहा है।

श्री सी० चिन्नास्वामी (गोविचेट्टिपलयम्) : उपाध्यक्ष महोदय, अन्ना द्रमुक दल की ओर से मैं वर्ष 1977-78 के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की रिपोर्ट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

वार्षिक रिपोर्टों से बहुत कार्य विधि हुई है। प्रति वर्ष संसद में इन पर चर्चा होती है। यह चर्चा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण में वास्तव में इच्छुक लोगों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक उपयुक्त माध्यम सिद्ध होती है। कुछ बातें तो केवल राजनैतिक होती हैं जिनका उद्देश्य मात्र वोट प्राप्त करना होता है। मुझे हैरानी है कि एक समय बद्ध कार्यक्रम के अनुसार कल्याण कार्यों में गति लाने के लिए आमतौर पर ठोस सुझाव क्यों नहीं दिए जाते।

मैं मानता हूं कि समस्या गम्भीर है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की हालत बिगड़ती जा रही है, यद्यपि इसमें सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अभी भी जातिवाद के नाम पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर अत्याचारों के प्रमाण मिलते हैं और फिर भी उत्साह, निष्ठा और ईमानदारी सुधारात्मक उपायों पर कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है। जब तक कार्यान्वयन में निष्ठा नहीं होगी तब तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की स्थिति में सुधार नहीं होने वाला। इन समस्याओं को सब दलों को मिलाकर सुलझाया जाना चाहिए।

इस वाद-विवाद को उपयोगी बनाने के लिए इन रिपोर्टों को सीधे ही सभी दलों के प्रतिनिधियों एवं संसदीय समीक्षा को भेज दिया गया मान लेना चाहिए। संसदीय समितियों को तीन मास के भीतर अपने ठोस सुझाव दे देने चाहिए। तब वार्षिक रिपोर्ट और संसदीय समिति की रिपोर्ट पर संसद में चर्चा की जानी चाहिए। तभी मुख्य मुद्दों पर निष्पक्ष दृष्टि से चर्चा हो सकेगी और उनके हल ढूंढे जा सकेंगे अन्यथा वास्तविक मुद्दे भावात्मक उत्तेजना में विलीन हो जाएंगे।

रिपोर्ट में वही पुरानी कहानी नए रूप में कही गई है। बहुत से विकासात्मक उपायों के बावजूद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों का स्तर नहीं उठ पाया। अभी सेवाओं में भी उनका प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। संवैधानिक निर्देशों को कार्यान्वित करने के बारे में राज्य सरकारों में भी कोई समानता नहीं है। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में आरक्षण के लिए एक समान नीति तय करने में केन्द्रीय सरकार को क्या कठिनाई है, यह मेरी समझ नहीं आता निजी क्षेत्र को इस संबंध में सहयोग देने और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए कहने में क्या कठिनाई है ?

बहुत बार ऐसा सुनने में आता है कि आरक्षित पद इस कारण खाली पड़े हुए हैं कि उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलते। यह गलत है। यदि अधिकारी निष्ठावान हैं तो उन्हें चाहिए कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को नियुक्त कर दें और उन्हें बाद में प्रशिक्षण तथा अन्य सहयोग दें। अब यह हो रहा है कि अधिकारी यह देखते हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदारों को किस प्रकार अयोग्य ठहराया जा सकता है। यह रवैया सही नहीं है। सरकार को चाहिए कि सभी सम्बन्धित अधिकारियों को अनुदेश दें कि निष्ठा से कार्यान्वित किया जाए। अभी तक नहीं भरे गए पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से अविलम्ब भरे जाने चाहिए।

भूमिहीनों को भूमि बांटते समय हरिजनों के साथ बहुत अन्याय किया गया है। उन्हें आंवटित भूमि सर्वथा जमींदारों ने पुनः बलपूर्वक छीन ली है। यदि राज्य हरिजनों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो फिर वे हैं किस लिए ? अस्पृश्यता अभी भी फैली हुई है। यदि अपराधियों को कठोर दंड नहीं दिया जाता तो बुराई समाप्त नहीं हो सकती।

हरिजनों पर अत्याचार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अपराधी साफ बच जाते हैं। उन पर विशेष अदालतों में क्यों नहीं मुकदमे चलाए जाते। स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का दायित्व अपराधी पर छोड़ दिया जाना चाहिए। यह खुशी की बात है कि तमिलनाडु में हरिजनों से अच्छा बर्ताव किया जा

[श्री सी० चिन्नास्वामी]

रहा है। अन्ना द्रमुक सरकार ने उनके लिए बहुत कुछ किया है। पुल्लयी थेलेश्यिार एम० पी० आर० ने पेरीयार और अन्ना, हरिजनों के दो प्रबल समर्थकों, के स्थानों को कार्यान्वित किया है। हमारी पार्टी को हरिजनों का पूर्ण समर्थन प्राप्त है परन्तु आम चुनावों के दौरान कांग्रेस (आई) और द्रमुक जैसी कई पार्टियों ने मेरे चुनाव क्षेत्र में हरिजनों के मतदान केन्द्रों पर नहीं जाने दिया था।

कृषक मजदूरों को अपनी मांगों के समर्थन में यूनियन बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश बहुत से मामलों में श्रमिकों, जो मुख्यतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं, को जमींदारों ने यूनियन नहीं बनाने दीं।

इस संबंध में, मैं आपका ध्यान सत्यमंगलम् तालुक के तलवाड़ी और कदम्बूर तथा भवानी तालुक के बारूकुर पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों की कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। इन क्षेत्रों में परिवहन, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा की और अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिए। इसके अलावा उन क्षेत्रों में जंगली जानवर रहते हैं। पिछले दो वर्षों के लिए हथियारों के लाइसेंस जारी करने बन्द कर दिए गए हैं। आदिवासियों को आत्म-सुरक्षा के लिए हथियारों के लाइसेंस दिए जाने चाहिए। सरकार को इन लोगों से वसूल किए जा रहे ब्याज की अधिक दर की तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

अधिकांश पहाड़ी क्षेत्रों में सूदखोरों और जमींदारों द्वारा आदिवासियों का शोषण किया जाता है। इससे उनकी आय का काफी भाग छिन जाता है। इसे रोकने के लिए समुचित कदम उठाए जाने चाहिए।

देखें कि वर्तमान सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए क्या करती है।

श्री राम स्वरूप राम (गया) : उपाध्यक्ष महोदय, शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज कमिशनर की जो रिपोर्ट सदन में विचारार्थ प्रस्थापित की गई है, उसके संबंध में मैं कुछ सुझाव देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

आज तक 1952 से कई कमेटियां बनी आ रही हैं और सुझाव देती आ रही हैं कि किस प्रकार से हरिजनों और आदिवासियों को सुरक्षा प्रदान की जाए, किस तरह से उनकी अर्थिक सामाजिक विकास किया जाए। जितनी भी रिपोर्ट आई वे सभी लाइब्रेरी की शोभा ही बढ़ाती रही हैं। हम नहीं कहते कि इन के सुझावों का बिल्कुल भी पालन नहीं हुआ। कुछ हुआ लेकिन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिये था। कांग्रेस के नेतृत्व में कुछ कारगर कदम उठाए भी गए। हरिजन जो एक पशु की जिन्दगी बिताता था उसको मानव की जिन्दगी प्रदान करने की कोशिश की गई। लेकिन यह कोशिश भी नगण्य ही सिद्ध हुई।

रिपोर्ट में बहुत सी बातें कही गई हैं। आप तो जानते ही हैं कि देश में पचास प्रतिशत से अधिक आबादी बिलो पावर्टी नीचे रहती है। इन में से अधिकांश हरिजन एवं आदिवासी हैं। गरीब शब्द हरिजन, आदिवासी का पर्यायवाची शब्द बन गया है। आज यह इतनी राष्ट्रीय महत्व की समस्या है। कि उसके समाधान के लिए कोई भी कारगर कदम उठाने की आवश्यकता से कोई इन्कार नहीं कर सकता है। हम हों चाहे हमारे माननीय विरोधी पक्ष के लोग हों, सभी हरिजनों और आदिवासियों का नाम लेकर अपनी प्रगतिशीलता का लाइसेंस लेते रहे हैं और अपनी कथनी को जो व्यावहारिकता के

सामयिकता से कतराते रहे हैं। किसी ने नहीं दिया है। कम्युनिष्ट रामावतार शास्त्री जी बैठे हुए हैं। यह भी वास्तव में ज्यादा हरिजनों की बात करते हैं लेकिन जब ठोस काम करने की बात आती है तो जांत-पांत के दल-दल में फंसे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सिद्धान्त के रूप में जन संघ के लोग हों या नीलकंठी व्यवस्था में विश्वास रखने वाले लोग हों या सामन्ती व्यवस्था में विश्वास रखने वाले लोग हों सभी हरिजनों और आदिवासियों की बात सिद्धान्त रूप से करते हैं।

मैं अधिक न कह कर चन्द सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। यदि आपकी मंशा सही में हरिजनों और आदिवासियों और गिरे हुए लोगों को ऊपर उठाने की है तो सब से पहली बात तो यह करनी चाहिये कि उनको जमीन के लिटिगेशन में नहीं ज्यादा फंसाएं बल्कि अलावा उनकी शिक्षा को आप कम्पलसरी करें। देश में जितने हरिजन और आदिवासी हैं उनकी सारी शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करें और उन्हे शिक्षा देने के लिये प्रत्येक प्रखन्ड में, चाहे देश का कोई भी भाग हो, एक हाई स्कूल खोलें और वहां उनको मुफ्त शिक्षा दी जाय और सभी नागरिकों को समान शिक्षा दी जाय। शिक्षा के अभाव में हरिजनों को दी जाने वाली सुविधायें नहीं मिल पाती हैं और वह उस से वंचित रह जाते हैं। जो हरिजन शिक्षित हो जाता है उसमें तीन चीजें स्वत: पैदा हो जाती हैं। एक तो उसका आर्थिक उत्थान शन: शन: हो जाता है। दूसरे यह कि आज जो हरिजन और आदिवासी लोगों पर सामन्त-वादी प्रवृत्ति वाले लोग जुल्म ढाते हैं उससे बचने के लिये उसमें सेल्फ डिफेंस की भावना पैदा होती है। और तीसरी चीज यह कि उसका सौशल स्टेट्स बढ़ जाता है। तो शिक्षा को आप मुफ्त करें। 1972 में जब हमारी सरकार बनी थी तो हमने 11 पॉइंट प्रोग्राम अडाप्ट किया था, श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में और उसको डायनामिक ढंग से चलाया था। हमने लैंड रिफार्म्स ईयर की घोषणा की थी। लेकिन लैंड रिफार्म्स हम क्या चलाते? जब भी हरिजनों को ऊपर उठाने वाली बात चलती है तो विरोधी दलों के लोग विधान सभाओं और पार्लियामेंट को तोड़ों के नारे लगा कर सारे प्रोग्राम को खत्म कर देते हैं। इसलिये वह प्रोग्राम नहीं चल सका।

उपायध्क्ष महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं। यदि हरिजनों का विकास करना चाहते हैं तो हमें इस मामले को डिबेट का विषय नहीं बनाना चाहिये। 13 दिसम्बर, 1979 के "पैट्रियट" अखबार की कटिंग का कुछ अंश आपके सामने कुछ पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। इसमें लिखा है कि अभी भी देश का हरिजन एवं आदिवासी नागरिक चप्पल नहीं पहन पाता है, तन के ऊपरी हिस्से में कपड़ा नहीं पहन पाता है। इसमें लिखा है कि :

> "यह कहा गया है कि कुछ स्थानों पर हरिजनों को चपलें नहीं पहनने दी गई या कपड़े नहीं पहनने दिए गए। कुछ पंचायतों में हरिजन सदस्यों को बैठने नहीं दिया गया और पूरी बैठक के दौरान वे खड़े रहे।"

इस तरह की स्थिति है आपके देश के कुछ कस्बों में। हम चाहे किसी भी पक्ष के हों हमको इस विषय को डिबेट का विषय नहीं बनाना चाहिये, बल्कि मानवता के आधार पर इसको मानवीय रूप दे कर इन हरिजनों और आदिवासियों का विकास करना चाहिये। नहीं तो यह विषमता इस देश के लिये एक बहुत बड़ा कलंक साबित होगा।

अन्त में मैं तीन सवाल करना चाहता हूं। एक तो शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कीजिये। दूसरे

[श्री रामस्वरूप राम]

रिजर्वेशन आपने कर दी 14 परसेंट लेकिन हमारी आबादी का 4 परसेंट लोग ही साक्षर हो पाये हैं। इस प्रकार 10 परसेंट उनकी जगहें खाली पड़ी हुई हैं। उस पर भी हमारे दूषित प्रशासनिक व्यवस्था यह कहते हैं कि योग्य कैंडीडेट नहीं मिला इसलिये जगह नहीं भरी जा सकी। आप देखिये कितना गम्भीर सवाल देश के सामने है। इसलिये में चाहूंगा कि रिजर्वेशन के साथ-साथ नौकरियों में जगह देने के लिये यदि संविधान में संशोधन भी करना पड़े तो करना चाहिए। आज कोई लड़का हरिजन का अगर सातवीं कक्षा या मैट्रिक पास कर के नौकरी के लिये एप्लाई करता है तो सरकार पदाधिकारियों को हिदायत करे कि जिस हित से नौकरी के लिए एप्लाई करे उसके दो महीने के अन्दर उसको अवश्य कोई नौकरी दिया जाये।

जमीन आप रखें, मुझे आपकी जमीन की जरूरत नहीं है। मुझे जमीन के लिटिगेशन में मत फंसाइये उसके बदले जौब सिक्योरिटी कर दीजिए। इसमें अमैंडमैंट लाइये। हरिजनों के जो पढ़े लिखे लड़के नौकरी करना चाहें, उनके लिये टाइप-ब्राउंड प्रोग्राम बनाकर नौकरी दीजिए। सभी हरिजनों को 2 महीने में नौकरी दे दीजिये, यही सबसे बड़ा पवित्र काम होगा।

मैं बिहार की बात कहता हूं। जब मैं बिहार विधान सभा में था तो मैंने अपने प्रयास से एक्सेपरीमैंट के तौर पर 5 हरिजन भाइयों को नौकरी पर लगाया और 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत 5 हरिजन आदिवासियों को 2-2 बीघे जमीन दी। 5 बरस के बाद जब मैं उनके पास गया, तो मैंने देखा जिनको नौकरी दिलाई थी, उनको देखा वह आर्थिक दृष्टि से काफी प्रगति कर रहे हैं और जिन को जमीन दिलाई थी उनको जब देखा तो उनके पास 5 कट्ठा जमीन रह गया है और दिनों-दिन उनकी हालत गिरती जा रही है क्योंकि खेती करने के लिए उनके पास पूंजी भी नहीं रह गई थी।

इतना ही नहीं हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं, यह सभी के लिये बड़े कलंक की बात है। चाहे कोई भी पार्टी हो, इसको मानवता के आधार पर सोचना चाहिए। आज जितने भी हरिजन आदिवासियों पर अत्याचार होते हैं, उसका मुख्य कारण उनको न्याय मिलने में काफी दिन लगते हैं। बेलछी कांड़ को 3 साल हो गये, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। मेरा निवेदन है कि स्पेशल कोर्ट की स्थापना की जाये और इनको जल्दी न्याय दिलाया जाये।

हरिजनों को शिक्षा की गारन्टी देने की मांग भी मैं करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गोदिल प्रसाद अनुरागी (बिलासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत की तपोभूमि में हमारे एक-एक महापुरुष ने जन्म लिया है रामकृष्ण, हरिश्चन्द्र, गौतम, बुद्ध, महात्मा गांधी, पं० जवाहरलाल नेहरू आज इस भारत के महान पुरुष हैं। इनको इस भारत भूमि में आज हरिजनों को जिस तरह से सताया जा रहा है, इसके संबंध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

आज जब विदेश वाले सुनते हैं कि भारत के लोग हरिजनों के साथ छूतछात मानते हैं, तो वह यही कहते हैं कि यह भारत के लिये कलंक की बात है। हमारे विरोधी दल के सदस्य यहां पर मौजूद हैं, वह कई प्रकार से हरिजनों की सहानुभूति में भाषण देते हैं, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो वह गांव में जाकर यह प्रचार करते हैं कि कांग्रेस वाले ब्राह्मण के लड़के लड़कियों की शादी

आदिवासियों के लड़के-लड़कियों से कराना चाहते हैं, क्या आप ऐसे लोगों को वोट देंगे ? यह मगरमच्छ जैसे आंसू हमारे विरोधी दल के लोग हरिजनों के प्रति बहाते हैं लेकिन उनके हृदय में हरिजनों के प्रति कोई स्थान नहीं।

आज हरिजन कुत्ते और बिल्ली की तरह भारत में जी रहे हैं। ब्राह्मणों के तालाब के घाट पर कुत्ता और बिल्ली जा सकते हैं, परन्तु हरिजनों नहीं जा सकते हैं। हमारे गांवों में कीर्तन की जगहों, देवालयों और श्मशान में हरिजनों को जाने से रोका जाता है। अगर किसी मेले में हरिजन होटल चलाते है, तो उस होटल को जला दिया जाता है। अगर श्री मद्भागवत् की कथा कराने के लिए हरिजन किसी दूसरी जगह से पंडित को ले जाते हैं, तो उन्हें वह कथा सुनने का अधिकार भी नहीं दिया जाता है और उपद्रव कर के पंडित को भगा दिया जाता है।

कांग्रेस की सरकार ने 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बड़े बड़े साहूकारों से जमीन लेकर हरिजनों में बांटी थी। ढाई साल के जनता पार्टी के शासन में वह सारी जमीन हरिजनों से छीन कर साहूकारों को वापस दिला दी गई है।

मैं सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस छुआछूत के अभिशाप को और हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों को, आप और हम सब जन-प्रतिनिधि की हैसियत से समाप्त कर सकते हैं। यह एक बहुत जटिल समस्या है। हम सब को गांवों में यह प्रचार करना चाहिए कि दलित और पीड़ित जनता पर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए।

मैं ऊंचा हूं, वह नीचा है, जब ये विचार उठ जायेंगे,
निश्चय समझो, भारत-भूमि में फिर वही दिन आयेंगे।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

***श्री चिन्तामणि जेना** (बालासोर) : उपाध्यक्ष महोदय, हम पिछले तीन दिनों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की पच्चीसवीं रिपोर्ट पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। मैंने ध्यानपूर्वक इस वाद-विवाद को सुना है। विपक्ष के हमारे कई सहयोगियों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की दशा का वर्णन किया है। उन्होंने काफी दुख और वेदना से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। मुझे कहना होगा कि उनके उद्गार सच्चे नहीं थे। जनता शासन से पूर्व कांग्रेस पार्टी हमारे देश में सत्तारूढ़ थी। हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बीस-सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया था। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बीस सूत्रीय क्रमक्रम को सफल बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया था। विभिन्न कल्याण योजनाओं को मुस्तैदी से लागू किया गया। उड़ीसा में हमने क्रमिक भूमि सुधार का एक कानून पास किया था। फालतू जमीन को भूमिहीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों में बांट दिया गया। परन्तु जब जनता पार्टी सत्ता में आई तो उन्होंने उन योजनाओं को लागू नहीं किया। केन्द्र की सहमति से राज्य में कानून पास कर दिया और परिवार की परिभाषा बदल दी जिससे निर्धन आदिवासियों तथा हरिजनों में जो भूमि बांटी गई थी उसे वापस ले लिया गया। हमने इस फैसले की खिलाफत की। हमने केन्द्र तथा राज्य में जनता और लोक दल सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया पर उन्होंने हमारी प्रार्थना पर ध्यान नहीं

* उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री चिन्तामणि जेना]

दिया। उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कानूनी अधिकार समाप्त कर दिए।

मुझे हैरानी है, कि वही नेता, जिन्हें सत्ता से अपदस्थ कर दिया गया है, अब झूठी तसल्ली दे रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह उनके भाषणों पर ध्यान न दें।

महोदय, मैं अपने भाषण में पूरा विवरण तो नहीं दे सकता क्योंकि समय बहुत कम दिया गया है। मैं कुछ मुख्य मुद्दे ही उठाऊंगा। मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की रिपोर्ट के 121वें पृष्ठ की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें स्पष्टत: कहा गया है कि हरिजनों को सवर्ण हिन्दुओं के कुंओं और नलकूपों से पानी लेने के उनके मौलिक अधिकार से भी वंचित किया हुआ है। मैं खेदपूर्वक कहना चाहता हूं कि हम उनको पीने का पानी भी नहीं दे पा रहे हैं। अपनी गरीबी के कारण वे बहुत दयनीय जीवन जी रहे हैं। महोदय हम आदिवासियों और हरिजनों की वर्तमान दशा सुधारने की विभिन्न योजनाएं लागू करने जा रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर कुंए खोदने के लिए धन की व्यवस्था भी की जाएगी। इस बीच, हमारा यह कर्तव्य है कि संबंधित व्यक्तियों को निर्देश दिए जाएं कि हरिजन बस्तियों में कुंए खोदने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए? जब सवर्णों को पानी की कमी महसूस होगी तो वे स्वत: हरिजन बस्तियों के कुंओं का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार हम दोनों के बीच सद्भावना पैदा कर सकेंगे।

महोदय, कोरापुट और फूलबनी, उड़ीसा के ऐसे जिले हैं, जहां आदिवासी रहते हैं। फूलबनी जिले और कोरापुट जिले की बांदा पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासी बहुत कष्टपूर्ण जिन्दगी बिता रहे हैं। उनका कोई आश्रय नहीं है। उन्हें कपड़े खरीदने के लिए पैसा नहीं मिलता। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वे वस्त्रहीन घूमते हैं। उनकी स्त्रियों के पास भी पहनने के कपड़े नहीं हैं। वे बहुत पिछड़े हुए हैं। सर्वोदय कार्यकर्त्ताओं द्वारा उनका शोषण हो रहा है जो वहां आदिवासियों की वित्तीय दशा को सुधारने के लिए जाते है।

अपने भाषण के प्रारम्भ में मैंने बीस सूत्रीय कार्यक्रम पर जोर दिया था। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों को लागू करना उन 20 सूत्रों में से एक था। महोदय, हमारे संविधान की पांचवी अनुसूची में एक विशेष उपबंध है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान की ओर आवश्यक ध्यान दिया जाना चाहिए। महोदय, अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं कुछ शब्द सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों के सम्बन्ध में भी कहना चाहूंगा। यदि इन्हें उचित ढंग से लागू किया जाए तो इन दलित समुदायों का जिन्हें लम्बे समय से उपेक्षित और शोषित किया जा रहा है, पर्याप्त विकास हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री चिन्तामणि जेना : महोदय, मैं समाप्त ही करने जा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अधिक समय ले लिया है।

श्री चिन्तामणि जेना : महोदय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए जो राशि आवंटित की गई थी, उसका प्रयोग उचित प्रकार से नहीं हो रहा है। कई स्थानों पर धन के दुरुपयोग से कार्यक्रमों में विघ्न पड़ रहा है, जिससे कि वे पिछड़े ही हुए हैं।

यह तथ्य है कि जनजातीय सुधार योजनाओं को लागू करने के लिए जो राशि आवंटित है, वह काफी कम थी और दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कि कुप्रबन्ध तथा दुर्विनियोजन बड़े पैमाने पर हो रहा है। इस प्रकार, लोग पिछड़े ही रह गए। अधिकतर, आदिवासी किसान बहुत छोटे और सीमान्त किसान हैं। अतः उन्हें कृषि ऋण दिए जाने चाहिए। भूमि एवं आवास योजना के अन्तर्गत, भूमिहीन आदिवासी किसानों को मकान बनाने के लिए भूमि दी जानी चाहिए। इसी प्रकार के कदम हरिजनों की दशा सुधारने के लिए भी उठाए जाने चाहिए। सरकारी कोष से उन्हें वित्तीय सहायता भी दी जानी चाहिए।

महोदय, मैं यह कहते हुए अत्यन्त प्रसन्नता है कि हमारी प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने यह घोषणा की है एक अंगभूत योजना शुरू की जाएगी। इन समुदायों की कठिनाइयों को उन्होंने समझा है और यह महसूस किया है कि हरिजन अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक उपेक्षित हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है कि इस अंगभूत योजना को तुरन्त लागू किया जाए। मैं प्रधान मंत्री को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान में रुचि दिखाई है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अगले पांच वर्षों के लिए यहीं पर हैं। आप किसी भी समय इस पर बोल सकते हैं।

श्री चिन्तामणि जेना : महोदय, इसी प्रकार के कदम हरिजनों के कल्याण के लिए भी उठाए जाने चाहिए।

श्री राम अवतार शास्त्री (पटना) : गृह मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वेंकटसुब्बया यहां पर हैं।

श्री चिन्तामणि जेना : अन्त में, मैं जनजातीय उपयोजना के विषय में भी कुछ कहना चाहूंगा। महोदय, छठी पंचवर्षीय योजना में जनजातीय उपयोजना को लागू करने के लिए 350 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। जो काफी कम है। मैं सुझाव दूंगा कि इस राशि को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया जाए। इसी प्रकार के कदम हरिजनों के सर्वांगीण विकास के लिए भी उठाए जाने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री बूटा सिंह को बुला रहा हूं। तत्पश्चात् मंत्री महोदय तीन बजे उत्तर देंगे। नौ घण्टे का समय निर्धारित किया गया है और इसे नौ घंटे में ही पूरा हो जाना चाहिए। मैं श्री बूटा सिंह को बुला रहा हूं और उनके वक्तव्य के उपरान्त, तीन बजे मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री बूटा सिंह (रोपड़) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे अपने विचार मशहूर उर्दू कवि मिर्जा गालिब की मशहूर पंक्तियों से प्रारंभ करने की आज्ञा दीजिए उन्होंने फरमाया है—

'इब्ने मरियम हुआ करे कोई,
हमारे दर्द की दवा करे कोई।'

हो सकता है मैं इसका उचित अनुवाद न कर सकूं, पर यह कुछ इस प्रकार है—"हे प्रभु, हमारे जख्मों और पीड़ा को हरने के लिए एक और येशु, मरियम का बेटा भेज दे।'

भारत का सौभाग्य है कि उसे महात्मा गांधी के रूप में ऐसा मसीहा मिला जिसने साम्राज्यवाद

[श्री बूटा सिंह[

की बेड़ियों से हमारी मातृभूमि को मुक्त किया। परन्तु यह हमारा दुर्भाग्य है कि साम्प्रदायिकतावाद के कठोर हाथों ने उन्हें उस वक्त हमसे छीन लिया जब वह राष्ट्रीय आन्दोलन का दूसरा दौर—हरिजनों का उद्धार—शुरू करने जा रहे थे जैसा कि उन्होंने स्वतंत्रता पाने के तुरन्त बाद कहा था।

यह दस्तावेज जिस पर आज सभा में चर्चा हो रही है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की एक और रिपोर्ट है जो प्रति वर्ष सभा के समक्ष प्रस्तुत की जाती रही है। सभा के सभी पक्ष प्रत्येक वर्ष इस पर चिन्ता व्यक्त करते हुए भाषण देते हैं। मंत्रीगण लम्बी अवधि तक बैठ कर इस पर कार्य करते हैं और अपने टिप्पण मंत्रालय को भेज देते हैं। पर दुर्भाग्यवश इसके कार्यान्वयन का पक्ष सदैव उपेक्षित ही रह जाता है। जो सदस्य इस विषय पर बोलते हैं, उनके लिए यह एक मात्र पुण्य आशा ही रह जाती है। इस बार इस दस्तावेज में से मैंने माननीय आयुक्त द्वारा सुझाए गए कुछ मुद्दे निकाले हैं। मैं आखिरी सुझाव सबसे पहले लूंगा क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है जो सरकार द्वारा प्रवर्तित विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए उन्होंने दिया है।

उन्होंने गृह मंत्रालय के क्षेत्र संगठन का जिक्र किया है। मेरे सहयोगी श्री योगेन्द्र मकवाना संसदीय मामलों में अनुभवी व्यक्ति हैं; सौभाग्यवश वह ऐसे प्रगतिशील नौजवान हैं जो इस विषय के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं और जिन्हें इस विषय में गहरी दिलचस्पी है। मैं उनसे यह पूछना चाहूंगा कि उनके पास इस समय ऐसा कौन सा संगठन है जो देश के हर कोने में योजनाएं लागू करवा सकता है। गृह मंत्रालय में अब तक एक ऐसा ही संगठन था जो दुर्भाग्यवश दिसम्बर 1978 में अन्तरित कर दिया गया। यह छोटा सा संगठन, जो गृह मंत्रालय से सम्बद्ध था, अब किसी अन्य मंत्रालय के अन्तर्गत आ गया है। इस मंत्रालय में अब कोई ऐसा संगठन नहीं रह गया है जो इसकी योजनाओं को लागू कर सके। जिला स्तर पर, अब एक अधिकारी रहा है जिसे जिला कल्याण अधिकारी कहा जाता है। वह बेचारा भी कार्यालय अधिकतर या तो पैदल जाता है या साइकिल पर। बड़े जिले में तथा अत्याचारों के निरन्तर बढ़ते रहने से आप कल्पना कर सकते हैं कि यह बेचारा जिला कल्याण अधिकारी क्या कर सकता है। उसके पास न तो अपनी जीप ही है और न ही कोई अन्य वाहन। उसे वाहन के लिए जिला अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो चाहे तो दें और न चाहे तो न दें अधिकतर, उसे वाहन नहीं मिलता, जिससे कि वह घटना स्थल पर जांच नहीं कर सकता तथा जिला न्यायाधीश को रिपोर्ट नहीं दे पाता। इसलिए मैं युवा मंत्री को सबसे पहले तो यह सुझाव देना चाहूंगा कि वह गृह मंत्रालय में उस संगठन की पुनः स्थापना करें जो क्षेत्र कार्य कर सके ताकि माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव तथा गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजनाओं का कार्यान्वयन हो सके।

सभा के दोनों पक्षों के अनेक माननीय सदस्यों ने सरकार से अनुरोध किया है कि संविधान के अनुच्छेद 46 में दिए गए निदेशों को पूरा करने हेतु कारगर केन्द्रीय हस्तक्षेप हो जिससे कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के साथ उचित न्याय हो सके। आयुक्त ने स्वयं इसकी सिफारिश की है। पर यह आश्चर्यजनक है कि अनुच्छेद 46 में दी गई 'राज्य' शब्द का अर्थ हम राज्य सरकार ले लगाते हैं। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि अनुच्छेद 46 में प्रयुक्त इस शब्द 'राज्य' का अर्थ

केवल संघीय इकाई के रूप में नहीं लेना चाहिए, वरन केन्द्रीय स्तर पर इसे राज्य उपकरण के रूप में माना जाना चाहिए। अतएव संविधान के अनुच्छेद 46 के अन्तर्गत, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सुरक्षा, न्याय तथा निष्पक्षता प्रदान करने का समस्त भार स्वयं भारत सरकार को अपने ऊपर लेना चाहिए। केवल तभी, वह अपने कर्तव्यों का पालन कर पाएगी।

आयुक्त ने निरन्तर बढ़ते हुए अत्याचारों पर भी अपनी चिन्ता व्यक्त की है। आयोग के शब्दों में ही इस वृद्धि के लिए जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए हैं वह हैं "हरिजनों पर किए गए ये अत्याचार हमारे देश के लिए कलंकस्वरूप हैं।" ये अत्याचार निरंतर बढ़ रहे हैं तथा निजी स्वार्थ तथा बदले की भावना से किए जा रहे हैं। यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है। मंत्री यदि स्वयं हरिजनों तथा अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा का विषय स्वयं केन्द्र में देखे तो उचित ही होगा, तथा इस प्रकार वह इन असहाय व्यक्तियों पर किए जा रहे अत्याचारों को कम कर सकेंगी।

[श्री शिवराज वी० पाटिल पीठासीन हुए]

जनता पार्टी के प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई जब प्रधान मंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि अगले पांच वर्षों में, इस देश से अस्पृश्यता का निवारण हो जाएगा और उनकी इस बात से हम काफी आश्वस्त हुए थे लेकिन यह सपना ही रहा एक झूठा नारा था। इस बारे में कुछ भी नहीं किया गया। अब हमें इस बात की पूरी आशा है कि वर्तमान सरकार जिसे जनता का और विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों का प्रबल समर्थन प्राप्त है, कुछ न कुछ अवश्य कर सकेगी। आयुक्त ने यह सुझाव दिया है कि, नागरिक अधिकार अधिनियम जिसे कि लोक सभा में वर्तमान सरकार द्वारा पहले जब वह शासन में थी, पास किया था, अभी भी क्रियान्वित नहीं हुआ है। इस नागरिक अधिकार अधिनियम का परिपालन कठोरता से·····

सभापति महोदय : क्या मुझे पता चल सकता है कि आप कितना समय और लेंगे ?

श्री बूटा सिंह : ज्यादा से ज्यादा तीन या चार मिनट और लगेंगे।

सभापति महोदय, इसके लागू किए जाने ! अभी तो विशेष न्यायालयों, जोकि विभिन्न राज्यों में नागरिक अधिकार अधिनियम के लिए बनाए गए थे के क्रियान्वयन अथवा गठन के लिए कुछ भी नहीं किया गया। बंधक मजदूर के बारे में तो अभी पूछा जाना है। बंधक मजदूरी, जो कि ग्रामीण इलाकों की सबसे बड़ी बुराई है के लिए सर्वेक्षण नहीं किया गया है। आयोग ने सुझाव दिया है कि कबीली भूमि के हस्तान्तरण के कानून का पुनरीक्षण किया जाए तथा औद्योगिक रूप से विकसित इलाके को छोड़कर सारे इलाके को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।

अपनी सिफारिशों में, आयुक्त ने सलाह दी है कि बैंक द्वारा दिए गए कुल ऋण में से दस प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को विभेदी ब्याज दर पर दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह सुझाव भी दिया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र में उनकी संख्या के अनुपात में वितरण संस्थाएं और उचित दर की दुकानें आबंटित की जानी चाहिए।

सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया है लेकिन दुर्भाग्य से यह केवल सार्वजनिक क्षेत्र में

[श्री बूटासिंह]

ही उपलब्ध हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में भी, यह पढ़कर मैं हैरान रह गया कि गृह मंत्रालय द्वारा अपेक्षित जानकारी 'ब्यूरो आफ पब्लिक इंटरप्राइजेज' नहीं दे पाया। क्या मैं मंत्री से यह जान सकता हूं कि अगर कोई विशेष सार्वजनिक उपक्रम जानकारी नहीं देता तो उसका क्या उपाय है, क्या दण्ड दिया जा सकता है? गृह मंत्रालय ऐसे उपक्रम को सुधारने के लिए जो कि उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं देते क्या कदम उठा रही है?

सरकारी क्षेत्र में विभिन्न श्रेणी की नौकरियों में आरक्षण के बारे जो कुछ इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है, संतोषजनक नहीं है। हमें आजाद हुए 25 साल हो चुके हैं फिर भी यह बताया गया है कि प्रथम श्रेणी में अब तक केवल 4.49 प्रतिशत लोग सरकार के समक्ष आरक्षित स्थानों पर नियुक्त किए जाने लिए उपलब्ध है।

श्रेणी II में यह संख्या 6.93% और श्रेणी III में 11.46% है। इससे सरकारी पक्ष की अकर्मण्यता और अनिच्छा ही जाहिर होती है क्योंकि इन लोगों के लिए जो कुछ थोड़ा बहुत आरक्षण उपलब्ध कराया गया है, उस पर भी पूरा अमल नहीं किया गया।

महोदय, मैं आपको 1974-75 का रेलवे मंत्रालय का एक अनुभव बताता हूं। सात महीनों में हम पिछले तीन वर्षों के इकट्ठे काम को खत्म कर सके। इस सदन के समक्ष मैं रेलवे मंत्रालय की एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सका हूं जिसमें रेलवे मंत्रालय द्वारा चलाए गए विशेष अभियान में 11,000 नए लोगों को नियुक्तियां दी गईं। मैं दोनों आदरणीय नए मंत्रियों से यह अनुरोध करूंगा कि वह राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे ही उपाय काम में लाएं जिससे कि इस कमी, इस राष्ट्रीय नुकसान को जल्दी ही पूरा किया जा सके।

महोदय, मुझे बताया गया है कि राज्य सरकारें जनरल डेवलपमेंट फंड से उपलब्ध बराबर अनुदान को जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लाभ के लिए खर्च किया जाना था को पूरा कर पाने में पिछड़ गई हैं। क्यों नहीं? हमें खुशी है कि हमारी माननीया प्रधान मंत्री जी ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए एक विशेष प्रकार की योजना को स्वीकृति दी है। मुझे विश्वास है कि यह विशेष योजना भारत सरकार द्वारा गंभीरता-पूर्वक और पूरे उत्साह से लागू की जाएगी। महोदय, मैं आदरणीय मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए बनाई गई इस योजना के लिए क्या विशेष उपाय किए गए हैं? मेरे ख्याल में गृह मंत्रालय द्वारा मांगी गई स्वीकृति पर वित्त मंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। मैं इस सदन के सभी वर्गों को इसकी जानकारी दे रहा हूं क्यों न यह वर्ष-बाल वर्ष, महिला वर्ष हो चुका है हरिजन वर्ष हो और हरिजनों के कल्याण के कार्यों के लिए कम-से-कम 1000 करोड़ रु० की मंजूरी दी जाए। मैं सरकार को आगाह कर रहा हूं कि भूखों के लिए उस द्वारा दिए जाने वाले दिशा निर्देशों का क्या हुआ। आप हमें बताना चाहते हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्रगति की योजनाएं अर्थ नीति के आधार पर क्रियान्वित की। आप यह दिशा निर्देश एकाधिकारियों, बड़े उद्योग घरानों को दे सकते हैं लेकिन दया करके हरिजनों के लिए यह सब मत करिए। अगर आप को काम चाहिए तो उन्हें वह दीजिए। हरिजनों की जो कुछ सहायता आपने करनी हैं उदारता पूर्वक

करिए। आपको एक उप-योजना तैयार करनी चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या छठी योजना में आप इसके लिए विशेष स्थान रख रहे हैं या नहीं। कुछ समय पहले आपके समक्ष जन जाति के लोगों के लाभ के लिए एक उप-योजना थी। मैं यह चाहता हूं कि यह सरकार क्यों न केवल अनुसूचित जाति के लोगों के लिए विशेष निर्धारण करे। जब हमारे अनुसूचित जन जाति के भाइयों की ओर विशेष ध्यान दिया गया तो उन्हें काफी राहत मिली। लेकिन अगर यह सरकार सचमुच ही कुछ करना चाहती है, तो इसे अनुसूचित जातियों के लिए एक उप-योजना बनानी चाहिए। इस काम के लिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कम-से-कम 1000 करोड़ रु० की राशि देनी होगी। यह राशि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए रखी जानी चाहिए।

आपने समय संकेत की घंटी दी है। मैं अन्त में यही कह कर समाप्त करूंगा कि यहां मछुआरे, चर्मकार, बुनकर सभी हैं लेकिन अनुसूचित जातियों में सर्वाधिकार पीड़ित लोग जमादार और झाड़ू-बुहारी का काम करने वाले हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री बूटा सिंह : हां मैं कर ही रहा हूं।

सभापति महोदय : मंत्री जी को आधे घंटे में ही 9 घंटे की बहस का उत्तर देना है, कृपया समाप्त करें।

श्री बूटा सिंह : हां मैं कर रहा हूं। आप जानते ही हैं कि जमादार और झाड़ु-बुहारी का काम करने वाले इन लोगों की क्या दशा है किस प्रकार की झोंपड़ियों में ये अपनी गुजर-बसर करते हैं। उनकी यह दुर्दशा देखते नहीं बनती, जानवर भी यहां नहीं रह सकते। गन्दी नालियों के आसपास बनी उनकी बस्तियों की गन्दगी देखी नहीं जाती, आदमी अपने इलाके में ही नहीं जा सकते और ये लोग यहां, इन झोंपड़ियों में पैदा होते हैं, काम धन्धा करते हैं, यहीं के हो जाते हैं। कोई हल नहीं है इनकी दुर्दशा का। भंगियों और जमादारों की बस्तियां सबसे ज्यादा गंदी होती हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार उन पर विशेष ध्यान दे। निर्माण और आवास मंत्री ने कुछ दिन ही पहले गंदी बस्तियों से हटाए जाने के बारे में राष्ट्रीय योजना की घोषणा की थी। तो इस योजना की शुरूआत जमादारों की गंदी बस्तियों के हटाए जाने और उन्हें खरीद-ऋण आधार पर घर दिए जाने से होनी चाहिए। उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते। क्यों न हम स्कूल उनके पास ले जाएं अर्थात उनकी बस्तियों में स्कूल खोले जाएं; हम उनके स्कूलों में बाल कल्याण केन्द्र खोल सकते हैं।

अत: इस प्रकार हम उनके जीवन में सुधार ला सकते हैं, उनको बेहतर बना सकते हैं। क्या यह शर्म की बात नहीं है कि विषय उठाने का काम आज भी उन्हीं के सर पर है ?

मैं इस सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह ऐसे कदम उठाए जिससे सिर पर विष्ठा उठाने का यह काम अगले एक या दो वर्षों में संवैधानिक रूप से बन्द किया जा सके। कुछ राज्यों में यह रोक तो लगा दी गई है लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया। अत: इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं और मुझे पूरी आशा है कि मेरे मित्र और सहयोगी—मेरे सभी युवा, बुद्धिमान और प्रगतिशील—इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि इन सुझावों का पालन किया जाएगा और वे इस बारे में गृह मंत्रालय में अलग से विभाग होने पर जोर देंगे ताकि देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो

[श्री बूटा सिंह]

कुछ भी हो उसे गृह मंत्रालय को बताया जा सके और समय रहते कार्रवाई की जा सके । इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

सभापति महोदय : अब मैं माननीय मंत्री को बुलाता हूं । हमें अपराह्न 3.30 बजे गैर-सरकारी कार्य शुरू करना है ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : हां महोदय, अब मैं शुरू करूंगा लेकिन जैसाकि आपने कहा है यह परिचर्चा 10 घंटे की हो चुकी है ।

महोदय, मैं आररणीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं, उन्होंने इस बहस में भाग लिया, हमें बहुमूल्य सुझाव दिए, सभी वक्ताओं, प्रथम वक्ता श्री चन्द्रजीत यादव से लेकर अन्तिम वक्ता श्री बूटा सिंह, जिन्होंने इस बहस में भाग लिया था मैं आभारी···

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : बोल्गा से गंगा ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : हां वोल्गा से गंगा । इस बहस में अनेक माननीय सदस्यों ने भाग लिया है । मेरे पास उनके नाम हैं लेकिन मैं प्रत्येक सदस्य को उल्लिखित नहीं करना चाहता । मैं उन सभी सदस्यों से, जिन्होंने भाग लिया है अनुरोध करता हूं कि वे मुझे माफ कर दें क्योंकि सदन के माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव एक दूसरे से मिलते हैं अत: प्रत्येक का अलग से नाम लिया जाना कठिन है । महोदय, प्रत्येक ने कुछ न कुछ अच्छे या अन्य सुझाव दिए हैं और जहां तक अनुसूचित जाति का संबंध है, मैं इन सुझावों को मुख्यत: दो भागों में बांट सकता हूं । पांच निश्चित सुझाव दिए गए हैं, पहला है आर्थिक विकास, दूसरा सामाजिक विकास, तीसरा शैक्षिक विकास चौथा अत्याचार और उत्पीड़न तथा नागरिक अधिकार और पांचवा सेवाओं में प्रतिनिधित्व । अनुसूचित जातियों से संबंधित ये पांच प्रमुख विषय हैं ।

और महोदय जहां तक अनुसूचित जनजातियों का प्रश्न है, यहां भी कुछ बहुत ही उपयोगी सुझाव दिए गए हैं जो कि वन नीति, एक्साइज (उत्थान शुल्क) नीति, सामाजिक विकास नीति, भू हस्तान्तरण नीति और सहकारी निपणन नीति आदि के बारे में हैं । इस सदन के माननीय सदस्यों द्वारा मोटे तौर पर इस प्रकार के सुझाव दिए गए हैं ।

जहां तक आर्थिक विकास का संबंध है, जैसा कि मैंने अपने भाषण के शुरू में भी बताया था— हमारी वर्तमान प्रधान मंत्री जो कि 1975 में भी प्रधानमंत्री थी, द्वारा राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में कुछ सुझाव दिए गए थे और उसके आधार पर जन जातीय उपयोजनाओं और विशेष प्रकार की योजनाओं का अनुमोदन किया गया था ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास की यही मुख्य रूपरेखा बनायी गयी थी । बंधुवा मजदूरों के बारे में मैंने जो आंकड़े दिए थे, उनके बारे में समाचारपत्रों द्वारा पैदा की गयी गलतफहमी का कुछ माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया । अनुसूचित जातियों के 66 प्रतिशत और अनूसूचित जनजातियों के 18 प्रतिशत से मेरा आशय यह था कि देश के कुल बधुवा मजदूरों में 66 प्रतिशत मजदूर अनुसूचित जातियों से है और 18 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों से । यह प्रतिशत

देश की कुल जनसंख्या का नहीं है। कुछ समाचार पत्रों ने इन आकड़ों को सही ढंग में प्रस्तुत नहीं किया है, इसीलिए मैं यह स्पष्टीकरण दे रहा हूं।

अब मैं अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के मुद्दे पर आता हूं। इसके लिए जनजातीय उपयोजना और विशेष संघटक योजना बनायी गयी है। विशेष संघटक योजना का जहां तक संबंध है, इसके लिए आबंटन 4 प्रतिशत से अधिक है। जनजातीय उपयोजना के लिए आवंटन लगभग 4 प्रतिशत है। यह मैं इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि इस सभा के माननीय सदस्यों ने कुल जनसंख्या में उनके प्रतिशत के अनुसार आवंटन के लिए कहा है। अनुसूचित जातियों के लिए यह आवटन 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7½% है। सदस्यों की मांग यह है कि यह आवंटन कुल परिव्यय के 22½% के बराबर होना चाहिए। मैं उनकी भावनाओं को समझता हूं। इस बात को लेकर मेरा उनके साथ एकमत है। लेकिन फिलहाल इस उपयोजना और संघटक योजना पर कुल परिव्यय 4% अथवा लगभग 4.68% है।

एक माननीय सदस्य : यह बहुत कम है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : हां, यह बहुत कम है। मैं राज्यों का दौरा करूंगा और इस धनराशि को बढ़ाने के लिए कहूंगा। अपने प्रारंभिक भाषण में यह पहले ही बता चुका हूं कि मैंने गुजरात का दौरा किया और गुजरात सरकार के अधिकारियों से कहा कि कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत के अनुसार आबंटन की यह सीमा बढ़ाई जाए। मेरे इस दौरे के परिणामस्वरूप, उन्होंने यह आबंटन बढ़ा दिया। गुजरात में प्रारंभिक अवस्था में यह आबंटन 44 लाख रुपये था। अब उन्होंने इसकी सीमा को बढ़ाकर 1.00 करोड़ रुपये तक कर दिया है। उन्होंने यह एक अच्छा काम किया है। महाराष्ट्र में भी मैंने अधिकारियों से इस योजना की सीमा बढ़ाने के लिए कहा है। ये योजनाएं अनुसूचित जातियों के विकास का बुनियादी आधार है।

श्री बूटासिंह और श्री चिन्तामणि जेना दोनों ने ही केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री बूटासिंह का आशय, संभवतः, जनजातीय उपयोजना को दी जाने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता से है।

श्री बूटासिंह (रोपड़) : हां, हां।

श्री योगेन्द्र मकवाना : उन्होंने अनुसूचित जातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। हम इस पर विचार कर रहे हैं। कुछ सीमाएं हैं, लेकिन सरकार···

श्री बूटासिंह : आपने कहा है कि इन सीमाओं के बावजूद आप यह कार्य करेंगे।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मुझे इस बात पर बहुत खुशी है कि आप ऐसा किए जाने के बहुत इच्छुक है। मैं भी इसके लिए उत्सुक हूं। अब यह मामला सरकार के सामने है। जैसाकि मैंने कहा, अपने गुजरात दौरे के समय हमने सरकार से ऐसा करने के लिए कहा। गुजरात के 484 गांवों में 25% लोग अनुसूचित जातियों से सम्बद्ध हैं। हमने कहा है कि इन गांवों में अनुसूचित जातियों के लोगों की जमीन पर ध्यान दिया जाए सभी प्रकार के यंत्र जुटाए जाएं और उनकी उत्पादकता को बढ़ाया जाए। हम महाराष्ट्र तथा दूसरे स्थानों का दौरा पहले ही कर चुके हैं। मैं दूसरे राज्यों का दौरा भी करने वाला हूं जिसके दौरान अनुसूचित जातियों के लोगों की जमीन में सुधार लाने की आवश्यकता पर बल

[श्री योगेन्द्र मकवाना]

दिया जायेगा। कुछ जमीन के तो वे स्वयं मालिक हैं, कुछ भूमि उन्हें फालतू भूमि में से मिली है और कुछ बंजर भूमि में से मिली है। इन्हीं तीन स्रोतों से अनुसूचित जातियों के लोगों को जमीन मिलती है। हम राज्य सरकारों पर इस बात के लिए जोर दे रहे हैं कि वे इस प्रकार की जमीन में सुधार लाएं। यदि उन्हें अपनी जमीन के लिए और अधिक यंत्र मिल जाएं, तो उनकी जमीन की उर्वरता बढ़ेगी और कृषि मजदूर के रूप में उनकी जो आय है, उसके मुकाबले उनकी आय बढ़ेगी।

राजस्थान को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में अनुसूचित जातियां विकास निगम हैं। भारत सरकार ने सभी राज्यों से ऐसा निगम बनाने के लिए कहा है। सभी राज्यों ने ऐसे निगम बना दिए हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने ऐसा नहीं किया है। मैं राजस्थान का दौरा करने वाला हूं, जहां इस मामले को उठाया जाएगा। राजस्थान सरकार ने अभी तक अनूसूचित जातियों सम्बन्धी विकास निगम नहीं बनाया हैं। इस निगम को 51% निधियां राज्य से 49% निधियां केन्द्र सरकार से मिलती हैं तथा राज्य द्वारा इस अनुदान में वे कुछ योजनाएं बनाते हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य अनुसूचित जातियों के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करना होता है। यह कार्यक्रम चल रहा है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक विकास का जहां तक सम्बन्ध है इसके लिए भी इस योजना के अन्तर्गत कुछ उपाय किए गए हैं। सामाजिक विकास में यह निगम महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इस निगम के बहुत से कार्य हैं। यह निगम इन लोगों के आर्थिक उत्थान के कार्य में मदद कर रहा है। उसकी मदद से इन लोगों का सामाजिक और शैक्षिक उत्थान भी करना है। यह निगम अनुसूचित जातियों की अच्छी सेवा कर रहा है।

भारत सरकार ने एक योजना शुरू की थी···

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है। हरिजनों का मसला किस तरह आप हल करेंगे। जब तक स्टेट्स में होम मिनिस्टर इनके न हों तब तक कुछ नहीं हो सकता है। आप इन लोगों को ही होम मिनिस्टर बनाएंगे या नहीं।

सभापति महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : 1975 में जब हम सत्ता में थे, तब हमने 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया था और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्याज की विभिन्न दरों की योजना शुरू की थी। यह योजना अभी विद्यमान है। इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों और दलित लोगों के लिए ब्याज की दर केवल 4% है। इस योजना में यह व्यवस्था की गयी है कि बैंक जो कुल ऋण देते हैं, उसमें से एक प्रतिशत ऋण भिन्न ब्याज दर योजना के अन्तर्गत दिया जाये। इस प्रकार के ऋण का 40 प्रतिशत अंश अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रखा गया है। इस योजना पर ठीक ढंग से काम हो रहा था, लेकिन पिछले ढाई वर्ष के दौरान इस योजना के अन्तर्गत ठीक प्रकार से कार्य नहीं किया गया। बैंकों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को ऋण नहीं दिया। कुछ ही दिनों में मैं सभी बैंकों के चेयरमैनों को पत्र लिखूंगा, जिसमें इस बात पर बल दिया जायेगा कि वे योजना को लागू करें और भिन्न ब्याज दर योजना पर मुस्तैदी से कार्य करें।

अनुसूचित जातियों का जहां तक संबंध है, उनके आर्थिक विकास के लिए जनजातीय उप-

योजना है। आदिवासी चूंकि कुछ विशेष क्षेत्रों में ही रहते हैं, इसलिए उन्हें कुछ सुविधायें देना और उस क्षेत्र का विकास करना आसान है। कुछ माननीय सदस्यों ने नीति संबंधी कुछ मामलों का उल्लेख किया है। सबसे पहले मैं वन-नीति के बारे में बताता हूं। इस बात को लेकर मैं माननीय सदस्यों से पूरी तरह सहमत हूं कि इस योजना में कुछ सुधार की आवश्यकता है और इन लोगों के लाभ के लिए मैं पूरी वन नीति को नया रूप देने वाला हूं।

उत्पादन शुल्क नीति का जहां तक सम्बन्ध है, कुछ मित्रों ने कहा है कि आदिवासियों की अपनी विशेष प्रथा है, और वे अपनी घरेलू, सामाजिक और धार्मिक जरूरतों के लिए अपने घरों में ही शराब बनाते हैं। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को पहले ही यह निर्देश दे चुकी है, कि वे आदिवासियों को यह सुविधा दें। हो सकता है कि कुछ राज्य सरकारें ऐसा न कर रही हैं। अपने विभिन्न राज्यों के दौरे के समय, मैं इस मामले को उठाऊंगा। साथ ही हम इस मामले पर राज्य सरकारों को पत्र लिखेंगे।

कार्मिक नीति का जहां तक सम्बन्ध है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को प्रशिक्षण देने की भी कुछ योजनाएं हैं। इस कार्मिक नीति का उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों को प्रशिक्षण देना है, ताकि वे जन जातिय उप-योजना आदि का क्रियान्वयन कर सकें। मेरे मित्रों का, सम्भवतः, यही आशय था। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि हमारा यही विचार है।

मुझे आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने वाले अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करने के लिए भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थान में आमंत्रित किया गया था। वे वहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। मैंने उन्हें विशेष रूप से यह बताया था कि यह ऐसा कार्य है जिसमें उत्साह और समर्पण की आवश्यकता है। अतः हम आदिवासी क्षेत्रों में विशेष रूप से भेजे गये अधिकारियों के मन में यह बात बैठाने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें सजा देने के लिए वहां नहीं भेजा जाता, बल्कि मिशनरी के रूप में भेजा जाता है। इस प्रकार के मिशनरी कार्य की हम उनसे उम्मीद करते हैं।

मैं कार्मिक विभाग से यह कहूंगा कि इन अधिकारियों की भर्ती के मामले में उनके साक्षात्कार के समय, उनके विशेष रुधान को ध्यान में रखा जाए। इस बात पर ध्यान रखा जायेगा।

आदिवासियों की मुख्य समस्या भूमि के हस्तांतरण की है। संविधान की पांचवीं अनुसूची के अन्तर्गत ऐसे विनियम बनाए गए हैं जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आदिवासियों की भूमि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बगैर गैर-आदिवासी लोगों को हस्तांतरित न हो। इसके बावजूद किसी-न-किसी बहाने से रोजाना भूमि हस्तांतरित की जाती है। यह अब गैर-कानूनी रूप में किया जाता है। इस बारे में सरकार बहुत सतर्क है। लेकिन, जैसा कि मैंने कहा, कुछ सीमीएं हैं, क्योंकि रिकार्ड में ऐसा कुछ नहीं है। वे यह सब गैर-शासकीय रूप में कर रहे हैं।

लेकिन हम इस बारे में सजग हैं तथा इस बात का ध्यान रखेंगे कोई भी भूमि फिर जन जातियों से लेकर गैर जनजातियों को न दी जाए।

जैसाकि कुछ सदस्यों ने कहा है कि जनजातियों की मुख्य समस्या उनके शोषण की है। यह शोषण दो तरह से होता है एक तो इस तरह कि वे खेती तथा जंगलों से जो उत्पाद प्राप्त करते

[श्री योगेन्द्र मकवाना]

हैं वह उनसे बहुत कम कीमत पर ले लिया जाता है और जिस चीज की उन्हें आवश्यकता होती है वह उन्हें बहुत ज्यादा मूल्य पर दिया जाता है। इस प्रकार बिचौलियों तथा व्यापारियों द्वारा जनजातियों का शोषण किया जाता है। इस समस्या के हल के लिए सरकार ने 'बृहदाकार बहु योजनाएं सोसायटी नामक एक योजना तैयार की है। ये सोसायटियां जनजातीय क्षेत्रों में बनायी जाती हैं। इस समय देश में इस तरह की 2400 सोसायटियां हैं। ये जनजातीय लोगों को उनके वन एवं कृषि उत्पादों का लाभ कर मूल्य देती हैं। वे उन्हें उपभोक्ता सामग्री की बिक्री भी करती हैं।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : (दुर्गापुर) : वे कृषि मजदूर भी हैं। उनका शोषण किया जाता है। उन्हें न्यूनतम मजूरी नहीं मिलती। न्यूनतम मजूरी मिलने की तो गारन्टी होनी चाहिए।

श्री योगेन्द्र मकवाना इसकी गारन्टी दी जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए न्यूनतम मजूरी अधिनियम है। मैं यह मानता हूं कि इसे अच्छी तरह कार्यान्वित नहीं किया गया। इन बहु प्रयोजनायें सोसायटियों का मुख्य काम है जनजातियों को उनके (क) कृषि एवं वन उत्पादों के लिए लाभकर मूल्य दिलाना, तथा (ख) उपभोक्ता सामाग्री उचित मूल्य पर बेचना ताकि बिचौलियों और व्यापारियों द्वारा उनका शोषण न किया जा सके तथा (ग) उन्हें सामान खरीदने तथा उनके उत्पादों के लिए ऋण देना इससे हम उन्हें साहूकारों के शिकंजे से बचाये रख सकेंगे क्योंकि ये साहूकार लोग इन जनजातियों का शोषण करते हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनजातीय उप-योजना का कुल योजनागत परिव्यय 523 करोड़ रुपये था जो कि छठी योजना में बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस योजना द्वारा हम जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए इन सहकारी समितियों की संख्या तथा अन्य कार्यकलापों में वृद्धि करने जा रहे हैं। मेरे माननीय मित्र श्री बूटासिंह जी ने ठीक ही कहा है कि कार्यान्वयन की कुछ विशेष प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए तथा इस बात की निगरानी रखी जाए कि उपाय किए जायें तथा राज्यों और विभिन्न विभागों द्वारा सरकार के आदेशों को समुचित रूप से कार्यान्वित किया जाए, स्वयं गृह मंत्रालय में ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जो इन सब बातों पर निगरानी रखती है। लेकिन मैं अपने माननीय मित्र को यह आश्वासन दिला देना चाहता हूं कि सरकार इस बात का ख्याल रखेगी तथा इस बात पर निगरानी रखेगी कि आदेशों को समुचित रूप से कार्यान्वित किया जाए तथा गृह मंत्रालय में जो इस समय विशेष अच्छा कार्य कर रहा है उसे सुव्यवस्थित किया जायेगा तथा उनकी सहायता के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

श्री बूटासिंह : कम-से-कम यथास्थिति तो रहनी ही चाहिए। हमें पहले की स्थिति पर लौटना चाहिए।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं। जो कुछ उन्होंने कहा है, हम उसकी निश्चय ही जांच करेंगे तथा हम इसे करने का प्रयास करेंगे। (व्यवधान)

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : अब गैर सरकारी सदस्यों से संबंधित कार्य का समय हो गया है।

सभापति महोदय : हम गैर सरकारी सदस्यों से सम्बन्धित कार्य के समय में कमी नहीं करेंगे। हम बैठक का समय कुछ और समय तक बढ़ा सकते हैं। (व्यवधान)

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : आज शाम 6 बजे एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

सभापति महोदय : उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। माननीय सदस्य 10 या 15 मिनट जितना भी समय लेंगे हम गैर सरकारी सदस्यों के लिए उपलब्ध समय में उतनी वृद्धि कर सकते हैं और यदि आप सहमत हों तो यह थोड़ा-सा समायोजन किया जा सकता है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर भी देना चाहिए।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : एक दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सायं के ठीक 6 बजे है। अतः गैर-सरकारी सदस्यों के उपलब्ध समय में स्वतः कटौती हो जायेगी। माननीय मंत्री महोदय को अगली बार बोलना चाहिए।

सभापति महोदय : गैर सरकारी सदस्यों के समय में किसी भी दशा में कटौती नहीं की जायेगी। उस शर्त के साथ उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री योगेन्द्र मकवाना : अफसोस है कि यह मामला शुक्रवार को आया है, अब बताइये कि क्या किया जा सकता है। मेरा तो इस में कोई दोष नहीं। वाद-विवाद में 10 घण्टे लग गये, 15 मिनट में तो उत्तर नहीं दिया जा सकता।

कई माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है कि सेवाओं में समुचित आरक्षण नहीं किया जाता वस्तुतः उसे कार्यान्व नहीं किया गया है उस में काफी कमी है। मैं उनसे सहमत हूं। मेरे सामने जो आंकड़े हैं उन से पता चलता है कि बहुत हुआ है। लेकिन सरकार इस बारे में सजग है। हमने राज्यों को अनुदेश जारी कर दिये हैं तथा इस कमी को पूरा करने हेतु आवश्यक उपाय करने के लिए हम राज्यों तथा अधिकारियों को अनुदेश जारी कर रहे हैं। इस वाद विवाद में उनके द्वारा उठाये गये सभी प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दे सकता। मैं माननीय सदस्यों का तथा इस सभा का समय नहीं लेना चाहता। लेकिन मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की समस्याओं के बारे में सजग है। और उनके लाभ के लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस सभा के सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : सभापति महोदय, हमने कई और सवाल पूछे हैं, लेकिन उनका जवाब नहीं दिया गया है। मै चाहूंगा कि मंत्री महोदय उनका जवाब दें।

मैंने पूछा था कि सरकार सेंट्रल इनेक्मैंट फार सर्विस रेगुलेशन्ज फार शिड्यूल्ड कास्ट्स एंड शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के बारे में क्या कर रही है। हमने मांग की थी कि यहां पर इन वर्गों के लिए एक सैपरेट मिनिस्ट्री होनी चाहिए। इन लोगों की जो सर्विस एसोसियेशन्ज बनी हुई हैं, उनको मान्यता देने के बारे में सरकार की क्या नीति है? सरकार उन्हें मान्यता देने जा रही है या नहीं?

कमीशन ने अपनी रिपोर्टों में बार-बार लिखा है कि 1976 में एक आर्डर इश्यू हो गया था कि शिड्यूल्ड कास्ट्स एंट शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के दो से ज्यादा बच्चों को स्कालरशिप नहीं मिलेगी। वह आर्डर वापिस लेना चाहिये। इसके बारे में क्या हुआ?

डा० अम्बेडकर, महर्षि बाल्मीकि और गुरु रविदास के जन्म-दिन की छुट्टी घोषित होनी चाहिए, इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया है।

एक सवाल यह किया गया था कि कमेटी रिकार्डिंग रिवीजन आफ दी लिस्ट आफ शिड्यूल्ड कास्ट्स एंड ट्राइब्ज कब बना रहे हैं।

सभापति महोदय, इन सारी बातों का हमको जवाब मिलना चाहिए।

सभापति महोदय : आप नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि आपको अपने चैम्बर में बुला कर एक कप चाय पिला कर आपके द्वारा उठाये गये सभी प्रश्नों का उत्तर दें।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : हमने कई प्रश्न दिये थे, 37 उन सभी के उत्तर नहीं मिले।

सभापति महोदय : मैं इस बात को अच्छी तरह समझ सकता हूं कि माननीय सदस्यों ने इस सभा में जितने प्रश्न और मामले उठाये है, माननीय मंत्री महोदय द्वारा उन सबका उत्तर नहीं दिया जा सकता। वस्तुत: इतने कम समय में सभी प्रश्नों का उत्तर देना असम्भव ही है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा। कि वे यदि माननीय सदस्य अत्यंत आवश्यक समझे तो मंत्री महोदय से उनके चैम्बर में मिल कर उनसे स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं।

केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में संकल्प

सभापति महोदय : अब सभा फरवरी, 1980 को श्रीमती सुशीला गोपालन द्वारा प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी :

"इस सभा की राय है कि संघवाद के सही अर्थों के अनुरूप राज्यों को अधिक वित्तीय शक्तियां तथा अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की दृष्टि से वर्तमान केन्द्र राज्य संबंधों का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है और इस संदर्भ में सभा केन्द्र सरकार से आग्रह करती है कि वह मुख्य मंत्रियों तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन तुरन्त बुलाये।"

श्री लकप्पा अपना भाषण जारी रखें।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : हमें इसे समाप्त करना है और फिर अन्य संकल्प पर आज ही चर्चा करनी है।

सभापति महोदय : हमें आवंटित समय पर दृढ़ रहना है।

श्री के० कप्पा (टुमुकुर) : पिछला वक्ता केन्द्र राज्य संबंध से संबंधित श्रीमती सुशीला गोपालन के भाषण का उल्लेख कर रहा था। दुर्भाग्यवश 1967 के बाद राज्यों तथा केन्द्र में एक सरकार का कठोर स्वरूप नहीं रहा था और बहुत से क्षेत्रीय हल सत्ता में आ गये थे वे संविधान अथवा देश के प्रति निष्ठावान नहीं रहे; वे संवेदनशील क्षेत्रों में भी सत्ता में आ गए थे। केन्द्र-राज्य संबंध केवल दिखावा है। वे राज्य स्वायत्ता चाहते हैं। पंजाब में अकाली दल ने राज्य सरकार संभाल ली। उन्होंने ज्योति बसु तथा नम्बुदरीपाद के साथ समझौता कर लिया है तथा वे राज्य स्वायत्ता के संबंध में मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाना चाहते हैं। विभिन्न सम्मेलन हुए तथा बहुत से प्रस्ताव रखे गए। हालांकि संविधान में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि यह संघीय संविधान है उन्होंने इसके

संघीय स्वरूप पर चर्चा की है। यह राज्यों का संघ है यही हमारा संविधान कहता हूं। केन्द्र-राज्य संबंध, राज्यों को वित्तीय प्रसाधनों का आवंटन करों आदि में भागीदारी करने पर अनेक चर्चा हो चुकी है। मैं आप से एक प्रश्न पूछ रहा हूं। यह क्या षडयंत्र है जो 1967 के बाद रचा गया है। मुख्य मंत्रियों ने केन्द्र को कमजोर करने के लिए अपना एकीकरण कर लिया है तथा उसी समय उनका इरादा केन्द्र सरकार में तोड़-फोड़ करने का था; वे देश की एकता, अखंडता तथा सीमा क्षेत्र को नुकसान पहुंचाना चाहते थे इस षड़यंत्र का यही सारांश है जो राज्य स्वायत्ता की आड़ में यह रचा गया था। भ्रष्टाचार निवारण जमाखोरों तथा चोरबाजारी के निवारण जैसे कितने केन्द्रीय अधिनियमों को क्रियान्वित किया गया था। अन्य दल पं० बंगाल में कार्य कर रहे हैं। कितने जमाखोरों, चोर बजारी करने वाले, एकाधिकार प्राप्त गृहों के मालिकों को गिरफ्तार किया तथा जेल भेजा गया ? पं० बंगाल में एकाधिकार गृह अन्य स्थान की अपेक्षा अधिक सुरक्षित है। वे अन्य स्थानों की अपेक्षा केरल में अधिक सुरक्षित हैं। जब उनका संघर्ष एकाधिकार गृहों से हुआ था तो ज्योति बसु को सत्ता से हटा दिया गया था। उनका गुप्त समझौता है। उनकी एकाधिकार गृहों से गुप्त समझौते थे। वे अब पं० बंगाल तथा अन्य स्थानों पर है। एक भी चोर बाजारी करने वाला अथवा एकाधिकारी नहीं पकड़ा गया है। वे बहुत सम्पन्न हो रहे हैं। इसलिए केन्द्र द्वारा पारित कानून भी क्रियान्वित नहीं किया गया है।

संविधान के अन्तर्गत हमारे पास तरीका तथा योजना है। हमारे वयोवृद्ध नेता बड़े जिम्मेवार व्यक्ति थे तथा केन्द्र राज्य संबंध पर कार्यवाही करने के लिए संविधान में अनुच्छेद की बहुत स्पष्ट व्यवस्था है।

कभी-कभी राज्य अपनी जिम्मेवारी का पालन नहीं करते हैं। उदाहरणार्थ, हरिजनों पर अत्याचार तथा निवारक नजरबन्दी आदि। इनका अनेक राज्यों में कार्यान्वियन किया गया है जब कभी केन्द्र से मांग होती है तो वे इस पर ध्यान नहीं देते हैं और मामले पर कार्यवाही ठप्प नहीं करते। वास्तव में जब वे मजबूत होते है तो केन्द्र पर आरोप लगाना चाहते हैं।

जब जनता सरकार बनी तो श्री मोरारजी देसाई सत्ता में आये। मोरारजी ने कहा कि वहां स्वायत्ता की कोई आवश्यकता है केन्द्र कमजोर हो गया और श्री चरणसिंह सत्ता में आ गए। इसलिए अन्दर और बाहर तथा हर जगह जहां भी संभव हुआ तोड़-फोड़ हुई।

कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) जैसे वामपंथी दलों द्वारा दिखाई गई बनावटी देश भक्ति को मैं समझ नहीं पाया हूं। श्री ज्योति बसु द्वारा संवैधानिक पहलुओं का पालन नहीं किया जा रहा है ये वे लोग हैं जो सभी जमाखोरों तथा चोर बाजारी करने वालों को संरक्षण प्रदान करते हैं। हम जानते हैं कि क्या हो रहा है।

यह प्रश्न एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। संवैधानिक पहलू, देश की अखंडता तथा प्रभु-सत्ता अधिक महत्वपूर्ण है। केन्द्रीय सरकार इस पर नियंत्रण करे जैसाकि संविधान में इसकी व्यवस्था है। उसका अर्थ यह नहीं है कि वहां लचीला संघीय स्वरूप है। यदि केन्द्र मजबूत नहीं है तो यह लोगों के लिए खतरा पैदा करेगा। हम वर्तमान संवैधानिक पहलुओं के साथ खिलवाड़ नहीं करने जा रहे हैं। मैं सरकार को जोरदार दलील पेश करूंगा कि किसी भी किस्म का प्रस्ताव अथवा किसी मंच पर इस

[श्री के० कप्पा]

प्रकार की कोई भी कार्यवाही पर बड़ी सावधानी से विचार किया जाना है। हमें ऐसी राजनैतिक दलों की सदस्यता पर संदेह करना पड़ता है क्योंकि उन्हें संविधान, देश, देश की अखंडता तथा निष्ठा के लिए कोई सम्मान नहीं है।

एक बार फिर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां कहीं भी ऐसी तोड़-फोड़ हो, संवैधानिक तंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। मैं नहीं समझता हूं कि भारत सरकार ने उन उपबंधों को क्रियान्वित क्यों नहीं किया है।

वे राज्य सरकार के लिए पूर्ण अधिकार की मांग कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि क्या उनका मतलब सुरक्षा तथा सभी बातों से है। जब उत्तर प्रदेश में हरिजनों के साथ बलात्कर किया गया था तो क्या हुआ? राज्य ने क्या किया? मैं मानता हूं कि इस संबंध में राज्यों को पर्याप्त अधिकार है। वे किसी बात पर ध्यान नहीं देती। उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं किया है। क्या केन्द्र को संविधान के अनुच्छेद 355 तथा 356 के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए।

जहां तक धन राशि के आवंटन का संबंध है भारत सरकार ने समय-समय पर वित्तीय आयोग नियुक्त किया है। यह राज्यों के परामर्श से किया गया है। उचित तंत्र तथा प्रक्रिया है। जो पहले ही अपनाई जा चुकी है। मैं नहीं जानता कि मेरे साथी इस प्रकार की स्वायत्ता की क्यों मांग कर रहे हैं। राज मन्नर रिपोर्ट—इसका प्रत्येक पहलू प्रशासनिक सुधार आयोग को भेजा गया है। इसने समस्त मामलों की जांच की है उन्होंने प्रत्येक बात को सही ढंग तथा जोरदार तरीके से रखा है। केन्द्र तथा राज्यों का वित्तीय क्षेत्राधिकार सुदृढ़ आर्थिक सिद्धान्तों पर निर्धारित किया गया है। सातवें वित्तीय आयोग ने यह भी कहा है कि पूर्ण विचार करने से बाद हमारी यह राय है कि संविधान में दी गई केन्द्र राज्य संबंध की रूप रेखा समय की कसोटी पर खरी उतरी है। इसने उचित तथा सुचारु रूप से कार्य किया है। केन्द्र तथा राज्यों के बीच संबंध सामान्य रूप से उस समय सुचारु रूप से चलते रहे थे जब तक कि 1967 का आम चुनाव नहीं हुआ था। केवल 1967 के बाद यह हुआ है। इस मुद्दे पर सितलवाड़ अध्ययन दल गठित किया गया था। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने इसकी जांच नहीं की है। पूर्ण मुद्दे का पुनरीक्षण किया गया है तथा एक विशेषज्ञ समिति ने इसकी जांच की है। वे इस प्रस्ताव को बड़े निर्दोष तरीके से ला रहे हैं। मैं नहीं मानता हूं कि श्री दंडवते उनके हाथों में खेलेंगे। प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा गठित सितलवाड़ अध्ययन दल भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ऐसी अनुमति ने संविधान की जटिलता को खत्म कर दिया जिसे कि इस बात का भेदभाव न रखते हुए कि कौन सत्ता में है और कौन नहीं, वे सफलतापूर्वक काम कर सकें बशर्ते कि जो काम कर रहे वे काम करें। संविधान के ढांचे, जिसमें एक संघ के लिए मजबूत केन्द्र की व्यवस्था है, को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन सरकार ने 1975 में केन्द्र-राज्य संबंधों पर प्रशासनिक सुधार समिति की सिफारिशों की जांच की थी। यह बहुत महत्वपूर्ण है। उनका विचार केन्द्र को कमजोर बनाने का है ताकि वे यहां मनमाने ढंग से कार्य कर सकें उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में मनीपुर, त्रिपुरा, पं० बंगाल, असम, तथा दक्षिण में केरल में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में क्या किया जा रहा है? आप सब मिल गए हैं। आपके साथी कौन है? क्षेत्रीय राजनैतिक दल तथा अकाली दल। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आंध्र तथा कर्नाटक के बारे में क्या है ?

श्री के० लक्प्पा : आंध्र में स्थिति पूर्ण रूप से ठीक है। (**व्यवधान**)। कर्नाटक में भी ठीक है। वहां प्रशासन सुचारु ढंग से चल रहा है आप कर्नाटक में कुछ नहीं कर सकते हैं। यह बात सुनिश्चित रखें कि आप वहां घुस नहीं सकते हैं। जैसाकि मैं कह रहा था कि संविधान के ढांचे जिसमें एक संघ के लिए मजबूत केन्द्र की व्यवस्था है को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन सरकार ने केन्द्र राज्य संबंधों पर प्रशासनिक सुधार समिति की सिफारिशों की 1975 में जांच की थी, राज्य सरकारों के विचार तथा प्रतिक्रियाएं तथा राजमन्नार समिति की रिपोर्ट तथा तत्कालीन सरकार प्रशासनिक सुधार आयोग के सामान्य दृष्टिकोण से सहमत है।

दिसम्बर, 1977 में पश्चिम बंगाल ने केन्द्र राज्य संबंधों पर एक ज्ञापन दिया जिसमें राज्यों को अधिक स्वायत्ता देने पर विचार किया गया है। उनके द्वारा दिए गए सुझाव वैसे ही थे जैसे कि राजमन्नार समिति की रिपोर्ट के आधार पर तमिल नाडु सरकार के थे। भारत सरकार ने 1975 में तथा फिर 1978 में यह विचार व्यक्त किया था कि केन्द्र-राज्य संबंधी वर्तमान संवैधानिक उपबन्ध वाले ये उपबन्ध सुव्यवस्थित थे और उनमें किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं थी। अब भी वही विचार अपनाने का प्रस्ताव है। ये महत्वपूर्ण मामले हैं। यह कहां है कि वित्तीय आवेदन को सही दिशा नहीं दी गयी है ? केन्द्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों संबंधी संविधान के उपबन्ध में बड़ी सावधानी के साथ तैयार किए गए हैं। वे समय की कसौटी पर सही उतरे हैं तथा हितों के ऐसे विवादों का समाधान करने के लिए उनमें काफी लचीलापन है जो संघ तथा निर्वाचन एकंकों के बीच समय-समय पर उठ सकते हैं। केन्द्र तथा राज्यों के वित्तीय क्षेत्राधिकार ठोस आर्थिक सिद्धांतों पर निर्धारित किए गए हैं। यदि वित्तीय आबंटन संबंधी कोई विवाद होता है तो उस समय पर्याप्त अवसर दिया जा रहा है जब वित्तीय आयोग सभी राज्य सरकारों का दौरा करता है या साक्ष्य भी लिया जाता है। उनके संसाधनों पर विचार किया जाता है। केन्द्र से राज्यों को वित्तीय आबंटन करते समय राज्य के पिछड़ेपन तथा राज्य की प्राकृतिक व भौगोलिक बातों पर भी विचार किया जाता है। यह सुव्यवस्थित ढंग से किया गया है। किसी प्रकार का विवाद होने पर राज्यों को केन्द्र से पूछताछ करने पर संविधान में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। यदि यह राज्यों को केवल वित्तीय सहायता का आबंटन करना ही है और कुछ स्वायत्ता के बारे में पूछते हैं तो मैं समझ सकता हूं। यह वित्तीय स्वायत्तता के बारे में पूछने का प्रश्न नहीं है बल्कि वे इस देश की अखण्डता को छिन्न भिन्नक रना तथा तोड़ फोड़ करना चाहते हैं। अथवा ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय षड्यंत्र या राज्य षडयंत्र के कारण हों। लेकिन मेरे दोस्तों को यह अवश्य जानना चाहिए कि उन्हें ऐसे लोगों के हाथों में नहीं खेलना चाहिए जो राष्ट्र विरोधी हैं तथा ऐसी बातों के लिए उकसा रहे हैं।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वह यह है कि सभी उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय परिषद है जब कभी संविधान, देश की अखंडता और संवैधानिक तंत्र के विरुद्ध सविनय अवज्ञा अथवा तोड़फोड़ द्वारा षडयंत्र रचा जाता है तो केन्द्रीय सरकार को हमेशा हस्तक्षेप करना चाहिए। इस देश में ऐसा उस समय हुआ जब कुछ राजनैतिक दलों ने इस प्रकार की बातें चलायीं। इसलिए केन्द्र सरकार के कार्य तथा शक्तियां केवल बढ़नी ही नहीं चाहिए बल्कि उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस

[श्री के० लक्कप्पा]

प्रकार की स्थितियां पैदा न हों। यदि राज्य सरकारें उचित रूप से व्यवहार नहीं करती हैं और केन्द्र के प्रति उत्तरदायित्व नहीं निभाती हैं और समाज के निर्बल वर्गों की सामाजिक, आर्थिक हालतों को सुधारने के लिए कोई काम नहीं करती है या इसके लिए कोई कानून नहीं है तो ऐसी हालत में केन्द्र को कार्यवाही करने का अवश्य अधिकार होना चाहिए। यदि किसी प्रकार की हिंसा होती है और वे हिंसा का सहारा लेकर केन्द्र के अधिकार के विरुद्ध कार्य करना चाहते है तो उस हालत में केन्द्रीय सरकार को कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त अधिकार होने चाहिए। संविधान में कुछ संरक्षण की व्यवस्था की गई है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम राज्यों को ही सारे अधिकार सौंपना चाहते हैं। राजमन्नार समिति ने सुझाव दिया है कि मुद्रा ढालने, संचार तथा रक्षा के कार्यों को छोड़कर सभी अधिकार सभी राज्यों को दे देने चाहिए। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या संविधान तथा केन्द्र होना चाहिए। मैं माननीय सदस्य के हित और उनकी पार्टी के हित को भी जानता हूं। मुझे पता है कि इस प्रस्ताव के आड़ में वे केन्द्र में तोड़फोड़ कराना चाहते हैं। इसके लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। उनकी गरीब जनता के उत्थान के लिए वित्तीय स्रोतों का आबंटन करने में नहीं है बल्कि वे अपनी राजनैतिक पार्टियों के उत्थान करने में खुश हैं। यह एक राजनैतिक षडयन्त्र है जो इस एजेन्सी के माध्यम से उत्पन्न किया गया है। मैं यह नहीं जानता कि उनकी इन पार्टियों के साथ कैसे सांठ-गांठ हैं।

राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अपने प्रस्ताव में प्रकट की गयी इच्छानुसार भी तत्कालीन प्रधान मंत्री ने परिषद के चेयरमैन के रूप में राज्यों तथा केन्द्र के बीच वित्तीय प्रबंधों के पुनरीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया था। इससे प्रतीत होता है कि उनकी तब भी सांठ-गांठ थी। श्री मोरारजी देसाई ने कुछ नहीं किया, उन्होंने क्या किया ? उन्होंने उस राजनैतिक पार्टी की भी स्वयं तोड़फोड़ की। वे श्री चरणसिंह को प्रधान मंत्री बनाना चाहते थे जिससे कि वे अपना खेल खेल सकें। राष्ट्रीय विकास परिषद ने अपनी 24 और 25 फरवरी 1979 की बैठक में केन्द्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय प्रबंधों के बारे में किसी बड़े परिवर्तन करने की सिफारिश नहीं की थी। इसके पश्चात उन्होंने आन्तरिक झगड़े शुरू किए और उस पार्टी में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया जिससे उनके संबंध के वे श्री चरणसिंह को प्रधान मंत्री बनाना चाहते हैं मैं चाहता हूं कि इस प्रस्ताव का जोर-शोर से विरोध होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार को स्थिति की ओर ध्यान देना चाहिए। यदि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लाकर किसी संविधान को विकृत या तोड़फोड़ करने की राजनैतिक चाल है अथवा देश की अखंडता तथा सुरक्षा को खतरा पैदा होता है तो उनका पूरी ताकत से विरोध होना चाहिए।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : श्रीमान जी, मैं माननीय सदस्य श्रीमती सुशीला गोपालन द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं क्योंकि आज की स्थिति में इसका विशेष महत्व है तथा हमें केन्द्र-राज्य संबंधों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

मुझसे पहले जो माननीय सदस्य ने यह कहा था कि यह प्रस्ताव राजनीति से प्रेरित प्रस्ताव है योंकि वित्त आयोग राज्यों के वित्तीय स्रोतों के पहलुओं पर विचार करता है और उनके लिए धन की ावस्था करता है। उनके लाभ के लिए मैं यहां एक विख्यात संविधान वेत्ता श्री एम० ई० पिल्ले को

को उद्धृत कर रहा हूं जिन्होंने अपनी पुस्तक में केन्द्र-राज्यों के वित्तीय संबंधों के बारे में निम्नलिखित उल्लेख किया है—

"राज्य सरकारें अपने सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए अपनी ज्यादातर विकास परियोजनों की वित्तीय सहायता के लिए केन्द्र पर आश्रित रहती है। स्वाभाविक रूप से उन्हें केन्द्र की इच्छानुसार चलना होगा तथा इसके आदेशों को भी प्राय: मानना पड़ेगा।" वे आगे कहते हैं—

"पिछले 30 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की पद्धति में काफी परिवर्तन हुआ है। आज राज्यों की यह राय है कि यदि उन्हें अपने विकासशील उद्देश्यों को संतोषप्रद तरीके से पूरा करना है तो उन्हें ज्यादा वित्तीय स्रोत रखने होंगे और यह तभी सम्भव हो सकता है कि केन्द्र अपने राजस्व का एक बड़ा भाग राज्यों को दे या केन्द्र उन्हें संविधान में आवश्यक संशोधन करके उनको ज्यादा कर लगाने के अधिकार दे।" उन्होंने अपनी बात को यह कह कर समाप्त किया कि यह याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि केन्द्र तथा राज्य सरकारों के मध्य संबंध स्थायी मामला नहीं है। समय-समय पर संसद या केन्द्रीय सरकार को मुख्य मंत्रियों के साथ वार्ता करके वित्तीय संबंधों की पुनरीक्षा करनी चाहिए।" उन्होंने अपनी बात यह कह कर समाप्त की है—

"केन्द्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध, विशेष तौर से विकासशील अर्थव्यवस्था के बारे में लम्बे समय तक स्थायी नहीं रह सकते हैं। अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की पद्धति को ध्यान में रखते हुए समायोजन करने की आवश्यकता होगी। कर लगाने संबंधी विधायी अधिनियम आगे आने वाले समय के लिए नहीं बनाए जा सकते हैं। संघीय पद्धति में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य संबंध परिवर्तनशील है तथा इन संबंधों के कारण उत्पन्न समस्याओं को जीवन की समस्याएं हैं।" एक बार हमेशा के लिए हल नहीं किया जा सकता।"

उन्होंने कहा है कि इसे नया रूप देने के लिए यदि आवश्यक हो तो संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। मैं श्री एम० ई० पिल्ले के भारतीय संविधान के नवीनतम तृतीय संस्करण से पढ़ रहा हूं।

जब इस प्रस्ताव में राज्यों को ज्यादा वित्तीय अधिकार देने की मांग की जाती है तो मेरा विचार है कि इस प्रस्ताव में यह एक बहुत ही उचित मांग की गई जिसमें अन्ततः कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार इस मामले में आगे मार्ग दर्शन कर केन्द्र तथा राज्यों के मध्य संबंधों तथा केन्द्र और राज्यों को दिए जाने वाले अधिकारों पर चर्चा करने के लिए मुख्य मंत्रियों तथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को अपमानित करना चाहिए। हमारे संविधान में संघीय ढांचे की व्यवस्था की गई है और शायद ही विश्व के किसी संविधान में संविधान निर्माताओं ने ऐसी विस्तृत व्यवस्था की हो और विषयों का स्पष्टीकरण देकर एक अच्छा काम किया है जो केन्द्रीय सूची, राज्य-सूची तथा समवर्ती सूची में आएंगे।

इस प्रकार उन्होंने विशेषतौर से राज्यों तथा केन्द्रीय सरकारों के वित्तीय अधिकारों को स्पष्ट किया है। लेकिन अब समय आ गया है जब हमें राज्यों की अन्य विकासशील गतिविधियों तथा लोगों की प्रतिदिन पैदा होने वाली आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना होगा। हमने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की गम्भीर स्थिति पर 10 घंटे चर्चा की थी। हम जानते हैं कि इस

[श्री चन्द्रजीत यादव]

देश में हमारी आबादी का लगभग 50 प्रतिशत भाग अब भी गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। लेकिन उनकी ज्यादातर दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को राज्य सरकारें ही देखती हैं। यह देखना राज्य सरकारों का काम है कि कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाए और बेरोजगारों को किसी किस्म का रोजगार दिया जाए। इस संबंध में राज्य सरकारों ने ही पहल की है।

केन्द्रीय सरकार अब भी बेरोजगार की ज्वलंत समस्या पर सो रही है। कुछ राज्य सरकारों ने इस संबंध में पहल की है और वे बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की कोशिशें कर रही हैं। यद्यपि यह पर्याप्त नहीं है फिर भी उन्होंने पहल की है। लेकिन वित्तीय स्रोतों की कमी के कारण वे इसे करने में असफल रही हैं। केन्द्रीय सरकार भी इस मामले में असफल रही है तथा राज्य सरकारों ने इस संबंध में अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया है। मेरा विचार है कि केन्द्रीय सरकार को वित्तीय स्रोतों के संबंध में उनकी सहायता करनी चाहिए।

श्रीमान् मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है जब कि इस अत्यंत नाजुक विषय पर भारत सरकार को राज्य सरकारों के साथ पूरी सावधानी के साथ व्यवहार करना चाहिए। राजनैतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए परन्तु पिछले कुछ महीनों से इस प्रवृत्ति का पता इस तथ्य से चलता है कि प्रमुख केन्द्रीय मंत्रियों ने राज्य सरकारों को धमकी भरे बहुत उत्तेजक वक्तव्य दिये हैं कि इन सरकारों को केन्द्रीय सरकार की विचारधारा तथा निदेशों का अनुपालन करना पड़ेगा, अन्यथा उन्हें भंग किया जा सकता है। यह एक बहुत गम्भीर मसला है तथा 9 राज्यों की विधान सभाओं को एक ही साथ भंगकर दिया गया है। इसके कारण कौन से थे? किस वजह से ऐसा किया गया! इसका कारण बहुत सीधा था। इसके कारण सिर्फ राजनैतिक थे। यदि हम इस देश में संसदीय प्रजातन्त्र को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं यदि हम केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्ध मधुर बनाना चाहते हैं, तो राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यदि राजनीति को केन्द्र तथा राज्य के सम्बन्ध का आधार बनाया जायगा, तो मुझे यह कहते हुए खेद है कि न सिर्फ हमारा राजनैतिक ढांचा उचित प्रकार से कार्य नहीं कर सकेगा अपितु संसदीय प्रजातन्त्र भी खतरे में पड़ जायगा।

श्रीमान्, दो केन्द्रीय मंत्रियों ने केरल तथा बंगाल में वक्तव्य दिये थे। बंगाल में एक मंत्री ने धमकी दी थी कि पश्चिम बंगाल सरकार को ठीक व्यवहार करना होगा अन्यथा इस सरकार को बंगाल की खाड़ी में फैंक दिया जाएगा। अन्य मंत्री ने केरल में धमकी दी थी कि केरल राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार के निदेशों का अनुपालन करना पड़ेगा, अन्यथा इसे भंग कर दिया जाएगा। श्रीमान, यह निदेश किस प्रकार का है? इस निदेश के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय के दो विख्यात न्यायाधीशों ने अपने विचारों को प्रकट करते समय कहा था: –

> "राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार के निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं। ये निदेश केवल सुझाव अथवा सलाह मात्र हैं। भारत सरकार के गृह मंत्री राज्य के मुख्य मंत्री को कभी भी सलाह अथवा सुझाव दे सकते हैं परन्तु यह मुख्य मंत्री की इच्छा पर निर्भर है कि वह सुझाव को स्वीकार करे अथवा नहीं।"

उपर्युक्त मत दो विख्यात न्यायाधीशों, न्यायमूर्ति भगवती तथा न्यायमूर्ति गुप्ता ने केन्द्रीय सरकार के 'निदेश' पर व्यक्त किया था। परन्तु आजकल केन्द्रीय सरकार के मंत्रीगण खुले रूप से कह रहे हैं कि इन निदेशों का पालन अवश्य करना पड़ेगा अन्यथा राज्य सरकारों को भंग कर दिया जाएगा। स्थिति के संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह राजनैतिक टकराव की स्थिति है। केन्द्रीय सरकार की हर हाल मे राजनैतिक टकराव की स्थिति से बचना चाहिए। अन्यथा यदि देश की उचित रूप से चुनी हुई राज्य सरकारों को इस प्रकार से धमकाया जाता रहेगा तो केन्द्रीय सरकार को अपने तानशाही दृष्टि कोण के विरुद्ध शक्तिशाली जन आन्दोलन का सामना करना पड़ेगा। कोई भी इस स्थिति को चुपचाप स्वीकार नहीं करेगा।

राजस्थान बनाम केन्द्र के मामले में यह निर्णय दिया गया था कि लोकसभा चुनाव में लोगों के निर्णय को राज्य विधान सभाओं के लिए नहीं माना जा सकता। इसमें यह भी निर्णय दिया गया था कि जब तक राज्य सरकार को विधान सभा में बहुमत प्राप्त है, विधान सभाओं को भंग नहीं किया जाना चाहिए। इस सबके बावजूद भारत सरकार ने संविधान की तकनीकी व्याख्या की आड में इन विधान सभाओं को भंग किया है।

पिछले लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ दल को उत्तर प्रदेश में मतदान के केवल 35 प्रतिशत मत मिले – 65 प्रतिशत मत कांग्रेस (आई) के विपक्ष में पड़े। वहां कार्यरत राज्य सरकार ने किस प्रकार से लोगों का विश्वास खो दिया ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य प्रभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बया) : श्री चरण-सिंह ने किन कारणों का उल्लेख किया था ?

श्री चन्द्रजीत यादव : यदि कोई गलत बात हो चुकी है, तो आपको उसकी पुनरावृति नहीं करनी चाहिए। मेरे विचार से जनता सरकार द्वारा राज्य विधान सभाओं को भंग करना गलत कार्य था। कांग्रेस (आई) के लिए भी यह उसी प्रकार गलत कार्य है। यह हमारे प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध हैं। हम यहां केवल दलों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हम कुछ प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं कुछ सिद्धान्तों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। वे मूल्य एवं सिद्धान्त किसी भी राजनैतिक दल से बड़े हैं।

बिहार में सत्तारुढ़ दल को केवल 36 प्रतिशत मत मिले। 64 प्रतिशत इनके विपक्ष में पड़े। डाले गये मंतों के लगभग एक तिहाई बहुमत को प्राप्त करके ही सत्तारुढ़ दल ने राज्य विधानसभा को भंग करना उचित समझा। हरियाणा में डाले गये मतों के केवल 29 प्रतिशत मत इन्हें प्राप्त हुए थे परन्तु इन्होंने विधान सभा को भंग नहीं किया क्योंकि वहां ये बड़े पैमाने पर दलबदल करवाने में सफल हो गये थे। यह एक दल अथवा दूसरे दल का प्रश्न नहीं है। हमें संसदीय प्रजातन्त्र प्रणाली को सुदृढ करने तथा केन्द्रीय सरकार एवं राज्यों के आपसी संबंधों को समुचित रूप से बनाए रखने के लिए प्रत्येक संम्भव प्रयास करना चाहिए।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : हमने श्री चरणसिंह के उदाहरण का अनुकरण नहीं किया है। हमारे पास इसके तर्कसंगत कारण हैं जिनकों मैं आपको अपने भाषण के दौरान बताऊंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : यदि आप उच्चतम न्यायालय के फैसले को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा

[श्री चन्द्रजीत यादव]

कि न्यायाधीशों ने अपने निर्णय में कहा था कि लोक सभा चुनाव परिणाम का विधान सभा चुनावों से संबंध नहीं है, परन्तु इस तथ्य को देखते हुए कि सत्तारूढ़ दल को लगभग प्रत्येक स्थान पर पराजय मिली, विधानसभाओं को भंग करने का निर्णय राष्ट्रपति अथवा केन्द्रीय सरकार को लेना था। जनता पार्टी के पास कुछ बहाना तो था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सभी 85 स्थानों पर पराजय मिली, बिहार में समस्त 54 स्थान तथा इसी प्रकार पंजाब तथा हरियाणा में कांग्रेस को एक भी स्थान नहीं मिला था, परन्तु हाल के चुनाव में स्थिति क्या थी? सत्तारुढ़ दल को उत्तर प्रदेश में 35 स्थानों तथा बिहार में 22 स्थानों पर विजय नहीं मिली। इसके बाद भी आपने इसी बहाने का आश्रम लिया है। इसलिए, विधान सभाओं को भंग करने का कार्य अत्यंत अप्रजातांत्रिक एवं असंवैधानिक है।

आज केन्द्रीय सरकारों के साथ नगर पालिकाओं एवं अपने अधीनस्थों जैसा व्यवहार करने की चेष्टा कर रही है। संविधान निर्माताओं का विचार इस प्रकार का नहीं था। डा० अम्बेड़कर ने संविधान सभा में केन्द्र राज्य संबंधों पर बोलते हुए कहा था।

> "केन्द्र तथा राज्यों के आपसी संबंधों के सन्दर्भ में मौलिक सिद्धान्त को, जिस पर कि ये संबंध आधारित हैं, ध्यान में रखना आवश्यक है। संघवाद का आधारभूत सिद्धान्त है कि विधायी औरकार्यवाही अधिकार केन्द्र द्वारा बनाए गए कानून द्वारा नहीं अपितु स्वयं संविधान द्वारा केन्द्र और राज्यों के बीच विभाजित हैं। संविधान यही कर्म करता है। अपने विधायी अथवा कार्यकारी अधिकारों के लिए राज्य किसी प्रकार भी केन्द्र पर निर्भर नहीं है। इस संबंध में राज्य तथा केन्द्र एक समान हैं।"

क्या यह सरकार केन्द्र-राज्य संबंधों के मामले में इसी प्रकार व्यवहार कर रही है? केन्द्रीय सरकार, जैसाकि मैंने पहले कहा था, राज्यों के साथ अधीनस्थों तथा नगरपालिकाओं जैसा व्यवहार करने की चेष्टा कर रही है तथा अपनी राजनैतिक विचारधारा के अनुरूप कार्य न करने पर उन्हें धमकाने की चेष्टा कर रही है। अत: मैं यह कहूंगा कि यदि इस स्थिति में हम केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के प्रश्न पर अत्यन्त सावधानीपूर्वक कार्यवाही नहीं करेंगे, तो झगड़े का प्रश्न अपने आप उभरेगा तथा इससे हमारे देश के संघीय ढांचे को सुचारु रूप से चलाने में गम्भीरता खतरा पैदा हो जाएगा। वस्तु स्थिति यह है कि मुझे आशंका ही नहीं विश्वास है कि केन्द्रीय सरकार सत्तारूढ़ दल एक संघीय सरकार के समान नहीं अपितु एक एकात्मक सरकार के समान कार्य कर रही है। इससे पूरी तरह अधिकार-वादी तथा तानाशाही सरकार के रूप में कार्य करने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है तथा अन्य राजनैतिक दलों को, जो कि इनकी राजनैतिक विचारधारा को स्वीकार नहीं करते, धमकाया जा रहा है। सभा में माननीय सदस्य के प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर आप कह रहे हैं कि इसको संविधान का उलंघन करने की दृष्टि से तथा इस देश की संवैधानिक प्रणाली को भंग करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। माननीय महिला सदस्य उस दल की सदस्या हैं जिसको पश्चिम बंगाल में बहुमत द्वारा चुना गया है तथा यदि उन्होंने अपने अनुभवों द्वारा निकाले निष्कर्ष पर कि जनता के लिए और अधिक लाभकारी अपने क्रान्तिकारी सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों को लागू करने के लिए उनके पास वित्तीय संसाधनों की कमी है, यदि उनका कथन है कि वित्तीय संसाधनों की कमी इस कार्यक्रम में बाधक है, स तथ्य को उजागर करने के लिए पूर्ण निष्कपटता से इस संकल्प को सभा में प्रस्तुत किया है, तो

आप इस प्रकार के संकल्पों के साथ गलत आरोपों को क्यों जोड़ना चाहते हैं ? मैं समझता हूं कि इस देश में हम तथ्यों को अस्वीकार नहीं कर सकते। यह सच है कि आज आप यह कहने की स्थिति में हैं कि जनता ने आपको पूरा समर्थन दिया है। मैं मानता हूं कि जनता ने आपको अपना समर्थन दिया है, परन्तु आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि 1971 में भी जनता ने आपको अपना समर्थन दिया था, उस समय भी आपको लोक सभा में लगभग 350 स्थान ही प्राप्त हुए थे, परन्तु जनता का इतना अधिक विश्वास प्राप्त होते हुए भी लोक सभा में दो-तिहाई बहुमत होते हुए भी, बांग्ला देश युद्ध में विजय प्राप्ति के बाद प्रधान मंत्री के अत्यन्त लोकप्रिय होते हुए भी, आप सामान्य कानूनों के द्वारा इस देश का प्रशासन नहीं चला सके तथा आपको आपात् स्थिति की घोषणा करनी पड़ी थी। आपात् स्थिति की घोषणा करने का कारण क्या था ? गुजरात के युवकों द्वारा बढ़ती हुई कीमतों, प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा बढ़ती हुई बेरोजगारी के विरुद्ध आन्दोलन के सारे देश में फैल जाने के कारण सरकार को आपात् कालीन उपायों का सहारा लेना पड़ा। अब इस देश की जनता ने अपने विवेक से, अपनी राजनैतिक परिपक्वता से, क्योंकि लोग जनता पार्टी से निराश हो चुके थे उन्होंने सरकार में परिवर्तन किया था, अतः आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि आपकी सरकार हमेशा बनी रहेगी। हम सबको अपने राजनैतिक प्रजातंत्र, संसदीय प्रजातंत्र, संघीय ढांचे, मूल्यों तथा सिद्धांतों वाली प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में सहयोग करना चाहिए। इनकी सुदृढ़ता से देश का भविष्य सुदृढ़ रह सकेगा। मैं यह कहूंगा कि आज केन्द्रीय सरकार सारे देश का प्रशासन संभाले हुए है। राज्य विधान सभाएं भंग की जा चुकी हैं तथा समस्त अधिकार केन्द्रीय सरकार के हाथों में हैं। परन्तु केन्द्रीय सरकार को तानाशाही प्रवृत्तियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए।

अतः इस संकल्प पर, जो कि हमारे देश में कुछ अधिक गंभीर सामाजिक-आर्थिक समस्याओं की ओर संकेत करता है, पुनर्विचार होना चाहिए। इनमें से बहुत से मसलों पर नए सिरे से विचार करना चाहिए यथा, केन्द्र एवं राज्यों के बीच संबंध कैसे हों, इन्हें कितनी स्वायत्तता दी जानी चाहिए, क्या हमारे संविधान में उल्लिखित समस्त सूचियों में संघ सूची, राज्य-सूची तथा समवर्ती सूची—किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है तथा यदि इन सूचियों में संशोधन की आवश्यकता है—संभव है सम्मेलन में मतैक्य प्रकट हो सके—सूचियों में संशोधन किया जा सकता है; क्या केन्द्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है, क्या केन्द्र तथा राज्यों के बीच केन्द्रीय करों की वितरण व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है तथा इसी प्रकार की अन्य समस्याएं। यह आपके दल की सरकार हो सकती है, कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) दल की सरकार हो सकती है अथवा किसी अन्य दल की सरकार हो सकती है। फिर भी, 23 राज्यों में से केवल एक राज्य में मार्क्सवादी सरकार है। यह किसी एक दल की सरकार अथवा अन्य दल की सरकार का प्रश्न नहीं है। यह तो राज्य सरकारों के अच्छे तथा सुचारु रूप से कार्य करने का प्रश्न है जिससे कि हमारी जनता का और अधिक भला हो सके, जिससे कि राज्य सरकारों के पास उपलब्ध धन में कमी के कारण विकास कार्यों में बाधा न पड़े, जिससे कि राज्य सरकारों को प्रत्येक समय सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुदान मांगते हुए यह न कहना पड़े कि "कृपया हमें मदद दीजिए, अन्यथा हमारी सभी परियोजनाएं, हमारे सभी विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न हो जाएगी।"

[श्री चन्द्रजीत यादव]

इस सब को दृष्टि में रखते हुए, मैं यह कहूंगा कि इस प्रस्ताव पर हमें गम्भीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है और मैं आशा करता हूं कि सरकारी पक्ष तथा सत्तारूढ़ पार्टी इसे राजनैतिक मुद्दा नहीं बनाएंगी। वरन सभी राज्य सरकारों तथा मुख्य मंत्रियों की सहमति से समय निर्धारित करके एक सम्मेलन का आयोजन करने पर विचार करेंगी और क्योंकि यह एक व्यापक विषय है इसलिए सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के नेताओं तथा उनके प्रतिनिधियों को सम्मेलन में आमंत्रित किया जाना चाहिए ताकि हमारे संघीय ढांचे की कार्य प्रणाली तथा पिछले 33 वर्षों के दौरान केन्द्र और राज्य के संबंधों की गम्भीरता पूर्वक समीक्षा की जा सके। यदि आवश्यक हो तो हमें अपेक्षित परिवर्तनों के लिए भी सहमत हो जाना चाहिए ताकि हमारे संविधान का संघीय ढांचा और हमारी संसदीय प्रजातंत्र मजबूत सके।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने सदन में इस प्रस्ताव पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए यथेष्ट समय दिया।

*श्री इरा मोहन (कोयम्बटूर) : मैं अपने दल द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से राज्यों को अधिक शक्तियां दिए जाने की मांग सम्बन्धी श्रीमती सुशीला गोपालन के प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सबसे पहले मैं सुस्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहूंगा कि राज्यों को और अधिक शक्तियां दिए जाने का प्रश्न किसी एक ही राजनैतिक दल का नहीं है। चाहे वह द्रविड़ मुनेत्र कषगम हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी अथवा जनता पार्टी हो या लोकदल जो राज्यों को अधिक शक्तियां देने की मांग कर रहा है मैं यह बात निर्भीक होकर कहूंगा कि यह किसी एक राजनैतिक दल का मामला नहीं है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रजातन्त्र के रक्षक कहे जाते हैं, हमारे देश के प्रधान मंत्री थे, तब राज्यों को अधिक शक्तियां प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम आह्वान डा० बी० सी० राय, जैसे महान व्यक्ति जो उस समय बंगाल के मुख्य मंत्री के द्वारा किया गया था। मेरे राज्य में अरिगनार अन्ना तथा उनके बाद केलैगनार करुणानिधि जो तमिलनाडू, के मुख्य मंत्री बने तो राज्यों को अधिक शक्तियां प्रदान करने का मामला उठाया था। पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, स्वर्गीय सरदार गुरनाम सिंह और श्री प्रकाश सिंह बादल ने भी राज्यों को अधिक शक्तियां दिए जाने के मामले पर बल दिया था। जम्मू और कश्मीर के मुख्य मंत्री शेख अब्दुल्ला ने भी राज्यों को अधिक शक्तियां प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया था। कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्य मंत्री और इस समय पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री, श्री वीरेन्द्र पाटिल भी राज्यों को अधिक शक्तियां प्रदान किए जाने के पक्ष में थे। हम इस मामले में ऐसे वरिष्ठ, राजनतिक नेताओं के विचारों को नजर अन्दाज नहीं कर सकते।

द्रविड़ मुनेत्र कषगम चाहता है कि राज्यों को अधिक शक्तियां दी जाएं। इस मामले में 'द्रमुक' का यह मत है कि केवल शक्ति का उपयोग मनोरंजन के लिए नहीं वरन् इन शक्तियों के उपयोग अधिकतम कल्याण के लिए हो। भारत भिन्नता में एकता का उत्कृष्ट उदाहरण है। विभिन्न सांस्कृतिक

*मूल तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

विचार धारा तथा भौगोलिक रूप रेखाएं भी इस बात की आवश्यकता पर बल देती हैं कि राज्यों को अधिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिएं। दरअसल यह भौगोलिक अनिवार्यता ही है। हम राज्यों के लिए अधिक शक्तियां देने की मांग कर केन्द्र को दुर्बल नहीं करना चाहते। केन्द्र इतना मजबूत होना चाहिए कि वह सेना विदेश व्यापार, विदेश संबंधों और ऐसे अन्य राष्ट्रीय महत्व के मामलों सम्बन्धी प्रशासन कारगर ढंग से चला सके, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि छोटे-छोटे मामलों पर ही केन्द्रित रहकर बड़े महत्व के राष्ट्रीय मामलों को नजर अन्दाज कर दिया जाए। अपने मत को स्पष्ट करने के लिए मैं एक छोटा-सा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर में तो काफी पानी है लेकिन दक्षिण में सूखाग्रस्त क्षेत्र है। यदि राज्य सरकार सूखे क्षेत्र में पानी ले जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर दो फुट चौड़ी पुलिया बनाना चाहे तो उसे केन्द्र से अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी। इसके बीच 30 फुट चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार अपनी इच्छा से यहां कोई कार्य नहीं कर सकती। मैं आशा करता हूं कि यह सदन इस बात से सहमत होगा कि केन्द्र के हाथों में ऐसी शक्तियों का संकेन्द्रण होने से अत्यधिक विलम्ब और अनावश्यक खर्चा होता है।

केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर कभी ना समाप्त होने वाले वाद-विवाद की निरर्थकता को देखते हुए तमिलनाडू, में 'द्रमुक' सरकार ने इन मामलों पर विचार करने तथा निर्णय लेने के लिए राजा मन्नार समिति का गठन किया। इस समिति के चेयरमैन, श्री राजामन्नार, सदस्य श्रीचन्द्र रेड्डी और श्री ए० आर० मुदालियार का किसी भी राजनैतिक दल से कोई सम्बन्ध नहीं था। उनमें से दो विख्यात न्यायविद तथा अन्य सांविधानिक विशेषज्ञ थे। इन तीनों अनुभवी विशेषज्ञों ने अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन किया तथा इस मामले पर गहराई से विचार किया कि केन्द्रीय सरकार के हाथों में कौन-सी शक्तियां केन्द्रित हैं और केन्द्र किन शक्तियों को राज्य सरकारों को सौंप सकता है जिससे केन्द्र कमजोर न पड़ने पाए। तथा दो वर्षों के कठोर परिश्रम के उपरान्त समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी। तमिलाडू, विधान सभा में राजामन्नार रिपोर्ट पर पुनः वाद-विवाद हुआ और फिर राज्य सरकार ने इसे केन्द्रीय सरकार के पास भेज दिया। इस रिपोर्ट में तत्सम्बन्धी सभी मामलों पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी केन्द्र-राज्य सम्बन्धों तथा राज्यों को और अधिक शक्ति प्रदान किए जाने की आवश्यकता पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

इस पृष्ठभूमि में यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य की स्वायत्तता की मांग का अर्थ केन्द्र से अलग होना नहीं है। जब द्रविड़ मुनेत्र कषगम राज्य की स्वायत्तता की बात कर रहा था, तब कुछ राजनैतिक दलों—जिनका यहां मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा—ने यह झूठा आरोप फैलाया कि द्रविड़ मुनेत्र कषगम राज्य की स्वायत्तता के बहाने अलग होना चाह रहा है। और यदि राज्यों को अधिक शक्तियां दे दी गई तो तमिलनाडू भारतीय संघ से अलग हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा दल क्षेत्रीय दल है। लेकिन हम केवल तमिलनाडु के लिए ही अधिक शक्तियों की मांग नहीं कर रहे थे। हम भारतीय संघ के सभी राज्यों के लिए अधिक शक्तियां मांग रहे हैं। चाहे वह राज्य कम्युनिस्ट पार्टी, जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी के शासन में हों। जिन्होंने हम पर इस राष्ट्र विरोधी रवैये का

[श्री इरा मोहन]

आरोप लगाया था उन्होंने हमारी मांग को भली भांति नहीं समझा। 1962 के चीनी आक्रमण के समय जब राष्ट्र खतरे में था तब द्रविड़ मुनेत्र कषगम ने राष्ट्रीय एकता के हित के लिए अपनी पूर्व प्रचारित मांग "द्रविड़नाडु द्रविड़ों के लिए" को बिना शर्त छोड़ दिया था। हमने यह महसूस किया कि राष्ट्र की मुख्यधारा से अलग होने के स्थान पर राष्ट्रीय एकता अधिक महत्वपूर्ण है। मैं यह दृढ़पूर्वक कहूंगा कि द्रविड़ मुनेत्र कषगम यदि राज्य की स्वायतत्ता की मांग करता है तो किसी भी अर्थ में इसे अलहदगी नहीं माना जाना चाहिए। श्री बी० सी० राय, जिन्होंने राज्य को अधिक शक्तियां देने की मांग की थी, क्या हम कह सकते हैं कि वह अलहदगी के समर्थक थे। क्या हम कह सकते हैं कि अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्होंने शक्ति के विकेन्द्रीकरण की पुष्टि की थी वह अलहदगी के समर्थक थे। बंगला देश की स्वतंत्रता की लड़ाई के समय, उस समय के हमारे मुख्य मंत्री डा० कलैगनार करुणानिधि ने तमिलनाडु की जनता से 6.5 करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, जो उस समय देश में सबसे अधिक इकट्ठी की गई राशि थी, तथा उसे उन्होंने हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को भेंट किया। राज्यों के लिए अधिक शक्ति की मांग इस तर्क पर आधारित है कि केन्द्र में मजबूत सरकार के साथ स्वायत्तता प्राप्त राज्य संघ रूप में कार्य करें।

मैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा :

"यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि ऐसी परिषद की स्थापना से लोक-हित की सिद्धि होगी, जिस पर—

(क) राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो चुके हों उनकी जांच करने और उन पर मंत्रणा देने;

(ख) कुछ या सब राज्यों के, अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के पारस्परिक हित से संबद्ध विषयों का अनुसंधान और चर्चा करने; अथवा

(ग) ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने, और विशेषत: उस विषय के बारे में नीति और कार्यवाही के अधिकतर अच्छे समन्वय के हेतु सिफारिश करने; का भार हो तो राष्ट्रपति के लिए यह विधि-संगत होगा कि वह आदेश द्वारा ऐसी परिषद की स्थापना करे तथा उस परिषद के द्वारा किए जाने वाले कर्त्तव्यों के स्वरूप को और उसके संघटन और प्रक्रिया को परिभाषित करे।"

स्वतंत्रता के 33 वर्षों के उपरान्त इस संवैधानिक उपबंध को वास्तव में लागू नहीं किया गया है। पंचवर्षीय योजनाओं पर विचार करने और बनाने के लिए हमारे पास राष्ट्रीय विकास परिषद है। केन्द्र और राज्य के बीच राष्ट्रीय संसाधनों के बंटवारे के लिए वित्तीय आयोग है जिसका हर पांचवे वर्ष गठन किया जाता है। प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार यदि आवश्यक हो तो राज्यों को अधिक शक्तियां प्रदान करने के विषय पर एक राष्ट्रव्यापी विचार-विमर्श होना चाहिए और फिर उस पर निर्णय किया जाना चाहिए। अत: सबसे पहले यह आवश्यक हो जाता है कि सबसे पहले संविधान में इस अन्तर्राज्यीय परिषद की रूपरेखा खींचनी पड़ेगी।

इस विचार-विमर्श के समय कुछ अटकलें लगाई गईं थी कि यदि राज्यों को अधिक शक्ति दे

दी गई तो राज्य उसका दुरुपयोग करने लगेंगे। कुछ राज्य वर्तमान शक्तियों में भी कभी-कभी अनिश्चित-सा व्यवहार करते हैं। तो अधिक शक्ति प्राप्त राज्यों की कौन देख-रेख करेगा। उन राज्यों के बारे में विचार करने के लिए किस प्रकार के प्राधिकरण की स्थापना की जा सकती है जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं? विचार-विमर्श के दौरान यह सवाल उठाए गए थे। मैं यह महसूस करता हूं कि हम अपनी जनता की क्षमता का सही मूल्यांकन नहीं कर पाते। यदि पिछले तीन-चार वर्षों में हुए राजनैतिक परिवर्तनों को पल भर के लिए देखा जाए, तो सत्ता में हुए राजनैतिक परिवर्तनों को भांप लेने के जोश और उत्साह की सराहना करनी होगी। यदि कोई राज्य सरकार गड़बड़ी करे तो जनता उसे क्षण भर में सत्ता से हटा देगी। हाल ही में हुए चुनाव, जनता की क्षमता का एक ज्वलंत उदाहरण है। यह कहना अनुचित होगा कि राज्य इन शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे। हम इन बेबुनियाद बातों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। यह बहुत जरूरी है कि हम संवैधानिक विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करें जो राज्यों को अधिक शक्ति देने के प्रश्न पर गंभीरता से विचार करके एक नियत निष्कर्ष पर पहुंच सके। इस सदन को देश की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वसत्ता सम्पन्न होने के नाते, सरकार को निदेश देना चाहिए कि वह अन्तर्प्रान्तीय परिषद का गठन करके संविधान के अनुच्छेद 263 को लागू करे जिससे हम अन्तहीन विवाद में ना पड़े।

इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस वाद-विवाद में भाग लेने का मौका दिया।

श्री शिवराज वी० पाटिल (लातूर) : इस संकल्प में संघवाद की परिकल्पना तथा राज्यों को ज्यादा वित्तीय शक्तियां और स्वायत्तता देने की बात कही गई है।

मैं नहीं समझ पाया कि संघवाद की सही परिकल्पना का क्या तात्पर्य है। हम संघवाद की परिभाषा किस प्रकार करेंगे। विश्व में यह कहां कहां है? अमरीका और सोवियत संघ दोनों ही अपने यहां संघ प्रणाली की सरकार का दावा करते हैं। कनाडा में भी संघवाद है। भारत में भी शान्ति काल में संघात्मक व्यवस्था चलती है। लेकिन युद्ध काल, जैसे कि आपातकाल में संघात्मक व्यवस्था नहीं थी हमारे यहां एकात्मक संस्था है। अतः संघवाद की सही परिकल्पना क्या है? क्या हम अमरीकी प्रणाली को असली संघवाद कह सकते हैं अथवा सोवियत रूस में विद्यमान व्यवस्था का असली संघवाद कहेंगे, अथवा कनाडा में संघवाद की सही परिकल्पना है। हमारे देश में विद्यमान व्यवस्था को संघीय ढांचा कह सकते हैं? यही प्रश्न हमारे सम्मुख है।

संघवाद की परिकल्पना हर जगह और विश्व में अलग-अलग स्थानों पर एक जैसी नहीं हो सकती। हमारे देश में एक तरह का संघवाद हो सकता है दूसरे देशों में दूसरी तरह का।

अमेरिका इसलिए अस्तित्व में आया कि वहां विद्यमान राज्य मिलकर एक हो जाए और इस प्रकार वहां सरकार बन गई। सोवियत रूस में ऐसा ही हुआ। लेकिन हमारे देश का इतिहास कुछ भिन्न है। प्राचीन काल में हमारा देश रियासतों में विभाजित था। लेकिन अंग्रेजों के आने के परिणाम-स्वरूप देश का काफी बड़ा हिस्सा अंग्रेजी हुकूमत के अधीन आ गया। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो देश का यह सभी भाग स्वतंत्रता के बाद बनी सरकार को सौंप दिया गया। यह भी ठीक है कि कुछेक रियासतें बाद में हमारे देश में शामिल हो गयी। लेकिन उस समय देश के काफी बड़े हिस्से की

[श्री शिवराज वी० पाटिल]

बागडोर एक ही शासन के अधीन थी। पुनर्गठन से पहले जो राज्य अस्तित्व में थे, उनमें अलग-अलग भाषाएं बोली जाती थीं। हां, उनका ढांचा एक-सा था। लेकिन उनकी संस्कृति समान नहीं थी। उनमें भिन्नता थी। बाद में हमारे देश का पुनर्गठन किया गया और इस व्यवस्था की शुरूआत हुई।

यदि आप आज हमारे देश में यहां के ढांचे में परिवर्तन करना चाहें और राज्यों को अधिक वित्तीय शक्तियां या स्वायतत्ता देना चाहें, तो यह करन हमारे लिए तब तक संभव नहीं होगा, जब तक कि हमारे संविधान में बड़े पैमाने पर संशोधन न किए जाएं। जब तक हम अपने संविधान के उपबंधों में पर्याप्त परिवर्तन न करें, यह संभव नहीं होगा।

संयुक्त राज्य अमेरिका में जनता द्वारा चुनी जाने पर कार्यपालिका चार साल तक सत्ता में रहती है। वह बिना किसी बाधा के चार वर्ष तक लगातार सरकार चला सकती है।

सोवियत रूस में प्रेजीडियम में विभिन्न राज्यों के चेयरमैन होते हैं। इस से एक दूसरे से जुड़े रहने की भावना बनी रहती है। लेकिन क्या हमारे देश में कार्यपालिका में मुख्य मंत्री का प्रतिनिधित्व के बिना इस प्रकार की सरकार है। हमारे लिए राज्यों, केन्द्र और देश के अन्य भागों के लिए नीतियां तैयार करना संभव नहीं होगा। अतः यह समझ लेना बहुत ही जरूरी है कि हम कनाडा की व्यवस्था या यह व्यवस्था अपना रहे है जोकि हमारे यहां के अनुकूल है। मैं यह नहीं कहता कि हमारे संविधान में कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रश्न यह है—क्या हम इस प्रकार अपने संविधान में संशोधन करने की स्थिति में हैं? संविधान में संशोधन करने की कोशिश की गई थी और हम जानते ही हैं क्या हुआ था। यह सर्व विदित ही है कि हमने संविधान में जो भी अच्छे उपबन्ध करने की कोशिश की थी, वे जनता को मान्य नहीं थे। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए जो उन लोगों के लिए सहायक हैं जिनके पास जीवित निर्वाह के साधन, भोजन, आवास, शिक्षा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं; लेकिन हमारे संविधान में साधन रहित मनुष्य के जीवन निर्वाह, आवास, शिक्षा और अन्य बातों के लिए कोई मौलिक अधिकार नहीं दिए गए हैं। हमारे संविधान के इस उपबन्ध को बदलने के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। जब संविधान को अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश की गई, जिससे कि सरकार संविधान के अन्तर्गत गरीब लोगों की सहायता कर सके, तो उसके विरोध में काफी शोर-शराबा हुआ।

संविधान के प्रत्येक संशोधन पर विचार किया जा सकता है। हम आपको दिखा सकते हैं कि दूसरे देशों के संविधानों में इसी प्रकार के उपबन्ध हैं लेकिन उन्हें हम अपने यहां नहीं अपना सकते। क्यों? अब प्रश्न यह है कि क्या हम संविधान में इस तरह से संशोधन कर सकते हैं जिससे कि राज्यों को अधिक वित्तीय शक्तियां तथा अधिक स्वायत्तता दी जा सके और हमारे देश में अलग प्रकार की व्यवस्था हो। मैं समझता हूं कि यह बात इस सभा के काफी सदस्यों और बाहर अन्य लोगों को मान्य नहीं होगी। आप 'ज्यादा वित्तीय शक्तियों' के दिए जाने की बात करते हैं, लेकिन किस प्रकार की अधिक वित्तीय शक्तियां? राज्यों को तो पहले ही वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं परन्तु क्या राज्य अपने वित्तीय साधनों को बढ़ाने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं? मुझे यह कहते हुए खेद नहीं है। सभी राज्य अपने राजकोष को बढ़ाने के लिए उपलब्ध वित्तीय शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे। जब यह स्थिति है तो वे चाहते क्या हैं? क्या उन्हें लोगों पर कर लगाने के लिए अधिक शक्तियां चाहिए जबकि अभी

यह शक्ति केन्द्र के पास हैं। अगर मैं ठीक समझ पाया हूं तो शायद यही बात है। अगर उन्हें कर लगाने की ज्यादा शक्तियां चाहिए और उन्हें ये शक्तियां यदि दे दी जाएं तो प्रश्न यह आता है कि उन विषयों का क्या होगा जो कि केवल केन्द्रीय सरकार के अधीन आते हैं? यही प्रश्न सामने आता है। रक्षा रेलवे और अन्य विभाग ऐसे हैं जो केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत। यदि हम राज्यों को अधिक शक्तियां दे देते हैं, तो रक्षा विभाग का क्या होगा? क्या इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा? रेलवे का क्या होगा? यह राशि उपलब्ध होने की बात नहीं हैं, हम राज्यों को राशि नहीं दे रहे हैं। बात यह नहीं है राशि बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। जितनी भी राशि उपलब्ध होती है उसे राज्यों और केन्द्र के मध्य बांट दिया जाता है। प्रस्ताव पर एक और आपत्ति यह है कि अगर राज्यों को अधिक वित्तीय शक्तियां दे दी जाएं, तो क्या साधनहीन राज्यों को नुकसान नहीं होगा। क्या यह बात नहीं है? मेरे राज्य —महाराष्ट्र राज्य—से आयकर आदि के रूप में काफी राजस्व, केन्द्रीय राजकोष में दिया जाता है। शायद पश्चिम बंगाल की भी यही स्थिति है। यदि ये राज्य यह मांग करें कि वह जो कुछ केन्द्र को देते हैं उन्हें भी वही दिया जाना चाहिए तो अल्प साधनों के राज्यों का क्या होगा? अतः राज्यों को अधिक वित्तीय शक्तियां देने से हम अल्पसाधनों वाले राज्यों के हितो को नुकसान पहुंचाएंगे।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें। मुझे सभा की राय जाननी है। इस चर्चा के लिए दो घंटे का समय निर्धारित था।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : समय बढ़ाना चाहिए।

सभापति महोदय : यही मैं सभा से पूछ रहा हूं। 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया था। मुझे काफी सदस्यों ने पर्चियां भेजी हैं। मेरे पास वक्ताओं की काफी बड़ी सूची है। इस चर्चा में कई सदस्य भाग लेना चाहते हैं। यदि सभा सहमत हो, तो हम समय बढ़ा सकते हैं और चर्चा को जारी रख सकते हैं। संकल्प के लिए अब हमारे पास एक घंटा और पन्द्रह मिनट का समय शेष है। मैं सभा की राय जानना चाहता हूँ। कुछ और संकल्प भी चर्चा के लिए हैं लेकिन इस महत्वपूर्ण संकल्प पर चर्चा में काफी सदस्य भाग लेना चाहते हैं। अतः मैं इसे सभा के समक्ष रख रहा हूं। अगर सभा सहमत हो तो हम इस चर्चा को जारी रख सकते हैं और अगले सत्र में भी यह जारी रखी जा सकती है।

श्री के० ए० राजन : (त्रिचूर) यह बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है। इस चर्चा में काफी सदस्य भाग लेना चाहते हैं। परन्तु मुझे कुछ संदेह है, समय बढ़ाए जाने सम्बन्धी नियमों में कुछ सीमाओं की व्यवस्था है।

सभापति महोदय : इसीलिए मैं सभा की राय जानना चाहता हूँ। कई सदस्यों ने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि यह एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और वे इसमें भाग लेना चाहते हैं।

श्रीके० ए० राजन : 4 घंटे का समय निर्धारित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री वेंकट सुबैया क्या आप कुछ प्रस्ताव रखना चाहेंगे कि इस संकल्प के लिए कितना समय निर्धारित किया जाए।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुबैया) : इसे और 2 घंटे जारी रखा जा सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

सभापति महोदय : क्या हम और 2 घंटे जारी रख सकते हैं ? इसका मतलब है कि चर्चा कुल मिलाकर 4 घंटे की होगी । आज हम इस पर 6.0 म० म० बजे तक चर्चा करेंगे । इस प्रकार हम इस चर्चा को आज पूरी नहीं कर पायेंगे । हम इसे अगले सत्र में जारी रखेंगे । अब, पाटिल अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

श्री शिवराज वि० पटिल : महोदय, मैं कह रहा था कि यदि राज्यों को अधिक वित्तीय शक्तियां दे दी जाएं तो अधिक साधन सम्पन्न राज्यों को लाभ होगा । किन्तु जिन राज्यों के पास वित्तीय संसाधन नहीं हैं, उन्हें नुकसान होगा । इस समय हम नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं । परन्तु हमारे देश में हम शायद इसके विपरीत प्रस्ताव रख रहे हैं ।

इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि जैसाकि मैंने कहा है, यदि उन्हें अधिक वित्तीय शक्तियां दे दी जाएं तो केवल अधिक साधन सम्पन्न राज्य ही इससे लाभान्वित होंगे, निश्चय ही कम साधन वाले राज्यों को नुकसान होगा क्योंकि वे साधन सम्पन्न नहीं हैं और साधन सम्पन्न न होने से वे अपने राज्य के गरीब जरूरतमंद लोगों की सहायता नहीं कर पायेंगे । इसीलिए मैं समझता हूं कि अधिक वित्तीय शक्तियां दिए जाने से समस्या का समाधान नहीं होगा । अतः, इस समय देश में इस बात की आवश्यकता है कि वित्त की अधिक व्यवस्था की जाए यदि आप शक्तियां बांट देते हैं । तो समस्या हल नहीं होगी । लेकिन यदि आप अधिक वित्त की व्यवस्था करें तो शायद समस्या हल हो सकती है । प्रश्न यह है कि वित्त का वितरण किस प्रकार किया जाए । हम ऐसा उपाय निकाल सकते हैं जिससे कि न्याय संगत आबंटन किया जा सके । हम उन राज्यों को ज्यादा दे सकते हैं, जिन्हें ज्यादा आवश्यकता है । इसके साथ ही हम उन राज्यों से ज्यादा ले सकते हैं जो कि ज्यादा दे सकती है और यदि हम यह सिद्धान्त अपनाएंगे तो सभी राज्यों को बराबरी पर लाने के प्रश्न का समाधान हो जाएगा तथा जरूरतमंद लोगों की समस्या का समाधान भी हो जाएगा ।

इस संकल्प में अधिक स्वायत्तता दिए जाने के बारे में भी कहा गया है । किस प्रकार की अधिक स्वायत्तता अपेक्षित है । यह प्रश्न भी पूछा जाना है संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यों को अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं किन्तु हमारे देश में राज्यों को अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त क्यों नहीं हैं । श्री छागला जैसे व्यक्ति ने इस पर एक लेख लिखा है और उन्होंने प्रयत्न भी किया है कि शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में रखा जाये । उन्होंने ऐसा क्यों किया ? इसीलिए किया कि हमारे देश में शिक्षा के बारे में समान नीति नहीं अपनाई जा सकी और देश के एक भाग का शिक्षा स्तर दूसरे भाग के स्तर के समान नहीं हो सका है । कई बार दीर्घकालीन परिप्रेक्ष को ध्यान में रखे बिना और उसके परिणामों को समझे बिना ही राज्य सरकारें स्थानीय परिस्थितियों, स्थानीय इतिहास और स्थानीय संस्कृति पर जोर देती हैं, परिणामतः प्रांतीयता की भावना उभरने लगी है । इस प्रकार प्रांतीयता की विचारधारा को समाप्त करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सम्पूर्ण देश के लिए कुछ बेहतर कार्य किया जाये, इस विषय को राज्य सूची से केन्द्र सूची में अंतरित करने का प्रस्ताव रखा गया था । ऐसा किया गया और उस पर आपत्ति भी की गई थी । यह कहा गया कि केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को पर्याप्त विधायी शक्तियां प्रदान नहीं की ऐसे उनके विषय हैं, जिनके सम्बन्ध में राज्य

कानून भी नहीं बनाना चाहते और कभी कहते हैं क्योंकि वे विषय समवर्ती सूची में शामिल हैं इसलिए उनके सम्बन्ध में केन्द्रीय विधान मंडल ही कानून बनाए और फिर ये कानून उन्हें भेज दिये जायें वे उन विषयों के सम्बन्ध में कानून नहीं बनाते, यद्यपि कानून बनाने की शक्ति उनके पास है। स्थिति यह है, उन्हें और विधायी शक्तियां देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अब मैं कार्यपालिका शक्तियों की चर्चा करूंगा। इस संबंध में मैं अमेरिका परिस्थितियों और उनके ढांचे का उल्लेख करना चाहूंगा और यह बताना चाहूंगा कि वहां क्या प्रक्रिया अपनायी जा रही है। क्योंकि जब हम संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, तो हम अमेरिका का हवाला देते हैं। अमेरिका में जब किसी अश्वेत व्यक्ति को किसी स्कूल में दाखिला लेना होता है और वह उसे नहीं मिलता तो संघीय सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी संघीय शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है कि उसे स्कूल में प्रवेश मिल जाए। अपेक्षित होने पर संघीय कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार की व्यवस्था हमारे संविधान में भी है। पहले यह व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं थी किन्तु अब संविधान में हमने संशोधन कर दिया है, और उसमें हमने कहा है कि संघ कार्यपालिका के पास यह सुनिश्चित करने के लिए शक्ति होगी कि केन्द्र संघ की संपत्ति की सुरक्षा हो तथा देश के हितों को हानि पहुचने वाली घटनाएं न हों वह अपने सुरक्षा कर्मचारियों को राज्यों में भेजेगा। इस प्रकार का यह संशोधन यहां भी किया गया है। जैसाकि मैंने बताया अमेरिका में भी संघीय सरकार द्वारा शक्ति प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य में किया जाता है कि अश्वेत व्यक्ति को स्कूल में दाखिला मिल जाए कुछ दिन पहले इसी सभा में हमने इस विषय पर चर्चा की थी, कि हरिजनों पर किस प्रकार अत्याचार किये जा रहे है।, और यहां पर किस प्रकार के विचार व्यक्त किये गये यह विचार व्यक्त किया गया था कि यदि राज्य सरकारें हरिजनों, सबसे कमज़ोर वर्गों, निम्नतम वर्गों के हितों की रक्षा नहीं कर पा रही हैं, तो केंद्रीय सरकार को आना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके हितों और उनके जान-माल की रक्षा हो। सामान्यत: यही प्रवृति है, इससे स्पष्ट हो जाता है लोग क्या सोचते हैं। यदि राज्य सरकार कुछ निहित स्वार्थों के पास उपलब्ध किसी उपभोक्ता सामग्री की जमारखोरी को नहीं रोक रही हो और उसे अत्यधिक जरूरत मंद लोगों को उपलब्ध न करा पा रही हो, तो क्या किया जाना चाहिए ? क्या केंद्रीय सरकार चुपचाप बैठी देखती रहे और इस दिशा में कोई कदम न उठाए ? इसकी बिल्कुल भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है, यदि राज्य सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, तो केंद्रीय सरकार को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। यही कारण है कि कार्यपालिका शक्ति भी केंद्र को ही दी गई है।

इसके बाद अब मैं योजना के बारे में कहना चाहूंगा। वास्वत में योजना क्या है हमने सबसे निचले स्तर से योजना पर विचार करना शुरू कर दिया है, किन्तु यदि हम केवल निचले स्तर पर ही योजना बनाने पर ही विचर करते रहें और अधिक व्यापक परिप्रेक्ष में योजना बनाने पर विचार ही न करें और यदि समस्त देश के लिए दीर्घकालीन योजना बनाने के बारे में विचार न करें तो योजना का प्रयोजन ही निष्फल हो जाएगा। इसलिए सार्थक योजना तभी सम्भव है, जब योजना केन्द्र द्वारा ही बनायी जाए। इसके कुछ प्रमाण हो सकते हैं, कुछ शक्तियां हम राज्यों और स्थानीय स्तर तक भी उपलब्ध करवा सकते हैं, किन्तु यदि हम केवल ऐसी ही योजना बनाएं और अपनी जनता की अगले

[श्री शिवराज वी० पाटिल]

दस, बीस या पचीस वर्षों की समग्र रूप से आवश्यकताओं पर विचार नहीं करें, तो हमारी योजना निरर्थक हो जाएगी। यदि आप व्यापक और बड़े पैमाने पर योजना बनाना चाहते हों, तो इस स्तर पर केंद्रीय सरकार ही योजना बना सकती है; राज्य स्तर पर ऐसी योजना नहीं बन सकती है। यदि आयोजना की यह अवधारणा स्वीकार्य हो तो इसके लिए यह आवश्यक है कि राज्यों को अधिक स्वायत्तता न दी जाए।

महाराष्ट्र ने उद्योगों के विकास के मामले में महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। पंजाब ने कृषि को काफी उन्नत बनाया है। यदि हम पंजाब की कृषि और महाराष्ट्र के उद्योगों पर ध्यान न दे रहे है। और पंजाब महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल को स्वयत्तता न दे रहे हों और यदि आप चाहते हों कि उद्योग, कृषि, पशु-पालन और सभी क्षेत्रों का विकास पंजाब, पश्चिमी बंगाल और महाराष्ट्र में ही हों, तो इसका अर्थ यह होगा कि हम अपने संसाधनों को बरबाद कर रहे हैं। इससे कोई लाभ नहीं होगा। परस्पर निर्भरता का सिद्धान्त और विचारधारा का का भी विकास होना चाहिए। यदि हमारे देश में इस प्रकार की विचारधारा नहीं विकसित होती, तो हमें उससे नुक्सान होगा। यदि आप यह देखना चाहते हो कि उस प्रकार की विचारधारा, और सिद्धान्त हमारे देश में विकसित हों तो यह आवश्यक है कि केन्द्र के पास अधिक शक्ति होनी चाहिए। यदि आप वितरण और विकेन्द्रीकरण करते चले जायेंगे, तो इससे हमें कोई लाभ न होगा।

काफी समय पहले ऐसा हुआ था कि हमने स्थानीय शासन आदि को अधिक शक्तियां देने का विचार किया था। उस समय दूर-दूर के स्थानों तक निर्धारित समय में सम्पर्क स्थापित कर पाना सम्भव नहीं था। किन्तु आज उपलब्ध तीव्रगामी संचार साधनों की सहायता से हम किसी भी कठिनाई को दूर कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की स्थिति को नियन्त्रण में ला सकते हैं, देश के किसी भी भाग किसी भी प्रकार की संभाव्य घटना का सामना करने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। हम विकेन्द्रीकरण के बारे में सोच रहे हैं किन्तु हमारे लिए यह आवश्यक है—प्रौद्योगिक और विज्ञान के इस युग में जब हम बहुत दूर के स्थानों के बारे में भी जान सकते हैं—हम यह सुनिश्चित करें कि शक्ति केन्द्र के ही पास हो। यदि हम राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने के बारे में कहते हैं, तो हम पूरे राष्ट्र को नहीं देखते। सबसे पहले हमें देश को देखना है और फिर राज्यों के बारे में सोचना है, यदि हम समग्र राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, और राज्यों को राष्ट्र से अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं मानते। तो इस देश में कोई भी यह नहीं चाहेगा कि राज्यों के पास अब जितनी शक्तियां हैं उनसे अधिक उन्हें प्राप्त हों।

श्री बृजमहोन महंती (पुरी) : महोदय, मैंने इस संकल्प को पढ़ा है, दुबारा भी पढ़ा है। इस संकल्प में शमिल वास्तविक संघात्मकता की परिकल्पना देश के भविष्य के लिए अत्यंत घातक है।

वास्तविक संघात्मकता की क्या परिकल्पना है, इसके लिए हमें अमरीकी संविधान के सिद्धांतों की खोज बीन नहीं करनी होगी। पिछले 30 वर्षों से इस मामले के बारे में विभिन्न मंचों के माध्यम से प्रचार और विचार विमर्श किया जा रहा है। अंततः एक निश्चित विचार उभर कर सामने आया है, राज्यों को अधिक शक्तियां प्रदान करने का अर्थ है कि हमारे संविधान के पूरे ढांचे में परिवर्तन करना। मेरा निवेदन है कि भारतीय संविधान में संघात्मकता को जिस रूप में परिकल्पित

किया गया है, वह भारतीय संविधान का मूल स्वरूप है। उस स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन ग्राह्य नहीं है और संसद भी ऐसा नहीं कर सकती। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने भी यही कहा है।

इसमें अन्तर्निहित विचार क्या हैं? विचार यह है कि अनुच्छेद 356 और 357 को रद्द कर दिया जाए। इसका अभिप्राय यह है कि राष्ट्रपति के पास विधान सभाओं को भंग करने तथा राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति नहीं रहेगी। अनुच्छेद 248 का संशोधन किया जाएगा, और यह मांग भी की जा रही है कि अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को सौंप दी जाएं। अनुच्छेद 249 संशोधन किया जाएगा जिसमें यह उपबन्ध है कि विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार राज्य के विषयों के सम्बंध में कानून बना सकती है। अनुच्छेद 256 और 257 को समाप्त कर दिया जाएगा। इन उपबंधों में इस बात की व्यवस्था है कि केन्द्रीय सरकार को, कानून का निष्ठा से कियान्वयन करवाने हेतु राज्य सरकारों को निदेश देने की शक्तियां और अधिकार प्राप्त हैं।

अत: इन सभी अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा। साथ ही यह मांग भी की गयी है कि अनुच्छेद 275 को या तो निकाल दिया जाना चाहिए अथवा उसमें ऐसा संशोधन किया जाना चाहिए, जिससे अन्य बातों के साथ वह व्यवस्था की जा सके कि सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाला राष्ट्रीय राजस्व संघीय राजस्व राज्यों को दिया जा सके इसके अतिरिक्त, आयकर, निगम कर सभी विभाज्य पूल में आ जाए। यही मांग की गयी है। यह मांग भी की जा रही है कि देश की योजना सम्बन्धी नीति के बनाये जाने में राज्यों की भागीदारी भी होनी चाहिए। ये सभी परिवर्तन पर्याप्त नहीं हैं। यह मांग भी की गयी है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, सभी राष्ट्रीय सेवाओं को समाप्त किया जाना चाहिए। यह मांग की जा रही है कि कानून तथा व्यवस्था जहां तक राज्य का मामला है, औद्योगिक सुरक्षाबल, सीमा सुरक्षाबल, केन्द्रीय आरक्षीबल, ये सभी नहीं रहने चाहिए, क्योंकि इससे राज्य के अधिकारों का अतक्रमण होता है। संघवाद की ऐसी संकल्पना पर देश के एक वर्ग के व्यक्ति बहस कर रहे हैं। इसे यदि शुरू कर दिया गया, तो अन्ततः इसका परिणाम क्या होगा? उस विषय में बहुत से नाजुक मामले अन्तर्निहित हैं। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण मामलों पर दलगत भावना से ऊपर उठकर और ऐसी रण-नीति से ऊपर उठकर विचार किया जाना चाहिए जो विरोधी दल तथा कथित तानाशाही के विरुद्ध लड़ाई के लिए अपना रहे हैं। अन्यथा हमें इतिहास में एक ऐसी पीढ़ी के रूप में जाना जायेगा जिसने देश के टुकड़े कर दिये, जो समाज की अखंडता बनाये रखने में असफल रही और देश भर के विकास के लिए समरूप पद्धति विकसित नहीं कर सकी। इसलिए इस संकल्प पर, इसके दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखकर विचार किया जाना चाहिए। मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं, क्योंकि इससे देश कमजोर होगा और इससे हमारी एकता पर असर पड़ेगा। राज्यों का जहां तक सम्बन्ध है, 1952 में केन्द्र का राज्यों पर कुल ऋण 240 करोड़ रुपये था, अब यह 8000 करोड़ है। पहली योजना के दौरान राज्यों के कुल व्यय में केन्द्र का योगदान 40 प्रतिशत था, जो तीसरी योजना में बढ़कर 60% हो गया। अभी-अभी स्थिति संतोषजनक नहीं है। कोई यदि यह कहे कि राज्यों की आर्थिक दुर्दशा सुधारने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद के मंच पर विचार विमर्श द्वारा आम राय बनाने की आवश्यकता है, तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस रूप में इस बात पर कार्य किया जा रहा है, उसमें एक प्रकार का खतरा है इससे देश के टुकड़े

[श्री ब्रजमोहन महंती]

हो जायेंगे जिस प्रकार के संघीय ढांचे की मांग की जा रही है, उस पर विचार कीजिए। मद्रास उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायधीश श्री राजमन्नार की रिपोर्ट और मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी (बंगाल) के ज्ञापन को देखिए। क्या यही सच्चा संघवाद है, इसका क्या मतलब है ? इससे देश की एकता के मूल पर कुठाराघात होगा। उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क राज्यों को देने से जो स्थिति पैदा होगी, उसकी आप कल्पना कीजिए। आप जानते हैं कि असम सरकार ने असम की न्याय की नीलामी के लिए केन्द्र बनाने का निश्चय किया था और बंगाल सरकार उसे रोकना चाहती थी। इसके बाद हुआ यह कि बंगाल ने चुंगीकर लगा दिया। असम को यह विचार छोड़ना पड़ा। सच्चे संघवाद की यह नयी संकल्पना बहुत से विवाद खड़े कर देगी। असम सरकार उत्पादन शुल्क लगायेगी, तो बंगाल सरकार आयात शुल्क लगायेगी। इसके जवाब में बंगाल सरकार सीमा शुल्क लगायेगी। इस क्रम में असम सरकार निर्यात के लिए चटगांव पत्तन के उपयोग के लिए बंगलादेश सरकार से बात-चीत करेगी। इस तरह के कार्य हो सकते हैं। इनके परिणामों की आप कल्पना कर सकते हैं। नया संघवाद यदि हमारे संविधान का अंग बन गया, तो हमारी संस्थागत राजनीति में क्या परिवर्तन होंगे, उसकी आप कल्पपना कीजिए। मान लीजिए आपने यह निर्णय कर लिया कि 1971 आधार वर्ष होगा जिसके अनुसार यह तय किया जायेगा कि असम में कौन भारतीय नागरिक है और कौन विदेशी नागरिक और असम सरकार उस निर्णय को लागू न करे, तब क्या होगा ? अतः अनुच्छेद 256 और 257 परम आवश्यक है। इस पर दलगत आधार पर चर्चा अथवा बहस नहीं की जानी चाहिए। इस पर राजनीतिक दलों की रणनीति के अंग के रूप में विचार नहीं किया जाना चाहिए। इस पर राष्ट्रीय आमसहमति पैदा की जानी चाहिए। यह बहुत ही नाजुक मामला है। देश में यदि यह भावना पैदा नहीं गयी तो हिन्दी विन्ध्याचल के पार नहीं जा पायेगी। राष्ट्रीय दृष्टिकोण की अपेक्षा संकुचित दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हो जायेंगे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने हमारे संविधान में इस प्रकार की व्यवस्थायें की थी। देश के विभाजन को दृष्टि में रखते हुए यह ठीक समझा गया कि इस देश में केन्द्र की स्थिति मजबूत होनी चाहिए भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि दिल्ली में सरकार जब भी कमजोर पड़ी, तभी देश को विदेशी प्रभुत्व के सामने झुकना पड़ा या फिर देश टुकड़ों में बंट गया। यही कारण है कि मजबूत केन्द्र का विचार पैदा हुआ। भारत के भूतपूर्व न्यायधीश, न्यायमूर्ति महाजन ने हमेशा यह मत व्यक्त किया कि राज्यों के अधिकार अत्यधिक हैं। अन्य बहुत से महत्वपूर्ण न्यायविदों का भी यही विचार है। इस मामले पर राजनीतिक पृष्टभूमि को सामने रखकर विचार किया जाना चाहिए। चीनी आक्रकण के समय सभी दलों ने यह स्वीकार नहीं किया कि यह भारत के विरुद्ध आक्रमण है भारत से अलग होने के लिए लड़ाई करने वाले नागा और मिजो विद्रोहियों को चीनी हथियार दे रहे हैं इसके लिए चीनियों की निन्दा करने के बारे में सभी राजनीतिक दल एकमत नहीहैं। ऐसी शक्तियां है जो देश से अपने को पृथम करने के लिए लड़ रही है। ये शक्तियां देश में फूट पैदा करने और उसे कमजोर वनाने के लिए कार्य कर रही हैं। ये विघटन कारी आन्दोलन है जो कभी धर्म के नाम पर या किसी अन्य बहाने से चलाये जाते है। इनका प्रकार किया जा रहा है। देश को कमजोर बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। मेरे ख्याल से इस संकल्प के प्रस्तुतकर्त्ता ने मामले पर इस रूप में विचार नहीं किया है। इस पृस्ताव को प्रस्तुत करते समय, उनकी मनःस्थिति कुछ ऐसी ही रही

होगी जैसी कि उस बच्चे की जो परिणामों के बारे में सोचे बगैर घास के ढ़ेर में आग लगा देता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को बगैर सोचे समझे इस संकल्प का समर्थन नहीं करना चाहिए। यह वित्तीय व्यवस्थाओं के बारे में राज्यों तथा केन्द्र में पारस्परिक विचार-विमर्श की ही बात नहीं है। कुछ राज्य कमजोर हैं। मेरे राज्य में 71 प्रतिशत लोग गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहते हैं। हम राज्यों को निरंकुश अधिकार या पूर्ण स्वायत्तता दिये जाने के विरुद्ध है यदि यह तरीका अपनाया गया तो अमीर अथवा विकसित राज्य गरीब तथा विकासशील राज्य का शोषण करेंगे। केन्द्र सरकार के संरक्षण में समस्याओं पर विचार किया जाता है और कमजोर राज्यों को संरक्षण दिया जाता है। केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्ध का जहां तक प्रश्न है, संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय निवास परिषद का मंच हमारे पास है जिस पर हम समस्याओं पर विचार कर सकते हैं और राज्यों तथा केन्द्र के बीच विरोध पर विचार कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : माननीय सदस्य श्रीमती सुशीला गोपालन द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प का समर्थन करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता है।

संकल्प पर बोलते हुए उन्होंने ठीक ही कहा है कि इसके तीन मुख्य पहलू हैं। एक पहलू वर्तमान केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का पुनर्मूल्यांकन करना है जिससे राज्यों के लिए और अधिक स्वायत्तता सुनिश्चित की जा सके जो संघवाद की भावना और सिद्धान्त के अनुरूप हो।

इस बात पर मुझे गहरी चिन्ता है कि कुछ विरोधी सदस्यों ने इस संकल्प के पीछे छिपी भावना को समझने में, सदन के समक्ष यह विचार प्रतिपादित करने या ऐसी धारणा उसके करने का प्रयत्न किया है कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य संघ को कमजोर तथा प्रभावहीन बनाना है। वस्तुत: यदि दिए गए सुझावों के अनुसार संविधान में संशोधन किया जाए, तो इससे राज्य और मजबूत होंगे। इसका यह अर्थ नहीं है कि केन्द्र कमजोर होगा। यदि आपको देश को मजबूत तथा समृद्ध बनाना है तो इसके लिए राज्य सरकार का मजबूत होना आवश्यक है। प्रश्न संघ, देश अथवा राष्ट्र को मजबूत बनाने का ही नहीं, अपितु विभिन्न वर्गों अथवा देश के विभिन्न भागों में रह रहे लोगों के लिए अपने व्यक्तित्व का विकास करने तथा यह सुनिश्चित करने का है कि वे स्वयं अपने क्षेत्र का विकास कर सकें।

क्षेत्र के लोगों की आशाओं तथा आकांक्षाओं को, उनकी प्रतिभा तथा व्यक्तित्व के अनुसार पूरा किया जा सकता है। इस भावना से ही समस्त राष्ट्र को समृद्ध बनाया जा सकता है तथा मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव के पीछे भी यही भावना है। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता।

मैंने सदन के दो विद्वान सदस्यों के भाषण सुने हैं कि संविधान के माध्यम से राज्यों की स्वायत्तता का ह्रास हुआ है। मैं संविधान के कुछ अनुच्छेदों का जिक्र करना चाहता हूं जिनके द्वारा वे अधिकार छीन लिए गए हैं, जो राज्यों के पास होने चाहिए। इस संविधान में केन्द्र को राज्यों की स्वायत्तता के हितों के प्रतिकूल अधिक शक्तियां दी गई हैं। इसका पहला उदाहरण समवर्ती सूची है जिसमें 47 विषय हैं। यह देखने में आया है कि पिछले दस वर्षों के दौरान कानून और व्यवस्था के क्षेत्र में भी, जिसे संविधान में राज्य का विषय अथवा राज्य के क्षेत्राधिकार का मामला बताया गया है, केन्द्र का हस्तक्षेप और अधिक बढ़ा है। इस समय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस है। सीमा सुरक्षा बल है। केन्द्रीय

[श्री चित्त बसु]

सुरक्षा बल है। इससे कानून और व्यवस्था के मामले में राज्यों के अधिकारों का हनन हुआ है। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से निकाल दिया गया है तथा इस विषय को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया है, जिसके कारण राज्यों के अधिकारों का हनन हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 248 में प्रावधान है कि अवशिष्ट शक्तियां संघ सरकार के पास रहनी चाहिएं तथा केवल संघ सरकार अथवा संसद ही उन विषयों के बारे में जो संघ अथवा समवर्ती सूचियों में नहीं है, कानून बना सकती है। राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप का यह एक उदाहरण है। यह अवशिष्ट शक्ति राज्यों के पास होनी चाहिए, न कि केन्द्र के पास। राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रीय एकता के नाम पर अनुच्छेद 249 में संघ सरकार को दी गई है। यहां तक कि इन विषयों से सम्बन्धित कानून बनाने के बारे में राज्य विधान मण्डलों के अधिकार भी छीन लिए गए हैं, क्योंकि यह कानून केन्द्र ही बना सकता है। अनुच्छेद 289 में संघ सरकार को कुछ मामलों में राज्य की सम्पत्ति तथा आय पर कर लगाने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 302 में संघ सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य तथा समागम पर प्रतिबन्ध लगा सकती है। जैसा आपने बताया है, अनुच्छेद 356 तथा 357 का प्रयोग करके, संघ सरकार राज्य के मंत्रिमण्डल को बर्खास्त कर सकती है तथा राज्य विधान सभाओं को भंग कर सकती है। नौ विधान सभाओं को भंग करने का हाल का उदाहरण इस बात को दर्शाता है कि केन्द्रीय सरकार अनुच्छेद 356 तथा 357 का प्रयोग किस तरह करना चाहती है। इसी प्रकार अनुच्छेद, 360 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति आर्थिक स्थिरता में खतरे के नाम पर राज्य प्रशासन में हस्ताक्षेप कर सकता है। अनुच्छेद 200 तथा 201 के अन्तर्गत राज्य के राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य विधान सभा में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा पारित विधेयकों की मंजूरी को रोक सकता है। मैं ज्यादा उदाहरण नहीं देना चाहता। ये कुछ उदाहरण मैंने चुने हैं जो राज्यों की स्वायत्तता छीनते हैं तथा लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप राज्यों के विकास में उनकी प्रतिभा तथा व्यक्तित्व का उपयोग नहीं हो पाता।

योजना के बारे में प्रश्न उठाया गया है। हमारे आर्थिक विकास की सम्पूर्ण प्रक्रिया में योजना आयोग तथा योजना प्रक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, किन्तु आज की योजना के साथ राज्य सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। अब विकास के लिए ऋण तथा अनुदान देना योजना के अधिकार में हैं। राज्यों के विकास के लिए ऋण तथा अनुदान के आबंटन के मामले में राज्य सरकारों तथा राज्य विधान मण्डलों का कोई हाथनहीं है।

मेरे मित्र श्री लकप्पा ने वित्त आयोग पर अच्छा भाषण दिया है। उनके लाभ हेतु मैं यह बताना चाहूंगा कि संविधान के निर्माताओं ने स्पष्ट रूप से यह देखा था कि संघीय वित्त का अंतरण राज्यों को केवल वित्त आयोग के माध्यम से होगा। किन्तु वास्तविक व्यवहार में हमने क्या देखा? हमने यह पाया है कि वित्त आयोग की उपेक्षा की गई है। उदाहरण के लिए, 1951 से 1974 की अवधि के दौरान, 31,866 करोड़ रुपये के संघीय वित्त के अन्तरण में से वित्त मंत्रालय ने केवल 10,000 करोड़ रुपये बांटा है। योजना आयोग की आबंटित की गई राशि 11,109 करोड़ रु० थी तथा वैकल्पिक अनुदान के माध्यम से वित्त मंत्रालय को आबंटित राशि लगभग 10,744 करोड़ रुपये

थी। इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। 30,000 रु० के संघीय वित्त के कुल अन्तरण में से, कुल आबंटन का एक-तिहाई अर्थात 10,000 करोड़ रु० का वितरण करने का अधिकार वित्त आयोग को था। विभाज्य मूल का दो-तिहाई वितरण या तो योजना आयोग के माध्यम से होता था अथवा वैकल्पिक अनुदान के जरिए होता था। इसका तात्पर्य यह है कि वित्त आयोग की उपेक्षा की गई। विभाज्य पूल के आबंटन का सिद्धान्त बनाने के बारे में वित्त मंत्रालय को उचित अवसर नहीं दिया गया है। यह सिद्ध किया जा सकता है कि योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय का वैकल्पिक अनुदान वर्षों तक बढ़ता चला गया। ऐसा केन्द्रीय वित्त मंत्रालय की स्वेच्छा पर हुआ है। अतः उन विचारों को, जिनके आधार पर वित्त आयोग की स्थापना की गई थी, स्थाई रूप देने के लिए इसका एक संवैधानिक तथा वैधानिक स्वरूप होना चाहिए। आप जानते हैं कि संविधान में ही योजना आयोग का कोई स्थान नहीं है। योजना आयोग देश के संविधान के अन्तर्गत गठित एक संस्था होनी चाहिए। और यदि वित्त मंत्रालय द्वारा इन दायित्वों को पूरा किया जाता है, जैसाकि संविधान के निर्माताओं का स्पष्ट दृष्टिकोण था, तो अनुच्छेद 275 तथा वित्त आयोग से सम्बन्धित अनुच्छेदों में परिवर्तन किया जाना चाहिए तथा इसे एक नया रूप देना चाहिए। इन्हें इस प्रकार से नया रूप देना चाहिए कि संघ सरकार को राज्य से प्राप्त कुल आय का 75 प्रतिशत उसी राज्य को भेज दिया जाए जहां से यह आय हुई है। विभाज्य पूल की स्थापना का भी यही सिद्धान्त होना चाहिए। विभाज्य पूल इस प्रकार बनाया गया है कि इससे राज्य के संसाधनों का शोषण होता है। इसे स्पष्ट करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आयकर में राज्यों को कोई उचित हिसाब नहीं मिला है। उत्पादन शुल्क में राज्यों को कोई उचित हिस्सा नहीं मिला है। आयकर पर अधिकार एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा संघ सरकार राज्य सरकारों को उनके वैधानिक तथा उचित हिस्से से वंचित करना चाहती है। प्रश्न यह है कि विभाज्य पूल का एक बड़ा हिस्सा राज्यों को जाना चाहिए क्योंकि राज्यों के संसाधन लोच रहित हैं, जबकि राज्य सरकारोंके दायित्व, कार्य विशेषतः आर्थिक विकास, शिक्षा, समाज सेवा लोचदार हैं। लोगों की आशाएं तथा महत्वाकांक्षाएं की वृद्धि के साथ-साथ इनमें भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। अतः जबकि राजस्व की आय के संसाधन लोचरहित हैं, राज्यों के लोगों की मांग बढ़ रही है, उनमें वृद्धि हो रही है। अतः इस स्थिति का सामना करने के लिए राजस्व कमाने के लिए हमें राज्यों को पर्याप्त अवसर देने होंगे।

कुछ सदस्यों ने संघवाद की परिकल्पना के बारे में कहा। यहां मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अविभाजित कांग्रेस के वर्ष 1945 के उस चुनाव घोषणा-पत्र का उद्धरण देना चाहूंगा, जिस चुनाव के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था तथा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था और उसे अन्तिम रूप से स्वीकार किया गया था।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : उस समय, श्री जवाहरलाल नेहरू जैसा व्यक्ति था। वह अब नहीं रहे।

श्री चित्त बसु : इसमें कहा गया है—

"भारत संघ विभिन्न भागों का एक एच्छिक संघ होगा। इन संवैधानिक इकाईयों को अधिकतम स्वतन्त्रता देने के लिए एक सामान्य तथा आवश्यक संघीय विषयों की न्यूनतम सूची होगी जो सभी एककों पर लागू होगी तथा सामान्य विषयों की एक वैकल्पिक सूची होगी जो ऐसे एककों द्वारा स्वीकृत होगी, जो इसके इच्छुक होंगे।"

[श्री चित्त बसु]

क्या यह स्पष्ट नहीं है कि संघ सरकार के विषय न्यूनतम होने चाहिए तथा राज्यों को अधिकतम अवसर दिए जाने चाहिए, जो कि संघवाद का सिद्धान्त है, समर्थन इस संकल्प में किया गया है।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : यह केवल तभी लागू होता है जब समूचे देश में एक दल का शासन हो··· (व्यवधान)

श्री चित्त बसु : अब मैं संघवाद के बारे में पण्डित जवाहर लाल नेहरू द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को उद्धृत करूंगा जो उन्होंने **डिस्कवरी आफ इण्डिया** में लिखे हैं—

—पृथक होने के प्रश्न पर उन्होंने भी विचार किया था—"भारत संघ अथवा यूनियन से किसी सुगठित क्षेत्र के पृथक होने के अधिकार का प्रश्न कई बार उठाया गया है और उसके समर्थन में सोवियत रूस का तर्क दिया जाता है। पृथक्करण के ऐसे अधिकार का उपयोग करने से पहले समुचित रूप से गठित क्रियाशील स्वतन्त्र भारत होना चाहिए। यह तभी सम्भव हो सकता है, जब विदेशी प्रभाव को समाप्त कर दिया जाए और आज की भावुकता से परे देश के सामने वास्तविक समस्याएं हों, और ऐसे प्रश्नों पर निष्पक्षता और सापेक्ष निष्पक्ष भाव से विचार किया जाए जिसके बारे में बाद में खेद व्यक्त करना पड़ सकता है।

> इस प्रकार एक अवधि अर्थात दस वर्ष निर्धारित करना वांछनीय होगा। बाद में स्वतन्त्र भारतीय राज्यों की स्थापना के बाद इस अवधि की समाप्ति पर पृथक्करण के अधिकार का उपयोग किया जा सकता है।"

वस्तुतः पृथक्करण का यह अधिकार हमारे संविधान में नहीं है। किन्तु फिर भी पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इस पर दृष्टि डाली थी··· (व्यवधान)

सभापति महोदय : इन्होंने एक उद्धरण दिया है। आप उत्तर में तय कर सकते हैं, किन्तु व्यवधान नहीं डाल सकते।

श्री चित्त बसु : मैंने कांग्रेस दल के सदस्यों के लाभ के लिए उद्धरण सुनाया है जिससे कि वे भी यह मान सकें कि संघवाद के बारे में उनके नेता के विचार क्या थे। मेरा उद्देश्य उन लोगों को जानकारी देना है जो संघवाद की धारणा का विरोध करते हैं, जिससे कि वे जान सकें कि उनके प्रमुख नेता ने क्या स्वीकार किया था, तथा मैं समझता हूं कि यह देश के हित में है।

महोदय, चर्चा करने का मेरा उद्देश्य यह है कि क्या इस विषय पर राष्ट्रीय आम राय है। प्रश्न यह है कि राज्यों के पास ज्यादा स्वायत्तता होनी चाहिए। प्रश्न यह है कि राज्यों के पास और ज्यादा वित्तीय शक्ति होनी चाहिए; प्रश्न यह है कि केन्द्र के मजबूत होने के साथ-साथ राज्य भी मजबूत बने तथा चर्चा करने के लिए प्रस्तुत संकल्प में प्रस्ताव है कि राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाया जाय, तथा जो आम राय बने उसे स्वीकार कर लिया जाए। प्रश्न यह है कि संविधान को नए दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस सम्बन्ध में सिफारिशें दी थीं। तमिलनाडू सरकार ने राजामन्नर समिति की नियुक्ति की थी। उन्होंने कुछ सिफारिशें की थीं तथा ये सिफारिशें भी व्यापक प्रभाव वाली हैं। पश्चिम बंगाल की बामपंथी मोर्चा सरकार ने भी कुछ सिफारिशें की थी। राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता के हित में किस प्रकार से केन्द्र

तथा राज्य के सम्बन्धों को बेहतर, ज्यादा समन्वयवादी तथा सहकारी बनाया जा सकता है, इसके लिए उन सभी सिफारिशों, उन सभी टिप्पणियों तथा उन सभी अध्ययनों पर विचार किया जाना चाहिए जो विभिन्न समितियों तथा विभिन्न प्राधिकरणों ने किए हैं।

महोदय, श्री सी० राजगोपालाचारी के शब्दों में, वे दिन चले गए जब केन्द्र तथा राज्य सम्बन्ध अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा विभिन्न राज्य कांग्रेस संगठनों के मामले थे। अब विभिन्न पार्टियों की राजनीति का युग है।

एक ही पार्टी केन्द्र और राज्यों में शासन करने की आशा नहीं कर सकती। अब हम एक नए युग में आ गए हैं। यह नया युग संघीय राजनीतिक व्यवस्था का युग है। अब एक दलीय का युग समाप्त हो गया है। अब एक-दलीय शासन के दिन समाप्त हो गए हैं और बहु-दलीय शासन के दिन आने वाले हैं। मैं समझता हूं कि यह सभा वर्तमान एवं भावी बहु-दलीय राजनीतिक आवश्यकता को देखेगा।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : श्रीमान मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। मैं पार्थक्य नहीं चाहता। जब माननीय कामरेड चित्त बसु ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के एक लेख को पढ़कर सुनाया तो सत्तारूढ़ दल के सदस्य कुछ घबरा गए हैं। पर हम अलगाव नहीं चाहते, हम भारत को एक देखना चाहते हैं। पर भारत एक संघ राज्य है। भारत एक देश तो है परन्तु एक स्वायत शासी एकक नहीं है। यह एक अनेक स्वायत शासी एककों का एक संघ है और यही मेरा भारत है। यह एक गुलदस्ते के समान है। आपको इसमें एक गुलाब का फूल भी मिलेगा तो एक चमेली का भी। आपके यहां आपको बंगाल के, उडीसा के और तमिलनाडू के लोग मिलेंगे तथा और भी लोग मिलेंगे और सब मिलकर ही भारत है। स्वतंत्रता से पूर्ण विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय कांग्रेस के अलग कांग्रेस दल थे और वे भी भाषणों के आधार पर राज्य चाहते थे जो नहीं हो पाये। परन्तु देश में व्यापक जन-आन्दोलन के बाद यह मांग स्वीकार करनी पड़ी। आप जानते हैं कि यों तो श्री रामाल्लू के बलिदान के बाद ही आन्ध्र प्रदेश राज्य बना और आन्ध्र प्रदेश के बनने के बाद ही द्विभाषी राज्यों को बांटा गया और भाषाओं के आधार पर राज्य बने यद्यपि अब यह राष्ट्रीय समस्या बन गई है। अत: मेरे भारत को अखण्डता और जनतंत्र को बचाने के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध रहें। राज्य सरकारें ही कल्याण कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं परन्तु उनके पास संसाधन नहीं है। प्रत्येक पुनरीक्षण समिति ने यही कहा है। राज्यों की तुलना में केन्द्र की वित्तीय स्थिति प्रमुख होने के कारण उन्हें अपने महत्त्व और ज्ञान के बारे में भ्रामक धारणा बनी रहती है और इससे राज्यों के दृष्टि-कोण को समुचित महत्व नहीं मिलता। यही कठिनाई है। यदि इसका हल नहीं ढूंढा जाता तो हमें बहुत बुरे दिन देखने को मिलेंगे और तब तक हमें इस विखण्डनवादी प्रकृति से ईश्वर भी नहीं बचा सकेगा।

सत्तारूढ़ दल के सदस्यों का कहना है कि केन्द्र को मजबूत बना कर ही इस देश में संतुलन बरकरार रखा जा सकता है और तभी सब कुछ ठीक तरह से चलेगा। आसाम और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में क्या हो रहा है ? आप इस आन्दोलन को पसन्द करें या नहीं इसका मुख्य कारण हैं, व्यापक भू-संतुलन उनकी मांगों को नजरन्दाज करना अपर्याप्त केन्द्रीय सहायता, संचार और विकास के साधनों का

[श्री नारायण चौबे]

अभाव है और यह सब केन्द्र के मजबूत होने के बावजूद हो रहा है। यह तर्क कि राज्य सरकारों के मजबूत और शक्तिशाली हुए बिना मजबूत केन्द्र ही इन सारी समस्यओं को सुलझा सकती है, ठीक नहीं और इस तर्क को सदा-सदा के लिए त्याग देना चाहिए।

आज आसाम में संयुक्त असम राज्यों का नारा उठ रहा है। उनमें से कुछ तो भारत से स्वतंत्र होना चाहते हैं। परन्तु मजबूत केन्द्र सरकार समस्या का हल नहीं ढूंढ पा रही है। और यदि वे विभिन्न राज्यों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देंगे तो ऐसा ही होगा।

क्या मैं पूछ सकता हूं कि केन्द्र में इतनी मजबूत सरकार के होते हुए भी कुछ राज्य अभी तक पिछड़े हुए क्यों है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और अन्य ऐसे राज्यों में अत्यधिक धनराशी ली जा रही है और फिर भी उडीसा, मध्यप्रदेश और असम इत्यादि जैसे राज्य पिछड़े हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों? मेरे मित्रों द्वारा इसे स्पष्ट नहीं किया गया।

एक और तर्क यह दिया जाता है कि हरिजनों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों को रोकने के लिए केन्द्र के पास अधिकार होना चाहिए। बहुत ही विचित्र तर्क है। मैं पुनः कहता हूं कि व्यंजन का प्रमाण उसे खाने में ही है। पिथरा और नारायणपुर के नाम इसलिए लिए जा रहे हैं कि वहां गैर-कांग्रेस (ई) की सरकारें थीं परन्तु आन्ध्र-प्रदेश में रोजाना हरिजनों को पीटा जाता है, महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है और उनकी हत्या कीं जाती है, उनके प्रति सहानुभूति का एक शब्द भी नहीं कहा गया। क्या यह राजनीति से प्रेरित नही है?

मैं कहता हूं कि हम केन्द्र में मजबूत सरकार के पक्ष में तो हैं परन्तु राज्यों में कमजोर सरकारों के पक्ष में नहीं है। राज्यों को मजबूत बनाने का अर्थ केन्द्रों को कमजोर बनाना नहीं है। यदि हम उडीसा, पश्चिम बंगाल और असम को मजबूत बनाते हैं तो क्या इससे दिल्ली कमजोर हो जायेगी। यह एक विभिन्न तर्क है। यदि हम मजबूत भारत बनाना चाहते हैं तो राज्यों को भी मजबूत बनाना होगा।

अब मैं ट्रेड यूनियन आन्दोलनों की तरफ आता हूं। हम देखते हैं कि हड़तालें बन्द कराने, कर्मचारियों और गरीब किसानों के आन्दोलनों को दबाने के लिए केन्द्रीय पुलिस दल भेजे जाते हैं। यह आपकी भूमिका है। अब आप कहते हैं कि आप हरिजनों की रक्षा करने के केन्द्रीय दल भेज रहे हैं। जहां कहीं भी आपने पुलिस दल भेजे हैं।

आपने रेलवे की या अन्य हड़तालें बन्द कराने के लिए ही भेजे हैं। यदि मैं केन्द्र के इस अधिकार, कि वे जब जरूरत पड़े तो विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय पुलिस दल भेज सकता है, से सहमत हो भी जाऊं तो क्या आप विभिन्न राज्य सरकारों की सहमति लेना आवश्यक नहीं समझेंगे और बिना उनकी सहमति के पुलिस भेज देंगे? मान लें कि आप सोचते हैं कि राज्य 'क' को केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस दल भेजा जाए परन्तु राज्य सरकार के अनुसार ऐसी आवश्यकता नहीं और ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस दल और राज्य सरकार की पुलिस में संघर्ष हो जाता है तो क्या यह टकराव नहीं होगा। आप कहां जा रहे हैं? मैं आपकी योजना बताने जा रहा हूं। मैं पश्चिम बंगाल से आया हूं। यह आपका दुर्भाग्य और देश का सौभाग्य है कि वहां हमारी वाम-पंथी सरकार है पर उसने यह कभी

नहीं कहा कि हम आपके नियम और अनियमों को नहीं मानते। परन्तु एक केन्द्रीय मन्त्री श्री गनी खान चौधरी ने कहा है कि उनका यह कर्त्तव्य है कि वे पश्चिम बंगाल सरकार को बंगाल की खाड़ी में धकेल दें।

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : यह मेरा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण है कि मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने मुख्य मंत्री से बात की है और जो मैंने कहा है उन्होंने समाचार पत्रों को बताया है। मैंने यह कहा है "यदि अव्यवस्था बनी रहेगी तो पश्चिम बंगाल के लोग वर्तमान सरकार को बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे।" (व्यवधान)

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : सभी जानते हैं कि ये अकेले ही पश्चिम बंगाल सरकार को बंगाल की खाड़ी में नहीं फेंक सकते।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैंने कहा है कि पश्चिम बंगाल के लोग फेंक देंगे।

श्री समर मुखर्जी : इसका अर्थ है "आपको लोग (व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : यदि कोई रामायण पढ़े तो मालूम होगा कि हनुमान "गंगाधन" पर्वत उठा लाए थे, हमारे मंत्री जी को यदि पश्चिम बंगाल सरकार को बंगाल की खाड़ी में फेंकना है तो उन्हें हनुमान से अधिक ताकतवर होना होगा।

वास्तविकता क्या है ? वास्तव में केन्द्रीय सरकार दोहरी चाल चल रही है। असम का मामला ले लें। वहां घोर अशांति है। वहां अनेक लोगों की हत्या की जा रही है और ऐसा लगता है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार असम की स्थिति को दबाने के लिए बहुत सावधानी बरत रही हैं इसलिए वे लोग नियोजित ढंग से चल रहे हैं। परन्तु पश्चिम बंगाल में उनके साथी क्या कर रहे हैं। कांग्रेस (ई) दल के नेता श्री सुबरोतो मुखर्जी बंध और जुलूसों का आयोजन कर रहे हैं तथा पश्चिम बंगाल में **असम ट्रिब्यून** के कार्यालय को आग लगा रहे है। (व्यवधान) सत्तारूढ़ दल अर्थात कांग्रेस (ई) किसी और राज्य में आन्दोलन नहीं चला रहा। वे तमिलनाडू या बिहार या किसी अन्य राज्य में आन्दोलन नहीं कर रहे हैं वे ऐसा केवल पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं क्योंकि वे कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा करके वहां भी वाम-पंथी सरकार को गिराना चाहते हैं, जैसा ऊन्होंने अन्य 9 राज्यों में किया है। यह बात स्पष्ट हो गई है। अतः मेरा आग्रह है कि सत्तारूढ दल समय की पुकार को सुने। अब वो दिन नहीं रहे जब कांग्रेस दल का केन्द्र और राज्य सरकारों में एकाधिकार था। अब वह समय वापस नहीं आने वाला। आपने 1971 में भारी विजय प्राप्त की पर 1977 में हारे। 1980 में फिर जीते पर केवल 42 प्रतिशत वोट लेकर। आप यह याद रखें।

मैं इस आदरणीय सभा से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि, भारत के लिए, जनतंत्र की रक्षा के लिए, हमारे देश के संघ राज्य की रक्षा के लिए, हमारे संकल्प पारित हो ताकि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों में सन्तुलित समन्वय बना रहे।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री कैयूर भूषण (रायपुर) : सभापति महोदय, जो केन्द्र और राज्य सम्बन्ध जो संकल्प सदन के सामने है उस पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। इसमें मुख्य मुद्दा है "संघवाद के सिद्धान्त"। इस आधार का निरूपण करने का विषय इसमें रखा गया है। राज्यों को अधिक वित्तीय शक्तियां तथा अधिक स्वायत्तता प्रदान करना" ये विषय मुख्य रूप में संघवाद के सम्बन्ध में इस संकल्प सामने आये हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो संघवाद का जिक्र किया गया है उससे कुछ भ्रम उत्पन्न होता है। संघ शक्ति जब एक साथ मिलकर एक जगह इकट्ठी होती है, तब वह संघवाद का रूप लेती है। उसके मुख्य भाव को इसमें छोड़ दिया गया है। इस संकल्प में संघवाद कहने के साथ-साथ स्वायत्तता प्रदान करना भी इसमें रखा गया है। किन्तु जब सारी शक्तियां एक जगह जुड़ जाती हैं और अपनी-अपनी इकाइयों के साथ एक जगह जुड़ जाती हैं तभी संघवाद का रूप आता है। इसके साथ स्वायत्तता प्रदान करना अलगाव की प्रवृत्ति है। इसीलिए मेरे मन में यह शंका उत्पन्न होती है कि जब हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं तो हम कहीं फिर से गलती तो नहीं कर रहे हैं। स्वायत्तता के बारे में जब हम आजादी प्राप्त कर रहे थे उस समय भी हम इसमें भटक गए थे। मार्क्सवादी विचार धारा के लोगों से मेरा खास कर निवेदन है कि हम बार-बार उन घटनाओं या उन चीजों को न उठायें जिनके सम्बन्ध में उस समय हम भटक गए थे। हम जातीय आधार पर एक राष्ट्र का निर्माण करें। कुछ लोगों की ओर से उस समय यह विचार आया था। लेकिन गांधी जी का विचार था कि दो राष्ट्रों का निर्माण करने का जो प्रयत्न हो रहा है, वह गलत है। उन्होंने उस समय कहा था कि हमारा राष्ट्र एक है और उसी राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर हमें स्वराज्य की ओर बढ़ना चाहिए। उस समय भी स्वायत्तता के आधार पर राष्ट्र के अलगाव को बढ़ावा देने के प्रयत्न लोगों ने किए थे। उसी आधार से आज हम कोई ऐसा कार्य न करें जिससे देश खण्डित हो।

स्वराज्य के बाद, हम सारे राष्ट्र को एक देश के रूप में स्वीकार करें और फिर जो एक व्यावहारिक रूप राष्ट्र का सामने आये उसी आधार पर हम अलग-अलग प्रांतों की कल्पना करें। कहीं ऐसा न हो कि हम स्वायत्तता को सामने रखकर कहीं भटक जाएं। अभी तक जो राष्ट्र के एकीकरण की प्रक्रिया रही है कहीं हम स्वायत्तता की धारणा लेकर उससे दूर न चले जाएं। मैं नहीं कहता कि यह बात जानबूझ कर की जा रही है लेकिन इससे मन में शंका जरूर उत्पन्न होती है कि स्वायत्तता की धारणा लेकर कहीं हम अलगाव की ओर न चले जाएं।

कहीं ऐसा न हो कि इससे अलगाव की वृत्ति को जन्म मिले। इस चीज को हमें अपने सामने रखना है। केन्द्र के अधिकारों और राज्यों के अधिकारों में इस समय कोई टकराव की स्थिति पैदा नहीं होती है। प्रान्तों को विकसित करने के लिए हमारे पास काफी साधन हैं। इसके बावजूद हम क्यों इस तरह की बात करते हैं? जिधर से यह आवाज उठ रही है उस तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मुझे लगता है कि जो सम्पन्न प्रदेश हैं वे और अधिक अधिकार सम्पन्न बनना चाहते हैं और वही अधिक स्वायत्तता की मांग करते हैं। ऐसी स्थिति अगर पैदा होती है तो जो पिछड़े हुए प्रदेश हैं, उनका क्या होगा? उनकी क्या स्थिति होगी? संघ शासन की ओर अगर हम चाहते हैं कि बढ़े तो हमारा यह प्रथम कर्त्तव्य हो जाता है कि जो कम विकसित क्षेत्र या प्रान्त हैं उनकी ओर हम विकसित

प्रान्तों की अपेक्षा ज्यादा ध्यान दें। अगर हम स्वायत्तता की ओर इस तरह जाएंगे तो इन अविकसित या पिछड़े हुए प्रान्तों की ओर हमारा ध्यान नहीं जा सकेगा। जितने आर्थिक स्रोत हैं वे विकसित प्रान्तों में उस अवस्था में केन्द्रित हो जाएंगे। कौन से प्रान्त हैं जहां से खास तौर पर इस तरह की आवाज उठती है? तमिलनाडू है, पंजाब है, बंगाल है। ये वे प्रान्त हैं जो विकसित प्रान्त हैं। दूसरे कई प्रान्तों के मुकाबले में। सबसे ज्यादा विकट समस्या हमारे देश में अविकसित प्रान्तों की है। अगर केवल स्वायत्तता की ओर हम आगे बढ़ेंगे तो दूसरे क्षेत्रों का क्या होगा जो अविकसित हैं? उन प्रान्तों को विकसित करने की एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी होनी चाहिए। सम्पन्नता को उन इलाकों में भी बिखेरा जाना चाहिए। मैं एक ऐसे क्षेत्र से आया हूं जो बहुत पिछड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ का इलाका जो कि उसके पूर्व में स्थित है। वह आदिवासी और हरिजन बहुल क्षेत्र है। आदिवासी और हरिजन बहुल क्षेत्रों में विकास के कामों की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाएगा तभी वे विकसित हो सकेंगे। पिछड़े इलाकों के विकास के साथ-साथ हम यह भी चाहते हैं कि हमारी इकाई भी बनी रहे और साथ-ही-साथ हमारा सांस्कृतिक स्वरूप भी निखरे। अगर उन क्षेत्रों के विकास के बदले में हम स्वायत्तता की ओर इस तरह से आगे बढ़ते गए और जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनके विकास के विशेष अवसर उपलब्ध नहीं किए तो यह देश के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। हम को पिछड़े क्षेत्रों को आगे बढ़ने का प्रथम अवसर देना होगा। आप बस्तर को ही लें। कितना वह पिछड़ा हुआ इलाका है और कितना वहां पिछड़ापन है वह सब जानते हैं। उस तरह के जो क्षेत्र हैं उनके वास्ते विशेष अवसर उपलब्ध किए जाने चाहिए आगे बढ़ने के।

ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लगता है "बुभुक्षः किं न करोति पापम्," भूखा क्या पाप नहीं करता है? हम अपने राष्ट्र के विकास के भूखे हैं। लेकिन उसके साथ-साथ यह भी जरूरी होना चाहिए कि उसके लिए हम कोई गलत काम न करें। ठीक है हम भूखे हैं लेकिन ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं सिर्फ अपने विकास के लिए ही कर रहे हैं और न ही हमको इस मनोवृत्ति का परिचय ही देना चाहिए। जो पिछड़े हुए प्रान्त या क्षेत्र हैं उनकी ओर हमारा विशेष ध्यान जाना चाहिए। सारे राष्ट्र की भलाई किस में है इसकी ओर हमें अधिक ध्यान देना होगा। जो पिछड़े लोग हैं उनकी ओर विशेष ध्यान देकर, उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर, उन क्षेत्रों को प्राथमिकता हमको पहले विकसित करना होगा।

अन्त में मेरा इतना ही निवेदन है कि स्वायत्तता की बात न करके संघीय व्यवस्था के अन्तर्गत जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनको आगे बढ़ने का हम विशेष अवसर दें, उनकी हम ज्यादा मदद करें।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अभी काफी अच्छे-अच्छे वक्ताओं ने आपके सामने अपनी-अपनी बातें रखी हैं। मैं दो तीन बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सामने वाले पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया है कि यदि इस संकल्प को पास कर दिया गया तो केन्द्र की सत्ता कमजोर हो जाएगी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। सिर इस शरीर का अंग है और यदि यह सिर पांच सेर या पांच किलो का हो जाए और पांव में लकवा मार जाए तो क्या यह शरीर स्वस्थ कहला सकता है? नहीं कहला सकता है।

हमारे जैसा आदमी तो सैन्ट्रल और स्टेट की बात ही नहीं करता है। हम तो चाहते हैं कि गांव की जो छोटी इकाई है जहां से पुराना जनतंत्र फला-फूला है उस गांव को आप मजबूत करने की बात

[श्री राम निवास पासवान]

कीजिए। जब गांव मजबूत होगा तभी जिला मजबूत होगा तभी राज्य मजबूत होगा और जब राज्य मजबूत होगा तब केन्द्र मजबूत होगा। मैंने संकल्प में कहीं नहीं पाया कि जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट की चीजें हैं जो देश के लिए अत्यावश्यक हैं चाहें डिफेंस हो, रेलवे का मामला हो या कम्युनिकेशन्स का मामला या विदेश का मामला हो इन सारी चीजों को स्टेट के अन्दर में कर दीजिए। हम लोग अधिकतर बिहार के यहां बैठे हैं, ऊर्जा मंत्री भी बैठे हैं, बिहार में सबसे ज्यादा खानें हैं, खनिज सम्पदा का भंडार बिहार में है और खास करके दक्षिण बिहार में, लेकिन बिहार सबसे गरीब राज्य है और खासकर दक्षिण बिहार, जहां की खानें हैं। अभी धनबाद में हुई कोयला खान की दुर्घटना के सम्बन्ध में काल अटेंशन आयेगा, वहां सबसे ज्यादा खानें हैं, लेकिन वहां का जो मूल निवासी है, आदिवासी है उसके शरीर पर वस्त्र नहीं है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि वहां के लोग रात में जो फतिंगे उड़ते हैं उनको सवेरे भूंजकर खाते हैं। इतनी गरीब स्टेट और इतनी ज्यादा वहां खनिज सम्पदा। वहां हमारे मंत्री थे श्री पूरन चन्द्र जी उन्होंने कहा था कि यदि केन्द्रीय सरकार समूचे बिहार के लिए राशि नहीं देगी तो हम भी अपनी खनिज सम्पदा का जरा-सा भी अंश केन्द्र को नहीं देंगे। तो इस कनफ्रन्टेशन की स्थिति न आवे। मैंने उदाहरण दिया एक ही स्टेट में जहां इतनी सम्पदा है, लेकिन वही स्टेट सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है। हमारे हाजीपुर से करोड़ों रु० केन्द्र को प्रतिवर्ष तम्बाकू पर लगी ऐक्साइज ड्यूटी से मिलता है। लेकिन वहां तम्बाकू उत्पादकों की स्थिति देखिए? तो यह कह कर कि केन्द्र मजबूत हो उसके नाम पर राज्य का शोषण आप नहीं कर सकते हैं। स्टेट मजबूत होगी तो केन्द्र मजबूत होगा। और आज की हालत में तो मैं कहूंगा कि माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं उससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में जब जनता पार्टी की सरकार थी तब हम लोग कहते थे कि सरकार को गिराओ लेकिन तब कांग्रेस पार्टी वाले उस सरकार को रखना चाहते थे। और जब हमने कहा कि सरकार को रखना चाहिए, तो आपने कह दिया कि सरकार को गिरा देंगे। इसलिए कोई क्राइटीरिया फिक्स कीजिए।

स्टेट गवर्नमेंट है, पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, मैं देख रहा था कि नारायणपुर की घटना के सम्बन्ध में बहुत चर्चा की गई, रोज प्रधान मंत्री के यहां से उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, श्री बनारसी दास को लिख कर जाता था कि वहां यह अमानवीय घटना घटी है तुरन्त जवाब दो। और जब सरकार खत्म हो गई तो नारायणपुर की घटना भी समाप्त हो गई। बिहार में पारसबीघा था, की घटना के सम्बन्ध में रोज हल्ला होता था क्योंकि वहां की सरकार खत्म करनी थी। और जब सरकार खत्म हो गई तो घटना बन्द हो गई। तो राज्य सरकार अगर गलती करे तो केन्द्रीय सरकार अंकुश लगायेगी। लेकिन यदि केन्द्रीय सरकार ही बदमाशी करे, फिर से इमरजेंसी लगा दें, फिर से मनमाने काम करे, केन्द्रीय सरकार द्वारा यदि बलात्कर होने लगे, उसके इशारे पर हरिजनों की हत्यायें होने लगें, केन्द्रीय सरकार के इशारे पर यदि कोर्ट में पुलिस घुसने लगे, पार्लियामेंट में पुलिस घुसने लगे तब आप क्या करेंगे? इसलिए मैं कहता हूं कि इस संकल्प को पार्टी दृष्टिकोण से न देखा जाए। जो केन्द्रीय सरकार के पास रहनी चाहिए, लेकिन जो राज्य सरकार के जिम्मे की चीज है, निश्चित रूप से वह केन्द्रीय सरकार के पास रहनी चाहिए, लेकिन जो राज्य सरकार की चीज है, जिसके रिसोर्सेज में राज्य सरकार का हाथ भी है, निश्चित रूप से वह राज्य सरकार के तहत रहनी चाहिए।

यह जो बिल आया है, मैं चाहता हूं कि इस पर जमकर बहस होनी चाहिए और खुले दिमाग से इस पर वाद-विवाद होना चाहिए कि स्टेट और सेन्टर का क्या रिलेशन रहेगा, नहीं तो हमको जो विगत का अनुभव है, उसके आधार हम यह चाहते हैं कि भविष्य में फिर कोई ऐसा काम न किया जाये।

9 राज्यों के विघटन का मामला हमारे सामने आयेगा। इन 9 राज्यों को यदि एक-एक करके देखें तो लगता है कि 9 राज्यों की सरकारों को खत्म करने का कोई औचित्य नहीं हैं। आप हमेशा जनता पार्टी और लोक-दल की सरकार के बारे में कहते हैं कि उन्होंने भी ऐसा ही किया था, अभी हमारे श्री चन्द्र जीत यादव ने सही कहा कि यदि जनता पार्टी की सरकार ने गलत काम किया तो क्या आप भी वही गलत काम करगे। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर जनता पार्टी की सरकार ने उस समय बिहार की सरकार को खत्म किया था तो उससे पहले चुनाव कब हुए थे? बिहार में सन् 1972 में चुनाव हुए थे ओर उसकी सरकार को खत्म किया गया था 1977 में जबकि उसका समय भी पूरा हो चुका था।

मेरा कहना इतना ही है कि चाहे आपकी सरकार हो या हमारी सरकार हो, आज सैंटर में आपका राज्य है, कल यहां हमारी सरकार भी हो सकती है और आपकी सरकार स्टेट में हो सकती है।

श्री हरीश रावत (अलमोड़ा) : यदि आप उस समय के कार्य को गलत समझते हैं तो पहले राष्ट्र से माफी मांगें।

श्री रामविलास पासवान : हम अगर गलती करेंगे तो राष्ट्र से माफी मागेंगे, हम इन्दिरा गांधी नहीं हैं कि एमर्जेन्सी लगाकर कहेंगे कि हमने सही काम किया है। आप 20-सूत्री काम का आज भी रट लगाये जा रहे हैं।

सभापति महोदय, अब चूंकि समय भी हो गया है, मैं इतना ही कहूंगा कि जो स्टेट और सैंटर का मामला है, इस विवाद को हटाना चाहिए, सरकार को फिर से नए सिरे से इस पर विचार करना चाहिए और सैंटर व स्टेट का क्या सम्बन्ध हो, उसमें स्टेट का क्या हिस्सा हो, इन सारी बातों पर फिर से विचार करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपको समय देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : अब हम ध्यानाकषण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।

श्री सी० टी० दंडपाणि (पोल्लाची) : मैंने भी नोटिस दिया है।

सभापति महोदय : यह चर्चा अगले सत्र में जारी रहेगी। यह समाप्त नहीं हुई। बहुत से सदस्य बोलना चाहेंगे परन्तु उन्हें अगले सत्र में बोलने का अवसर दिया जाएगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

(दो) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की निरसा कोयला खान में कथित विस्फोट

सभापति महोदय : श्री जनार्दन पुजारी—यहां उपस्थित नहीं हैं। श्री समर मुखर्जी।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : मैं उर्जा और सिंचाई मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक

[श्री समर मुखर्जी]

महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें। "ईस्टर्न कोलज फील्ड्स लिमिटेड की निरशा कोयला खान में विस्फोट के फलस्वरूप 7 व्यक्तियों की मृत्यु तथा अन्य अनेक व्यक्तियों के घायल होने का समाचार"।

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी०ए० गनी खान चौधरी) : मैं बहुत दुःख के साथ सदन को उस दुर्भाग्य पूर्ण दुर्घटना के बारे में सूचित कर रहा हूं जो 15. 3. 1980 को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की निरसा कोलला खान में हुई।

2. उपलब्ध सूचना के अनुसार 15 मार्च 1980 को लगभग 4 बजे सवेरे कोयला खान के लैम्प कैबिन में एक विस्फोट हुआ। 4 व्यक्ति घटना स्थल पर ही मर गए और एक व्यक्ति की अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई। बाद में अस्पताल में भी तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और इस प्रकार कुल 8 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इस समय भी अस्पताल में 30 व्यक्ति हैं और उनका इलाज हो रहा है। खान सुरक्षा महानिदेशक की प्रारभिक रिपोर्ट से यह पता चलता है कि धरातल पर कैप लैम्प रूम के साथ वाले कमरे में विस्फोट पदार्थ और डिटोनेटर्स अधिक मात्रा में रखे हुए थे और उनमें उक्त कैप लैम्प रूम की बिजली के द्वारा लगी आग से विस्फोट हो गया।

3. इस दुर्घटना की सूचना पाते ही मैं जितनी जल्दी सम्भव हो सका तुरंत निरसा कोलियरी के लिए रवाना हो गया ताकि मृत और घायल व्यक्तियों के परिवारों की सहायता के लिए हर संभव कार्रवाई तुरंत की जाए और साथ ही मैं दुर्घटना स्थल का स्वयं भी, निरीक्षण कर सकूं।

4. मृत और घायल व्यक्तियों के परिवारों को आवश्यक सहायता पहुंचाने के लिए तुरंत कार्रवाई की गई है। प्रत्येक मृत व्यक्ति के परिवार को रु० 1000 की अनुग्रह राशि दी गई है और अन्तिम संस्कार के लिए भी दिया गया है। प्रत्येक मृत मज़दूर के एक आश्रित को नौकरी देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसके अलावा हर परिवार को "लाइफ कवर स्कीम" के अन्तर्गत बीमे की राशि भी मिलेगी जो मृत व्यक्ति के सेवा काल के अनुसार रु० 11000 तक हो सकती है। इन लोगों को श्रमिक मुआवज़ा अधिनियम के अनुसार मुआवज़ा और नियमों के अनुसार परिवार पेन्शन भी मिलेगी। यह राशिया कोयला खान कल्याण संगठन से दी जायेगी। मैंने आदेश दे दिया है कि, कानून के अनुसार, मुआवजे की यह राशि निकटतम संबंधी को तुरंत दे दी जाए। इस बात के लिए भी कार्रवाई की गई है कि जिन 116 परिवारों के रहने की कोठरियां आदि विस्फोट से नष्ट हो गयीं हैं या टूट गयीं उन्हें रहने का दूसरा स्थान तुरंत मिले। स्थानीय अधिकारियों ने विस्थापित मजदूरों के लिये भोजन और मुफ़्त राशन की व्यवस्था की है। घायल मज़दूरों के परिवारों को उन अस्पतालों तक ले जाने के लिए परिवहन की भी व्यवस्था की गई जहां घायल व्यक्तियों को भर्ती किया गया है।

5. मैंने मज़दूरों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की है और उन्हें यह आश्वासन दिया है कि इस मामले की जांच की जाएगी। और हम खानों में सुरक्षा उपायों की व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। मैं इस सदन को भी आश्वासन देता हूं कि हम खानों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने पर पूरा ध्यान देंगे और इस सम्बन्ध में हर संभव कार्रवाई करेंगे। हम उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढील नहीं होने देंगे।

6. इस दुर्घटना की खान सुरक्षा महानिदेशक जांच कर रहे हैं तथा स्थानीय पुलिस ने भी भारतीय दण्ड संहिता और भारतीय विस्फोट पदार्थ अधिनियम की सम्बद्ध धाराओं के अधीन मामला दर्ज कर लिया है। इन लोगों की जांच रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर मैं देखूंगा कि इस मामले में और क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। यहां मैं सदन को पुनः आश्वासन देता हूं कि मामले की अच्छी तरह पूरी जाँच की जाएगी और हम इस दुर्भाग्य पूर्ण दुर्घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ समुचित कार्रवाई अवश्य करेंगे।

श्री समर मुखर्जी : महोदय, यह बहुत गम्भीर दुर्घटना है। आठ मौतें हो चुकी हैं। बहुत से लोग अब भी अस्पताल में हैं। माननीय मंत्री के वक्तव्य के अनुसार 116 परिवारों की (जिनकी झोंपड़ियां विस्फोट से नष्ट हो गई थीं या टूट गई थीं) आवास सुविधाएं दी जा रही हैं। यह विस्फोट इतना ज़बरदस्त था कि सभी निकटवर्ती दरवाजे पूरी तरह हिल गए और छतें टूट गयीं। समाचार पत्रों में दिए गए समाचार के अनुसार बाराकर और निकटवर्ती क्षेत्रों में सब कुछ हिल गया। ऐसे शक्तिशाली विस्फोटक लैंप केबिन कक्ष में रखे जाते हैं। यह खान सुरक्षा नियम का पूर्णतया उल्लंघन है। खान सुरक्षा नियम में इस बात की मनाही है कि इस प्रकार के विस्फोटक, कम से कम उस क्षेत्र में न रखे जाए जहां मज़दूर काम करते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि किस प्रकार काम पर तैनात मज़दूर पूरी तरह मलबे में दब गये। यह विस्फोट इतना भयंकर था कि इमारतें तहस नहस हो गयीं और उनके हिस्से दूर-दूर तक जाकर गिरे। समाचार पत्रों में यह बताया गया है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष ने आश्चर्य प्रकट किया है कि इस इमारत में इस प्रकार के विस्फोट कैसे रखे जा सकते हैं। यह सुरक्षा नियमों की गम्भीर उपेक्षा का मामला है।

महोदय, सरकार और प्रबंध के विरुद्ध हमारी प्रमुख शिकायत है कि उनके लिए लोगों के जीवन का बहुत कम मूल्य है, वे सुरक्षा के प्रश्न को गम्भीर प्रश्न नहीं मानते। हम चसनाला की दुर्घटना से परिचित हैं। मुझे चसनाला दुर्घटना के बाद ज़मीन के नीचे जाने का मौका मिला था। मेरे साथ खान सुरक्षा के निदेशक थे। उन्होंने मुझे बताया कि यह संगठन इतना कमजोर है कि वे भरतक प्रयत्न करने के बावजूद सरकार द्वारा घोषित सभी सुरक्षा नियमों को लागू नहीं कर सकते।

प्रत्येक बड़ी दुर्घटना के बाद एक जांच समिति गठित की जाती है। जांच समिति कुछ सिफ़ारिशें करते हैं। परन्तु हर बार उनका उल्लंघन किया जाता है। उस चसनाला विध्वंस के बाद दूसरी चसनाला दुर्घटना में बहुत बरबादी हुई। यह दिसम्बर 1975 में हुई थी। उसकी सही तारीख 27 दिसम्बर थी। दूसरी दुर्घटना 5 अप्रैल 1976 को हुई। अगली अप्रैल में ही हुई। इस घटना की दुखःद बात यह है कि इस दुर्घटना में जितने भी लोग मारे गए उन्होंने खान में काम करने के लिए मना किया था क्योंकि जिस खान में उनसे काम करने के लिए कहा गया था वह नितान्त असुरिक्षित घोषित की जा चुकी थी। जो लोग गए उन्होंने जाने से पहले विरोध किया था। मगर, यह आपात काल के दौरान हुआ था अर्थात 1975-76 में पहली चसनाला दुर्घटना हुई थी। दूसरी दुर्घटना भी आपातकाल में हुई। उस समय सरकार ने दो नारे दिये थे। एक नारा था, 'अधिक उत्पादन'। दूसरा नारा था 'पूर्ण अनुशासन'। अधिक उत्पादन के बारे के कारण, यदि प्रतिरोध किया जाता तो नौकरी

[श्री समर मुखर्जी]

से बर्खास्त कर दिया जाता। इसलिए उन्हें अपने अधिकारियों के निदेश और आदेश के आगे झुकना पड़ा। दूसरी चसनाला दुर्घटना में मरने वाले एक व्यक्ति ने काम पर जाने से पहले, यह लिखित रूप में दिया था।

मैं उसका संगत अंश पढ़कर सुना रहा हूं :

आज 28 फरवरी 1976 को मैं श्री एस० के० बनर्जी, क्षेत्रीय प्रबंधक, श्री भट्टाचार्जी, प्रबंधक और डा० आर० एस० रॉय, प्रबंधक के अनुदेश पर, पुराने काम के पहले स्तर से स्तर 'के' जोड़ का सर्वेक्षण करने के लिए गढ़े (पश्चिमी खान) में उतर रहा हूं। श्री एस० बंदोपाध्याय और श्री डी० सरकार, समूह सुरक्षा अधिकारी ने इस स्थान को असुरक्षित घोषित किया था और पहले लोगों को इसी जगह से इस काम पर से हटा लिया गया था। यदि मेरे दल के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उपर्युक्त व्यक्ति जिम्मेदार होंगे।"

तो ये आदमी मारे गए। इसके बाद कर्मचारी संगठन ने तुरन्त एक ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन की एक प्रति मेरे पास है। उनको संदेह था कि उन सब आदमियों को मार डालने की साज़िश थी क्योंकि उनमें से श्री एस० राय चौधरी, जिसने उपर्युक्त पत्र लिखा था वह पहली चसनाला दुर्घटना का मुख्य साक्षी था। मगर मेरा प्रश्न सुरक्षा नियमों के स्पष्ट उल्लंघन के बारे में है। यह बहुत गम्भीर बात है जिस पर नए मंत्री को ध्यान देना चाहिए। मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं क्योंकि उन्हें ये सब बातें मालूम नहीं हैं। इतनी अधिक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। प्रत्येक दुर्घटना के बाद जांच की गई जिसमें यह पाया गया कि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया गया है। जिस दिन मैं चसनाला गढ़े में गया, उस दिन निदेशक, खान सुरक्षा संगठन और श्री बनर्जी, खान क्षेत्र प्रबंधक भी मेरे साथ थे। जब हम उस गढ़े में पहुंचे जहां खुदाई की गई थी तो वे अलग-अलग कारण देकर सफ़ाई दे रहे थे।

सभापति महोदय : क्या मैं ध्यानाकर्षण सम्बन्धी नियम पढ़ सकता हूं। इसके अनुसार—

"ऐसे वक्तव्य पर, जब वह दिया जाये कोई बाद-विवाद नहीं होगा, किन्तु प्रत्येक सदस्य जिसके नाम में कार्य सूची में यह मद दिखाई गई हो, अध्यक्ष की अनुमति से प्रश्न पूछ सकेगा।"

श्री समर मुखर्जी : मैं विवाद नहीं कर रहा हूं। मैं माननीय मंत्री को सच्चाई बता रहा हूं।

सभापति महोदय : अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री समर मुखर्जी : आप मुझसे कौन सा प्रश्न पुछवाना चाहते हैं। प्रश्न पूछने से पहले मैं इस बारे में और सूचना दे रहा हूं। सुरक्षा के बारे में सरकार गारंटी देगी ! यह आश्वासन देने का प्रश्न नहीं है। आपने बहुत बड़े-बड़े आश्वासन दिए हैं। मैं सुरक्षा नियमों को लागू करने के बारे में गारंटी चाहता हूं। प्रत्येक दुर्घटना के बाद एक जांच न्यायालय गठित किया जाएगा। एक दुर्घटना में, अर्थात चसनाला में 300 से अधिक व्यक्ति मारे गए। जिनपुर दुर्घटना में भी लगभग 300 व्यक्ति मारे गए, सुदामदिहा में लगभग 43 व्यक्ति मारे गए और हाल की दुर्घटना में 8 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। तो, इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहेंगी आपने लम्बे चौड़े आश्वासन दिए हैं। ये खोखले आश्वासन बार-बार दोहराए जाते रहें हैं।

सभापति महोदय : ध्यानाकर्षण का उद्देश्य देश में हुई किसी महत्त्वपूर्ण घटना की ओर मंत्री का ध्यान आकर्षित करना होता है।

श्री समर मुखर्जी : मुझे मालूम है। मैं 1971 से यहां पर हूं। मैंने बहुत से ध्यानाकर्षण प्रस्तावों में भाग लिया है। तो, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि मैं कोई नया सदस्य नहीं हूं। मेरे मुद्दे नियम की सीमा से बाहर नहीं हैं। इन भयंकर दुर्घटनाओं के संदर्भ में, मैं मंत्री महोदय से गारन्टी चाहता हूं, आश्वासन नहीं। यह गारंटी का प्रश्न है। इन्होंने बड़े-बड़े वायदे किए हैं। "मैं कभी समझौता नहीं करूंगा।" आप किसके साथ समझौता करेंगे ? सुरक्षा संगठन के तंत्र के बारे में आपके सामने पूरी स्थिति रख रहा हूं। कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें क्योंकि इससे आप मेरा प्रश्न समझ सकेंगे।

> "खान सुरक्षा संगठन की स्थिति बहुत दर्दनाक है जिससे कि हमारी अर्थ-व्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र के प्रति सरकार की उपेक्षा जाहिर होती है। जबकि लगभग 500 कोयला खानें और 3600 गैर कोयला खानें हैं, हमारी सूचना के अनुसार खान सुरक्षा महानिदेशालय में केवल 844 कर्मचारी हैं।

इसमें सौ श्रेणी एक के अधिकारी निरीक्षण और मुख्यालय के काम के लिए जिसमें से बीस मुख्यालय में नियुक्त किए गए हैं। निरीक्षण के लिए श्रेणी दो के केवल 12 अधिकारी हैं, जबकि श्रेणी तीन और श्रेणी चार में क्रमशः 501 और 281 कर्मचारी हैं। जैसाकि उचित ही है—खान सुरक्षा सम्मेलन में यह परामर्श दिया कि सुरक्षा की दृष्टि से, एक खान की, तीन महीने में एक बार जांच अदृश्य की जानी चाहिए मगर फिलहाल जितने कर्मचारी हैं वे प्रत्येक खान की वर्ष में एक बार जांच करने के लिए भी काफी नहीं हैं। सवाल यह है। ये विस्फोट होते जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह देखना है कि दो निरीक्षणों के बीच कितने समय का अन्तराल है—और खान संगठन ने अंतिम निरीक्षण कब किया था ? क्या खान सुरक्षा अधिकारियों ने इन विस्फोटकों को रखने की अनुमति दी थी—और क्या प्रबंधकों को यह मालूम था कि वह विस्फोटक वहां रखे हुए हैं। यह खान सुरक्षा नियमों का पूर्ण उल्लंघन है। खान में इस तरह विस्फोटक नहीं रखे जा सकते। उस क्षेत्र में मजदूरों को काम करना होता है और अगर वहां विस्फोटक रखे जाते हैं तो किसी भी क्षण विस्फोट हो सकता है। इस बात की क्या गारंटी है कि जांच न्यायालय की सिफारिश पर अमल किया जाएगा और भविष्य में मजदूरों को ऐसे विस्फोटों से बचाने के लिए खान सुरक्षा नियमों का पालन किया जाएगा ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : महोदय, मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूं कि यह बहुत गम्भीर दुर्घटना थी और जो भी हो मैं इस स्थिति की गम्भीरता को कम करके नहीं दिखाना चाहता। यह अभी रहस्य है कि वे विस्फोटक वहां क्यों रखें हुए थे मैं इस मुद्दे पर माननीय सदस्य के साथ सहमत हूं। हम कई तरह की जांच करके इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आमतौर पर ये विस्फोटक बारूदखाने में रखे जाते हैं; मैं मौके पर गया था, मैंने मजदूरों और श्रमिक संघ के नेताओं और प्रबंधकों से पूछा था और उन्होंने मुझे बताया कि जब जरूरत होती है तब ये विस्फोटक बारूदखाने से बाहर निकाले जाते है। कभी-कभी वे ऐसा करते है कि वे एक ही बार में दो या तीन पंक्तियों के विस्फोटक ले आते है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, मगर वे वैसा करते है, जैसा कि मुझे मालूम हुआ है,

[श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी]

हमेशा नहीं मगर कभी-कभी ऐसा होता है। बहुत-सी गैर-कानूनी खान गतिविधियां चल रही है, और जैसाकि आप जानते है इन विस्फोटकों को शायद कोल इण्डिया संगठन से खरीदने की कोशिश करते हैं बहरहाल जो भी हो, बुनियादी बात यह है कि यह विस्फोटक अधिनियम का पूर्ण उल्लंघन है और मैं पूरी तरह सहमत हूं कि वहां विस्फोटकों का रखना बहुत लापरवाही की बात थी चाहे करण कुछ भी रहा हो। जांच हो रही है और जब तक कम से कम उस जांच की प्रारम्भिक रिपोर्ट नहीं आ जाती, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं माननीय महोदय के प्रति, यह चिंता प्रकट करने के लिए आभारी हूं। आखिरकार हम इंसानों की जिन्दगी पर चर्चा कर रहे है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जितने भी उपाय हमें सुझाए गए हैं उनका शत प्रतिशत पालन किया जाएगा। यहां मतभेद का कोई प्रश्न नहीं मैं माननीय सदस्य और सदन को आश्वासन देता हूं कि मैं इस मामले पर व्यक्तिगत रूप से विचार करूंगा और नजर रखूंगा कि उत्पादन की खातिर सुरक्षा उपायों की उपेक्षा न हो। मैं जरूरत होने पर दूसरी तरह की जांच जैसे कि न्यायिक जाँच आदि के लिए मना नहीं कर रहा हूं। मगर फिलहाल मौके पर स्थानीय लोगों, श्रमिक संघ के लगभग सभी नेताओं से और मजदूरों से मिलकर मैंने जो कुछ सुना है उसके अलावा मुझे कोई प्रारम्भिक रिपोर्ट नहीं मिली है।

खान दूर्घटनाओं के मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। 1977 में मृतकों की संख्या 237 थी; 1978 में वह 173 थीं और 1979 में 168 थी। जिसका मतलब है कि उसमें कमी हो रही है। मगर यह कोई खुशी की बात नहीं है। इस आधार पर संतुष्ट हो जाने की कोई गुंजाइश नहीं हैं। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि हम सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

एक माननीय सदस्य : वास्तव में विस्फोटक कमरे में किस समय रखे गए थे ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैं बता चुका हूं।

श्री तारीक अनवर (कटिहार) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं मंत्री महोदय का शुक्रिया अदा करता हूं —उन्होंने उस घटना स्थल पर खुद जाकर मुआयना किया और उस के बाद यहां आकर रिपोर्ट दी। यूं तो जैसा उन्होंने आश्वासन दिया है कि एन्क्वायरी के बाद जो रिपोर्ट आयेगी, उसके मुताविक जो दोषी व्यक्ति या जो दोषी अफसर पाये जायेंगे, जिनके कारण इतने मासूम मजदूरों की जानें गईं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, लेकिन मैं उनसे एक बात का आग्रह जरूर करूंगा कि जो राहत कार्य चल रहा है, वह उतना संतोषजनक नहीं है, जितना होना चाहिए। जैसा मंत्री जी ने अपने बयान में कहा है कि मरनेवालों को एक हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा, या शायद दिया जा चुका है, मैं समझता हूं कि यह मुआवजा बहुत कम है, इस मुआवजे को और बढ़ाया जाए, इस लिए कि वे मजदूर जो बड़ी कठिनाइयों में और अपनी जान की बाजी लगाकर उसमें काम करते हैं, उन की जान की कीमत सिर्फ एक हजार रुपये मात्र हो, यह ठीक नहीं लगता है, जबकि दूसरीतरफ रेल की कोई घटना होती है तो उसमें मरने वाले को 50 हजार रुपये दिए जाते हैं, हवाई जहाज की कोई घटना होती है तो उसमें मरने वाले को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। जो मजदूर कोयला खानों में काम करते हैं, जिन से सारे देश का लगाव है, सारे देश की आर्थिक स्थिति

क लगाव है—उस व्यक्ति के मरने का मुआवजा बढ़ाया जाना चाहिए। मैं आप से अपील करूंगा कि आप इस पर विचार करें और साथ-साथ जितनी अधिक से अधिक राहत आप पहुंचा सकते हैं, उसको पहुंचाने की कोशिश कीजिये। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : माननीय सदस्य को गलतफहमी हो गई है। 1,000/- रुपये अनुग्रह राशि है। वह मुआवजा कानून के अनुसार दिया जाएगा। वह राशि चाहे 25,000 रुपये, 30,000 रुपये या 35,000 हो। मुझे वह मालूम नहीं है।

मैंने वहां के श्रमिक संघ के नेताओं से कह दिया है कि यह राशि प्राप्त करने के तीन-चार दिनों के अन्दर अगर उन्हें कोई शिकायत हो तो वे मुझसे टेलिफोन पर बात कर लें मैं दुर्घटनास्थल पर फिर जा सकता हूं या वे मुझसे मिल सकते हैं और हम विचार विमर्श कर सकते हैं।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उसके बारे में मैं पहले जो दुर्घटनाएं हुई हैं, मैं उनकी प्रेस क्लिपिंग्स देख रहा था और जितने जोर से मंत्री जी ने कहा है 100 पर सेन्ट हम करेंगे, उससे भी ज्यादा जोर से पहले के जो मंत्री थे, उन्होंने 200 परसेन्ट श्योरिटी के साथ कहा था कि मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि हम इस बारे में कुछ करेंगे लेकिन घटनाएं घटनाएं घटती हैं और जब घटती हैं, तो मंत्री जी आकर यहां आश्वासन दे जाते हैं। अब होता यह है कि हमारे चौधरी साहब कोई पर्मानेन्ट मिनिस्टर तो हैं नहीं और न ही हम लोग पर्मानेन्ट हैं, एक मंत्री आता है, वह चला जाता है और फिर दूसरे मंत्री आ जाते हैं और वे उसी जोर से कहते हैं कि मैं 100 परसेन्ट गारन्टी के साथ कहता हूं कि आगे से ऐसी घटना नहीं होगी लेकिन उस गारन्टी का अभी तक कोई खास रिजल्ट नहीं निकला है। मैं यह देख रहा था कि चासनाला में एक घटना दिसम्बर 1975 में हुई थी और फिर 1976 में भी वहां पर घटना घटी और मंत्री जी ने वहां जाकर उसको देखा और फिर इसी स्वर में कहा था। तो मैं दो, तीन बातें इस सम्बन्ध में मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। एक तो यह है कि खान अधिनियम में कोई संशोधन दिया जाएगा और दूसरा खदान के बारे में है···।

सभापति महोदय : आप इस पर डिबेट मत करिये, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।

श्री रामविलास पासवान : मैं वही कर रहा हूं। मैं इसे घुमा दूंगा और प्रश्न ही पूछूंगा। मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि आप यह देखिए कि खानों में जो मजदूर काम करता है, उसका सिर्फ एक ही काम नहीं है कि अपना पेट भरे। यही उसका काम नहीं हैं बल्कि राष्ट्र की सेवा करता है और जब वह राष्ट्र की सेवा करता है, तो उसकी रक्षा करना भी सरकार का काम है। वह एक राष्ट्रीय सम्पत्तिहै और सरकार का यह दायित्व हो जाता है कि वह उसकी रक्षा करे। अभी माननीय सदस्य श्री तारीक अनवर ने कहा था कि जब कोई प्लेन में मरता है, तो उसके लिए सरकार एक लाख रुपया देती है लेकिन जब खान में मजदूर मरता है, तो उसके लिए 1 हजार रुपया प्लस बोनस लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर पहले सरकार की कार्यवाही के बारे में देखेंगे, तो यह पाएंगे कि जब चासनाला में घटना घटी थी, तो 30, 30 हजार रुपए दिए गए थे और अलावा बोनस भी था। तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार खान अधिनियम में संशोधन करना चाहती है और खान के ऊपरी भाग, किनारे के धंसने, विस्फोटक और जल प्लावन जैसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए

[श्री राम विलास पासवाल]

सरकार कौन से कदम उठा रही है। इसके अलावा सभी खानों के अन्दर निगरानी कार्य के लिए और सुरक्षा व्यवस्था के लिए आधुनिक संयंत्र जैसे एलेक्ट्रोनिक संयंत्र लगाने का विचार सरकार रखती है और पिछली सरकार ने जो मुआवजा दिया था, ऐसे विक्टिमों के लड़के, लड़कियों को नौकरी देने की व्यवस्था क्या सरकार करने जा रही है। इन दो तीन बातों के बारे में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वे ऐसे उपाय करें कि आगे फिर ऐसी घटनाएं न घटें।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : सभापति महोदय, मैं सब कुछ बता सका हूं।

सभापति महोदय : तीसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार मृतकों के पुत्र और पुत्रियों को नौकरी देने की गारंटी देगी।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : ये तो पहले ही कह चुका हूं।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : मैंने खान अधिनियम में संशोधन के बारे में पूछा था।

सभापति महोदय : वह प्रश्न तो बहुत बड़ा हो जाएगा।

श्री रामविलास पासवान : ये हां या ना में जवाब दें। आप पढ़कर ही सुना दीजिए।

(व्यवधान)

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैं उसके बारे में पहले ही बता चुका हूं। मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहूंगा कि 1977 में कोयला खान की सुरक्षा सम्बन्धी एक समिति थी। इस समिति ने कुछ सिफारशें की थीं और मैं उन सिफ़ारशों को लागू करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं विपक्ष में बैठे अपने मित्रों का बहुत आभारी होऊंगा यदि वे इसमें मेरी सहायता करें। जब भी उन्हें कहीं कोई चीज़ ग़लत लगे, वे मुझे उसके बारे में लिख सकते हैं और हम वहां साथ-साथ जाकर उनका स्वयं निरीक्षण कर सकते हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं। मेरे माननीय मित्र यह संकेत कर रहे हैं कि मंत्री आते और जाते रहेंगे। प्रजातंत्र की यही प्रणाली है। वे तो आते जाते रहेंगे। मैं इससे अधिक क्या आश्वासन दे सकता हूं। मैं उन्हें सदन में आश्वासन देता हूं कि यह किया जाएगा।

श्री रामविलास पासवान : कितने दिनों के अन्दर। (व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने तीसरा प्रश्न पूछा है। वह यह जानना चाहते हैं कि क्या मृतकों के पुत्र और पुत्रियों को नौकरी देने की दिशा में कुछ किया जाएगा।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : वह मैं अपने वक्तव्य में कह चुका हूं।

सभापति महोदय : ठीक है।

ग्वालियर में पुलिस और वकीलों के बीच हुई मुठभेड़ की घटना के बारे में वक्तव्य

गृह मंत्री (श्री जैलसिंह) : सरकार ग्वालियर में कल 20 मार्च, 1980 को पुलिस वालों में और वकीलों में हुई मुठभेड़ की घटना की भर्त्सना करती है। अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार की घटना हुई। सरकार को मध्य प्रदेश की सरकार से इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट मिलने वाली है। फिर भी, मामले की गम्भीर प्रकृति को देखते हुए, सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से यह सिफ़ारिश की है कि वह मध्य प्रदेश से बाहर के किसी उच्च न्यायालय के किसी सेवारत न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक जांच करे और उनसे अनुरोध किया है कि जाँच को शीघ्र पूरा किया जाए।

6 बजकर 37 मिनट म० प०

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 2 मार्च, 1980 25 चैत्र, 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : आकाशदीप प्रिण्टर्स, 20 दरियागंज नई दिल्ली-2